(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] पंचम् विधान सभा के 11 वें सत्र का 15वां दिवस [संख्या 11

सोमवार,

22 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(यातायात, उद्योग, पंचायत, शिक्षा, श्रम, विद्युत, सहकारी, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, विकास, चिकित्सा, गृह, आयुर्वेद, पुरातत्व, आयोजना, अकाल सहायता एवं समाज कल्याण-विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ! श्री केशरीमल।

कर्मचारी भविष्य निधि नियम के अन्तर्गत मजदूरों से काटा गया पैसा

238. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): [श्री केशरीमल (ब्यावर) की अनुपस्थिति में]: क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने उद्योगों में कर्मचारी भविष्य निधि नियम लागू हैं ? इस अधिनियम के तहत कितने श्रमिक आते हैं ? इन श्रमिकों से चंदे के रूप में कितना पैसा काटा जा रहा है और मालिकों का चंदा कितना रुपया माहवार होता है ?

(2) क्या यह सही है कि कारखानों के व्यवस्थापक अपना और मजदूरों से काटा हुआ पैसा इस विभाग में जमा नहीं करा रहे हैं ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्ष में कितने कारखानों ने यह पैसा जमा नहीं कराया ? उसकी राशि कितनी बकाया है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी उपरोक्त प्रकार का पैसा जमा नहीं करा रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी मिल ब्यावर ने भी पैसा जमा नहीं कराया ? यदि हां, तो पैसे जमा कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई ? पांच वर्ष की अवधि में बाकी रहे पैसे में से कितना पैसा जमा करा दिया गया ?

राज्य मन्त्री, श्रम (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) राजस्थान में 1094 संस्थानों पर कर्मचारी निधि एवं पारिवारिक पेन्शन अधिनियम 1952 लागू है। इस अधिनियम के अधीन 92,543 बिना छूट प्राप्त श्रमिक एवं 63,775 छूट प्राप्त श्रमिक आते हैं। इन श्रमिकों से 17.50

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

लाख रुपया चन्दे के रूप में माहवारी आता है और इसी समानुपात में संस्थान के मालिक जमा करवाते हैं।

(2) हां, पिछले पांच वर्षों से जिन कारखानों ने पैसा जमा नहीं करवाया है, उसकी सूची (क) संलग्न है।

(3) हां, यह सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भविष्य निधि का पैसा बकाया है। यह भी सही है कि एडवर्ड मिल व महालक्ष्मी मिल, ब्यावर को नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन, नई दिल्ली के लेने के पूर्व की भविष्य निधि के 7.25 लाख रुपये बाकी है। उपरोक्त बाकी रकम को वसूल करने के लिये की गई कार्यवाही सूची (क) में दिखाई गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, सूची तो प्राप्त नहीं हुई है इसलिये प्रश्न सं. 2 के सम्बन्ध में बिना सूची के मेरे लिये कोई सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन करना संभव नहीं है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि महालक्ष्मी मिल, ब्यावर और एडवर्ड मिल ब्यावर में कितना रुपया बकाया है?

श्री उपाध्यक्ष : सूची मिलने के बाद आप पूछना चाहेंगे तो सूची पढ़कर सुना दी जावे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सूची पढ़कर सुना दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, सूची प्राप्त हो गई है, मैं इसको पढ़कर सुना देता हूं:—

मैसर्स कोटा ट्रान्सपोर्ट लि०, कोटा	64,681.00
,, धौलपुर मिल्स वर्क्स, धौलपुर	1,05,038.16
,, मान इण्डस्ट्रियल कार्पो. लि., जयपुर	3,35,000.00
,, मान स्ट्रेलर्स लि०, जयपुर	58,000.00
,, गोटन लाइम सिन्डीकेट, गोटन	17,300.00
,, आर. पी. सेठ, मूलचन्द	45,132.00
,, विजय काटन मिल, विजयनगर	3,25,911.00
,, एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	70,950.00
,, महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	6,54,146.75
,, धरतीधन (पा.) लि., उदयपुर	60,604.75
,, जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर	18,57,143.75
,, लोकवाणी प्रेस, जयपुर	52,443.25
,, एस. जोरास्टर एण्ड कं० (सप्लाई) प्रा०, जयपुर	56,710.23

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि प्रोवीडेन्ट फन्ड का पैसा जमा नहीं कराना कानूनी अपराध है और क्या

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार ने इन कम्पनियों के खिलाफ इस कानूनी अपराध के होते हुए कोई एक्शन लिया है ? कोई चालान किया है, किन्हीं भी कम्पनी का ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सही है कि प्रोवीडेन्ट फन्ड का पैसा जमा नहीं कराने पर कानूनी अपराध होता है और जैसा कि मैंने कहा, कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की बकाया राशि के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया था जिस पर अदालत ने प्रत्येक डाइरेक्टर पर दस-दस रुपया व कम्पनी पर पांच-पांच रुपया जुर्माना किया जिससे हम सेटिस्फाई नहीं हुए और प्रोवीडेन्ट फन्ड के अधिकारियों ने हाई कोर्ट में अपील की।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : यह फर्म तो समाप्त हो चुकी है।

श्री औंकारलाल चौहान (डग) : यह कम्पनी तो वाइन्ड अप हो गई है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि प्रोवीडेन्ट फन्ड एक्ट, 1952 का आपरेशन और कन्ट्रोल भारत सरकार के चीफ प्रोवीडेन्ट फन्ड कमिश्नर द्वारा किया जाता है। राज्यों में इसको रीजनल प्रोवीडेन्ट फन्ड कमिश्नर देखता है, न कि हमारा श्रम विभाग। इसलिए जो कुछ भी सूचना मिल पायी है, वह पेश कर दी गई है। जिन कम्पनियों का बकाया है, उनके खिलाफ कार्यवाही चालू है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सबसे बड़ी रकम जयपुर उद्योग में 18 लाख बतलाई गई है, इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री औंकारलाल चौहान : सबसे अधिक रकम और सबसे पुरानी रकम कौन सी कम्पनी की है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जयपुर उद्योग को प्रोवीडेन्ट फण्ड कमिश्नर ने किश्तों में जमा कराने की सुविधा दे दी थी वह सुविधा अब समाप्त कर दी गई है और कोर्ट में उनका चालान कर दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह चालान कब किया गया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह तिथि मेरे पास नहीं है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह राशि जो आपने एडवर्ड मिल, ब्यावर और महालक्ष्मी मिल, ब्यावर के खिलाफ बकाया बताई है, वह नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन ने टेक ओवर करने के बाद जमा नहीं कराई है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ब्यावर में जो तीन मिलें हैं, एन. टी. सी. के अधिकरण करने के बाद में जो पी. एफ. की राशि बनी थी वह तो जमा करा दी गई है। यह राशि पहले की है, इसलिए उसके लिये इनका चालान करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न सं. 239

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट! श्रीमती जमुना सोलंकी।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

श्री हनुमान सहाय व्यास।

Page No 4

(५)

हरिजन मोहल्लों में बिजली

240. **श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ):** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि ग्राम साहीवाड़, भाभरू, आंतेला, बाड़ीजोड़ी, बाघावास, अहीरान, ढाणी जयसिंह पुरा, मेड का विद्युतीकरण हुए 5 वर्ष से 7 वर्ष तक का समय हो चुका है ? यदि हां, तो इन ग्रामों के हरिजन मोहल्लों का विद्युतीकरण किस वर्ष में किया गया है ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : प्रश्न में वर्णित ग्रामों का विद्युतीकरण निम्न तारीखों में हुआ है ...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी): विद्युत् मन्त्री कब से हो गये ?

श्री खेतसिंह : इनमें से बाघावास अहीरान की 2 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण दिसम्बर, 72 में किया जा चुका है। साइवाड़, बाडीजोडी ग्रामों की बस्तियों के प्रार्थना-पत्र व अनुबन्ध-पत्र प्राप्त हो चुके हैं जिनके एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं। अन्य ग्रामों की सम्बन्धित पंचायतों द्वारा अभी तक बिजली के मासिक बिलों के भुगतान से सम्बन्धित अनुबन्ध प्राप्त नहीं हुए है। अतः इन गांवों की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है :

1.	साईवाड़	28-11-71
2.	भाबरू	31-12-72
3.	आंतेला	15- 1-73
4.	बाड़ी जोड़ी	28-11-71
5.	बाघावास अहीरान	13- 1-73
6.	ढाणी जयसिंह पुरा	31- 1-73
7.	मेड़	जून 74

श्री हनुमान सहाय व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपने बताया, बाघावास अहीरान की हरिजन बस्तियों का दिसम्बर 72 में विद्युतीकरण हो चुका है। लेकिन आज तक बाघावास की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। दूसरा अन्य पंचायत, जैसा आपने बताया, के गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। लेकिन उन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। पंचायत ने एप्लाई कर दिया, तो क्या अगली साल हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया जायगा ?

श्री नत्था सिंह (नदबई) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नियम बनाये हैं कनेक्शन देने के लिए कि सबसे पहले हरिजन, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्लों में लाइन डाली जायगी ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री खेतसिंह : सन् 1975-76 के अन्दर पांच लाख रुपया इसके लिए रखा गया था, हरिजन बस्तियों को कनेक्शन दिये जायेंगे। सन् 1976-77 में 10 लाख रुपया रखा गया है। आम तौर पर जहां लाइन आयी हुई है, उस कस्बे में हरिजन बस्ती को प्राथमिकता दी जायगी। हाई टेन्शन वगैरह से कनेक्शन नहीं दिये जा सकते।

दूसरा निवेदन है कि आपने कहा, बाघावास हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मेरे पास वह है जो विभाग ने सूचना दी है कि विद्युतीकरण हो चुका है।

(श्री खेत सिंह)

आपने कहा कि नहीं हुआ है तो मैं जांच करवा लूंगा। नहीं हुआ है तो मैं आदेश दूंगा, विद्युतीकरण कर दिया जायगा।

श्री नत्था सिंह : मैंने सप्लीमेंट्री पूछा, उसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि आबादी के अन्दर जो लोकल कनेक्शन देते हैं, उसमें लाइन सबसे पहले अनुसूचित जाति, जन जाति के मोहल्लों में दी जायगी ? इसका जवाब मांग रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) : आप जवाब दें, उसके पहले मैं भी एक सप्लीमेंट्री पूछ लूं। क्या यह समझते हैं मन्त्री महोदय कि पांच लाख, दस लाख रुपया राजस्थान के तेंतीस हजार गांव, इतने विस्तृत क्षेत्र, के लिए सफिसियेन्ट हैं, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने के लिए ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इनसफिसियेन्ट होते हुए भी इस पांच लाख रुपये का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है ?

श्री देवीलाल (सराड़ा) : यह कहां कहां खर्च हो रहा है ?

श्री औंकारलाल चौहान : क्या पूरा रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री नानालाल (राजसमन्द) : जिस गांव में विद्युतीकरण होता है, क्या राज्य सरकार का आदेश है कि इलेक्ट्रिफाई करने के पहले ध्यान रखा जाय कि पहले हरिजन मोहल्ले में लाइन पहुंच जाय ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या यह सही है, मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग ने कुछ हरिजन बस्तियों में बिजली की लाइन डालने के लिए आपके यहां रकम जमा करा रखी है ? पंचायत की ओर से प्रार्थना-पत्र देने के लिए आपने कहा, तो हरिजन बस्ती में लाइन डालने के लिए पंचायत प्रार्थना-पत्र दे चुकी है और रकम भी ले ली गई है, फिर हरिजन बस्तियों का इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : हरिजन बस्तियों में लाइन खींचने का प्रश्न है, लाइन खींच दी जाती है। जैसा सवाल के जवाब में अर्ज किया था, पंचायत अथवा म्यूनीसिपेलिटी, जो भी परिस्थिति हो, अनुबन्ध-पत्र भर कर भेजती हैं। वह जिम्मेदारी ले लेती है, एग्रीमेंट भर देती है कि हम इसका पैसा चुकायेंगे। तभी जाकर वहां लट्टू लगते हैं। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक नहीं होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मंत्री महोदय, उसके बाद में अमेंडमेंट कर दिया है। यह बहुत पुराना है जो आप बता रहे हैं। लेटेस्ट सरक्यूलर दूसरा है। हरिजन मोहल्लों में अनुबन्ध-पत्र दो, मत दो, करना पड़ेगा — क्या यह सही है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या यह सही है कि 1973 के बाद में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने विद्युतीकरण के लिए किसी भी हरिजन बस्ती के अन्दर एक पैसा भी मंजूर नहीं किया है ?

श्री खेत सिंह : झुंझुनू से आने वाली माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है, यह सही

Page No 6

(6)

(श्री खेत सिंह)
है कि सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट पहले तो इस तरह से पैसा दिया करता था, हरिजन बस्तियों में कनेक्शन दिये जाते थे। अब उन्होंने पैसा देना बन्द कर दिया है। अब विद्युत् डिपार्टमेंट स्वयं अपने फण्ड से इसके लिए पैसा रिजर्व रखता है और उसके द्वारा ही कनेक्शन दिये जाते हैं।.

श्री नत्था सिंह : मेरा प्रश्न ··· ···

श्री खेत सिंह : आप कृपया पूरा जवाब सुनिये।

सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन हैं कि हरिजन मोहल्लों के अन्दर कनेक्शन देते वक्त आपको कोई इस प्रकार का अनुबन्ध-पत्र भरना आवश्यक नहीं। वह बात नहीं है। रूल्स में यह है कि पंचायत पहले अनुबंध-पत्र भर कर देगी तब जाकर कनेक्शन दिये जायेंगे। नहीं तो, आप खुद सोचिये, वास्तव में यह प्राब्लम आयेगी कि पेमेंट कौन करेगा ?

एक माननीय सदस्य : यह बात सही है।

श्री खेतसिंह : इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कार्मशियल डिपार्टमेंट है वह इस तरह करना शुरू कर दे तो घाटे में जाने की स्थिति पैदा हो जायगी।

श्री दीपंकर : समाज कल्याण विभाग ने रकम दी है, फिर भी एक कनेक्शन नहीं दिया गया है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या यह सही है कि 1973 में वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की थी कि इलेक्ट्रिफाइड की परिभाषा, मतलब यह समझा जायेगा कि उस गांव में हरिजन बस्ती में पहले बिजली पहुंचे ? तब जाकर समाज कल्याण विभाग ने पैसा देना बन्द किया है, क्या यह सही है ?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसमें गलतफहमी मालूम पड़ती है। गलत फहमी यह है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के मायने यह नहीं है कि हर मोहल्ले में, हर स्ट्रीट में लाइन डाल दी जाय··· ·

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह घोषणा····

श्री हरिदेव जोशी : बीच में बोलने से पहले सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

इलेक्ट्रिफिकेशन के मायने यह हैं, उस जगह बिजली उपलब्ध करवा दी जायगी। मगर जो लेने वाले हैं, स्ट्रीट लाइन के लिए कन्ज्यूमर जो होती है वह म्युनिसिपेल्टिी है और इण्डिविजुअल घर के लिए इण्डिवि-जुअल है। तो उसको भी लेना चाहते हैं। उस इलाके में बिजली उसको अवेलेबल करवा दी जायगी। यह मतलब उस सारे का था। दूसरा मतलब यह है 1973 के पहले जो सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट अपने बजट का प्रावधान करता था, 1973 के बाद जितना प्रावधान सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट करता था उससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्वयं इसके लिए प्रावधान रखता है।

श्री राघवराम (छापर) : मेरा यह प्रश्न है, जैसा मंत्री महोदय ने बताया था, हरि-जन मोहल्ले इलेक्ट्रिफाई तब किये जायेंगे, जब पंचायत, म्युनिसिपेलिटी लिख कर दे

(श्री रावतराम)

दें, स्ट्रीट लाइट का जो खर्च आयेगा वह हम देंगे। राजस्थान में बहुत सी पंचायत, म्युनिसिपेलिटी ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि हरिजन मोहल्लों को इलेक्ट्रिफाई किया जाय तो उस सूरत में उन्हें कैसे इलेक्ट्रिफाई करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं आप को निवेदन करूंगा कि आप ऐसी पंचायत में जाकर बैठें और जाकर वातावरण बनायें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रतीराम यादव।

अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि० में हुए गबन के विरुद्ध शिकायतें

241. श्री रतीराम यादव (तिजारा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. अलवर के मैनेजर श्री हरिदत्त व्यास के विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि गम्भीर शिकायतों के प्राप्त होने पर विभाग की ओर से उप-रजिस्ट्रार भरतपुर ने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत मुकदमा चला कर श्री व्यास के विरुद्ध दिनांक 22-12-75 को अपना निर्णय दे दिया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री व्यास के विरुद्ध गबन का मामला साबित होने पर भी उन्हें अभी तक बैंक के मैनेजर के पद से नहीं हटाया गया है और वह अभी भी अपने पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार इस बात की जांच करायेगी कि गबन साबित होने पर भी श्री व्यास को मैनेजर पद पर बनाये रखने और उन्हें संरक्षण देने तथा उन्हें पद मुक्त करके सजा दिलाने की कार्यवाही न करने में बैंक स्तर पर अथवा राज्य सरकार के स्तर पर कौन व्यक्ति व अधिकारी दोषी हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार श्री व्यास तथा उनको अभी भी संरक्षण देने वाले व्यक्ति व अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी और उन्हें कठोर दण्ड देगी ? यदि हां, तो कब तक ? तथा क्या राज्य सरकार श्री व्यास को अब तुरन्त बैंक के मैनेजर के पद से बरखास्त करेगी ?

सहकारी मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. अलवर के मैनेजर श्री हरिदत्त व्यास के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई है।

(2) जी हां।

(3) यह सही नहीं है कि श्री हरिदत्त व्यास के विरुद्ध गबन का मामला साबित हुआ है। श्री व्यास मैनेजर के पद पर बदस्तूर कार्य कर रहे हैं।

(4) श्री हरिदत्त व्यास के विरुद्ध कोई गबन का मामला नहीं बनता। अतः संरक्षण देने अथवा सजा दिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(5) श्री हरिदत्त व्यास के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत जांच करने पर उन्हें गबन के लिए दोषी नहीं पाया गया है। अधिक प्राप्त की गई रकमों की वसूली के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर द्वारा बैंक को आदेश दे दिये गए हैं।

श्री रतीराम यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि उन........

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री पूछिये। उत्तर रिपीट करने से क्या मतलब है।

श्री रतीराम यादव : सप्लीमेन्ट्री पूछ रहा हूं। यह उत्तर दिया गया है, उनके खिलाफ कोई गबन, भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ। दूसरी तरफ यह कहा है, यह रकम रियलाइज करने के लिए आदेश दे दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, फिर वह रकम उनके पास किस तरह की है? दूसरा निवेदन यह है कि जो उन्होंने रिपोर्ट अपनी दी है, जो निर्णय दिया है, रजिस्ट्रार महोदय ने, वह सदन में पढ़ कर सुना दिया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने जो फैसला दिया है वह मेरे पास नहीं है। शिकायत उनके खिलाफ यात्रा भत्ते की अधिक धनराशि नियम के खिलाफ वसूल करने की थी। जोइन्ट रजिस्ट्रार ने निर्णय दे दिया कि रकम वसूल की जाय और बैंक में जमा कराई जाय। उस फैसले के खिलाफ मैनेजर ने रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटीज को अपील कर रखी है। जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक कार्यवाही वसूली की नहीं हो सकती। ज्यों ही निर्णय हो जायगा जो कि जोइन्ट रजिस्ट्रार ने फैसला दिया है, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी-बाजार) : एक सवाल मैं करना चाहूंगा। मंत्री महोदय नहीं मानते, जो रकम किसी मखसूस काम के लिए दी गई या ज्यादा रकम किसी कार्य के लिए उठाई गई, वह फौजदारी जुर्म भी बनता है और अगर बनता है तो पुलिस की कार्यवाही उस अधिकारी के विरुद्ध की गई?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : क्या जहां उन्होंने अपील कर रखी है, स्टे आर्डर प्राप्त कर रखा है और क्लीयर कट आफेंस में आता है? जैसा मंत्री जी ने कहा, एक्सेस रकम ड्रा की है तो फिर कैसे यह केस फौजदारी कानून के तहत नहीं आता है?

श्री रामनारायण चौधरी : जो उप-रजिस्ट्रार ने निर्णय लिया है उसके खिलाफ स्टे आर्डर दे रखा है। जहां तक अधिक रकम वसूल करने का प्रश्न है, जोइन्ट रजिस्ट्रार भरतपुर का मानना है कि जो टी.ए. बिल मैनेजर ने लिया है वह बढ़ी हुई दरों पर है, मैनेजर कहता है कि बढ़ी हुई दरों पर लेने का मुझे अधिकार है। उस निर्णय के खिलाफ एडीशनल रजिस्ट्रार के यहां अपील चल रही है। अगर उसको बढ़ी हुई दरों पर लेने का अधिकार नहीं था तो रकम वापिस हो जाएगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह तो प्रिवेन्शन आफ करप्शन एक्ट के तहत संगीन

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जुर्म है और सरकार ने ऐसे केसेज में लोगों का चालान किया है। आपको उनसे क्या हमदर्दी है कि केवल रकम वापिस ली जाएगी ? अगर यह साबित हो जाता है कि बढ़ी हुई रकम ली है तो इसके लिए आपको साफ्ट कार्नर क्यों होना चाहिए ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिप्टी रजिस्ट्रार का जो फैसला है उसके अनुसार यह माना गया है कि एक्सेस रकम ड्रा की गई है। अगर एक्सेस रकम ड्रा की गई है तो अपने आप में आफेंस एस्टेब्लिश हो जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : यदि अतिरिक्त रजिस्ट्रार अपील में मान लेता है कि बढ़ी हुई दरों पर टी. ए. बिल की रकम नहीं ड्रा की गई है तब तो वसूल करने का प्रश्न पैदा नहीं होता, नहीं तो एक्सेस रकम वापिस वसूल की जाएगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : In that case, भी आफेंस बनता है।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि एक व्यक्ति ने चाहे जानबूझकर, चाहे मिस अंडरस्टेंडिंग में पैसा ड्रा किया है जिसको लोकल आफिसर ने कहा है कि एक्सट्रा पैसा ड्रा किया है, उसकी अपील की है। काम्पीटेंट अथोरिटी ने उससे वसूल करने के बारे में स्टे दे दिया है। तो आज पोजिशन यह है कि स्टे इफेक्टिव है और जब तक हायर अथोरिटी का फैसला नहीं हो जाता है तब तक वसूल नहीं किया जा सकता। इसलिए यह गबन की तारीफ में नहीं आता। अगर वसूली वाजिब है तो फाइनल डिसीजन के बाद हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती मदन कौर।

बालोतरा असाऊ का बस का किराया

242. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में पथ परिवहन निगम की बसें बालोतरा से असाऊ का एक रुपया दस पैसे किराया यात्रियों से लेती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि बालोतरा से असाऊ की दूरी केवल 9 किलो मीटर है ? यदि हां, तब फिर इतना अधिक किराया किस आधार पर लिया जाता है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(2) जी हां। परन्तु निगम की बस सेवा बालोतरा से आसाड़ा वाया जसोल संचालित होती है जिसकी दूरी 16 किलो॰ मीटर है, जिसकी चार स्टेज बनती हैं और इस प्रकार किराया नियमानुसार 1·10 पैसे हो जाता है।

श्रीमती मदन कौर : बालोतरा से आसाड़ा की दूरी केवल 9 किलो मीटर है लेकिन बालोतरा से जसोल और जसोल से आसाड़ा केवल 14 किलो मीटर है और किराया 1.10 पैसे लिया जाता है। क्या यह वाजिब है ? यात्रियों से किराया लेने का आधार क्या है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसा कि मैंने प्रश्न दो के जबाब में निवेदन किया कि जो बस बालोतरा से वाया जसोल होकर आसाड़ा जाती है उसकी दूरी 16 किलो मीटर है, 14 नहीं। 5 किलो मीटर की एक स्टेज मानकर चलते हैं तो यह 4 स्टेज के अन्तर्गत आता है 15 से ऊपर होने की वजह से। चार स्टेजेज का किराया 80 पैसे है। उस पर यात्री कर व सरचार्ज मिलाकर 28 पैसे और बनते हैं जो कुल मिलाकर 1.10 पैसे होता हैं। हमारे किराए की वसूली का आधार किलो मीटर है, पैसेंजर नहीं। जो यात्री जितने किलो मीटर यात्रा करता है, उसके अनुसार किराया निर्धारित है।

श्रीमती मदन कौर : आपने जो 16 किलो मीटर बताया है, वह निगम की जानकारी के आधार पर बताया है बालोतरा से जसोल और जसोल से आसाड़ा। जसोल से पुन: बालोतरा जाने का किराया गलत लिया जाता है। आप पुन: जांच करायें, दूरी केवल 14 किलो मीटर है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जांच करवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटे-वाला।

जयपुर के घन्टा घर की घड़ी

243. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन-पोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है की जयपुर के अजमेरी गेट दरवाजे के पास घन्टा घर की घड़ी वर्षों से खराब पड़ी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसको ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उक्त घड़ी पर अब सफेदी पोत दी गई है? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। घड़ी इस योग्य नहीं रह गई है कि उसकी मरम्मत कराई जा सके।

(2) घड़ी द्वारा बताये जाने वाले गलत समय से आम जनता को भ्रम न हो, अत: घड़ी पर रंग पुतवा दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप कहते हैं कि आपकी घड़ी ठीक नहीं हो सकती।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: क्या यह सही है कि जिस जमाने की यह घड़ी है उस समय भी 7 हजार इसकी कीमत थी? इसके सब पाट्‌र्स सरकाए गए हैं?

श्री खेतसिंह : पाट्‌र्स लिए जाने की सूचना मेरे पास नहीं है। यह सही है कि यह पुरानी घड़ी है और वर्षों तक सेवा की है। अब इसमें बुजुर्गपन आ गया इस-लिए बंद हो गई।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बुजुर्गपन तो आपका भी आ गया तो क्या आप भी बंद हो जायेंगे?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा। क्या यह सही है कि इससे भी पुरानी घड़ियां राजस्थान और हिन्दुस्तान में चल रही हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार नई घड़ी यहां पर लगवाने की व्यवस्था करेगी?

श्री खेतसिंह : एडवर्ड मेमोरियल बिल्डिंग पुलिस के अधीन है। पुलिस विभाग के पास में यदि फण्ड्स हों तो उनसे निवेदन करें, हम भी उनको लिखेंगे कि घड़ी लगावें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आज तो आप सार्वजनिक निर्माण मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं, यह भवन उसके नीचे आता है। ठीक 12 बजे इस घड़ी की सुई बन्द हुई थी। ठीक कराने के बजाय आपने इसको पुतवा दिया। जयपुर में और कोई दूसरी घड़ी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या जयपुर में कोई ऐसा दूसरा स्थान है जहां समय देखा जा सकता हो? यदि नहीं, तो फिर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप नई घड़ी लगवायेंगे?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप हर काम में हां करते हो, तो फिर इसमें ना क्यों करते हो?

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : यह प्रश्न मंत्रीजी से पूछ रहे हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके और मेरे पिता के समान हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप हां करें कि दूसरी घड़ी लगवायेंगे।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : पुरानी घड़ियों को रिटायर करके नई घड़ियां क्यों नहीं लगवाते?

श्री खेतसिंह : यह फण्ड्स की उपलब्धि पर विचार किया जा सकता है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : करोड़ों रुपये का बजट राजस्थान में है। इसमें तो 5-7 हजार रुपये की बात है जिसमें भी मंत्रीजी आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं जब कि सारे जयपुर में एक भी घड़ी नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर शहर के विकास के लिए जब इतना पैसा खर्च होता है, तो यह तो छोटी-सी बात है। आज तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री की हैसियत से कह दें कि घड़ी चैन्ज करवाई जाएगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे ख्याल से इसके बारे में मुख्य मन्त्री महोदय हस्तक्षेप करें तो इस समस्या का शायद हल निकल सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप निश्चित रहें नयी घड़ी का उद्‌घाटन आपके हाथ से करायेंगे। आप तो आश्वासन दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

नगरपालिका क्षेत्र सूरतगढ़ की भूमि पर अवैध कब्जे

244. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वार्ड नम्बर 7 नगरपालिका, सूरतगढ़ क्षेत्र में श्री मनफूलसिंह भादू के निवास स्थान के सामने पश्चिम दिशा में निरोज होटल के मालिक के मकान के साथ व श्री जयनारायण सोमानी की दुकान के बीच की जगह पर किस किस ने तथा कितनी कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है?

(2) उपरोक्त भूमि का बाजार भाव क्या है?

Page No 12

(12)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त कब्जा नाजायज है ? यदि हां, तो राज्य सरकार या नगरपालिका ने उपरोक्त कब्जा हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

(4) आर्य टाकीज के सामने का प्लाट किसको किस कानून या नियम के तहत अलॉट किया गया है ? क्या इस प्लाट पर कोई तामीर की गई है ? यदि हां, तो तामीर के आदेश कब हुए ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) वार्ड नम्बर 7 नगर पालिका सूरतगढ़ में श्री मनफूलसिंह भादू के निवास स्थान के सामने पश्चिम दिशा में निरोज होटल के मालिक के मकान के साथ एक श्री जयनारायण सोमानी की दुकान के बीच की जगह श्री वीरबल पुत्र श्री मोटाराम को दिनांक 4-6-65 से मासिक किराये पर दी हुई है । भूमि का नाप 71×33 फीट है ।

(2) उपरोक्त भूमि का बाजार भाव लगभग 10 रुपये से 12 रुपये प्रति वर्ग गज है ।

(3) जी नहीं ।

(4) आर्य टॉकीज के सामने किसी को प्लोट अलोट नहीं किया गया है

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वीरबल क्या काम करते हैं, इसका आप जवाब देंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह 10 रुपये से लेकर 12 रुपये प्रति गज के हिसाब से जो जमीन किराये पर दी गई है वहां क्या काम हो रहा है ? किस काम के लिए किराये पर दी गई है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, वहां क्या काम हो रहा है इस बात की तो मुझे अभी जानकारी नहीं है । लेकिन यह बात मुझे मालूम है कि वह जमीन श्री वीरबल को सन् 1965 में दी गयी थी । श्री वीरबल मनफूलसिंह भादू के भाई है । वहां पर उनके निवास स्थान के सामने काफी गन्दगी पड़ी रहती थी, गांव वाले लोग खाली जगह देखकर वहां पर गन्दगी लाकर पटक देते थे । उस जगह पर गन्दगी नहीं पटके इसलिए वह जमीन उन्होंने सन् 65 में किराये पर ले ली ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या, उपाध्यक्ष महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका के नियमों में ऐसा है कि खाली जमीन किराये पर दे दी जावे ?

श्री रामनारायण चौधरी : नगरपालिका के नियमों में ऐसा प्रावधान है कि खाली जमीन को नगरपालिका किराये पर दे सकती है ।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी जमीन है । मौके पर यह किस काम के लिये ली गयी है । क्या दुकान के लिये ली गयी है या दिल चाहे ले ली है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जमीन किस काम के लिये दी गयी है ? क्या नगरपालिका ने उनको कोई लकड़ी की टाल लगाने के लिये दी या दुकान के लिये दी है ? इसका कोई कारण तो होना चाहिये । आज श्री वीरबल जी की और उनके भाई के बहुत सी कोठियां हैं, मकान हैं, फिर इस तरह से मौके की जमीन पर कब्जा करके उसे अपने पास किराये के नाम पर रखने का क्या औचित्य है और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आज के जमाने में जबकि 20 सूत्री कार्यक्रम को हम क्रियान्वित कर रहे हैं, ऐसी हालत में क्या उनके पास यह जमीन रहना उचित है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जमीन आज की किराये पर नहीं दी हुई है। सन् 65 से किराये पर दी हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसको कैंसिल कराया जाय।

एक माननीय सदस्य : यह किस पर्पज के लिये दी गई ?

श्री रामनारायण चौधरी : परपज तो बता दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या खाली रखने के लिये दिया गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : इस बात को देख लिया जायेगा। वैसे उस जमीन पर गन्दगी पड़ा रहती थी उसको रोकने के लिये दी। और अगर खाली जमीन किराये पर है तो उसके लिये जो उचित होगा वह देख लिया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई जमीन किराये पर नहीं है। नाजायज कब्जा कर रखा है। यह सरासर झूठ है आप चाहे तो इन्क्वायरी करवा कर देख लें कि नगर-पालिका के पास किराये के कितने रुपये जमा हुए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

राज्य में मानसिक बीमारी से ग्रस्त मरीज

245. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : [श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) की अनुपस्थिति में] क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान में इस तथ्य का सर्वेक्षण कराया है कि मानसिक रोग से विकृत पुरुषों, महिलाओं एवं बालकों की कुल संख्या कितनी है ?

(2) गत तीन वर्षों में जयपुर मानसिक चिकित्सालय में किस किस जिले के कितने कितने वयस्क एवं अवयस्क दाखिल हुए ?

(3) मानसिक रोग के विकास को समाप्त करने के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं। कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) फिलहाल कोई नवीन योजना विचाराधीन नहीं है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

नागौर जिले के आदर्श ग्राम

246. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में कुल कितने ग्राम आदर्श ग्राम घोषित किये गये व किस सन् में ?

(2) आदर्श ग्राम व साधारण ग्राम में क्या अन्तर है ?

(3) पंचायत समिति, मकराना के कौन कौन से ग्राम आदर्श ग्राम घोषित हुए थे ? इन गांवों को आदर्श ग्राम का दर्जा देकर अब तक राज्य सरकार ने इन ग्रामों में कौन कौन से विशेष विकास कार्य किये हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या प्रश्न का उत्तर जमीन के कूड़े में खो गया है ?

विकास मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर तो लेकर आया था पर अभी मिल नहीं पा रहा है ।

(विराम)

(1) नागौर जिले में सन् 1972 में कुल 22 आदर्श ग्राम घोषित हुए थे ।

(2) आदर्श ग्राम व साधारण ग्राम में यह अन्तर है कि जयन्ती वर्ष 1972 के उपलक्ष में प्रत्येक पंचायत समिति से दो दो आदर्श ग्राम चुने गये थे, जिनमें साधारण ग्राम में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था, यदि ये सुविधायें आदर्श ग्राम में पहले से उपलब्ध न हों :-

1. पीने के पानी की सुविधा ।

2. कमजोर वर्ग के लोगों को आवास सुविधा ।

3. सड़कें, बिजली, पाठशाला भवनों की सुविधायें ।

(3) पंचायत समिति मकराना के ग्राम मोरेड तथा ग्राम सबलपुर आदर्श ग्राम घोषित किये गये थे :-

ग्राम मोरेड

इस ग्राम में पेयजल कूप गहरा कराने हेतु राशि दी जा चुकी है तथा दो हरिजन परिवारों को दो दो हजार रुपये आवास भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया गया है । कमजोर वर्ग के सदस्यों को 32 पट्टे दिये गये हैं । एक कन्या प्राथमिक शाला का निर्माण किया गया है । विद्युतीकरण हेतु राजस्थान विद्युत बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम सबलपुर

इस ग्राम में कुओं व तालाबों को गहरा कराने हेतु धनराशि दी गई । कुओं की मरम्मत हेतु इस वर्ष 2400 रुपये अनुदान दिया गया । दो हरिजन परिवारों को दो हजार रुपये का अनुदान आवास भवन निर्माण हेतु दिया गया । प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत की गई । क्रेश योजना के अन्तर्गत बोरावड़ से सबलपुर तक सड़क का निर्माण किया गया । विद्युतीकरण बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती गौरी पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है करीब डेढ़ मील दूर बोरावड़ गांव है वहां

(श्रीमती गौरी पूनिया)

पर और इधर सबलपुर और खीवंसरिया से करीब दो मील दूर ही बिजली आई हुई है लेकिन वहां पर अभी मोरेड में और सबलपुर में विद्युतीकरण नहीं हो सका है ? तो इन आदर्श गांवों में विद्युतिकरण कब तक हो जायेगा ? यह आवश्यक कार्यवाही आखिर कितने दिन तक चलती रहेगी ?

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है क्योंकि यह प्रश्न नागौर जिले से ताल्लुक रखता है ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्या जो फर्मा रही है वह सही है लेकिन विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकार ने विद्युत बोर्ड को लिख दिया है कि विद्युतीकरण के मामलों में विद्युत बोर्ड को चाहिए कि पहले प्राथमिकता इन आदर्श गांवों को दी जानी चाहिये ।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि चूंकि यह मामला नागौर जिले से ताल्लुक रखता है और नागौर जिले में करीब 22 ग्राम आदर्श गांव घोषित किये गये थे उन सभी स्थानों पर बिजली और पानी तथा सड़कों का अभाव है वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : उपाध्यक्ष महोदय, इन आदर्श ग्रामों को लेकर एक गलतफहमी पैदा हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, इन आदर्श ग्रामों के लिये भारत सरकार की एक स्कीम थी और इसीलिये हर पंचायत समिति क्षेत्र से एक एक, दो दो गांव की लिस्ट मांगी गयी थी जहां पर सड़कों, पानी, और बिजली आदि की सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें। अगर जिस तरह से पंचायत समितियों ने अपने गांवों के नाम भेजे हैं उनके मुताबिक राज्य सरकार कार्यवाही करे तो उन ग्रामों में बिजली, सड़कें और पानी आदि की व्यवस्था के लिए करीब 60 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार पर पड़ सकता है जो कि राज्य सरकार के लिये न तो सम्भव ही है और न ही फिजीबल है। इसमें कुछ पंचायत समितियों में तो ऐसे गांव रखे हैं जो कि एक एक, दो दो मील दूर है पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स से वहां तो बिजली-पानी की स्कीम थोड़ी हो सकती है लेकिन इनमें पंचायत समितियों ने अपना दृष्टिकोण यह समझा कि भारत सरकार की तरफ से ही यह सभी सुविधायें प्राप्त होगी । लेकिन गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने यह पैटर्न बन्द कर दिया है। अब उन्होंने आ. ई. सी. स्कीम कर दी है । यह रीजनल स्कीम्स है, जिनमें कि इन्टेन्सिव विद्युतीकरण एक पर्टीक्यूलर एरिया में किया जायेगा । अब जयन्ती वर्ष के जहां तक इन दो आदर्श गांवों के बारे में सवाल है इनकी परिस्थितियां अलग है। अलबत्ता इनके बारे में सोचा जा सकता है।

प्रश्न संख्या 247

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत ।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 248

श्री चेतराम ।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

Page No 16

(16)

अमेरिका के राज्य में रिसर्च कर रहे विशेषज्ञ

249. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने और कौन कौन विशेषज्ञ कितने कितने समय से किस किस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के किस संस्थान से वे संबंधित है और उनके पद क्या क्या है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि शिकागो विश्वविद्यालय के एक असिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर रूडोल्फ भी यहां इतिहास में रिसर्च करने आये हुए हैं ? यदि हां, तो ये कब से यहां रिसर्च कर रहे हैं और उनके रिसर्च का विषय क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त डाक्टर रूडाल्फ ने गत, 2 जनवरी 1976 को जयपुर के राम बाग पैलेस होटल में रिटायर्ड सेनाधिकारियों को एक पार्टी दी थी ? यदि हां, तो इस पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और इस पार्टी का क्या उद्देश्य था ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त डाक्टर रूडोल्फ का बिरला के उद्योग नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री के एक उच्च अधिकारी से बहुत निकट संपर्क है ?

(5) क्या राज्य सरकार राजस्थान में इस प्रकारके व्यक्तियों की गतिविधियों पर कोई निगरानी रखती है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) राजस्थान में संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन व्यक्ति सर्वश्री बेकन विलियम थोमस, हाईजीन बोवन रोबर्ट व लार्ड इर्विन रूडल्फ अध्ययन के लिए आये हुए हैं । श्री बेकन विलियम थोमस व हाईजीन बोवन रोबर्ट पीस कौर के वालण्टियर हैं और क्रमशः 14-9-74 व 12-5-75 से पशुपालन विभाग झोटवाड़ा, कानोता, चौमू क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं । लायड इर्विन रूडोल्फ 24-9-75 को जयपुर आये और श्री अमरसिंह कानोता के तृतीय ठाकुर की डेयरी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं ।

(2) प्रश्न के भाग (1) में उत्तर दिया जा चुका है ।

(3) ऐसी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है ।

(4) जानकारी सरकार को नहीं है ।

(5) सरकार द्वारा संदिग्ध विदेशियों की गतिविधियों पर खुफिया निगरानी रखी जाती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न तीन में बताया है, क्या यह सही है कि उक्त लायड रूडोल्फ ने गत 2 जनवरी, 1976 को जयपुर के रामबाग पैलेस होटल में रिटायर्ड सेना अधिकारियों को एक पार्टी दी थी ? क्या इस प्रश्न को सरकार ने कोई जांच कराने का प्रयत्न किया और उसके बाद क्या सूचना मिली ? उसके बारे में क्या सरकार कुछ बता सकती है ?

Page No 17

(17)

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमने सोचा इस प्रश्न के बारे में कि इस प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया जाये क्योंकि इस प्रकार के मामलों को हाउस में लाकर व्यर्थ चर्चा न करें तो अच्छा होगा। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से इसे ठीक समझ कर जवाब देना तय किया। जहां तक सवाल फोरिनर्स के रिसर्च करने का है इसमें जितने भी लोग आते हैं वह लोग एक्स्टर्नल मिनिस्ट्री से क्लीयरेंस लेकर आते हैं उसके बाद में शिक्षा सम्बन्धी रिसर्च का जहां तक सवाल है उसमें एजूकेशन मिनिस्ट्री से क्लीयरेन्स लेकर आते हैं। इसलिए जो लोग यहां पढ़ने आते हैं वह यहां पर क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती है। हम उसके अन्दर, वह लोग क्या करते हैं हस्तक्षेप नहीं कर सकते और कहीं भी कोई ऐसी चीज है तो गवर्नमेंट की मशीनरी सावधान है। इतना ही निवेदन कर सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार के नोटिस में यह बात है कि अमेरिका की सीनेट एन्क्वायरी कमेटी द्वारा अभी बहुत से इस तरह के इन्तफा हुये हैं कि सी० आइ० ए० एक्टीविटीज रिसर्च स्कालर के रूप में दूसरे देशों में करती है? क्या इस बात के दृष्टिकोण से राज्य सरकार सावधान है?

श्री हरिदेव जोशी : आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट काम्पीटेन्ट नहीं है और कोई कार्यवाही नहीं करती होगी और वह सावधान नहीं है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम यह नहीं कहते हैं, भारत सरकार को भी सावधान होना चाहिए, राज्य सरकार को भी सावधान होना चाहिये लेकिन नागरिक के नाते हमारा भी कर्त्तव्य है we should be vigilant about these foreign agents.

तो जहां जहां हमारी जानकारी में यह बात आई है राम बाग पैलेस में आई है तो हमने आपके नोटिस में लाना अपना कर्त्तव्य समझा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं समझता हूं मैंने सफिसियेन्ट जवाब दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

जयपुर शहर में जजों के लिये सरकारी क्वार्टर्स

250. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में डिस्ट्रिक्ट जज और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज कौन कौन हैं और कौन कौन सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं तथा कौन कौन निजी अथवा किराये के मकानों में निवास करते हैं?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त जजों को सरकारी क्वार्टर्स अलाट करने का सरकार इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने क्वार्टर्स अलाटमेंट करने हेतु इनसे वायदा किया था? यदि हां, तो उक्त वायदा अभी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

तक पूरा क्यों नहीं हो सका और कब तक पूरा हो जावेगा ?

राज्य मन्त्री, विधि (श्री फारुक हसन): (1) जयपुर शहर में डिस्ट्रिक्ट जज और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज निम्न हैं :—

1) महेन्द्र भूषण शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर शहर।

2) श्रीमती मोहनी कपूर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर जिला।

3) श्री रविन्द्र नाथ, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर।

4) श्री पी० ए० सिन्हा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर (विशेष पुलिस स्थापना केसेज)

5) श्री शिवचरण लाल सिंघल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,(स्पेशल जज, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक केसेज)

6) श्री एम० आर० मित्रुका, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर।

(1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश,जयपुर शहर सरकारी भवन में रहते हैं तथा अन्य अधिकारी किराये के मकानों में निवास करते हैं।

(2) जी हां। राजस्थान सरकारी आवासीय भवन आबंटन नियमों के अनुसार ही प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूं कि यहां पर इस तरह का एश्योरेन्स दिया गया था कि जितने डिस्ट्रिक्ट जजेज के रैंक के लोग हैं, उनको एकोमोडेशन दिया जाना राज्य सरकार की पालिसी है नम्बर 1। क्या राज्य सरकार जुडिशियरी इण्डिपेण्डेण्ट फंक्शन करे इस हित में यह उचित नहीं समझती है कि इन जुडिशियरी के आफिसर्स को मकान प्रोवाइड करें? जो वायदा राज्य सरकार ने किया था उसको पूरा करने का इरादा नहीं है ?

श्री फारुक हसन : जहां तक वायदे का प्रश्न है, हमने प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में इन्कार किया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको सोच समझकर कहना चाहिये, फिर आप कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है ?

श्री फारुक हसन : इस किस्म की कोई बात नहीं है कि इनको प्रायरिटी दी जाय। जैसे प्रावधान हैं उसी अनुसार अलाटमेंट किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जुडिशियरी के लिये आप उचित समझते हैं क्या ?

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह) : यों तो हरएक डिपार्टमेंट के आफिसर्स चाहते हैं कि उनको सरकारी भवन आवंटित किया जाय। जुडिशियरी के लिये जैसा आपने कहा, हम मानते हैं किराये के मकानों में रहते हैं तो यह कहा जा सकता है किराये-

(श्री खेतसिंह)

दार का दावा हो तो उन पर प्रेसर लाया जा सकता है लेकिन अगर कोई ऐसे केसेज आये हैं तो वे ट्रान्सफर कर दिये जाते हैं। बहरहाल हमारे पास इतने मकान नहीं है कि हरएक को अलाटमेंट कर दें। जयपुर शहर में अलाटमेंट जी० ए० डी० के मार्फत होता है और जितनी सीनियोरिटी की अवधि होती है, उस आधार पर उनका नाम लिखा हुआ होता है। हम जरूर चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जजेज और सिटी मजिस्ट्रेट, सेशन जजेज को मकान मिलना चाहिये लेकिन हरएक चाहते हैं तो यह तो सरकार के पास मकानों की पूरी सहूलियत पूरी होगी तभी समस्या का पूरा समाधान हो सकेगा। जूडिशियरी के लिये जो खयालात आपने फर्माये हैं, उसके लिये हम अहसानमन्द हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप अहसान फरामोश भी हैं, मैं उस तरफ भी आपकी तवज्जह दिलाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरूंलाल।

जयपुर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाये गये मकान

251. श्री भैरूंलाल (अकलेरा) : क्या मंत्री राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित विभिन्न श्रेणियों के भवनों की श्रेणीवार कीमत क्या क्या है? व इस कीमत में बोर्ड द्वारा कब कब कितनी-कितनी वृद्धि की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जयपुर में हाउसिंग बोर्ड ने अब तक कुल कितने भवन निर्मित कब कब किए व उनका आवंटन व पजेशन कब कब दिया गया? विवरण की सूची श्रेणीवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर में भवनों का पजेशन उनके निर्माण के तुरन्त बाद न दिया जाकर बहुत विलम्ब से दिया जाता है जिसके कारण इन भवनों में बिजली व पानी का कनेक्शन देर से मिलता है व कालोनी में सड़क निर्माण विलम्ब से होता है?

(4) भवन की कीमत निर्धारण के आधार क्या क्या हैं? भवन की कुल लागत में श्रम की कीमत, मैटीरियल की कीमत, सुपरविजन की कीमत और प्रशासनिक व्यय कितना कितना है?

(5) क्या यह सही है कि भवन निर्माण में बहुत घटिया किस्म का मैटीरियल लगाया जाता है जिससे भवनों से पानी चूता रहता है व चूना झड़ झड़ कर गिरता रहता है? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(6) क्या यह सही है कि प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक है जिसका कारण बोर्ड में कुछ अनावश्यक पदों का सृजन जैसे चेयरमैन, कमिश्नर, सचिव व मुख्य लेखाधिकारी आदि है?

(7) क्या यह सही है कि भिन्न 2 श्रेणियों के व्यक्तियों की मासिक आय व भवन की कीमत की मासिक कटौती राशि में बहुत कम अन्तर हैं? यदि नहीं, तो

Page No 20

(२०)

(श्री भैरूंलाल)

भिन्न भिन्न श्रेणी के मकानों की मासिक किश्त व व्यक्तियों की आय बताने की कृपा करें।

(8) क्या यह सही है कि गरीबों के लिये अभी तक किसी सस्ते मकान का आवंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ? क्या सरकार 100/- जमा कराने वालों के लिये गान्धी गृहों का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कहां कहां और कब तक और कितने कितने ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

नगर आयोजना मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा निर्मित विभिन्न श्रेणियों के भवनों की कीमत, जो लाटरी के समय निर्धारित की गई थी, उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है जिससे समय समय पर होने वाली वृद्धि या कमी की सूचना प्राप्त हो सकेगी।

(2) जयपुर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा जवाहर नगर, नाहरी का नाका और लालकोठी में अब तक कुल 1696 मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इन सभी के आवंटन पत्र प्रसारित कर दिये है और 1543 व्यक्तियों ने कब्जा ले लिया है। श्रेणीवार विवरण की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी (नहीं)।

(4) भवन की कीमत निर्धारण के आधार निम्न प्रकार है :—

1. भूमि व उसके विकास का व्यय
2. भवन निर्माण का व्यय
3. प्रशासनिक व्यय
4. ब्याज
5. टूल्स एन्ड प्लान्ट चार्जेज
6. लीज की राशि
7. मेन्टीनेन्स चार्जेज।

भवन की कुल कीमत में साधारणतः 40 प्रतिशत श्रम की कीमत और 60 प्रतिशत मेटीरियल की कीमत होती है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत से कम है।

(7) जी नहीं। मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को 12 वर्ष की किश्तों में, अल्प आय के व्यक्तियों को 15 वर्ष की किश्तों में और आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व जनता आय वर्ग के व्यक्तियों को 20 वर्ष की किश्तों में मकान की कीमत अदा करने का प्रावधान है। मध्यम आय वर्ग 7200 से 18000 वार्षिक आमदनी वाला है और अल्प आय वर्ग 4201 से 7200 तक का, इसी प्रकार से आर्थिक आमदनी 2400 से 4200 तक की है और 2400 से कम आमदनी वाला आय वर्ग जनता आय वर्ग है। विभिन्न श्रेणी के मकानों की मासिक किश्त का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(8) जी नहीं। राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा निर्मित 80 प्रतिशत मकान

(श्री राम नारायण चौधरी)

आर्थिक दृष्टि से कमजोर और जनता व अल्प आय वर्ग के लिये है। हाउसिंग बोर्ड राजस्थान के प्रमुख शहरों में 100रु. जमा कराने वालों के लिये निर्धारित मकान व गान्धी गृहों के निर्माण का विचार रखता है। विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न संख्या 3 में जो उत्तर दिया गया है बिजली का अभाव नहीं है। यह बात सही है कि नाहरी के नाके में मकान खाली पड़े हुए हैं। काफी दिन हुए उनको तैयार हुए लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उत्तर दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने तो जी हां, कहा है। निश्चितरूप से जानकारी नहीं कि खाली रहने का क्या कारण है। जिन लोगों ने पूरी किश्त जमा नहीं करायी होगी यह भी कारण हो सकता है और दूसरा कारण क्या हो सकता है वह मैं देखूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हाउसिंग बोर्ड ने बिजली का पैसा जमा करा दिया है। जब आप पधारे थे तो आपके सामने यह तथ्य लाया गया। विद्युत मंत्रीजी पर क्या आप दबाव डालेंगे जिससे कनेक्शन बिजली का उन हाउसेज में मिल सकें और वे मकान अलाट किये जा सकें ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपका प्रश्न प्रश्न संख्या (3) से बिलकुल भिन्न है। आपने यह पूछा है क्या यह सही है कि जयपुर में भवनों का पजेशन उनके निर्माण के तुरन्त बाद न दिया जाकर बहुत विलम्ब से दिया जाता है जिसके कारण इन भवनों में बिजली व पानी का कनेक्शन देर से मिलता है व कोलोनी में सड़क निर्माण विलम्ब से होता है ? पजेशन का सम्बन्ध है हाउसिंग बोर्ड से। बिजली पानी के पैसे हाउसिंग बोर्ड ने जमा करा रखे हैं। प्रशासनिक कारणों से नहीं दे पा रहे होंगे। हाउसिंग बोर्ड के कहने से और मेरे कहने से भी नहीं दे सकेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : विद्युत मंडल से नहीं लगायी जा रही है। प्रश्न संख्या(5) के बारे में आपने कहा कि घटिया मैटीरियल नहीं लगाया जा रहा है और न लगाया गया है। मैंने चेयरमैन को ले जाकर मौके पर दिखाया था कि कई मकानों की छतें चू रही थीं। साथ साथ आपने यह भी बताया कि 1696 मकानों का निर्माण किया जा चुका है। 76 तक आपका वायदा 16 हजार मकान बना कर देने का था। हाउसिंग बोर्ड अपनी दिक्कत यह बताता है कि उसको भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। क्या सरकार यह सोच रही है कि जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसको हाउसिंग बोर्ड को शीघ्रातिशीघ्र दिलाने की कार्यवाही करेगी जिससे लोगों का रुपया जो जमा कराया हुआ था और 16 हजार मकान बना कर देने की बात थी वह पूरी हो जावेगी ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपने प्रश्न संख्या (5) में यह कहा कि घटिया दर्जे का मैटीरियल लगाते हैं और चेयरमैन को लाकर बताया, मकानों की छतें चू रही थीं। पहली और दूसरी बरसात में आप मकान बनाते हैं उनकी छतें भी चूने लग जाती हैं।

(श्री राम नारायण चौधरी)

हाउसिंग बोर्ड ने जहां जहां भी इसकी शिकायत आयी उसके लिये आवश्यक कार्यवाही की ताकि अगली वर्षा में छतों का चूना बन्द हो जाय। एक दो शिकायतों के सम्बन्ध में मैंने मकानों को चेयरमैन के साथ में देखा है, और उनमें घटिया दर्जे का मैटीरियल नहीं लगाया जा रहा है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि 76 में 16 हजार मकान बनाने का वायदा किया था, लेकिन उसके लिये जमीन नहीं मिली। यह बात सही है कि जितनी तादाद में उनको जमीन चाहिये थी वह जमीन नहीं दी जा सकी। राजस्थान सरकार प्रयास करेगी और आवश्यकतानुसार उनको जमीन अलॉट करने की कार्यवाही करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऊंची से ऊंची आय, 200 रुपये मासिक आय वाले हैं उनके लिए भवन बन रहे हैं उसकी किश्त 40 रुपया मासिक है जिसको इतनी कम आय वाले पे नहीं कर सकते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां। यह बात सही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि जिस व्यक्ति की आमदनी 200 रुपया मासिक है, 150 रुपया को मासिक वाले भी उसमें आ गये हैं, पांच रुपया रोज कमाने वाला मजदूर 40 रुपया किश्त पे नहीं कर सकता है इसलिए वह भवन लेने में असमर्थ रहता है इसलिए किश्त कम की जाय इसके बारे में क्या सरकार सोच रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : हुडको पॉलिसी निर्धारित करता है कि किस प्रकार से लोन दिया जाय। कर्ज को केलकुलेट करके वह एक पॉलिसी निर्धारित करता है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने कई एक्सपेरिमेंट्स करके सफलता पाई है और अच्छे मकान बनाये हैं। हिन्दुस्तान में तामिलनाडु वगैरह में भी हैं। इस सारे प्रोसेस में सफलता मिलेगी। हाउसिंग बोर्ड तो एक एजेन्सी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके कम्पोनेन्ट में बिजली पानी की लाइनें भी शामिल हैं। सड़कों का काम पी० डब्ल्यू० डी० को करना पड़ता है और बिजली और पानी का इन विभागों को। उनको आमदनी होती है। यह सारा का सारा खर्चा उन विभागों पर क्यों नहीं डाला जाता है? उनके ऊपर डाल कर उनको क्यों कीमती बनाया जाता है ?

श्री हरिदेव जोशी : सवाल यह है कि बेनिफिशियरी पे करे या आम जनता करे। एरिया डवलपमेंट कराने के लिए बेनिफिशियरी को भी जरूर पे करना पड़ेगा। यदि सड़कों का पैसा दूसरे लोगों से लेंगे तो टैक्स का कम्पोनेन्ट आम आदमी पर बढ़ जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा मकान है। पहले से बना हुआ है। उसके आगे आप सड़क भी बनाते हैं और मेरे से कुछ भी नहीं लेते हैं, फिर उनसे सड़क, बिजली, पानी की लाइनों का क्यों चार्ज करते है ?

श्री हरिदेव जोशी : किसी जमाने में एक प्रकार का प्रोसेस था। उससे पहले सड़क आपके मकान के आगे बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसके मायने यह नहीं है कि एरिया डवलप करके दिया जाय उसका बेनीफिट न उठाये, यह हो नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक।

श्री हरिदेव जोशी : एक सैकिन्ड। आमदनी के हिसाब से लोएस्ट इनकम वाले हैं उनका प्रपोर्शन कम रखा जाता है। वरना दूसरों पर वजन बढ़ जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जानकारी की हाउसिंग बोर्ड से, तो बताया कि हमारी हरएक स्कीम सेल्फ कन्टेन्टेड होती है। उसका खर्चा उस पर डालते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप फर्मा रहे है वह भी सही है और वे कह रहे हैं वह भी सही है। उनकी सारी स्कीम सेल्फ कन्टेन्टेड होती है। 80 पर्सेन्ट निम्न आय वर्ग के बेनिफिशियरी हैं और उनसे कम प्रपोर्शन पर चार्ज किया जाता है। इन्डाइरेक्टली उनको फायदा दिया गया है। यह नहीं कि नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र सैनिक।

नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों के त्रैमासिक प्रमाण-पत्र

252. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) एवं श्री हरिकिशन (राजगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक (क 5) विभाग के पत्र संख्या एफ 15 (24) डी. ग्रो. पी. (क 5) 75, दिनांक 15 सितम्बर, 1975 के अन्तर्गत नियुक्तियों, पदोन्नतियों के सम्बन्ध में त्रैमासिक प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग को भिजवाने के निर्देश हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रथम प्रमाण-पत्र माह सितम्बर 1,1975 की स्थिति से लागू किया है? यदि हां, तो कार्मिक विभाग में अब तक किन–किन विभागों से किन किन त्रैमासिक से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन विभागों से त्रैमासिक प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या कार्मिक विभाग के उक्त पत्र में यह भी निर्देश हैं कि जिन विभागों के नियुक्तिकर्त्ता अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण के बारे में जारी किये गये आदेशों को लागू न करने एवं त्रैमासिक प्रमाण-पत्र न जारी करने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कार्यवाही की परिभाषा कृपया स्पष्ट करें।

(5) जिन नियुक्तिकर्त्ता अधिकारियों से अभी तक त्रैमासिक प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं उनके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) :

(1) जी हां।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। अनुशासनात्मक कार्यवाही स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमों के अनुसार की जावेगी।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(5) जिन विभागाध्यक्षों से अभी तक त्रैमासिक प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं उनको जवाब तलब किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री हरिकिशन : एक बात है। मुख्य मंत्री जी और सरकार की ओर से जो कहा गया है वह बात बिलकुल सही है। जिन अधिकारियों के द्वारा त्रैमासिक प्रमाण-पत्र आरक्षण के सम्बन्ध में नहीं भरे गये हैं उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : निश्चितरूप से वास्तव में यह मालूम पड़े कि गलती की है तो उनको सजा मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसको स्थगित करने के लिये निवेदन करना चाहती हूं। क्वेश्चन नं. 255.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : समय का घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : 'समय का घंटा' बढ़ा दिया जाय या प्रश्न का घंटा बढ़ा दिया जाय?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मेरा मतलब है प्रश्न काल को बढ़ा देने से है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रश्न है।

जयपुर जिले के आयुर्वेद औषधालय

255. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में 'ए' श्रेणी एवं 'बी' श्रेणी के कितने कितने औषधालय हैं?

(2) 'बी' श्रेणी के औषधालयों के लिये कौन कौन से पद स्वीकृत हैं?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम चीथवाड़ी में स्थित औषधालय में 'बी' श्रेणी के औषधालय के लिये स्वीकृत स्टाफ भी नहीं दिया गया है?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम चीथवाड़ी के औषधालय में मरीजों की संख्या अन्य औषधालयों के मुकाबले में बहुत अधिक है?

(5) यदि हां, तो फिर क्या कारण है कि अन्य समान स्तर के औषधालयों जितना भी स्टाफ यहां नहीं है?

(6) क्या चीथवाड़ी के औषधालयों, जहां कि मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, को क्रमोन्नत करने का विचार सरकार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 255 पोस्ट पोन किया गया।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पाल टाकीज, केकड़ी

239. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरदार श्री गुरुबक्षसिंह पुत्र श्री दयालसिंह जाति सिख निवासी केकड़ी पाल टाकीज के मालिक हैं? यदि हां, तो क्या इनको टूरिंग टाकीज का लाइसेन्स मिला हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि वे टूरिंग टाकीज के लाइसेन्स से स्थायी बिल्डिंग में सिनेमा चला रहे हैं? यदि हां, तो क्या टूरिंग टाकीज स्थायी बिल्डिंग में चल सकता है?

(3) क्या यह सही है कि पाल टाकीज के मालिक दोपहर का भी शो चलाते हैं? यदि हां, तो कितना टैक्स दोपहर के शो का देते हैं व अन्य शो का कितना टैक्स देते हैं? और इनके विरुद्ध मनोरंजन कर की चोरी के कितने केस अदालत में विचाराधीन हैं; और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। निश्चित दिन अथवा तिथि अंकित नहीं होने के कारण मनोरंजन कर सम्बन्धित सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। पाल पिक्चर पैलेस के अनुज्ञाधारक के विरुद्ध कर चोरी बाबत 4 मुकद्दमे अदालत में विचाराधीन हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार

247. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शहरों में शिक्षा के विकास की राज्य सरकार स्वयं अपने खर्च पर योजना बनाती है जब कि गांवों में प्रत्येक कार्य जन सहयोग पर छोड़ा जाता है? यदि हां, तो क्यों? और क्या इस भेद को सरकार समाप्त करने जा रही है?

(2) क्या ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था जो प्राथमिक स्तर पर पंचायत संस्थाओं के अधीन है, को अपने अधीन लेने के सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। शिक्षा विभाग शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से शिक्षा विकास के कार्यों में जन सहयोग की अपेक्षा करता है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार फिलहाल इस प्रकार के परिवर्तन को मुनासिब नहीं समझती।

राजकीय आयुर्वेद औषधालय, ब्यावर

248. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, ब्यावर किस श्रेणी का औषधालय है? उसमें कितनी शय्याएं हैं और सरकार द्वारा स्वीकृत कोटा कितना है?

(श्री चेतराम)

(2) इस औषधालय का वार्षिक बजट कितना है? मदवार विवरण देने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि बजट कम होने (धनाभाव के कारण) दवाओं की तथा खुराकों की कमी रहती है और इस कारण अन्तरंग रोगी (इन्डोर पेशेन्ट्स) बहुत कम भर्ती किये जाते हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस औषधालय का बजट बढ़ाने की मन्शा रखती है?

उत्तर

(1) श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय ब्यावर 'अ' श्रेणी चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय हेतु राज्य सरकार द्वारा 15 शय्यायें स्वीकृत हैं किन्तु वर्तमान में वहां 32 शय्यायें उपलब्ध हैं।

(2) इस चिकित्सालय का वर्ष 1975-76 का मदवार स्वीकृत बजट निम्न प्रकार है:—

(1) संवेतन	82000-00
(2) मजदूरी (पार्ट टाइम मजदूरी हेतु)	900-00
(3) यात्रा व्यय	2000-00
(4) चिकित्सा व्यय	1800-00
(5) कार्यालय व्यय	900-00
(6) औजार, साजसामान, संयंत्र	500-00
(7) वर्दियां	900-00
(8) सामग्री व्यय	1500-00
(9) विद्युत् एवं जल	2700-00
(10) पथ्य सामग्री	9000-00
योग	1,02,200-00

औषधियों के निमित्त किया जाने वाला खर्च अलग है।

(3) जी नहीं। औषधियों की खुराकों हेतु बजट चिकित्सालय की रोगी संख्या के आधार पर दिया जाता है। रोगी संख्या बढ़ने पर बजट स्वयमेव ही बढ़ जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भीम सागर एवं हरिश्चन्द्र सागर बांधों पर व्यय की गई राशि

121. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में भीमसागर बांध व हरिश्चन्द्र सागर बांध अधूरे पड़े हैं? यदि हां, तो इन पर अभी तक कितना कितना खर्चा हो चुका है?

(2) उपरोक्त बांधों पर कितना कितना खर्चा और होने पर कार्य पूरा होगा और कितनी कितनी सिंचाई इन बांधों से होने का अनुमान है?

(3) इन बांधों का कार्य अब कब शुरू होने जा रहा है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां, अब तक इन योजनाओं पर क्रमशः 41,00,000 रु. एवं 64,00,000 रु. खर्च हो चुका है।

(2) भीमसागर पर लगभग रु. 369.20 लाख और खर्च होने का अनुमान है। हरिश्चन्द्र सागर बांध का फाइनल डिजाइन होने पर ही अनुमान लगाया जा सकेगा कि

Page No 27

(सिंचाई मंत्री)

कितना खर्चा और होना है। इन योजनाओं से क्रमशः 21360 एकड़ एवं 20,000 एकड़ भूमि सिंचाई होने का अनुमान है।

(3) संशोधित तखमीनों की स्वीकृति एवं धनराशि के उपलब्ध होने पर ही इन योजनाओं को पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में पूरा करने का प्रस्ताव है।

जयपुर-कोटा-झालावाड़-भोपाल सड़क

122. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर-कोटा-झालावाड़-भोपाल सड़क को राष्ट्रीय मार्ग बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर कब कार्य शुरू किया जावेगा ?

उत्तर

जयपुर-कोटा-झालावाड़-भोपाल सड़क को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मार्ग घोषित नहीं किया है। अतः राष्ट्रीय मार्ग की दृष्टि से कार्य आरम्भ का प्रश्न नहीं उठता।

गांवों में मकान बनाने के लिये ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था

123. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के गांवों में आवासविहीन लोगों को आवासीय भूखण्ड कितने दिये गये हैं ?

(2) राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार राजस्थान के गांवों में कुल कितने आवासविहीन लोग हैं ? उन सब को कब तक भूखण्ड दे दिये जायेंगे ?

(3) क्या जिन लोगों को आवासीय भूखण्ड दिये गये हैं या दिये जायेंगे, उन्हें मकान बनाने के लिये कर्जा या अनुदान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कितना और ऐसे समस्त लोगों के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

उत्तर

(1) कुल 8,54,023 आवासीय भूखण्ड आवंटन किये गये हैं।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटन योग्य समस्त अनुसूचित जाति, जन जाति, लघु व सीमान्त कृषक व ग्रामीण शिल्पकारों को आवासीय भूखण्ड आवंटन कर दिये गये हैं।

(3) अभी केवल राजस्थान हाउसिंग फाइनेंस सहकारी समिति द्वारा उन्हीं परिवारों को मकान बनाने हेतु धनराशि दी जा रही है जिन्हें पहली या दूसरी किश्त दी जा चुकी है। बाकी के लिए अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ लि० दौसा

124. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा केन्द्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, दौसा रजिस्टर्ड संस्था है ? यदि हां, तो रजिस्ट्रे-

(श्री मूलचन्द सामरिया)

काम से सम्बन्धित पत्रावली सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संघ के बायलाज के अनुसार कार्यकारिणी समिति के चुनाव किस प्रकार होने चाहिए ? कृपया बायलाज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संघ की कार्यकारिणी समिति का गठन, संघ के बायलाज के अनुसार नहीं हुआ ?

(4) उक्त संघ की सदस्य संख्या कितनी है ? व सदस्य समितियों की सदस्य संख्या क्या है ? कृपया दोनों की पृथक पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त संघ का गठन सर्व प्रथम किस तिथि को हुआ ? गठन के बाद कार्यकारिणी समिति के चुनाव कितनी बार व किस किस तिथि को हुए ? हर बार की कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण की सूची मय पद, नाम, वल्दियत, निवास आदि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ?

(6) नियमानुसार उक्त संघ का ऑडिट कितने कितने समय में होना आवश्यक है ? क्या वांछित कालावधि के अन्तर से उक्त संघ का ऑडिट होता रहा है ? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन के द्वारा तथा अन्तिम बार ऑडिट कब हुआ ? कृपया प्रत्येक बार की ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ?

(7) क्या उक्त ऑडिट रिपोर्ट्स में दर्शाई गई कमियों व गबन घोटालों की बाबत कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या वर्तमान में उक्त संघ का ऑडिट हो रहा है ? यदि हां, तो किन किन के द्वारा व किस तिथि से ?

(9) क्या यह सही है कि उक्त संघ का रिकार्ड काफी समय से गायब है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो वर्तमान में क्या क्या रिकार्ड उपलब्ध है ?

(10) क्या उक्त रिकार्ड ऑडिट करने वालों अथवा सहकारी विभाग के किसी अधिकारी के नियंत्रण में है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी का नाम व पद क्या है ? यदि नहीं, तो फिर ऑडिट किस प्रकार किया जा रहा है ?

(11) क्या यह सही है कि ऑडिटर्स का स्थानान्तरण बार बार किया जाता रहा है ?

(12) क्या इस संघ के कागजात भी साथ के साथ ही बनाए जाते हैं और वे काल्पनिक, मनघड़न्त व फर्जी होते हैं और इसी कारण कागजात को ऑडिटर्स के कब्जे में नहीं दिलाया जा रहा है ?

(13) क्या अब सरकार इन सब कागजात को ऑडिटर्स के कब्जे में दिलाएगी व कम से कम ऑडिट पूरा होने तक वर्तमान ऑडिटर्स को वहीं रखा जावेगा ?

(14) क्या सरकार ने जिस ऑडिटर का स्थानान्तरण किया है उसे भी पुनः वहां इसके ऑडिट तक रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(15) क्या सरकार इसलिए ऑडिटर्स का स्थानान्तरण करती है कि कोई भी

Page No 29

(29)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

ऑडिटर इसके कागजात को समझने के बाद वहां न रहे व गबन घोटालों का पर्दाफाश न हो ?

उत्तर।

(1) दौसा केन्द्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ लि० दौसा एक रजिस्टर्ड सहकारी समिति है।

(2) संघ के उपनियम संख्या 24 के अनुसार संघ की कार्य समिति में अध्यक्ष को मिलाकर सात व्यक्ति होंगे। चार व्यक्ति समितियों के प्रतिनिधि होंगे तथा 2 व्यक्तिगत हिस्सेदारों में से चुने जावेंगे। कार्य समिति के सदस्य 2 वर्ष के लिए हिस्सेदारों में से चुने जावेंगे किन्तु प्रथम वर्ष के अन्त में आधे सदस्य कार्य समिति की सदस्यता से मुक्त हो जावेंगे। कार्य समिति के सदस्य पुनः चुनाव में खड़े हो सकते हैं। उपनियमों की प्रति संलग्न है।

(3) कार्य समिति के चुनाव उपनियम के अनुसार ही हुए हैं। जहां तक अध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न है, अध्यक्ष के लिए मनोनीत किये जाने का प्रावधान है।

(4) संघ की वर्तमान में सदस्य संख्या 19 हैं तथा सभी सदस्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधि हैं। व्यक्तिगत हिस्सेदारों में कोई सदस्य नहीं है सदस्य निम्न प्रकार है:—

1.	दयालपुरा सहावर	विवर्स स. स. लि.	
2.	बिलोस	,,	,,
3.	दौसा	,,	,,
4.	भांडारेज	,,	,,
5.	बरखेड़ा	,,	,,
6.	खेरवाड़ा	विवर्स स. स. लि.	
7.	नदौता	,,	,,
8.	बिवाई	,,	,,
9.	बनियाना	,,	,,
10.	नांगल	,,	,,
11.	हिंगोटिया	,,	,,
12.	नरवाड़ा	,,	,,
13.	लवाण	,,	,,
14.	हरिपुरा	,,	,,
15.	गड़राणोली	,,	,,
16.	सिरपुरा	,,	,,
17.	गीजगढ़	,,	,,
18.	कालाखो	,,	,,
19.	पालावास	,,	,,

(5) उक्त संघ का गठन क्रमांक 561 पर दिनांक 7 जुलाई, 1951 को हुआ। तदुपरान्त दिनांक 7-9-51, 30-3-53, 23-7-56, 5-11-62, व 25-12-67 को कार्य समिति के चुनाव सम्पन्न हुए।

दिनांक 7-9-51 को चुनी हुई प्रबन्ध समिति निम्न प्रकार है:—

1. श्री गंगाराम, दौसा, उप-सभापति
2. श्री पन्नादास महावर, दौसा, मंत्री
3. श्री महादेव पुत्र रामलाल, बरखेड़ा, कोषाध्यक्ष
4. श्री मूलचन्द पुत्र गंगाराम, बरखेड़ा, सदस्य
5. श्री भोमाराम पुत्र उद्धाराम दयालपुरा, सदस्य

दिनांक 20-3-53

1. श्री महादेव खेरवाल, उप सभापति
2. श्री गंगाराम, दौसा, मंत्री
3. श्री गंगासहाय सिकन्दरा, कोषाध्यक्ष
4. श्री चुन्नीलाल पटवाड़ा, सदस्य

Page No 30

(30

(सहकारिता मंत्री)

5. श्री मूलचन्द जसोता, सदस्य
6. श्री उधाराम विलाई, सदस्य

दिनांक 23-7-56

1. श्री मूलचन्द जसोता, अध्यक्ष
2. श्री मुन्शीलाल दौसा, मंत्री
3. श्री महादेव खेरवाल, कोषाध्यक्ष
4. श्री नाथू पालावास, सदस्य
5. श्री देवीसहाय,नांगल राजावतान, सदस्य

दिनांक 5-11-62

1. श्री मूलचन्द जसोता, सभापति
2. श्री मूलचन्द पुत्र श्री गंगाराम; बरखेड़ा, उप-सभापति
3. श्री मुंशीलाल, दौसा, मंत्री
4. श्री महादेव, कोषाध्यक्ष
5. श्री देवीराम, नांगलराजावतान, सदस्य

दिनांक 25-12-67

1. श्री मूलचन्द, जसोता, सभापति
2. श्री मुंशीलाल महावर, दौसा, मंत्री
3. श्री मूलचन्द बरखेड़ा, सदस्य
4. श्री टूंडाराम, सदस्य
5. श्री देवीराम, सदस्य

(6) नियमानुसार संघ का ऑडिट प्रतिवर्ष होना आवश्यक था लेकिन समिति का रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण ऑडिट प्रतिवर्ष नहीं हो सका। वर्तमान में संघ का ऑडिट श्री शक्तिसिंह एवं श्री राजेन्द्रप्रसाद माथुर ऑडिटरों द्वारा प्रारम्भ से ता. 30-6-75 तक की अवधि का किया जा रहा है। संघ का सम्पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण ऑडिट में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है।

(7) गबन एवं घोटाले बाबत कोई मामला कार्यवाही हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ है। संघ की अनियमितताओं की जांच हेतु उप रजिस्ट्रार; सहकारी समितियां जयपुर खण्ड, जयपुर को दिनांक 11-3-76 को जांच अधिकारी विभाग द्वारा नियुक्त किया जा चुका है।

(8) वर्तमान में संघ का ऑडिट विभिन्न तिथियों में श्री शक्तिसिंह एवं श्री आर. के. माथुर द्वारा दिनांक 29-5-74 से किया जा रहा है।

(9) संस्था का रिकार्ड गायब होने सम्बन्धी कोई सूचना नहीं है। अतः तत्-संबंधी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं होता। वर्तमान में निम्न रिकार्ड के अलावा समस्त रिकार्ड उपलब्ध है।

1. कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 7-10-60 से 30-6-75
2. माल रजिस्टर दिनांक 7-7-51 से 30-6-57 तक
3. संघ के वैतनिक कार्यकर्त्ताओं का उपस्थिति रजिस्टर
4. समितियों को दिये गये कच्चे माल व बदले में लिये गये तैयार माल के रजिस्टर
5. डैड स्टाक रजिस्टर
6. संघ द्वारा खरीदे गये रंग, टिनोपाल आदि रंगाई से सम्बन्धित सामान का रजिस्टर
7. पेमेंट रजिस्टर
8. माल के क्रय विक्रय के अधिकांश वाउचर रजिस्ट्रेशन से 30-6-75 तक
9. खर्चों के अधिकांश वाउचर्स

(सहकारिता मंत्री)

10. खाता बही दिनांक 7-7-51 से 30-1-59 तक

11. दौसा केन्द्रीय हैंडलूम कपड़ा बिक्री केन्द्र का रेकार्ड

(10) संघ का उपलब्ध रिकार्ड संघ के अधिकृत पदाधिकारी के नियंत्रण में है।

(11) ऑडिटर श्री शक्तिसिंह एवं श्री आर. पी. माथुर का स्थानान्तरण बार बार नहीं किया जा रहा है। केवल श्री शक्तिसिंह का स्थानान्तरण आदेश पदोन्नति के कारण किया गया है किन्तु उन्हें अभी तक पदमुक्त नहीं किया गया है।

(12) इस प्रकार की कोई शिकायत कार्यालय में नहीं है।

(13) वर्तमान में समस्त उपलब्ध रिकार्ड ऑडिटर्स की पहुंच में हैं जिसका ऑडिट चालू है। ऑडिट पूरा होने तक ऑडिटर्स को वहीं रखा जायेगा।

(14) ऑडिटर की नियुक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

(15) ऐसा नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रणजीत नगर में मकान बनाने के लिए दिया गया ऋण

125. श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री रामस्वरूप गुप्ता (भूतपूर्व अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, भरतपुर) ने निम्न आय वर्ग योजना (एल. आइ. जी. एच.) के अन्तर्गत रणजीत नगर में मकान बनाने हेतु ऋण प्राप्त किया है?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त ऋण प्राप्ति के लिए प्रस्तुत शपथ-पत्र की सत्य प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, श्री रामस्वरूप गुप्ता ने अल्प आय वर्ग योजना के अन्तर्गत कोई ऋण नहीं लिया।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पंचायत चांदसेन द्वारा नई मण्डी के लिये खरीदी गई भूमि

126. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट पंचायत समिति, जयपुर की ग्राम पंचायत चांदसेन ने नई-मंडी के निर्माण हेतु जो भूमि कृषकों से खरीदी थी उसका नामान्तरकरण अभी तक नहीं हुआ है? क्या कुछ भूमि ऐसी भी है जिसे पंचायत ने खरीद तो ली लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है? कृपा कर पंचायत द्वारा खरीदी गई कुल भूमि का बेचने वाले के नाम सहित ब्योरा देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंडी हेतु खरीदी गई भूमि में से सरपंच ग्राम पंचायत चांदसेन ने बिना अन्य लोगों को

Page No 32

(32)

(श्री मीठालाल मीणा)

सूचित किए तथा बिना नीलामी कार्यवाही किए अन्य लोगों को एडवांस लेकर देने का वायदा किया है, जिसके बदले में सरपंच द्वारा रुपयों की रसीद व स्टाम्प लिख कर दिए हैं ? यदि हां, तो किस किस को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या पंचायत इस प्रकार एडवांस लेकर भूमि का सौदा कर सकती है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? यदि नहीं तो सौदा करने वाले सरपंच के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ लोगों को सरपंच ग्राम पंचायत ने उक्त एडवांस ली हुई धनराशि वापिस की है ? यदि हां, तो किस किस को तथा कितनी ?

(5) क्या सरकार सारे मामले की शीघ्र जांच करवाएगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि जांच प्रारम्भ हो गई तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या उक्त एडवांस बेचान की कुछ रसीदें विभागाधिकारियों को प्राप्त भी हो गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(7) क्या यह सही है कि बेचान की रसीद व स्टाम्प जिला अधिकारियों को प्राप्त होने पर भी उक्त सरपंच को आज तक मुअत्तिल नहीं किया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक कर दिया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले की सहकारी समिति

127. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में कौन कौन सी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं ? प्रत्येक समिति का नाम, उसका कार्यक्षेत्र, प्रकार एवं वर्तमान अध्यक्ष व मन्त्री कौन कौन हैं उसके पंजीयन का महीना व वर्ष दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रत्येक समिति ने पंजीयन के पश्चात प्रतिवर्ष क्या क्या कार्य कितनी धनराशि का किया तथा प्रत्येक समिति की पंजीयन के वक्त तथा आज कितनी कितनी हिस्सा राशि है ?

(3) सहायक पंजीयक एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवर्ष कितनी दफा करना था तथा उन्होंने वास्तव में किस किस समिति का निरीक्षण न करके कर्त्तव्यहीनता का परिचय दिया जिसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(4) उपरोक्त समितियों में से कौन कौन सी समिति सक्रिय तथा कौन कौन सी समिति निष्क्रिय हैं ?

(5) निष्क्रिय समिति कब से निष्क्रिय हैं तथा उन्हें सक्रिय करने हेतु विभाग ने क्या क्या प्रयत्न किये ?

(6) निष्क्रिय समितियों को सुधार का अवसर देने के पश्चात उन्हें अवसायन में लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

(7) जिले की कौन कौन सी समितियां अवसायन में हैं तथा कौनसी समिति की अवसायन कार्यवाही सम्पूर्ण हो चुकी है ?

(श्री भीमसेन)

(8) बीकानेर तहसील क्रय विक्रय समिति लि. की अवसायन कार्यवाही किस स्टेज पर है तथा इस समिति के अवसायन से पूर्व कौन कौन संचालक थे तथा उनमें से प्रत्येक की जिम्मेदारी समिति के संचालन में क्या थी तथा उनमें से किस किस संचालक पर कितनी कितनी राशि की जिम्मेदारी निर्धारित करके वसूली हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

थाना किशनगंज में दर्ज मामले

128. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

थाना किशनगंज जिला कोटा में सन् 1975 में कितने मुकदमें डकैती के कब कब दर्ज हुए हैं तथा उनमें से कितनों का चालान अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

थाना किशनगंज जिला कोटा में सन् 1975 में दो मुकदमें डकैती के नम्बर 28/75 व 53/75 दिनांक 17-6-75 और दिनांक 19-10-75 को दर्ज हुए थे। मुकदमा नम्बर 28/75 में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है।

औद्योगिक केन्द्र कुचामन रोड

129. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि कुचामन रोड में एक औद्योगिक केन्द्र चल रहा है जिसमें एक ही परिवार कन्हैयालाल साबू व उसके बेटे डी. पी. साबू आर. पी. साबू आदि हैं और उन्होंने एक ही केन्द्र को आठ नामों पर बांट रखा है जिसके कारण वे अपने मजदूरों की हाजरी इधर-उधर बदलते रहते हैं और जब चाहते हैं मजदूरों को निकाल देते हैं ?

(2) उपरोक्त उद्योग ने पिछले पांच वर्षों में अलग अलग नामों पर किस किस वस्तु का कितना कितना कोटा प्राप्त किया है और उसका किस प्रकार उपयोग किया गया ?

(3) क्या सरकार इस मामले में जांच करायेगी कि उपरोक्त उद्योग, जो कि आठ नामों पर कार्य कर रहा है, का एक स्थान है और वह कोटा लेकर ब्लेक में बेचता रहा है और अपने मजदूरों को बिना किसी कारण के सेवा से मुक्त करता रहा है ?

(स्थगित किया गया)

करनपुर थाने में दर्ज मामला

130. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1961 के भारत-पाक युद्ध के समय में जो चार चार सौ रुपया कृषि परिवार को दिया गया था उसके सम्बन्ध में क्या यह सच है कि श्री गुरजीतसिंह चक 9 ओ तहसील करनपुर ने अपने दो नाबालिग पुत्रों को जो शादी शुदा नहीं थे अलग परिवार घोषित करके उनके भी चार-चार सौ रुपये उठाये थे और इस नाजायज कार्यवाही पर एस. डी. एम. करनपुर ने थाना पुलिस

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

करनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस की रिपोर्ट में मामला सही साबित हुआ था, मगर आज तक इस मामले में चालान नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

जी नहीं।

जोधपुर के भूतपूर्व कम्पाउन्डर की पेन्शन का मामला

131. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एसोशियेटेड ग्रुप आफ हास्पिटल, जोधपुर के कम्पाउण्डर ग्रेड I, श्री मुकन्द दास की सेवाएं 28-6-52 को समाप्त कर दी गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने दिनांक 3 अप्रेल, 1963 के आदेश से डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज, राजस्थान के टर्मीनेशन आर्डर को निरस्त कर दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि श्री मुकन्द दास ने पेन्शन के लिये जो आप्शन 1-12-71 को दिया था और जिसे सुपरिन्टेन्डेन्ट हास्पिटल ने अपने पत्र दिनांक 24-3-72 के द्वारा महालेखाकार कार्यालय को भेजा था उसे महालेखाकार कार्यालय द्वारा इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया था कि श्री मुकन्द दास सी. पी. एफ. जोधपुर के सदस्य नहीं रहे ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा महालेखाकार को सन् 1952 से नवम्बर, 1973 तक यह सूचना नहीं दी गई कि श्री मुकन्द दास पुन: राज्य सेवा में ले लिये गये थे और विभाग द्वारा सी.पी.एफ. का पैसा भी नहीं काटा गया ?

(5) क्या यह सही है कि विभाग की भूल के कारण महालेखाकार द्वारा श्री मुकन्द दास का पेन्शन का आप्शन स्वीकार नहीं किया गया और यह मामला अभी तक विभाग में विचाराधीन पड़ा है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस मामले में कब तक कार्यवाही पूरी करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री मुकन्द दास को प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के द्वारा दिनांक 28-6-52 को निलम्बित किया गया था।

(2) जी नहीं। कर्मचारी एवं सरकार दोनों के मध्य समझौता हुआ था।

(3) जी हां। श्री मुकन्द दास सी. पी. एफ. जोधपुर के सदस्य नहीं थे।

(4) कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया उसी समय इस कार्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई एवं सी. पी. एफ. का पैसा न काटने का कारण यह है कि कर्मचारी को सी. पी. एफ. खाता संख्या 9777 का अन्तिम भुगतान महालेखाकार, राज. जयपुर द्वारा कर दिया गया था तथा जब श्री मुकन्द दास को कार्य पर लिया गया उस समय सी. पी. एफ. के लिये नये खाते नहीं खोले जाते थे। यह मामला विचाराधीन है। इस पर शीघ्र निर्णय लेने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र दौसा

132. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में 1974-75 में कितनी महिलाएं (प्रसव हेतु) व कितने मरीज आये ?

(2) क्या प्रसव के समय आक्सीजन, खून आदि की आवश्यकता पड़ सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या इनकी व्यवस्था उक्त केन्द्र (मैटरनिटी होम) पर है ?

(3) क्या माताओं (प्रसव हेतु आने वाली) व रोगियों की संख्या को देखते हुए उक्त केन्द्र का विकास व सम्बन्धित सामान जुटाना आवश्यक है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) उक्त केन्द्र में वर्ष 1974-75 में 346 प्रसूतियां हुई एवं 8425 रोगी आये।

(2) जी हां। यह व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। आर्थिक सुविधानुसार साधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

चिकित्सकों की स्वीकृत संख्या

133. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जिलेवार चिकित्सकों की स्वीकृत संख्या वर्ष 1975-76 की क्या है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में जिलेवार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मद में वर्ष 1975-76 में किये गये व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) की सूची में अंकित है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 3 देखिये)

ब्यावर के ए. के. शफाखाने में एक्स-रे की व्यवस्था

134. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर के ए. के. शफाखाने में एक्स-रे फिल्मों की कई महीनों से भारी कमी है और इसकी वजह से आम जनता को अपने एक्सरे के लिए अजमेर और ब्यावर के प्राइवेट डाक्टरों के पास जाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो यह अव्यवस्था क्यों है ?

(2) क्या सरकार को मालूम है कि डाक्टरों ने प्राइवेट डाक्टरों से मिलकर इसका भी एक धन्धा शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिल्म की व्यवस्था कर इस गलत धन्धे को बन्द करायेगी।

उत्तर

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

Page No 36

(96)

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जी नहीं। सरकारी डाक्टरों से प्राइवेट डाक्टरों का कोई तालमेल नहीं है

पदमपुर-रिडमलसर जाने वाली बस का किराया

135. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंह नगर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पदमपुर से रिडमलसर जाने वाली नं. आर. जे. के. 3195 बस का यात्रियों से किराया 2.50 रु. वसूल किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि पदमपुर से रिडमलसर की दूरी 15 मील (23 कि.मी.) है ? यदि हां, तो इतनी दूरी के लिये 2.50 रु. वसूल किये जाने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या दिनांक 6-1-75 को जिला परिवहन अधिकारी श्री गंगानगर को इस संबंध में शिकायत पत्र प्राप्त हुआ ?

(4) क्या बस किराये के औचित्य की जांच कर यदि किराया अधिक वसूल होना पाया गया तो कम किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) रिडमलसर से पदमपुर मार्ग की दूरी 30.4 कि. मी. है। बस का किराया 2-00 रु. प्रति व्यक्ति लिया जा रहा है जब कि निर्धारित अधिकतम किराया 2.15 तक लिया जा सकता है।

(3) जी नहीं।

(4) किराया निर्धारित दर से अधिक नहीं लिया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है।

ब्यावर के ई. एस. आई. शफाखाने की दवाएं

136. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर ई. एस. आई. शफाखाने में वहां के कम्पाउण्डर श्री जसवानी व डाक्टरों ने मिलकर दवाओं को शफाखाने से बाहर निकाल दिया ? यदि हां, तो क्या दवाओं के स्टाक में कमी आई है ?

(2) क्या पुलिस में इस प्रकार की कोई शिकायत हुई है ? और पुलिस ने कोई केस बनाया है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां के कम्पाउण्डर श्री जसवानी व डाक्टर मिलकर प्राइवेट इलाज करते है ? यदि हां, तो क्या श्री जसवानी ने अपनी बयानों में ऐसा करना बताया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि खांसी की व अन्य बहुत सी दवाओं के ड्रमों में से दवाएं निकालकर पानी भर दिया गया है ? यदि हां तो सरकार ने अभी तक क्या-

(श्री केशरीमल)

कार्यवाही की तथा यह सूचना सरकार के पास कब आई ?

(5) क्या इस कम्पाउण्डर के विरुद्ध पहले भी ऐसी शिकायतें आई थीं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। एक स्थानीय पत्रकार ने पुलिस में एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की थी जिस पर मुकदमा नं. 204/75 दफा 409/420 आई. पी. सी. थाना ब्यावर सिटी पर कायम होकर तफतीश की जा रही है।

(3) जी नहीं। इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस की जांच रिपोर्ट अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। इस बारे में पुलिस में जो तहरीरी रिपोर्ट पेश हुई थी उसकी पुलिस जांच कर रही है व रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।

(5) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

'ए' श्रेणी के परमिट को 'बी' श्रेणी में बदलने की जांच

137. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय के पत्र क्रमांक प. 71/स्वा. मं. /75/580 दिनांक 1 सितम्बर 1975 द्वारा जिलाधीश अजमेर से, अजमेर-किशनगढ़ वाया श्री नगर, भूडोल, अरडका (ए) श्रेणी परमिट को (बी) श्रेणी के परमिट में बदलने हेतु जांच कर प्रतिवेदन मांगा गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में श्रीमती गीता देवी से सहायक अभियन्ता भवन व पथ जिला उप-खण्ड अजमेर द्वारा भी सूचना मांगी गयी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्रीमती गीता देवी सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर को दिनांक 27-10-75 को सारी सूचना दे चुकी है ? यदि हां, तो अब तक इस परमिट को (ए) श्रेणी से (बी) श्रेणी में बदलने की क्या कार्यवाही हुई !

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसकी जानकारी नहीं है।

(3) श्रीमती गीता देवी द्वारा सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर को दिनांक 27/10/75 को सारी सूचना दे देने की जानकारी नहीं है लेकिन जिला परिवहन अधिकारी, अजमेर ने मार्ग की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर को अवगत करा दिया है जिस पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है।

चूरू जिले में प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक

138. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) चूरू जिले में कितने प्रशिक्षित अध्यापक बेरोजगार हैं ? इनमें से कितने बी. एड तथा कितने बी. एस. टी. सी. पास शुदा किस किस प्रशिक्षण वर्ष से है ? सूची मय नाम, वल्दियत, सकूनत तथा शैक्षणिक योग्यता सहित सदन की मेज पर रखें।

(ख) उक्त प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों को कब तक रोजगार दे दिया जावेगा।

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) भविष्य में रिक्त पद उपलब्ध होने व नये पद सृजित होने पर विचार किया जाना संभव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में डिग्री एवं पोस्ट डिग्री कालेज

139. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में राज्य सरकार के कितने डिग्री तथा पोस्ट डिग्री कालेज हैं तथा वे कहां 2 पर स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में कितने जिला हैडक्वार्टर्स ऐसे है जहां पर राज्य सरकार का कोई कालेज नहीं है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में राज्य सरकार के डिग्री कालेज 40 तथा पोस्ट डिग्री कालेज 10 हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार के जिला मुख्यालय जयपुर, जोधपुर एवं झूंझुनूं में सरकारी कालेज नहीं है क्योंकि जयपुर व जोधपुर में विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कालेज है एवं झूंझुनूं में सहायता प्राप्त महाविद्यालय है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

पदमपुर में नये न्यायालय की मांग

140. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) इस समय जुडीशियल मजिस्ट्रेट करनपुर व जुडीशियल मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर के कार्यालय में कितने कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ? उनमें से दो साल से अधिक के कितने व पांच साल से अधिक के कितने हैं ? जुडिशियल मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर में थाना गजसिंहपुर के व थाना पदमपुर व थाना घमूडवाली के कितने कितने मुकदमे जुडीशियल मजिस्ट्रेट करनपुर के न्यायालय में विचाराधीन हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि जितने मुकदमों का निपटारा इन दो न्यायालयों

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

द्वारा किया जाता है उससे अधिक मामले और पेश हो जाते हैं ?

(ग) क्या सरकार गजसिंहपुर, पदमपुर व घमूडवाली के थानों के मामलों को शीघ्र निपटाये जाने हेतु पदमपुर में एक नया न्यायालय स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(क) मुंसिफ एवं जुडीशियल मजिस्ट्रेट करनपुर और रायसिंहनगर के न्यायालयों में पदमपुर तहसील क्षेत्र के विचाराधीन मुकदमों की संख्या के बारे में निवेदन है कि पदमपुर तहसील क्षेत्र मुंसिफ एवं जुडीशियल मजिस्ट्रेट करनपुर के अधिक क्षेत्र में है न कि मुंसिफ एवं जुडीशियल मजिस्ट्रेट रायसिंह नगर है। करणपुर के मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में दो वर्ष से अधिक के 309 मुकदमें और पांच वर्ष से अधिक के 7 मुकदमें पैंडिग हैं। कुल मुकदमों की संख्या 1565 है। पदमपुर के 351 घमूडवाली के 230 मुकदमें विचाराधीन हैं।

(ख) यह सही है कि मुकदमों के निपटारे दायरे से कम हैं।

(ग) मुंसिफ एवं जुडीशियल मजिस्ट्रेट की नई अदालत पदमपुर में कायम करने हेतु उच्च न्यायालय की राय के अनुसार कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। क्योंकि:—

(1) पदमपुर में कोर्ट व आफिस के लिए भवन उपलब्ध नहीं है, न अधिकारियों व स्टाफ के लिए रिहायशी मकान ही उपलब्ध हैं।

(2) पदमपुर रेल से जुड़ा हुआ नहीं है।

(3) पदमपुर का सब डिवीजनल हैड-क्वार्टर करनपुर में है।

जोधपुर नगर से अध्यापकों के स्थानान्तरण

141. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर से निम्न श्रेणी के अध्यापकों के स्थानान्तरण की राज्य सरकार की क्या नीति है :—

1. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मुख्य अध्यापक एवं वरिष्ठ उप-निरीक्षक।
2. माध्यमिक विद्यालय के मुख्य अध्यापक एवं उपनिरीक्षक।
3. वरिष्ठ अध्यापक।
4. द्वितीय श्रेणी अध्यापक।
5. तृतीय श्रेणी अध्यापक।
6. महिला अध्यापक।

(2) अप्रेल 1974 से अब तक जोधपुर नगर से और को उपरोक्त श्रेणी के अध्यापकों का उपरोक्त नीति के अनुसार स्थानान्तरण किया गया, उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त काल में क्या उपरोक्त नीति के विरुद्ध भी स्थानान्तरण किये गए ? यदि हां, तो कारण सहित उनकी भी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अध्यापकों को डिवीजनल हैड-क्वार्टर एवं जिला मुख्यालयों से स्थानान्तरण से सम्बन्धित परिपत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। विशेष मामलों में राज्य सरकार नीति में शिथिलन उपरांत ही स्थानान्तरण किये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुदानित विद्यालयों का पुनर्वर्गीकरण

142. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अनुदान प्राप्त विद्यालयों के पुनर्वर्गीकरण करने के पश्चात् किन विद्यालयों की इसके अनुसार पूर्व में मिलने वाली अनुदान की राशि में इस वर्ष में कमी कर दी गई? कृपया उनकी पूर्ण सूची मय पुनर्वर्गीकरण के पूव एवं पश्चात् की अनुदान राशि दर्शाते हुए सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त कमी किस माह से लागू की गई एवं उससे राज्य भर में शिक्षा विभाग को कितनी वार्षिक एवं मासिक बचत होगी?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दिनांक 1-8-75 से। इससे प्रति वर्ष अनुमानतः 2.00 लाख रुपये की बचत होगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

चूरू जिले में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत मजदूरों की बकाया राशि

143. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1969-70 में जिला चूरू के अकाल सहायता कार्यों पर लगे श्रमिकों की बकाया भुगतान हेतु चूरू जिले में गत वर्ष सूचियां बनाकर तहसीलदारों को भेजी गयी थीं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सूचियों में श्रमिकों की वल्दियत व सकूनत दर्ज न कर केवल फेमिन कैम्प के नाम लिखे गये जिससे श्रमिकों को आधा भुगतान भी नहीं किया जा सका क्योंकि एक ही नाम के दो गांव में कई आदमी होते हैं, और गांव भी दर्ज नहीं तो किस को दें, और राशि बिना भुगतान के लौटा दी तथा श्रमिक अपनी मेहनत के पैसों से वंचित रह गये?

(3) क्या इस प्रकार अधूरी एवं गलत सूची बना कर भेजने वाले अधिकारी दोषी नहीं है जब कि वास्तविक मस्टर रोलों में वल्दियत, सकूनत सब दर्ज है? यदि हां, तो ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब सही सूची बना कर बकाया भुगतान श्रमिकों को करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

Page No 41

(41)

उत्तर

(अकाल सहायता मंत्री)

(1) सन् 1969-70 में जिला चूरू में अकाल सहायता कार्यों पर लगे श्रमिकों की बकाया भुगतान हेतु सूचियां वर्ष 1971-72 में तहसीलदारों को भेजी गई थी।

(2) जी हां। सूचियां अपूर्ण थीं जिससे समस्त श्रमिकों का भुगतान नहीं हो सका।

(3) दोषी अधिकारियों के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से पूर्ण जानकारी की जा रही है।

(4) अभिकरणों से कहा जा रहा है कि वे बकाया मजदूरी का भुगतान शीघ्र कर दें।

फागी एवं चाकसू तहसीलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किये गये कार्य

144. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1972-73 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत फागी तथा चाकसू तहसील में कितना कार्य स्वीकृत हुआ? निम्न तालिका में सूचना दें :—

(क) राजस्व विभाग द्वारा

(ख) पंचायत समिति द्वारा

(ग) सिंचाई विभाग द्वारा

(घ) कृषि विभाग द्वारा

(ङ) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा

(2) उक्त कार्यों में किस किस विभाग द्वारा कितना कितना कार्य पूर्ण करवाया गया तथा कितना कार्य अपूर्ण रहा तथा किस किस विभाग द्वारा मजदूरों को कितना भुगतान किया गया तथा कितना बकाया है ? यदि बकाया है तो अब तक भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? और कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

(3) फागी एवं चाकसू तहसील में सन् 1972-73 में कितनी कितनी धनराशि उक्त विभागों से स्वीकृत हुई थी ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(4) उस समय जो कार्य अपूर्ण रह गए थे क्या राज्य सरकार उनको पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1972-73 में फागी तथा चाकसू तहसील में निम्न प्रकार कार्य स्वीकृत हुए :—

क्रम संख्या	नाम तहसील	राजस्व कार्य	सिंचाई कार्य	सा०नि०वि० के कार्य	पंचायत समिति कार्य	कृषि विभाग के कार्य
1.	चाकसू	4	8	4	82	—
2.	फागी	-	17	3	31	—
	योग	4	25	7	113	—

(2) सूची संलग्न है। मजदूरों के उपलब्ध न होने के कारण। भुगतान नहीं

(अकाल राहत मंत्री)

किया जा सका। अब शीघ्र कर दिया जावेगा।

(3) अभिकरणवार एवं तहसीलवार स्वीकृत धनराशि की सूची संलग्न है।

(4) वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर विचार किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

उपवैद्य धात्रियों के पद

145. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आयुर्वेद विभाग में उपवैद्य-धात्री के किन्हीं सब्स्टीट्यूट पदों का सृजन किया गया था? यदि हां, तो कब और कितने समय के लिए?

(2) क्या उपरोक्त पदों पर किन्हीं धात्रियों को नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो कब कब और उन पर किन किन धात्रियों को नियुक्त किया गया था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त धात्रियों ने उपरोक्त पदों पर करीबन पांच वर्ष तक कार्य किया?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के यकायक समाप्त कर दिया गया है और उक्त धात्रियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं?

(5) यदि हां, तो इन पदों का सृजन किस कारण किया गया था और इन्हें यकायक समाप्त कर दिये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 30-5-61 को इन पदों का सृजन 28-2-1966 तक के लिए किया गया था, बाद में समय समय पर इनकी अवधि बढ़ाई गई।

(2) धात्रियों के नाम मय नियुक्ति दिनांक के सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वांछित सूचना सूची में उपलब्ध है।

(4) मितव्ययिता के कारण दिनांक 1-2-76 से ये पद समाप्त कर दिए गए और इन पदों पर कार्य कर रहे धात्री/कल्पदों की सेवाएं भी पहले समाप्त कर दी गई थीं। बाद में सोच विचार कर और नियमों में ढील देकर सभी कल्पद/धात्रियों को पुनः सेवा में ले लिया गया और बीच की अवधि को नियमानुसार अवकाश मानने के आदेश दे दिये गये हैं।

(5) इन पदों का "लीव ट्रेनिंग रिजर्व" के लिये सृजन किया गया था। पदों की समाप्ति सरकार के प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता की नीति के कारण की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

प्रतिवेदन व लेखे

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन व लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे एवं उन पर अंकेक्षण प्रतिवेदन।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की इक्कीसवीं रिपोर्ट वर्ष 1971-72 और 1972-73।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 8 व 9 का उपस्थापन

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मन्त्री, राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 8 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,66,93,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्य पाल महोदय को 6,90,21,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग सं० 8 एवं 9 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा):

1. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर परिषद् की सीमा में वर्षों से खेती करने वाले कृषकों को बेदखल करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर के उम्मेद जन उद्यान में स्थित जन्तुआलय के सुधार के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर (लाडनूं):

3. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन के वृक्षों की अनियमित कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद):

5. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में की जा रही री-सैटलमेंट में कृषकों को उचित सुनवाई न होने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन की लापरवाही से गिरदावरों द्वारा मनमानी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले

(श्री शंकरसिंह रावत)

में भू-तरमीम को मान्यता देने पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के वनों की सुरक्षा नियमित रूप से न करने पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के पहाड़ों पर अधिक वृक्ष लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) :

10. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि आवंटन में हो रही धांधली को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

11. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग कैनाल और भाखरा नहर क्षेत्रों में हजारों बीघा सरकारी जमीन आवंटित न किये जाने से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के भूपतियों की सीलिंग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये आवश्यक कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानूनों के अन्तर्गत अधिक बंजड़ धरती ली जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की हजारों एकड़ भूमि को सीलिंग के अन्तर्गत न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानूनों के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि पर कब्जा न लिये जाने की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में सीलिंग कानून के लागू करने की स्थिति पर ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में एक हनुमान गढ़ सब डिविजनल कार्यालय

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

को छोड़ कर अन्य सभी सब-डिविजनल कार्यालयों में स्थान के अभाव के कारण होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये) ।

19. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र की जांच के संबंध के गंगानगर जिले के राजस्व विभाग के तहसीलदारों द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

20. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मंडल से निर्मित राजस्थान कैनाल के आवंटन के केसेज की अपील वापिस मंत्री महोदय के पास कराने पर चर्चा के लिये) ।

21. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले और उपनिवेशन विभाग राजस्थान कैनाल के अपील केसेज की अधिकता के कारण राजस्व मण्डल की स्थाई बैन्च (Bench) बीकानेर में कायम करने पर चर्चा के लिये)

22. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि अवाप्ति कार्यालय द्वारा भूमि की अवाप्ति में की जाने वाली देरी से उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा के लिये) ।

23. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों द्वारा गंगानगर जिले में भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्रों की जांच में जन प्रतिनिधियों का सहयोग न लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

24. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व तहसील टी. बी. में भू-आवंटन में हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

25. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैन्य कर्मचारियों की वीरता के लिये राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

26. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुरक्षा विभाग के प्रयोजनार्थ गंगानगर जिले में अवाप्त भूमि को आवण्टित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

27. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिला नाविकों, सैनिकों और विमानियों के बोर्ड बीकानेर द्वारा सैनिकों की भूमि आवंटन कराने में दुर्लक्ष पर चर्चा के लिये) ।

28. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

Page No 46

(46)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

29. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आमेर के देवीजी के मन्दिर को देवस्थान के अन्तर्गत लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोविन्द देवजी के मन्दिर (जयपुर) को देवस्थान के अन्तर्गत लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैला देवी ट्रस्ट करौली में व्याप्त भयंकर गबन और भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडी कमेटी कोटा द्वारा कोटा की मंडियों के विकास की असफलताओं पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास आयुक्त द्वारा क्षेत्र के विकास में योजनाबद्ध कार्य पूर्ण न कर पाने पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिलाधीश के बीकानेर रियासत के समय से बने पुराने कार्यालय में स्थान की कमी के कारण प्रशासन और जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान द्वारा किराये पर दिये हुए मकानात के किरायों में व्याप्त पक्षपातपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान द्वारा किराये पर दिये जा रहे मकानात के किरायों की अनुचित वसूली पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ फार्म द्वारा हजारों पेड़ काटकर वन की एक पट्टी को समाप्त कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 308-क्षेत्र के विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घग्घर डाइवर्शन कैनाल के डिप्रेशन्स के चारों ओर विस्तृत वन विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद की स्थितियों पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 308-क्षेत्र का विकास के अन्तर्गत मांग में

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र के लिफ्ट क्षेत्र में जंगलात और चरागाह का विस्तृत क्षेत्र विकसित करने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय.(ईन्धन की बढ़ी हुई कीमतों को मद्दे नजर रखते हुये ईन्धन और लकड़ी, कोयला व्यापार योजना के विकास पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 308-क्षेत्र का विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घग्घर डाइवर्शन कैनाल के डिप्रेशन्स पर पशु संरक्षण का कार्य किये जाने पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन पशु संरक्षण के तहत सिरिसका सेन्चुरी के हिंसक और अन्य पशुओं द्वारा किसानों की हानि किये जाने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्व बैंक द्वारा वनों के विकास के अन्तर्गत राजस्थान नहर के लिफ्ट सिंचाई क्षेत्र में वृहद वन स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर, बीकानेर और चूरू जिले में भू-संरक्षण के कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के माध्यम से घाटी स्थलों के सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 295-अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर और बीकानेर के चिड़िया घरों में नये पशु पक्षियों की खरीद में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 295-अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के चिड़िया घरों के लिये पशु पक्षियों के चारा दाना की खरीद में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 295-अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के चिड़िया घरों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम):

50. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व बोर्ड की विभिन्न स्थानों पर खण्ड पीठ ले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) :

51. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालय में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा दिये जाने वाले जंगल के ठेकों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी):

54. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व रिकार्ड समय पर तैयार नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग सम्बन्धी मामलों को शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में लगान दरों की विभिन्नता के संबंध में चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों का उचित संरक्षण नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी रक्षा करना अति आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज):

59. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्रों में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील शाहबाद एवं किशनगंज में आवंटित भूमि पर आदिवासियों को कब्जा नहीं मिला, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद तहसील में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामगोपाल)

62. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद में आदिवासियों की राजस्व सम्बन्धी समस्याओं का व्यवहारिक रूप में समाधान नहीं किया, इस पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां वन विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगंज रेन्ज जिला कोटा में कुंजावास वन सम्पदा नष्ट कर दी गई उस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन मण्डल बारां के क्षेत्र में नाजायज काश्त को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तेन्दू पत्ते के राष्ट्रीयकरण को विभाग के अधिकारियों द्वारा असफल किया जा रहा है उस संबंध में चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन मण्डल बून्दी के वन खण्ड इसालिया में राज्य को लाखों की क्षति हुई, उसके संबंध में चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन मण्डल बारां में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री करणसिंह (डीग) :

70. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीश कार्यालय में ग्रामीण जनता के कार्य शीघ्र निष्पादन हेतु चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन संपदा के संरक्षण व प्राप्त साधनों के अधिक उपयोग हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) :

72. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा, छीपा बड़ौद में भूमिहीनों की जटिल समस्या को भू-आवंटन द्वारा सुलझाने हेतु चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा, छीपा बड़ौद तहसीलों में रेवेन्यू रेकार्ड अपूर्ण है उसको शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री जगमोहनसिंह)

74. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा ग्राम कोटड़ा भगवान में अनुसूचित जाति की जमीनों पर कब्जा किए जाने बाबत चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलदार छीपा बड़ौद जिला कोटा में राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत किये गये अवैधानिक कार्य पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोरधनपुरा, तहसील छीपा बड़ौद के राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा व छीपा बड़ौद कस्बों में लकड़ी जलाऊ उपलब्ध कराने हेतु लकड़ी की टाल खोले जाने बाबत चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा, छीपा बड़ौद तहसीलों में वन विभाग की भूमि जो वन उपयोगी नहीं है को भूमिहीनों को दिए जाने हेतु राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

79. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले का चौहटन तहसील में भूमिहीन किसानों को सात साल पहिले जमीन 3 साल के लिए एलाट कर दी थी और फिर उनका कब्जा बना हुआ है उन्हें regularisation नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की बाड़मेर तहसील जिसका क्षेत्रफल दस हजार वर्ग किलो मीटर एवं आबादी साढ़े तीन लाख है और जहां रेवेन्यू इन्सपेक्टर सर्किल अधिक है, उक्त तहसील को अधिक तहसीलों में विभाजित करने में राजस्व विभाग द्वारा ढीलाई एवं लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये भू-सीलिंग एवं पुराने भू-सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे की दरों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेषतौर से बाड़मेर जिले में भारी अन्तर है जिसके कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एव जन जाति के कृषकों को उचित भूमि आवंटन न करने एवं उन्हें कब्जा न दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

83. मांग संख्या 8,मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-आवंटन में हुए पक्षपात एवं अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 8,मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व एवं राजकीय बकाया राशि की वसूली के स्थगन के हाल के आदेशों से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के किसानों को कोई लाभ एवं राहत नहीं मिलने के कारण उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 8,मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में 25 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र वाले गांवों को अनेक गांवों में विभाजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 8,मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के बाड़मेर आगोर में बाड़मेर नगर पालिका की सीमा से लगती हुई महावीर कालोनी के समीप कुछ व्यक्तियों द्वारा अनुचित लाभ उठाने के लिये खातेदारों से सस्ती कीमत में खरीद कर कृषि उपज मंडी एवं अन्य लोगों को अधिक कीमत में बेचना और फिर आबादी में परिवर्तित कराने के लिये प्रयास करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 8,मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय एवं रेवेन्यू की बकाया राशि की वसूली के स्थगन आदेशों से पश्चिमी राजस्थान के काश्तकारों, जिनकी अदा करने की क्षमता नहीं है, कोई लाभ नहीं होने के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष के बारे में चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 9,मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में वनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के किसानों द्वारा अपने खेतों से काटी हुई लकड़ी को बाड़मेर नगर में बेचने के लिये आने पर वन विभाग द्वारा उनसे रिश्वत एवं घूस लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा जंगलातों एवं बीड़ों का अनुचित लाभ उठा कर पशुओं को छोड़ने से राज्य सरकार को हुई हानि पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र शिव तहसील में एरिड जोन काफी अर्से से कायम किया गया है और जो जैसलमेर जिले के कुछ हिस्से में भी फैला हुआ है पर लाखों रुपये व्यय करने के उपरान्त भी वन विभाग के अधिकारियों

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

एवं कर्मचारियों की लापरवाही एवं बेइमानी बरतने के कारण उचित फल न मिलने के विषय पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौथी पंचवर्षीय योजना के पहिले चार वर्षों में वनों के विस्तार और सुरक्षा के लिये बाड़मेर जिले में अधिक प्रावधान किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष और बाद में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक कम प्रावधान होने के कारण वनों में अधिक क्षति हो रही है, जिसके कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में वन जिला सलाहकार समितियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

95. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में भू-आवंटन में अनियमितताएं रोकने पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन तहसील में भू-आवंटन में अनियमितताएं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में वन विभाग की काबिल काश्त भूमि भूमिहीनों को दिये जाने हेतु राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में पंचायतों को तेंदू पत्ता की आय में से मुआवजा न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा के वन मण्डल बारां द्वारा 74 व 75 में तेंदू पत्ता की बिक्री में अनियमितता बरतने से आय में कमी होने पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में तेंदू पत्ते के राष्ट्रीयकरण होने के बाद 74-75 वर्ष में आय-व्यय के हानि लाभ के लेखा जोखा के बारे में चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को घरू कार्य में लेने हेतु अपने खेत से काटी हुई लकड़ी का ट्रान्जिट पास बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़):

102. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

में प्राप्त भूमि का गरीबों को आवंटन नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में फोरेस्ट विभाग की उपेक्षित प्रक्रियाओं के कारण होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की बिगड़ती हुई व्यवस्था को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

105. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229— भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व को राजस्थान में एक रूपता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313— वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन उपज को जन उपयोगी बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) :

107. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा शाहपुरा जिला जयपुर में नवीन तहसील कायम किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

108. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग द्वारा लैण्ड रिकार्ड्स में दुरुस्ती अभियान के संबंध में चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की काबिल काश्त जमीन राजस्व विभाग को देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) :

111. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि आवंटन की प्रक्रिया में सुधार करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विकास हेतु सर्वेक्षण एवं मास्टर प्लान (प्रोजेक्ट) तैयार करने पर एवं स्टेट ट्रेडिंग पोलीसीज एडोप्ट करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मोहन राज (बाली) :

113. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को दी जाने वाली पास-बुकों में सम्पूर्ण

Page No 54

(54)

(श्री मोहन राज)

आवश्यक जानकारी देने व उसे सरकारी सहकारी व अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए अधिकृत दस्तावेज मान्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाली क्षेत्र में व पाली जिले की देसूरी व सादड़ी रेंज क्षेत्र में वनों की रक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

115. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे के मुकदमों के निर्णय में शिथिलता बरते जाने पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बे जमीनों को जमीन अलाट किये जाने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की जंगलात विभाग की रोध की जमीन को सिवायचक में राजस्व विभाग के तबदील करने के प्रस्तावों पर वन विभाग द्वारा शीघ्र निर्णय किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

118. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में समय समय पर भू-राजस्व वसूल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में सीलिंग के तहत आई कृषि योग्य भूमि को अब तक भूमिहीनों को आवंटन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय राजस्थान में भूमिहीनों को पर्याप्त भूमि अब तक नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की तहसील केशवराय पाटन, नैनवा, बून्दी हिन्डौली में किये गये सेटिलमेंट में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत पापड़ी पंचायत समिति केशवराय पाटन को कृषि योग्य भूमि को वन विभाग से राजस्व में अब तक परिवर्तन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

123. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की कृषि योग्य भूमि राजस्व में परिवर्तन करके भूमिहीनों को अब तक आवंटन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल):

124. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

125. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व वसूली में की जाने वाली सख्ती पर चर्चा के लिये) ।

126. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहाड़ों पर वन लगाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री नाथूराम (बागीदोरा):

127. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों में फैली अव्यवस्था को रोकने हेतु चर्चा के लिये) ।

128. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सेटलमेंट नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

129. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में भूमिहीनों आदिवासियों एवं हरिजनों को भू-आवंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

130. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर डिवीजन यानि बांसवाड़ा-डूंगरपुर-उदयपुर चित्तौड़गढ़ के वनों की सुरक्षा नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

131. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313. वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में वन संरक्षण हेतु वन विभाग द्वारा बरती जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर):

132 मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिनियमों की क्रियान्विति में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

133. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 229- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में सीलिंग में आई भूमि भूमिहीन काश्तकारों को अलाट नहीं करके भूपतियों

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

व अधिक जमीन वाले व्यक्तियों को अलाट की गई है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) :

134. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लैण्ड रिकार्ड्स में अनियमितताओं को दुरुस्त कराने हेतु चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि भूमि का बन्दोबस्त करने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा वन सम्पदा पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन सम्पदा के इस्तेमाल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलात को होने वाली हानि से बचाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

140. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों के होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर किये गये तबादलों पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सीलिंग कानून के तहत उपजाऊ भूमि कम प्राप्त करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को पास बुकें दिये जाने में विलम्ब होने पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तकावियों की वसूलियों में किसानों पर की गई ज्यादतियों के संबंध में चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन सम्पदा के राज्य व्यापार से कम आमदनी होने पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313– वन के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री केशरीमल)

रुपया कम कर दिया जाय (तेंदू पत्ते के खरीददारों द्वारा बताये गये और लिये गये भाग से अधिक माल ले गये इससे हुई हानि पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की रक्षा एवं उसकी बढ़ोतरी से सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

147. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। लूणकरणसर राजस्व के गांवों के रकबे को चक प्लान्स के अनुसार ही उपनिवेशन क्षेत्र में रखकर बाकी क्षेत्रों को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग रखने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

148. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर के नेपड क्षेत्र में दुबारा शीघ्र पैमाइश करवाने एवं तहसील का राजस्व रेकार्ड सुधारने के बारे में चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में काश्तकारों की बकाया पास बुक्स देने, रास्तों, लाटों बाड़ों एवं काश्त के लिए नाजायज कब्जों को नियमन एवं एक तरफा किए हुए जुर्मानों को माफ करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में पिछले वर्षों में आवंटित भूमि का कब्जा भूमिहीन काश्तकारों को दिलाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर एवं तहसील सांचोर में वन विकास के लिए उठाए गए कदमों पर एवं सरकारी बीड़ों में घास उगाकर "चारा बैंक" की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

श्री रामलाल (बाड़ी) :

152. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़ी व बसेड़ी की जनता को भूमि का आवंटन नहीं हो पाया है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थीसिंह यादव (नदबई) :

153. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बयाना व भरतपुर के कृषकों, भूमिहीन कृषकों को भूमि आवंटन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की समान दरें नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री नत्थासिंह यादव)

155. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

156. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में गरीब आदिवासियों की राजस्व भूमि से बेदखली करने पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के ग्राम मोजाडीगरी में मेरवाली भूमि पर आदिवासियों के पुराने कब्जों को खातेदारी हक दिलाने पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में वन खण्डों के अन्दर आदिवासियों के कब्जों की काबिल काश्त भूमि व खातेदारी भूमि से वन विभाग द्वारा बाहर निकालने पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा पटवार मण्डल सिगटवाड़ा वन खण्ड केवड़ा कला एवं केवड़ा खुर्द काबिल काश्त भूमि वन खण्ड निकालने पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के पटवार मण्डल पिलाध एवं पटवार मंडल थाना के अन्तर्गत वन खण्ड डीगरी के अन्दर खेतारी भूमि व काबिल काश्त भूमि वन खण्ड से निकालने पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़) :

161. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसान से माल गुजारी आदि शक्ति से वसूली की परिपाटी को रोका जाय पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम लिखमीसर तहसील श्री डूंगरगढ़ के किसानों पर ईंट बनाने के आरोप पर लगायी गयी नाजायज रायल्टी को माफ करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों पर एक साल से अधिक वर्षों का लगा तावान जो वसूल हो गया है को वापिस लौटाना और वसूल नहीं हुआ उसे निरस्त करने पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीब किसान को मालगुजारी में रियायत दिलाने के पर चर्चा के लिये)।

(श्री लूणाराम)

165. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों के सार्वजनिक रास्तों के अतिक्रमण हटाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन चूरू जिले के किसानों को भूमि अलाटमेंट के फार्म भरवाने का नहरी क्षेत्र में एक मौका देने पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवार घर बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमाबंदी की गलतियों को सुधारने के बारे में चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि भूमि में से घरेलू कार्यों के लिये निकाले जाने वाले बाघड़ा पर लगी पाबन्दी को हटाने पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के भेड़ व बकरियों को न घुसने देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में छोटे 2 भूखंडों में वन लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक से अधिक वन रोपण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) :

173. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-अभिलेखों को ठीक प्रकार से न रखे जाने के कारण अशुद्धियां रह जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक भू-राजस्व वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-अभिलेख सुधार योजना ठीक प्रकार से लागू किये जाने पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ओला वृष्टि और खेती में इस वर्ष रोली लगने वाले जिलों में भू-राजस्व माफ किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

177. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा स्तम्भों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में वनों के संरक्षण और विकास पर ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में वन के विकास किये जाने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभागों की भूमि को सुरंक्षित रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिन्डोली) :

181. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले के हिन्डोली क्षेत्र में भूमि आवंटन अभियान द्वारा भूमिहीनों को दी गई भूमि में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :

182. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित भूमि खण्डों का कब्जा न दिलाने पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वनों पर अतिक्रमण कराने तथा वन सम्पदा को नष्ट कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) :

184. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील स्तर पर फैले भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा समय पर कार्य पूरा न करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सूण्डा (फतेहपुर) :

185. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीशों का कार्यभार राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के व्यक्तियों को निर्दिष्ट किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

186. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों के दौरे उपयोगी नहीं होते इस सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा के लिए)।

187. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से

(श्रीमती मदन कौर)

100 रुपया कम कर दिया जाय (लैंड केपेबिलिटी सर्वे नहीं कराये जाने से उत्पन्न हुई समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुस्थलीय जिलों के लघु और मार्जिनल काश्तकारों को कोई राहत नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम जानियाना (तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर) की काफी बड़ी काश्त की भूमि बेनामी दर्ज है इस विषय पर चर्चा के लिए]।

190. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन काश्तकारों को भू-आवंटन की कार्यवाही के बाद मौके पर भूमि का कब्जा नहीं देने से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा के लिए)।

191. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम डापरा (तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर) के भूतपूर्व जागीरदार द्वारा लगभग तीन हजार बीघा काश्त की भूमि को कुछ गांव के किसानों के नाम दर्ज करवाकर जागीरदारी समाप्त होने के बाद से अब तक स्वयं जागीरदार द्वारा कब्जा और काश्त करने एवं उन गांव के किसानों का इस तथ्य की कतई जानकारी नहीं होने से सम्बन्धित विषय पर चर्चा के लिए]।

192. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम सिणली (तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर) में सीलिंग कानून के तहत छोड़ी गई काश्त की भूमि पर अनधिकृत कब्जा और काश्त बनाये रखने के वाले व्यक्तियों के प्रति उचित कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए]।

193. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अशिक्षित किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारी पटवारी पद पर नियुक्ति के संबंध में उचित सावधानी नहीं बरतने से संबंधित समस्याओं पर चर्चा के लिए)।

194. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रांजिट पास देने की प्रक्रिया निरर्थक और आधारहीन होने से जनता की कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विकास का ठोस कार्यक्रम नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

196. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलों के निरन्तर ह्रास से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

197. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्रीमती मदन कौर)

कम कर दिया जाय (वन विभाग की घास, व लकड़ी जैसी अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराने मे असमर्थ है, इस पर चर्चा के लिए)।

198. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन प्राणियों को विशेषकर हिरणों के संरक्षण पर उचित ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) :

199. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229, भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय कृषि भूमियों पर से अवैध कब्जे न रोक सकने व न हटा पाने की स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

200. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले का प्रशासन जन प्रतिनिधियों से असोसियेट होकर उनकी देखरेख में होना चाहिए पर चर्चा के लिए)।

201. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध भारत-पाक युद्ध में मृत सैनिकों के परिवार को आवंटित भूमि से वंचित कर देने के आचरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

202. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर जिले के ग्राम रामसीण, मुडथला सीली में वैसी पड़त गोचर एवं ओरण भूमि को काबिल काश्त में परिवर्तित कर भूमिहीन किसानों को अलॉट करने एवं राजस्व समस्याओं के बाबत चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

203. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के राजस्व अधिकारियों द्वारा अनुचित व गैर कानूनी सरचार्ज वसूली करने पर चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों से वसूली में ज्यादती, बेरहमी, मारपीट व अनुचित कुर्कियों के कारण उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव भावेलाई तहसील पाली की सरकारी भूमि पर से भू. पू. महाराजा जोधपुर के मार्फत किये गये अनधिकृत कब्जे को न हटाने पर चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोचर भूमि

(श्री शंकरलाल)

से अनधिकृत कब्जे हटाने व आवश्यकता से अधिक गोचर को आवंटन करने पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूसीलिंग कानून के तहत अवाप्त भूमि के आवंटन का मुआवजा गरीब व अनसूचित जाति के लोगों से न लिया जाये इस पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली नगर की रंगाई व छपाई की फेक्ट्रियों से आने वाली लकड़ियों की ट्रकों से देय वन विभाग का टेक्स वसूल न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बून्दी) :

209. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 के आरम्भ से भू-राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान की प्रगति हेतु चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़े भूपतियों से की गई भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली हेतु किये जा रहे अपर्याप्त राजकीय प्रयत्नों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के वन विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों के निवारण हेतु चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वन सम्पदा का नष्ट करने की प्रवृत्ति रोकने में वन विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

213. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में चुस्ती लाने हेतु जयपुर जिले के दो भाग कर दौसा में जिला मुख्यालय बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की भूमि पर से अनधिकृत कब्जे शीघ्र हटाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा के पहाड़ को आरक्षित वन घोषित कर तार खिचवाने व नये पौधे लगाने व बीज फैलाने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

216. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप जिले में कमांड एरिया की जमीन की अधिक कीमत वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) :

217. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों में पास- बुकों का वितरण नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

218. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की देख-भाल नहीं होने तथा अवैध कटाई को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़):

219. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलसाना ग्राम में दांता रामगढ़ तहसील की सब-तहसील स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) :

220. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [घर बर्ताऊ ईंटें (जोहड़ों की मिट्टी से) बनाने में आ रही कठिनाइयों से किसान को राहत दिलाने पर चर्चा के लिये] ।

221. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [तहसील राजगढ़ (जिला चूरू) में सवाये से अधिक बढ़ाए हुए लगान वाले ग्रामों का लगान घटाए जाने के महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा के लिये] ।

222. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत अतिक्रमण के मामलात का तुरन्त नियमन किए जाने की परमावश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

223. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बणी व जोहड़ों को कई जगह वन विभाग के अन्तर्गत लेकर उनमें पशु चराने के किसानों के पुश्तैनी अधिकारों को छीने जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर) :

224. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-आवंटन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

225. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय व्यापार योजना के कारण जंगलों के खराब होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना) :

226. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गिरदावरी दर्ज करने में अनियमिततायें बरती जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

227. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा तहसील के डी-कमांड एरिया को अन-कमांड करके उनकी रेट व किश्त अन-कमांड एरिया के समान लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (भाखरा क्षेत्र की नोहर-भादरा तहसीलों की आराजी राज भूमि को एक साला की बजाय 31 जून, तक पुख्ता अलाट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

229. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा तहसील के 23 गांवों को आउट आफ पलो लाइन घोषित करके उनको खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री मनोहरलाल (कामां) :

230. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेव काश्तकारों के बकाया क्लेम पूर्ति कराने व बकाया पूर्ति को भूमिहीनों को आवंटन करने हेतु चर्चा के लिये) ।

231. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब तहसील पहाड़ी को तहसील में परिवर्तित करने हेतु चर्चा के लिये) ।

232. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नायब तहसीलदार पहाड़ी को तहसीलदार की शक्तियां दिलाने हेतु चर्चा के लिये) ।

233. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पेड़ लगाने के लिये कानून की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

234. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीनों द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जों को कृषि भूमियों को नियमन कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

235. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (20 एकड़ से कम क्षेत्र से चारागाहों को मुक्त कर भूमिहीनों को आवंटन करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भैरूंलाल (अकलेरा) :

236. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन कृषकों को आवंटित राजस्व विभाग की कृषि योग्य भूमि पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

Page No 66

(श्री भैरूलाल)

237. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के अधिकार की कृषि योग्य भूमि राजस्व विभाग में ली जाकर भूमिहीन कृषकों को आवंटित की जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

238. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अधिकारियों द्वारा कृषि हेतु आवंटित भूमि पर भूमिहीन कृषकों को समय पर कब्जा न दिलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा हल, कुली व जलाऊ लकड़ी की कृषकों को दी जाने वाली सुविधाओं में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली मनमानी से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

240. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [वन सम्पदा (पत्ता तेन्दू) की उपज के राष्ट्रीयकरण में ग्राम पंचायतों को हुई आर्थिक हानि के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये] ।

श्री रतीराम यादव (तिजारा):

241. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व की बड़ी 2 रकमें बड़े भू-पतियों और सम्पन्न व्यक्तियों की ओर लम्बे समय से बकाया पड़ी हैं जिसे वसूल करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

242. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-प्रबंध की धांधली और अनियमितताओं के कारण होने वाली किसानों की परेशानियों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये) ।

243. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में कस्टोडियन भूमि की ऊंची कीमतें गरीब हरिजन व भूमिहीनों से वसूल करने की सरकार की गलत नीति पर चर्चा के लिये) ।

244. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन-सम्पदा के संरक्षण पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये) ।

245. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों में वृक्षों को काटने में वैज्ञानिक तरीका न अपनाने के कारण वन-सम्पदा को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये) ।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) :

246. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कलेक्टर श्री गंगानगर के कार्यालय में करीब 6 व 7 वर्ष पुराने भूमि आवन्टन के विचाराधीन पर निर्णय नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

247. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. डी. ओ करणसर के कार्यालय में जरूरतमंद व्यक्तियों के पेंशन के मामले लम्बे समय से विचाराधीन हैं इस पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. डी. ओ. करणपुर के कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पदमपुर में भूमिहीनों द्वारा बारानी भूमि की 1960-1966 के मध्य में अधिक जमा करवाई गई रकम की वापसी देने में होने वाली गड़बड़ी पर चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में गुरुद्वारों की भूमि की खातेदारी के हक नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सिख गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिए सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी शीघ्र बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा में मन्दिरों की जमीनों पर नाजायज कब्जा रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्दिर श्री शिला माताजी आमेर की जागीर के 10,000 इस नाजायजतौर पर सरकारी खजाने से उठाये जाने पर चर्चा के लिये)।

254. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली भूमि में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 308-क्षेत्र का विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरों के साथ साथ लगे हुये वृक्षों को क्षति से बचाने पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 308-क्षेत्र का विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरों के साथ साथ लगे हुये वृक्ष जो गंग कैनाल के साथ पंजाब क्षेत्र में हैं उन वृक्षों की आज तक बेचे गये की कीमत राजस्थान सरकार द्वारा न वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 308-क्षेत्र का विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर की वह भूमि जो 81 मील पंजाब

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

क्षेत्र में है उस पर लगे वृक्षों को पंजाब सरकार द्वारा बेचान किये जाने पर चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 308–क्षेत्र का विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरों के किनारों के साथ साथ लगे वृक्षों की देख-भाल में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (बारां) :

259. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा में पटवारियों को एक ही स्थान पर काफी वर्षों तक रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

260. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा में धारा 91 के तहत तहसीलदारों द्वारा किसानों को सजा दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलों की अवैध कटाई व किसानों को झाड़-बाड़ व जलाऊ लकड़ी नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

262. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भैरूंदा ग्राम, तहसील डेगाना, जिला नागौर में पड़त जमीन पर नाजायज कब्जों को हटाने व कब्जा करने वालों को दण्डित न कर प्रशासन द्वारा उनको प्रोत्साहित करने पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम गोन्दरड़ा, तहसील डेगाना, जिला नागौर के आबादी क्षेत्र में जबरन काश्त करने व राजस्व अधिकारियों द्वारा काश्त करवाने में मदद करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक रास्ते, जो एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जाते हैं, पर नाजायज कब्जा करने की प्रवृत्ति से लोगों को रोकने व सेटलमेंट के अनुसार रास्ते यथावत रखने में राजस्व अधिकारियों की असफलता पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील मुख्यालयों पर टेलीफोन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कालू केकीन बन (जोड़) की दुर्दशा व जिला वन अधिकारियों की लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

267. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313–वन के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

रुपया कम कर दिया जाय [कालू केकीन वन (जोड़) में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नाजायज धन प्राप्ति कर आस-पास के ग्रामीणों के मवेशियों को नाजायज चरवाने व पैसा वसूल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये] ।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) :

268. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में भू व जल संरक्षण के लिये वाटर शेड्स का सर्वे व विकास करने की दिशा में कोई कदम राज्य द्वारा न उठाने से जनता में भारी असंतोष है पर चर्चा के लिये) ।

269. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 307-भूमि और जल संरक्षण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में भू-संरक्षण की दिशा में कोई कार्य न होने से और वहां के गत कार्यों को अधूरा छोड़ने से जनता में भारी असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) :

270. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (चूरू जिले के व अन्य रेगिस्तानी जिलों में वन विकास की कमी पर चर्चा के लिये) ।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) :

271. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में फोरेस्ट धन की अनावश्यक रूप से कटाई वनों की कमी के कारण एवं वन्य प्राणी का कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) :

272. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में वनों के विकास करने और नये पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) :

273. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में वनों को नाजायज काट कर खत्म किया जा रहा है, इस विषय में चर्चा के लिये) ।

श्री जेठमल आर्य (रेवदर):

274. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही जिले की रेवदर तहसील में मूलिया खेड़ा में सरकारी रकम का अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग व गबन किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

275. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबूरोड़ जंगल कामदार सहकारी समिति द्वारा बकाया रकम का डी० एफ० ओ० सिरोही द्वारा एडजेस्टमेंट पर चर्चा के लिये) ।

276. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (सिरोही जिले के

(श्री जेठमल आर्य)

मूलिया खेड़ा में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 5 व 6 मार्च, 1976 को की गई मार-पीट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी) :

277. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृक्षों की अनियमित कटाई को रोकने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीत सिंह : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

मांग संख्या 8 एवं 9 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह संधु।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू की डिमाण्ड के सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार सीलिंग के मामले में बिलकुल असफल रही है और मैं देखता हूं कि गंगानगर जिले में सैंकड़ों ही केसेज हैं जो सैटल कर दिये गये हैं मगर उन्होंने आज तक भूमि छुपाई हुई है। किसी ने झूठे एग्रीमेन्ट बना लिये और यह साबित करने की कोशिश की कि वह भूमि इस कानून से पहले उन्होंने किसी दूसरे को बेच दी है और सरकार ने बिलकुल यह कोशिश नहीं की कि इसकी जानकारी प्राप्त करे कि कौन सी तारीख को बिकी, मौके पर उन लोगों का कब्जा है भी या नहीं और यह इकरारनामा कहां लिखा गया, आया कोई बोगस इकरारनामा है, कहां से स्टाम्प खरीदा गया इसकी जानकारी आज तक प्राप्त करने की कोशिश नहीं की गयी और उसका नतीजा क्या है कि बहुत से लोग जिनके केसेज री-ओपिन हुए हैं वह रेवेन्यू बोर्ड तक पहुंच गये हैं और रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर भी पेशकार से सांठगांठ कर लेते हैं और वहां भी यह कोशिश नहीं होती कि एग्रीमेन्ट के बारे में पता किया जाये कि वह स्टाम्प कौन सी तारीख को कहां से खरीदा गया और किस के द्वारा वह लिखा गया और किस रजिस्टर में उसकी एन्ट्री है। तो मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि सीलिंग के मामले के संबंध में हम बहुत दफा पहले कह चुके हैं और बारबार मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं थोड़े में कहना चाहता हूं कि मुझे एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि सिर्फ गंगानगर में 4 केसेज री-ओपिन हुए हैं। जहां हम रोज लिखते हैं कि लोगों ने इतनी भूमि छुपा रखी है और मेरा ख्याल है कि जितने केसेज मैंने लिखकर दिये शायद उधर बैठने वाले किसी भी व्यक्ति ने लिखकर नहीं दिये होंगे और इसके बावजूद भी यह बताना कि 4 केसेज री-ओपिन हुए हैं और यह लिखकर दिया आज 3 दिन पहले तो मुझे बड़ी हैरानी हुई मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार को सीलिंग के मामले में अच्छी तरह से छान-बीन करनी चाहिए और कहीं फेमिली ज्यादा लिखी हुई हैं उनकी भी जांच करनी चाहिए।

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

अभी थोड़े दिन की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर में किसी एक व्यक्ति ने एक दरख्वास्त दे दी, चिट्ठी भेज दी कलेक्टर को कि फलां व्यक्ति का परिवार कम है और ज्यादा लिखाया हुआ है। वह भागा भागा उस व्यक्ति के पास आया और कहने लगा कि तुम एफिडेविट दे दो कि मेरी यह दरख्वास्त नहीं है। मैं कहता हूं कि जब उनके इल्म में यह बात आ गयी तो इस एफीडेविट की जांच होनी चाहिए थी। तो मैं इसी तरह से कहूंगा कि सीलिंग के मामले को अगर मैं दोहराऊं तो बहुत लम्बा किस्सा है और शायद मेरे बाद श्री हांडा जी उसको दोहरायेंगे। मैं एक ही मिसाल अभी आपके सामने रखना चाहता हूं। सरदार नारायण बहादुर के पास 150 मुरब्बा जमीन है और उस 150 मुरब्बा में बंटवारा किया हुआ है लेकिन बटवारे के बाद भी उसके पास जमीन ज्यादा है। उसकी जमीन आज तक किसी ने नहीं छीनी और $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का सौदा भी हो गया। तो यह हालत है गंगानगर में सीलिंग की। तो मैं अर्ज करूंगा कि सीलिंग के मामले को री-ओपिन करते समय जो अब तक फेमिलीज दिखाई गई हैं उनको ध्यान में रखा जाये, उनकी जांच की जाये और जो पुराने इकरारनामे बताये गये हैं उनकी जांच होना बहुत जरूरी है। मैं सीलिंग के मामले में इतना ही कहते हुए दूसरे मामले को लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भूमि का इल्लीगल अलाटमेन्ट बहुत हुआ है। मैं राजस्थान कैनाल की बात नहीं कहूंगा। राजस्थान कैनाल के बारे में लोग बहुत कुछ कह चुके और यह भी बताया जाता है कि कुछ वहां भी हुआ है लेकिन मैं गंग कैनाल की सबसे पहले बात कहना चाहता हूं। ऐसी मिसालें हमने कलेक्टर को पेश कीं कि मौके पर कोई उस नाम का अलाटी नहीं है और कोई और आदमी ही काश्त कर रहा है और जांच में ऐसा पाया भी गया आज से दो साल पहले लेकिन आज तक सरकार ने उस जमीन को अपने कब्जे में नहीं लिया। उदाहरण के तौर पर मेरी तहसील में 15 ई. ए. गांव है वहां हेमराज नाम का रिटायर्ड पटवारी है। वह वहां पर जमीन काश्त कर रहा है और उसके नाम पर अलाटमेन्ट नहीं है, किसी तीसरे के नाम पर अलाटमेंट है और उसके साथ लगा हुआ गांव खेड़ी है। उसी पटवारी हेमराज ने परिवर्तन करके लड़की के नाम अलाट करवा ली और उसकी लड़की दूसरे गांव में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सैकड़ों और हजारों केसेज गंग कैनाल में आपको मिलेंगे और राजस्थान कैनाल में भी मिलेंगे। उनको कोई टच नहीं करता और उल्टे क्या हो रहा है कि करनपुर का एस.डी.एम. उनको खातेदारी दे देता है। मेरे सामने एक मिसाल है कि 38 जी.जी. में एक हरिजन अर्जुन की जमीन थी उसने दो जगह जमीन अलाट करवाई। उसके लिए शिकायत की तो 4/14 के अन्तर्गत वह कैंसिल भी दोनों स्थानों से होनी चाहिए लेकिन वह भूमि जिस आदमी ने खरीदी थी उसको खातेदारी दी जा रही है और जब प्रश्न के रूप में पूछते हैं तो कहते हैं कि आज तक किसी को कोई खातेदारी नहीं दी गयी। इतने गलत उत्तर मिलते हैं हमारे प्रश्नों के। मुझे बताया गया है कि करणपुर के हरिजनों को जमीन वापिस दिलाने का एक

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

केस भी नहीं आया। जब मैं इस बात का सवाल उठाता हूं तो मुझे कहा जाता है राज्य सरकार की तरफ से कि हमने सैकड़ों बीघा हरिजनों की जमीन वापिस दिला दी है और करणपुर के सब डिवीजनल क्षेत्र में पदमपुर और करणपुर हैं जिनमें एक केस न आये तो यह साफ करता है कि जब नहीं आए तो सरकार इस मामले की ओर ध्यान नहीं दे रही है या उनके कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और बार बार कहने पर भी सरकार उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। गंगानगर जिले में 2–डी डी गांव है पदमपुर से 2–डी डी गांव करीब एक मील के फासले पर है, वहां का एक हरिजन था जो पंजाब में रहता है। वह मर चुका है। उसकी जमीन पर एक व्यक्ति का कब्जा है और वह दस बारह साल से है और तहसीलदार की नोलेज में है फिर भी आज तक कब्जा नहीं लिया गया है। ऐसी हालत वहां पर है। यह तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपका ध्यान दिलाया है। सरकार गंगानगर में और खासकर मेरे क्षेत्र में हरिजनों को एक बीघा जमीन वापिस नहीं करा सकी है न ही नाजायज भूमि को कैंसिल करवा सकी है और न ही सीलिंग के मामलों में कोई इफेक्टेड कार्यवाही हो पाई है। वहां पर सैकड़ों आदमी ऐसे हैं कि जिन्होंने सीलिंग करवाने के बाद सर्टीफिकेट लेने के बाद सैकड़ों बीघा जमीन छुपाई हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, अब यह कह कर मैं आगे चलूंगा। मैं कहूंगा कि सरकार ने जो भूमि की कीमत बढ़ाई है, उसके लिए फिर अर्ज कर देना चाहता हूं। सरकार ने यह नीति अपनाए रखी तो नतीजा जल्दी आने वाला है कि वह जमीन जो है वह कोई नहीं खरीदेगा। वह कोई खरीदने वाला नहीं है। सरकार चाहती थी कि हम जमीन को नीलाम करेंगे। उस क्षेत्र में लोगों ने इसका विरोध किया और सरकार को मनवा दिया कि नीलामी नहीं होगी। नीलामी को बार बार कैंसिल किया गया। सरकार ने बराबर कोशिश की कि नीलामी हो। पिछले वर्ष भी कोशिश की गई लेकिन नीलामी नहीं हो सकी। तो फिर सरकार ने कहा कि जो बची हुई जमीन है उसकी नीलामी करेंगे लेकिन वह भी नहीं हो सकी। अब यह कह दिया कि दस हजार की आबादी के जो नगर होंगे उसके आठ मील के दायरे में कोई भी जमीन सरकारी होगी, वह नीलामी के द्वारा दी जायेगी। उसका मतलब है कि 1/3 एरिया चाहे राजस्थान कैनाल का हो या गंग कैनाल का हो वह उससे कवर हो जावेगी। वह सीधी बोली में आ जाती है। बाकी बची हुई जमीन जो पौने तैंतीस हजार के आसपास होगी, वह कोई दे नहीं सकेगा। कोई छोटा टुकड़ा होगा, या कीमती कोई टुकड़ा होगा तो उसको भले ही कोई ले ले लेकिन आज राजस्थान में भूमि बची है वह अच्छी जमीन नहीं है और उसका कोई इतना रुपया दे नहीं पायेगा और भूमिहीन को जमीन नहीं दे सकेंगे। यह मैं अर्ज करूंगा।

अलाटमेंट के सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर के क्षेत्र में जो अलाटमेंट की जाती है वह पक्षपातपूर्ण है। वह पक्षपात से की जाती है। मेरे सामने एक आदमी मिला। मुझे उसने कहा कि एक मुरब्बा अलाट करा रहा हूं और 22 हजार दे रहा हूं एक मुरब्बा अलाट कराने

Page No 73

(73)

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

का। पूछा क्यों, कि वह मुझे मिल जाय। लाटरी पड़े या न पड़े, मुरब्बा मुझे वही मिलेगा। 22 हजार कोई ज्यादा नहीं है मेरे को मौके पर वही मुरब्बा मिलेगा जो कीमती मुरब्बा है। मुझे क्या महंगा है 22 हजार रुपये में। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अलाटमेंट सही ढंग से नहीं हो रहे हैं और इसी तरह से कुछ लोगों को यह कह कर कि आप पंजाबी हो या सिक्ख हो, इसलिए आपको अलाटमेंट नहीं की जा सकती है चाहे कोई भी सबूत हों। ऐसे कैसेज मैं सदन के सामने लाया हूं जिसमें यह लिखा गया है कि इसकी जाति पंजाबी है, यह पंजाबी बोलता है, हिन्दी बोलना जानता नहीं है। इसलिए इसके पास सबूत काफी है, बाकायदा जो सबूत है वह सबूत गलत है और यह जमीन पाने का हकदार नहीं है। मिशालें तो मैंने इस तरह की बहुत दी हैं। एक मिसाल अभी दूं कि रणजीतसिंह नाम का एक व्यक्ति है उसको चक 11 बी.डी.एस. तहसील अनूपगढ़ में भूमि मिली हुई है और वह व्यक्ति जो है 1947 में एज ए रिफ्यूजी राजस्थान में आया था। उसके पास रिफ्यूजी कार्ड है। उसके पास गिरदावरी है और 1970 में उसे एन्टाइटल्ड मान कर रावतसर में भूमि मिलने वाली थी मगर भूमि की कमी के कारण मिली नहीं। बाद में अनूपगढ़ में भूमि आरजी काश्त के रूप में मिली है। अब यह कह कर कि यह पंजाबी है और पंजाबी मालूम होता है, सबूत पेश किए गए हैं फिर भी जमीन खारिज कर दी। रेवेन्यू बोर्ड में मामले चलते रहें, रेवेन्यू बोर्ड से स्टे आर्डर नहीं मिले और उनकी जमीन अलाट कर दी जाती है। तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस पक्षपात को भी समाप्त करें। इस तरह की नीति धारण कर रखी है उसमें सुधार लाना चाहिये। तो मैं थोड़े में एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी अभी जनवरी के महीने में जब 20 जनवरी को चूंकि दरख्वास्तों की, राजस्थान केनाल की दरख्वास्तों की मौके पर जांच हो रही थी, मेरे पास ही दूदासर गांव में वहां पर जांच के समय वकील लोग जाते हैं। वह वकील इसलिए जाते हैं कि हम आपका काम करवा देंगे। एक वकील भी आया हुआ था और उस वकील का नाम था केसरदास। उस वकील को किसी ने गोली मार दी। मैं इस मामले में पड़ना नहीं चाहता। वह अलग केस था लेकिन उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यह था कि उस वकील ने 22 हजार रुपये लिए थे इसलिए कि सीलिंग का केस ठीक करवा देगा। मैंने सरकार को लिखा भी है कि आप इस ओर विचार कीजिये। ऐसे कई केसेज हैं गंगानगर में, 22 हजार, 30 हजार, 35 हजार में होते हैं। मैंने एक दिन पहले भी मिसाल दी थी कि हमारे एस० डी० एम० साहब एक जगह गए और सारे गांव में चक्कर लगाया। वहां पर एक सरदार था जिसके पास 7 मुरब्बा जमीन है। उसको कहा कि फलाने फलाने, तुमने अभी तक कोई सीलिंग क्यों नहीं कराई। उसने कहा कि वह तो हो जायगी। आपकी मेहरबानी होगी तो सीलिंग भी हो जायगी। अच्छा तो तुम पंचायत घर में आना। वह पंचायत घर में गया और सौदा हो गया। सरदार के एक लड़का और एक खुद था। एक लड़का था उसकी जगह पर तो दो दो लड़के बन गए, तीन लड़के और चौथा आप बन गया और सात मुरब्बा जमीन का सीलिंग हो गया। यह मिसाल

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

है। गंगानगर में ऐसे कई घर हैं जिनमें लड़का एक है और आज उसके तीन लिखे हुए हैं। और भी मिसालें आपको मिलेंगी। मेरा क्वेश्चन भी है। हनुमानगढ़ में कुछ लोगों ने अपनी सीलिंग की जमीनें ऐसे लोगों के नाम पर करवा रखी हैं जिन नामों के कोई आदमी नहीं है और एक पटवारी ने शिकायत का और उस पटवारी को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि तूने ऐसी शिकायत क्यों की पिछले नौ महीने से वह सस्पेंडे है। पटवारी ने माफी मांगी है कि आयन्दा ऐसी कार्यवाही नहीं करूंगा, आप मुझे बख्श दो। अब उसे रीइंस्टेट करने का सोचा जा रहा है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि राजस्थान केनाल में अभी तक राइट आफ ओनरशिप नहीं दिये गए हैं। जहां दूसरे स्थानों पर राइट आफ ओनरशिप वहां हमारे ऐसे इलाके में कोई राइट आफ ओनरशिप नहीं है। जहां पर पुराने खातेदार जो हैं उनको अपनी भूमि बेचने का अधिकार नहीं है और अगर वह बेचें तो उनका इन्तकाल नहीं होता। तो हमें तो बड़ी हैरानी होती है और लोग भी हैरान होते हैं। खातेदारी उसके पास है और उसको ट्रांसफर की पावर्स नहीं हैं जब कि राजस्थान के दूसरे सभी क्षेत्रों के लोगों को ट्रांसफर पावर्स हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे ट्रांसफर पर पावर दिलायी जावें। जब दूसरे इलाकों में हैं तो कोलोनाईजेशन एरिया में भी मिलनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो मण्डी समितियां बनी हुई हैं। मैं एक मिसाल अर्ज करूंगा कि सादुलशहर की हर मण्डी के एरिया में एक रिकार्ड बनाया जाता है और वह पटवारी के द्वारा बनता है और उसकी दो कापियां बनती हैं। एक रेवेन्यू रिकार्ड आफिस में होती है और एक होती है उस जगह पर जो मण्डी है, उसके अन्दर होती है। वह एक ही हाथ की होती है, दो हाथ की नहीं होती एक ही आदमी बनाता है। बहुत सी भाखड़ा क्षेत्र की मण्डियों में ऐसा रिकार्ड वापिस करने का पड़ा हुआ था, वह फट गया है। जब मालूम हुआ कि फटा हुआ है, उसके स्थान पर दूसरा रिकार्ड बनाया गया और वहां के लोकल अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों और दूसरे लोगों के नाम पर रिकार्ड तैयार कर दिया और इस तरह लाखों रुपयों की जमीन पर काबिज हो गये। सादुलशहर का जो असली रिकार्ड है वह भी आपके पास है। यह सादुलशहर की मिशाल है। जो रिकार्ड बना हुआ है उसको फील्ड बुक कहते हैं। वह फर्जी है और जो असली पड़ा हुआ है, उससे मिलाकर देखें उसमें जो फटे हुए पेपर हैं और उनके स्थान पर जिन आदमियों के नाम लिखे हुए हैं, ये वे लोग हैं जो वहां पर कर्मचारी रहे हुए हैं। बहुत सी सरकारी भूमि जिससे आप लाखों रुपये कमा सकते हैं, उस जमीन पर नाजायज कब्जा है और ऐसा कई मण्डी समितियों के अन्दर है जैसे सादुलशहर का है। यह बताया जाता है कि सागरिया और हनुमानगढ़ के भी ऐसे कैसेज हैं। परन्तु इनके लिए मैं डेफीनेट नहीं कह सकता हूं लेकिन सादुलशहर के लिए तो मैं डेफीनेट हूं और डेफीनेट ही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : समाप्त कर रहा हूं।

(12.21 म०प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

मैं यह अर्ज कर रहा हूं जहां तक फ्रीडम फाइटर्स का क्वेश्चन है, फ्रीडम फाइटर्स को राजस्थान में कुछ लोगों को जमीन दी है और बाकी को देने से इन्कार कर दिया है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि फ्रीडम फाइटर्स को कुछ रियायत मिलनी चाहिये, उनको जमीन मिलनी चाहिये, उनको मेडिशन की सहूलियत मिलनी चाहिये और जिनके केस अभी तक, आज तक तय नहीं हुए हैं, उनके केस जल्दी से जल्दी तय किये जाने चाहिए।

एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। रेवेन्यू में ऐसे ट्रान्सफर हुए हैं। मेरे सामने एक केस आया है। डीग तहसील में एक गांव है पहाड़ीताव, इसकी सरकारी भूमि से तबादला दूसरी भूमि पर किया गया। आज किसी को क्राप्स के लिए गवर्नमेन्ट ने ठेके पर दे रखा है और उस पर गवर्नमेन्ट ने स्टे आर्डर ले रखा है कि वह ट्रान्सफर नहीं करे। वह अच्छी जमीन थी, बढ़िया जमीन थी, उस सरकारी जमीन से तहसीलदार से सांठगांठ कर के दिनांक 9-9-75 को ट्रान्सफर कर दिया। खाता नम्बर 7 है। और खाता नम्बर 1,2,4,6 और जिसमें 30 बीघा जमीन है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं अर्ज करना चाहता हूं।

अब मैं कुछ मन्दिरों की जमीनों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मन्दिरों की जमीन के बारे में मेरा यह कहना है, कोटा के अन्दर बहुत सी जमीन पर जो मन्दिरों की है, उन मन्दिरों की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। ऐसी जमीन पर कुछ लोगों पहले काश्त किया करते थे, वे मर गये और उनके नाम का मुख्तयार नामा लेकर उन लोगों ने इन जमीनों को बेच भी दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार को कुछ प्रबन्ध करना चाहिये, सोचना चाहिये। एक मन्दिर की बात मैं कहना चाहता हूं, वह शीतला माता का मन्दिर है आमेर के अन्दर। इसकी 10,800 की आमदनी, जागीर है। उसका महन्त जिन्दा है और एक हरिहरनाम का महाराजा का आदमी है, वह उसकी जमीन को खा रहा है 1950 से। वह उसका हकदार नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे मामलों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और सरकार को चाहिये कि ऐसे जो लोग हैं, जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं और मन्दिर को उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन असेम्बली में आ चुका है, तो इन गलत आदमियों के हाथ में जो यह जमीन और इनकम जा रही है वह रोकी जानी चाहिये।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जो गुरुद्वारे हैं, उनके लिए भी एक सिख बोर्ड बनना चाहिये। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कोई ऐसा बोर्ड बनाये जिससे हमारे धर्म स्थानों में जो करप्शन हो रहा है और जो हालत वहां पर धींगामस्ती की हो रही है, उसको रोकने के लिए जल्दी से जल्दी एक्ट बनाये, बनना चाहिये जिससे सिख गुरुद्वारों का कन्ट्रोल हो सके।

यही शब्द कहता हुआ मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि जमीन के मामलों में आपको चाहिये कि आप ध्यान दें और जल्दी से जल्दी सीलिंग के मामले, गलत अलाटमेन्ट के मामले, नाजायज कब्जे के

Page No 76

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

मामले और हरिजनों को जमीन दिलाने के मामले जो हैं, उनके बारे में आप खास ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री सभापति : श्री गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : सभापति महोदय, राजस्व की मांगों के सम्बन्ध में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। राजस्व के मामलों से मैं अधिक सम्बन्ध तो नहीं रखता परन्तु नगर की सीमाएं बढ़ती जाती हैं और अधिक से अधिक भूमि शहर के लिए नगर परिषद के क्षेत्र में सम्मिलित की जाती हैं। सन् 1963 में जोधपुर नगर परिषद् की सीमा में 16 गांव सम्मिलित किये गये थे और इन विलेजेज का आज भी रेवेन्यू रिकार्ड मेन्टेन किया जाता है। ये गांव हैं—मण्डोर, चोपासनी, बासनी, डिगाई इत्यादि इत्यादि। सभापति महोदय, इन गावों में पिछले 25/30 वर्षों से लगभग दस हजार किसान खेती करते आ रहे हैं और उनके गैर खातेदारी हक भी हैं परन्तु चूंकि ये गांव नगर परिषद की सीमा में आ गये हैं इसलिए उनको बेदखल किया जा रहा है जुर्माना किया जा रहा है और उनके राइट्स को मन्जूर नहीं किया जा रहा है। सभापति महोदय, यह बहुत ही अमानुषिक कार्य है कि उनको बेदखल किया जाये, उनको उनके राइट्स नहीं दिये जायें। इन गांवों में रहने वाले लोगों ने हजारों मकान वहां पर बना लिये हैं। ये मकान आबादी भूमि पर नहीं हैं परन्तु ये मकान सौ सौ साल पुराने मकान हैं और जिनमें काफी लोग रहते हैं और उनको वहां से निकाल दिया जाये, यह ऐसी समस्या है, सभापति महोदय, मेरे विचार से बहुत ही शहरों में हैं जहां पर कि कृषि भूमि पर मकान बने हुए हैं, रिहायशी मकान बने हुए हैं, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिये अन्यथा क्या उनको बेदखल कर दिया जाये या उस भूमि को परिवर्तन किया जाकर इनको नियमित किया जाये, इसके बारे में शीघ्र ही विचार किया जाना चाहिये। शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है और उसके साथ ही साथ भूमि पर दबाव भी बढ़ रहा है। इसलिए इनको रेगुलराइज किया जाये और कनवर्शन के जो भी चार्जेज हों वे लिये जायें। अगर शीघ्र ही ऐसा नहीं किया गया तो यह जो प्रवाह चल रहा है उसमें उनको बेदखल किया जा रहा है और ये गरीब लोग बेघरबार हो जाएंगे।

सभापति महोदय, एक समस्या छोटी सी है। प्रश्न के रूप में भी यहां पर उठा चुका हूं। यह एक गोशाला को बन्जर भूमि देने के विषय में है। पांच साल पहले जिलाधीश महोदय ने यद्यपि उस भूमि का आवंटन किया था परन्तु जिलाधीश महोदय के उस भूमि के आवंटन को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है यह कह कर कि यह भूमि राजस्व विभाग की नहीं है और यह वन विभाग की है। यह केस जिलाधीश और राज्य सरकार के बीच में पिछले तीन, चार साल से चल रहा है। सभापति महोदय, तीन चार

(श्री अमृतलाल गहलोत)

साल से जमीन का यह मामला अभी तक सुलझाया नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक बंजर भूमि गोशाला को, एक संस्था को दी गई और उसको भी राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया जब कि वन विभाग और राजस्व विभाग, दोनों ही आपके पास में हैं, दो मुल्लाओं के बीच में मुर्गी हलाल हो रही है, उसको बचावें मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय शीघ्रातिशीघ्र इसका निर्णय देंगे। एक प्रस्ताव मेरा वन विभाग के सम्बन्ध में है, वहां के जू के सम्बन्ध में, जन्तुपालन के संबंध में है। सभापति महोदय, राजाओं का राज्य था। वह निरंकुश थे। उनके पास साधन नहीं थे। वह जनता की चीजों का दुरुपयोग अपने लिये करते थे। परन्तु अपने यहां के जन्तुआलय, जू के बारे में स्थिति आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बात कह सकता हूं कि उस जमाने में जो वहां पर पशु-पक्षी थे वह आज वीरान हो गये हैं। मेरे ख्याल से, सभापति महोदय, राजस्व मंत्रीजी ने अपने जीवन के चार अमूल्य वर्ष सन् 1944 से 1948 तक उस जन्तुआलय में दो-दो, तीन-तीन घण्टा घूम कर बिताये हैं, और जितनी पक्की बात उनको मालूम होगी उतनी वहां की परिस्थिति मुझे मालूम नहीं है। उस वक्त आप पास ही होस्टल में रहते थे और आप रोज वहां पर दो-दो तीन-तीन घण्टे घूमने जाते थे। जोधपुर नगर के किले से जब 12 की तोप चलती थी तो शेर की दहाड़ और पक्षियों की चहचहाहट की आज भी आपको याद आती होगी।

सभापति महोदय, वहां पर ऐसे जानवर थे कि वह जानवर आज विलुप्त हो चुके हैं। शेर मर चुके हैं। वहां पर जेबरा था और वहां पर जेबरा का ब्रीडिंग होकर सारे राजस्थान के जूज को जेबरा सप्लाई होता था आज एक भी नहीं है। वहां पर कंगारू थे। यह सब स्टेट के टाइम की बात कर रहा हूं, तो कंगारू की भी स्पेसी नहीं है। वहां पर एमू थी जो कि एक बहुत बड़ी बर्ड होती है। वहां पर शुतुरमुर्ग यानी आस्ट्रिच था वह भी नहीं है। एक नर एमू है। कई तरह के पशु-पक्षी थे उस गरीब देशी रियासत के जमाने में जब कि उनके पास इतने साधन नहीं थे ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सभापति महोदय, चिड़ियाघर से जो मोह मुझको है उतना ही आपको भी है।

श्री अमृतलाल गहलोत : मुझ से भी ज्यादा माननीय मन्त्री महोदय को है। वह चार साल तक वहां पर दो-दो घन्टा घूम चुके हैं। वहां पर कई स्पेसीज थी जानवरों की आज सारा जन्तुआलय वीरान हो चुका है। उसकी देख-रेख नहीं की गई। दो वर्ष पहले मैने इस बारे में प्रश्न किया था कि कृपापूर्वक जो दो शेर के बच्चे हैं उनकी देखभाल की जाय। उनमें से एक बच्चा मर गया और अकेला एक रह गया तो अकेले से ब्रीडिंग नहीं हो सकती है। न शेर का मामला विशेष रहा है, न चीता है, न टाईगर और न लेपार्ड। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसकी एजूकेटिव वेल्यू भी है। वह सारे जन्तु, पशु और पक्षी रामनिवास बाग में आ जायं और दूसरे जन्तुआलय वीरान हो जायं तो आप राजस्थान के दूसरे स्थानों की जनता के साथ में न्याय नहीं करेंगे। जैसा कि आपने अपने विद्यार्थी जीवन में देखा कम से कम उस लेवल तक आप अपने समय में

(श्री अमृतलाल गहलोत)

ले आयें तो मैं समझता हूं कि आपने न्याय किया है। यदि उससे ज्यादा अच्छा आप बना सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आज के विकास के युग में जहां करोड़ों रुपया कई मदों में उपलब्ध है उसका आपने सदुपयोग किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप अपने 1944-48 के जीवन को याद कीजिये और उस जन्तुआलय को याद कीजिये और यत्न कीजिये कि आप फिर से उसको वैसा कैसे कर सकते हैं।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं राजस्व की मांग से पूर्व मांग संख्या 9 वन के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं और फिर राजस्व के बारे में निवेदन करूंगा।

वनों की जो स्थिति है और इनके बारे में जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है उसमें सरकार ने संरक्षण के बारे में बहुत कुछ बताया है। उससे अच्छी आमदनी बताई है उसके साथ तेंदू पत्तों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व जो उनका दुरुपयोग होता था और लोग बड़ी बेरहमी से उनको तोड़ते थे उसका संरक्षण हुआ है और उससे आमदनी बढ़ाने का एक तरीका पैदा हुआ है। वह सराहनीय है। वह रिपोर्ट अपने आप में एक अच्छी चीज है। परन्तु हमें यह मानकर चलना चाहिये कि जो वन पहले सुरक्षित थे स्टेट के टाइम में और राजस्थान का एकीकरण होने के बाद में जो उन वनों का महकमा बना और जो वहां पर वन के महकमे में ऐसे लोग ऑफिसर बन कर बैठ गये"

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री औंकारलाल चौहान : सरदार साहब चलने दें, नहीं है कोरम तो भी।

(गणपूरक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री दीपंकर : तो उन वनों के बारे में मैं यह निवेदन करने जा रहा था, सभापति महोदय, कि बड़ी बेरहमी से उन्हें काटा गया और वह काटे जा रहे हैं, और उन वनों की लकड़ियां आमदनी के लिए सरकार नीलामी के आधार पर ठेकेदारों को देती है, और ठेकेदार लोग अपने ठेके के अलावा भी जंगल काट लेते हैं। यह इस सदन के अन्दर प्रश्न आये हैं और लाखों रुपयों के दरख्त कट गये उनकी वजह से। जो राष्ट्रीय पशु या पक्षी हैं उनकी नस्ल को हम यहां पर रखना चाहते हैं, उनके राष्ट्रीय स्वरूप को बनाये रखने के लिए जैसा कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया था चिड़ियाघर के बारे में तो कई तरह के ऐसे जानवर हैं जिनको वनों के द्वारा ही संरक्षण दिया जा सकता है। उनके लिए बहुत काफी दुविधापूर्ण स्थिति बन जायेगी। ठेकेदार लोग मनमाने तरीके से लकड़ी काटते हैं, बल्कि मैं यह निवेदन करूंगा कि आपकी सरकार के आदेशों की परिपालना कहीं नहीं हो रही है। हरे वृक्ष नहीं काटे जायं परन्तु किसी भी छोटे से छोटे शहर के या किसी भी बड़े से बड़े शहर के अनकरीब रास्ते पर खड़े होकर देखा जा सकता है कि जो छकड़े आ रहे हैं उनमें लकड़ी काटने वाले हैं चाहे वह किसी काम के हों। इसमें शक नहीं है कि

(श्री दीपंकर)

बहुत से लोगों की रोटी का जरिया ही लकड़ी काटना और बेचना है। वह लिये हुए चले आ रहे हैं, और बड़े बड़े शहरों के अन्दर ठेकेदार लकड़ी के टाल रखते हैं वह 12 महीने लकड़ी इकट्ठी करते हैं, वह लोग उनसे लकड़ी कटवाकर मंगवाते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए, यह तहसील स्तर पर ही नहीं राजस्थान-व्यापी सवाल है, आपको चेष्टा करनी चाहिए। क्या गांव के पटवारी जो उस गांव में रहता है, की नजर में यह नहीं आता है कि हरे वृक्ष को काटकर लकड़ी गांव से रवाना हो रही है? क्या किसी तहसीलदार की जानकारी के परे की बात है कि उसकी तहसील के मुख्यालय में जलाने के लिए आने वाली लकड़ी कहां से आ रही है? इस तरह से बेरहमी से वनों के काटने वाले ठेकेदारों को, अपने राष्ट्रीय स्वरूप को बिगाड़ने के लिए जो कुछ लोगों को नाजायज सुविधा है उसको रोका जाना चाहिए। उनके संरक्षण के लिए खास तौर से उपाय काम में लेने चाहिए। रेवेन्यू एजेन्सी में पटवारी के ऊपर भी इस बात की जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि वह इस बात की निगरानी रखे। बड़े जंगल तक ही यह बात न रहे। आम तौर से आपके रेन्जर्स क्या करते हैं? आप कोयले का धन्धा करते हैं वह काम करके पूर्ति करते हैं समाज की आवश्यकता की और हमारे लिए आमदनी भी करते हैं, लेकिन आप वृक्षों को कटवाने की कोशिश करते हैं यह ठीक नहीं है। आप जो हरे वृक्ष काटते हैं तो आप अपनी योजना के आधार पर काटते हैं, परन्तु स्वार्थी ठेकेदार लोग या वह लोग जो चोरी से लकड़ी काटने का धन्धा करके अपना जीवन चलाते हैं उन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए यह जरूरी है कि वनों का संरक्षण हो और जैसे हिरन हैं, शेर हैं या और कई तरह के पशु-पक्षी हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर है उनको जीवन-दान देना चाहते हैं तो उनके लिए दरख्तों की आवश्यकता रहेगी। बहुत से जानवर और पखेरू ऐसे हैं जो कि दरख्तों पर बसेरा करते हैं, जो कि उनका एक तरह से घर है। इसी कारण से हमारे राष्ट्रीय युवक नेता संजय गांधी इस प्रकार का नारा लगाते हैं कि दरख्त लगाये जायं। तो ऊपर के स्तर पर भी इस मामले में चिन्तन हो रहा है कि दरख्त काटे गये हैं बड़े पैमाने पर तो उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। इसीलिए वन-महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इसकी संख्या कभी हाउस के सामने नहीं आई है कितने दरख्त किस पंचायत में लगे हैं और कितने दरख्त म्युनिसिपेलिटी में लगाये गये हैं और कितनी दरख्तों की संख्या बढ़ी है या घटी है। इसके आंकड़े नहीं रखे गये हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि माप तौल रखा जाये। यह नहीं रखा जाये कि छुपे तौर पर काटते हैं। पंचायत स्तर पर यह चेष्टा करनी चाहिए। एक गांव से दूसरे गांव तक दरख्त लगाये जाने चाहिए। जिससे एक गांव से दूसरे गांव तक जाने वाला मुसाफिर विश्राम कर सके। और इस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय स्वरूप बिगड़े नहीं।

सभापति महोदय, अब मैं राजस्व के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में जो राजस्व का स्वरूप है, उसका क्या कारण है, उसमें एकीकरण नहीं है। बीघोड़ी समानता के आधार पर नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने अभी तक इस

(श्री दीपंकर)

प्रश्न को नहीं लिया है। किसी जिले में कुछ है, और किसी जिले में कुछ है। सरकार ने शायद यह सोचकर कि कहीं बढ़ जाएगी तो लोग झगड़ा करेंगे, इसलिए वह पुरानी हदबन्दी ही रही है। इस तरह से बीघोड़ी का मामला अटका हुआ है। परन्तु, सभापति महोदय, राजस्थान के स्तर पर इस प्रश्न पर सरकार को चिन्तन करना पड़ेगा। कोटा में क्या है। उदयपुर में क्या है। जो भी आप निर्धारण करना चाहें वह समान दरों पर करें। बीघोड़ी समान दरों पर नहीं होना उचित नहीं है। कोई कम प्राप्त करके अधिक देता है। कोई अधिक प्राप्त करके कम देता है। कई जिले ऐसे हैं जहां दो तीन साल तक अकाल पड़ा करता है। तो सरकार की तरफ से बीघोड़ी मुल्तवी हो जाती है। महरबानी हो जाय तो माफ भी कर देते हैं। 75-76 में अब जो वसूली की जा रही है। नागौर जिले में पांडोरा गांव है वहां पर 15% आपने अकाल के समय की पैनल्टी लगा कर वसूली की है। जब कि सीकर जिले में जहां पहले अकाल था, वहां ऐसे ही वसूली की गई है। यह तो कोई सिद्धांत नहीं हुआ। अगर आपका आदेश था इसलिए बीघोड़ा नहीं ले रहे हैं। पैदावार नहीं हुई है। पैदावार होगी तो वह काश्तकार दे देगा। वसूल करने का सवाल आया तो नागौर जिले में अधिक वर्षा होने के कारण सभापति महोदय, मन्त्री महोदय स्वयं जानते हैं, 30-40 मील तक पानी की झील बन गई है। खेत डूबे हुए हैं। आज भी रेल मार्ग बन्द है। फुलेरा होकर ट्रेन मार्ग से जा नहीं सकते हैं। पानी भरा हुआ है। तो इस साल में कौन सी आमदनी होगी। एक स्थान पर बीघोड़ी रोकी जाती है, दूसरी जगह आप पैनल्टी लगा कर वसूल करें। लोगों ने जेवर बेचे हैं। पहनने ओढ़ने के कपड़े बेचे हैं। मैं समझता हूं कि आप जैसे बुद्धिमान और कुशाग्र व्यक्ति के समय में ऐसे आदेश जारी नहीं हो सकते हैं। जिस किसी जिलाधीश या सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने आदेश दिये हैं तो उसके संबंध में उनकी थोड़ी खिचाई होनी चाहिए। ताकि काश्तकार यह समझे कि उनके साथ सरकार है। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसरों के साथ में घूमे हैं। भय पैदा किया है। सरकार इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि अच्छी उपलब्धि की है। ज्यादा आमदनी की है। ज्यादा वसूली की है। यह बहुत अच्छा किया है। लेकिन यह धन ऐसे लोगों से वसूल किया गया है जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। वह इन्तजार कर रहे हैं कि अकाल के काम खोले जायं। एक तरफ तो बीघोड़ी के नाम से यह किया गया है। इसी तरह से एक चालाकी उनके साथ में हुई है सब चीजें बीघोड़ी के नाम से वसूल कर ला गई। मैं आगाह करता हूं, आप ध्यान दें। एक बात और है, जो आबादी की भूमि है। जिसके बीच में प्लाट हैं। वह एक तरफ रिकार्ड में सिवाय चक है या पड़त है। पहले वहां पर पट्टा सिस्टम था। जोधपुर में पट्टा करने के अधिकारी हैं। पट्टा कर देते हैं। लाडनूं में ठाकुर को पट्टा करने का अधिकार था। जमीन का कन्वर्शन कराना चाहिए था वह नहीं करवाया। लोग पट्टे पर मकान बना कर बैठे हैं। मतालबा भी बनाते हैं। वसूली भी होती है। वसूली ऐसे लोगों से होती है जो ऐसी जगह जाते भी नहीं हैं।

(श्री दीपंकर)

परन्तु पटवारी से कहा जाता है तो जाकर बैठ जायेंगे कि हमारा तोड़ दें। इस तरह से रिकार्ड को ठीक करायें। यह सैटलमेंट में गलती रखी गई है। रेवेन्यू रिकार्डिंग के आधार पर गलती की गई है। इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाना चाहिए। यह बहुत बड़ा मसला है। एक लाडनूं तहसील ही नहीं है, कई जगह हैं। जैसा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य गहलोत साहब ने कहा है, लोगों ने मकान बना लिये हैं तो ऐसी स्थिति है। आगे नामान्तरकरण ऐसी चीज है, जो खरीद फरोख्त हो जाती है और खरीदने वाला व्यक्ति उसकी नकल लेकर पटवारी को दे देता है। आपने यह मसला सरकार की तरफ से सदन में रखा है। इसका मतलब है कि जानकारी में आया है। जो खरीद सकता है उसके सामने कितनी दिक्कत आती है। पटवारी को जब तक पैसा नहीं दिया जाता है, वह पंचायत में पेश नहीं करता है किसी प्रकार से। आप स्वयं काश्तकार है, इसलिए आप मेहरबानी करके पटवारियों का पंचायत से सम्पर्क कराइये। आप उनको भले ही पंचायत में सेक्रेटरी बना दें। पंचायत का कोई भी काम दे दें। अगर नामान्तरकरण करायें तो वह तहसीलदार और पटवारी के पास पेंडिंग पड़ा रहे। सरपंच मांगता है तो नहीं दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी बेजा बात है और खरीददार जो आदमी होता है वह सही मायने में उसका मालिक नहीं होता, और वर्षों तक के कई केसेज ऐसे पड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप इस ओर ध्यान दिलायेंगे तो लोग बागों का जो झगड़े में पैसा खर्च होता है वह बच जायेगा। वे कहते हैं कि हमने जमीन फलां से खरीद ली है इसलिए हमारी हो गई और यह सारे झगड़े जो होते हैं महज एक नामान्तरकरण की बदौलत। इसलिए नामान्तरकरण के मामलों को आप सरल बनाने की कृपा करें। और इसके लिए भी दिन निश्चित कर दें कि कितने दिनों के बाद में तो नामान्तरकरण निश्चितरूप से हो ही जायगा। जिस प्रकार से आपने सुविधा दी है कि कोर्ट में स्टाम्प नहीं तो वह नकद भी दे सकता है उसी प्रकार से इसमें आप सरल करके इसकी भी सुविधा दीजिये। जिनको इस प्रकार की दिक्कतें हैं उनको आप बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बुलवायें और इस प्रकार का आदेश निकाल दें कि अमुक समय के अन्दर नामान्तरकरण हो जायगा अन्यथा लोग काफी परेशान होंगे।

सभापति महोदय, बहुत सी जगहों पर सैटलमेन्ट सही नहीं है जिन जिलों का सैटलमेन्ट हो चुका है, जिन तहसीलों का सैटलमेन्ट हो चुका है उनमें बहुत सी कमियां रह गई हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं एक कोई भी आबादी वाला गांव ले लीजिये। किसी भी जगह एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिये रास्ता होता है और ऐसे कई रास्ते होते हैं लेकिन सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने एक रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं बताया है। इससे खेतों के अन्दर जो पगडंडियां बनी हुई हैं या एक खेत से दूसरे गांव में जाने का जो रास्ता है उसके लिये झगड़े होते हैं और उसमें हजारों रुपये लग जाते हैं और कचहरियों में किसानों के बीच में मुकदमेंबाजी होती है। इसलिए आप इसका सहीरूप से निर्धारण कर दीजिये कि कौन कौनसे रास्तों को आप सही मानते हैं और जिन लोगों को आपने छूट दी है वह वैध है। कई जगहों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है।

(श्री दीपंकर)

शहरों में आपने तो अवैध कब्जे हटाये हैं, गांवों के अन्दर भी लोगों ने जो अवैध कब्जा किया था उन बाड़ों को हटाया है। आपने जो 19 फीट का रास्ता तय किया है वहां पर तो एक गाड़ी जो घास की भरी हुई है या अनाज की है वह भी पार नहीं हो सकती। सारे गांव वालों के लिये इस बात का निश्चय होना परमावश्यक है इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसकी ओर तवज्जह देने की कृपा कर।

एक बात यह है कि गांव का जो पटवारी होता है वह अलग फैसला देता है, तहसीलदार कुछ फैसला देता है, एस. डी. ओ. कुछ अलग फैसला देता है और जिलाधीश अपना फैसला अलग ही देता है, नतीजा यह होता है कि लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिलती। दूसरी बात पास बुकों की है, जो पास बुकें आपने वितरित की हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि पास बुकों को प्रामाणिक माना जाना चाहिए और उनको भी डाक्यूमेन्टरी प्रूफ की तरह पेश किये जाने का अधिकार होना चाहिए। उन पास बुकों से स्वयं काश्तकार का विश्वास होना चाहिए और उसकी एक हैसियत मालूम होनी चाहिए अन्यथा इससे कोई काम चलने वाला नहीं है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री दीपंकर : एक बात यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपने सभी जगह भूमि आवंटन किया है, मेरे क्षेत्र में भी आवंटन हो रहा है। मेरे क्षेत्र में भी कुछ आफिसर्स लोग आ रहे हैं और लोगों से दरख्वास्तें मंगवाते हैं जमीनों के आवंटन के लिये। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि वे उनसे पैसा मांगते हैं और खुली छूट लगा रखी है, जो पैसा देते हैं उनकी तो दरख्वास्तें ले लेते है और नहीं देते हैं उनको कह देते हैं कि तुम गंगानगर आना, तुम फलां जगह आना। अगर यह पैसा लेने के लिए आपने स्वयं ने कहा है, तब तो ठीक है लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर वे आफिसर्स जो प्राइवेट के बतौर पैसा वसूल कर रहे हैं, इस तरह की जो लूट उन्होंने मचा रखी है उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जोधपुर महाराजा के पास कृषि फार्म बहुत बड़े हैं और वे पुराने टाइम से चले आ रहे हैं किन्तु उनको पुरानी तारीखों में ही बेचान किया जा रहा है। जब कि पुराने स्टाम्प उनके पास पड़े हुए हैं और काश्तकार को एक तरह से धोखा दिया जा रहा है और बहुत से बेचान इस प्रकार से हुए हैं। इस तरह बेचान करने से वे सीलिंग से बच जायेंगे और दूसरी तरफ उनको जमीन का पैसा भी मिल जायगा। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस तरह से जो अवैध बेचान किया जा चुका है और जो अब हो रहा है उस सबको रोकने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय सभापतिजी, काश्त की भूमि से जो सड़क निकाली जाती है तो जिस किसान के खेत में से सड़क निकाली जावे उस किसान को उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि उनको वह मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। फेमिन के अन्दर आपने इतनी सड़कें निकालीं, इतने आपने रास्ते बना लिये लेकिन जब काश्तकार के खेत में से होकर सड़क निकालते हैं तो उसको उसका मुआवजा दिलाया जावे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, काफी समय ले चुके हैं।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, जो नाजायज कब्जे जिस प्रकार से जमीनों पर हो रहे हैं उनको हटाने के लिये आपने कानून तो काफी कड़ा बना दिया है लेकिन कानून को अमल में लाने वाले तो आपके वही आफिसर हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि केवल कानून बना देने से ही काम चलने वाला नहीं है। आप चाहे कितना ही कड़ा कानून बना दें, कानून अपने आप में कुछ नहीं है, कानून के अन्दर और बाहर भी लोग जा सकते हैं, कानून की अवहेलना भी की जाती है और कानून को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जैसे व्यक्ति भी अगर इसको ठीक नहीं कर सकें तो फिर क्या हो सकता है। इसलिए आप उसके अन्दर सुधार करें। बहुत से लोग कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं, आपका विभाग इतना विस्तृत है कि गांव से लेकर पूरे राज्य में फैला हुआ है। आपने तो कानून बना दिया लेकिन उसका पालन कौन करायेगा—आपने तो लिख दिया लेकिन उनको कोई कार्य करने दें तब। जब तक उनका मन नहीं होगा, उसमें बदलाव नहीं आयेगा तब तक यह सम्भव नहीं है। आपकी मन्शा का लाभ गरीब तबके को मिलना चाहिए। यह भू-खण्ड देने का सवाल है, जसवन्तगढ़ के तालाब के पायताने के अन्दर अभी भी पानी चार चार, छः छः फीट भरा पड़ा है। वहां भूमिहीनों को, बेचारे गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए प्लाट दिये। वहां क्या उनको डुबा देने का, उनको जमींदोज करने का इरादा है? यह सबसे बड़ी मुश्किल है। आपकी स्कीम बहुत उत्तम है, यह सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है—इसमें शक नहीं है, पार्टी का आदेश बहुत अच्छा है, गाइड लाइन बहुत अच्छी है, समाज बहुत खुश है, सब जगह प्रशंसा है, लेकिन प्रेक्टिकली सरकारी कर्मचारी, आपके पटवारी से लगा कर ऊपर तक करप्ट हैं। महकमा, जिला प्रशासन, तहसील सब जगह देख लें, परमिट का पैसा, कोई सम्मन निकले उसका पैसा, सम्मन तामील नहीं हो पाये, उसका पैसा, सम्मन पलटाना हो तो उसका पैसा, फैसला हो उसका पैसा। आपका कानून बिकता है, सरेआम दुकान खोल रखी है, पटवारी से ऊपर तक। इसलिए जो कानून बना कर आप भेजते हैं उसको रेवेन्यू विभाग से कार्यान्वित ढंग से करवायें। अन्यथा भूमिहीनों को आवासीय भूखण्ड देने की योजना है, यह खटाई में पड़ी रह जायगी। इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, इसका कुछ दिन बाद खुद अन्दाज करेंगे। आप कानून की बात ज्यादा करते हैं लेकिन गांवों में बिना पढ़े-लिखे हैं, वह कानून नहीं देखते हैं वह प्रेक्टिकली देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन आया है

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री दीपंकर : इतना मेरा निवेदन है कि पटवारी से लगा कर ऊपर तक के कर्मचारियों को सुधारें ताकि हमारा प्रान्त तरक्की करे।

श्री ओंकारलाल चौहान : बिलांद का इन्तजाम करें।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मेरा भू-राजस्व के संबंध में कटौती प्रस्ताव है वह है सैटलमेंट के सम्बन्ध में। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अजमेर जिला केन्द्रीय शासन में था उस वक्त खालसा भूमि का बन्दोबस्त 1941-42 में हुआ। कृषकों के पास देह सामलात भूमि थी वह किसी काश्तकार के नाम नहीं हुई क्योंकि उस वक्त काश्तकार सामलात में हलसरा के आधार पर काश्त कर लेता था और एक रुपया प्रति बीघा सामलात कमेटी को जमा करा देता था।

इसके बाद 1950 में काश्तकारी कानून आया और सभी काश्तकारों को काश्तकारी कानून के तहत हक प्राप्त हो गये। सामलात देह के काश्तकार तीन श्रेणी में आ गये, (1) एक्स प्रोप्राइटरी टिनेन्ट, (2) दाखिल कार काश्तकार, (3) मौरूसी काश्तकार। इस प्रकार इस कानून के तहत इस्तमरारदारी जागीरदारी क्षेत्र के कृषकों को भी यही हकूक मिले।

सभापति महोदय, इस्तमरारदारी का बन्दोबस्त प्रथम 1953 में हुआ। इससे पूर्व किसी गांव के नक्शे या रिकार्ड कतई नहीं बने हुए थे। इसके बाद सभी काश्तकार 1950 के कानून आने से पूर्व तानेमजी काश्तकार थे। सभापति महोदय, 1951–52 के बन्दोबस्त में कृषकों को जो भूमि के पर्चे मिले, वह उन्हीं को पर्चे मिले जिनकी जमीन कुए तालाब आदि से सिंचित होती थी, यहां गौर किया आदि मुस्तकिल काश्त में थी और जितनी काकड़ जमीन थी उसको अपने नाम इसलिए नहीं कराई कि पड़ी जमीन का लगान लग जायेगा। सभापति महोदय, जब भी वर्षा होती तो फसल की काश्त कर बांटा देते थे तथा चारे आदि का बांटा नहीं लगता था। इस भूमि में जिन्स, ज्वार, तिल, दालें आदि वर्षा होने पर फसल होती थी वरना यह पड़त रहती थी। अजमेर जिला ज्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहता है। यदि किसी वर्ष वर्षा नहीं होती थी तो केवल उन्हीं स्थानों पर काश्त होती जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। इस तरह से यह बारानी भूमि कभी कभी (रोटेशन) हेर फेर से काश्त होती थी और हर काश्तकार उसी भूमि को काश्त किया करता था जो उसके पूर्वजों से चली आती थी यही रिवाज सामलात देह भूमि पर था।

1951–52 के साल में कहतसाली होने से बहुत कम भूमि काश्त हुई और काश्तकार ज्यादातर अपने पशुओं के साथ मालवा चले गये थे। इस तरह से उनकी भूमि बिना नाम जोमन ग्यारह यानि इस्तमरारदार के नाम अंकित हो गई थी। राजस्थान होने के पश्चात् अजमेर राजस्थान मर्जर होने के बाद ऐसी भूमि को बिना नाम बताकर कृषकों पर धारा 91 के केस दायर किये और यह मुकदमे इतने ज्यादा थे कि जगह जगह त्राहि त्राहि मच गई। इस दिक्कत को स्थानीय प्रमुख, प्रधान, विधायकों आदि ने तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया जी के सामने पेश किया। उन्होंने तत्कालीन जिलाधीश अनिल बोर्दिया को इस कठिनाई को दूर करने के सुझाव पेश करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि एक समिति का गठन किया जाय और इस बात को देख लिया जाय कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिलाधीश महोदय, श्री अनिल बोर्दिया ने राज्य सरकार की राय

(श्री शंकरसिंह रावत)

से एक समिति का गठन किया जिसमें राजस्व मण्डल के चेयरमैन इस कमेटी के अध्यक्ष बने, दूसरे सैटलमेंट कमिश्नर, राजस्व सचिव रहे, जिला प्रमुख रहे तथा जिलाधीश इसके सचिव बने। यह जिस कमेटी का गठन किया, इसने स्थान-स्थान, गांव-गांव में जाकर देखा कि वास्तव में ऐसी कठिनाई क्यों है ? सभापति महोदय, उस समिति ने गौर किया और वह इस निश्चय पर पहुंची कि धारा 91 के केसेज हैं इनको निपटाना चाहिए। उसने सारी समस्या का अध्ययन किया और आंकड़े एकत्र करके राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री के सामने इस बात को रखा। सभापति महोदय; सारी चीजें रखने के पश्चात् इस समस्या का अध्ययन किया गया और यह सुझाव रखा कि भू-संशोधन राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 106/107 के तहत किया जावे और जिलाधीश को यह अधिकार दिया जाय कि कुछ अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों में से तथा कुछ तहसीलदार और 90 अमीन तथा पांच निरीक्षक बन्दोबस्त विभाग से लेकर अपने मौजूदा स्टाफ राजस्व पटवारी आदि के साथ इस कार्य को सम्पादन करायें। यह संशोधन किया गया, उसके पश्चात्, सभापति महोदय, श्री अनिल बोर्दिया, जिलाधीश का स्थानान्तरण हो गया। श्री अनिल बोर्दिया ने बड़ी तत्परता से सर्वे व तरमीम करा कर सभी ग्रामों के नक्शे खसरा खतौनी आदि तैयार करा दिये। लेकिन लगान फिक्स नहीं हुआ था और पास बुक में लगान लगा कर वह वितरित नहीं हुई थीं।

सभापति महोदय; जहां कहीं 106/107 के तहत भू-संशोधन किये जाते हैं वहां लगान बढ़ नहीं सकता है। यह सबको विदित है कि इन धाराओं के तहत भू-संशोधन होने पर भी वहां भूमि का लगान वही रहता है जो पूर्व बन्दोबस्त में किया गया था। इसके पश्चात् श्री ढोंडियाल साहब जिलाधीश, अजमेर ने लगान बढ़ाने के बारे में अपने सुझाव राज्य सरकार को भेजे जहां से उन्हें यह आदेश मिला कि धारा 106/107 के तहत यह लगान नहीं बढ़ सकता जब तक कि धारा 142 के तहत नोटिफिकेशन जारी नहीं हो। इतना करने के बावजूद तथा धारा 142 का नोटिफिकेशन जारी करके री-सैटलमेंट करने की राज्य सरकार मन्शा रखती है अजमेर जिले में, तो मेरा निवेदन है कि राजस्व मंत्री जी इस मामले में पहल करेंगे। यह अब तक क्यों नहीं हुआ, जब कि यह है कि 142 धारा में सारी प्रक्रिया शुरू होने के बाद चक तराशी हर खेत की की जाती है तथा पिछले बीस वर्ष की औसत पैदावार व जिन्स के बाजार से आंकड़े लेने पड़ते हैं और इस प्रकार की कार्यवाही में काफी पैसा व समय लगता है। जब कि उस जिले की मौजूदा लगान की पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा मालगुजारी भी नहीं बढ़ाई जा सकती है। भूमि वर्गीकरण करते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नये कुए, रपट, तालाब आदि से भूमि की तरक्की हुई हो तो उसको बीस-साल तक बारानी रेट पर ही आंका जाता है, और बाद में तालाबी या चाही रेट चार्ज होती है। अब यदि, सभापति महोदय, 1951-52 में इस्तमरारदारी बन्दोबस्त दखिलकार काश्तकारों की रेट एक बटा छः बांटे की पैदावार पर आंकी गई तो सारे जिले में मौजूदा भूमि

(श्री शंकरसिंह रावत)

वर्गीकरण के अनुसार लगा दी जाय तो राज्य सरकार को 25 प्रतिशत से ज्यादा मालगुजारी में बढ़ोतरी होगी और यह कार्य भी पांच छ: माह में मौजूदा स्टाफ से ही हो सकता है। जब कि इस रेट के खालसा, इस्तमरारदारी व जागीरदारी के सभी असेसमेंट सर्किल मौजूद हैं। मेरा निवेदन है, अजमेर जिले में री-सेटलमेंट करने आ रहे हैं तो केवल रकबे की फलावट रकबा व लगान की रेट से भूमि वर्गीकरण वाइज करानी होगी, वह मौजूदा स्टाफ से कराई जा सकती है, इसमें री-सेटलमेंट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी मन्शा है कि 25 पर्सेन्ट से अधिक मालगुजारी बढ़नी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि एक बटा छ: बीघे के आधार पर मालगुजारी ज्यादा बढ़ेगी। तो यह काम कम समय में, कम साधनों से, कम स्टाफ के द्वारा कराया जा सकता है। यह इस सम्बन्ध में निवेदन है।

दूसरे आज नामान्तरकरण का प्रश्न है। ग्राम पंचायत नामान्तरकरण नहीं करने देती है। यही नहीं अभी अजमेर जिले में यू.आइ.टी. के अन्तर्गत कुछ गांव मिलाये गये, भू-आवंटन के सम्बन्ध में, आवासीय भूखण्ड के सम्बन्ध में। अजमेर के अंदर यू.आइ. टी. में जो गांव मिलाये गये हैं उससे दो मील आगे तक नामान्तरकरण नहीं कर सकते। इस पर ध्यान देंगे और पुनः विचार करें।

यही नहीं, प्रशासन के सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूं, जब 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आप भू-खण्ड, आवासाय भू-खण्ड भूमिहीनों को भूमि अलाट करने जा रहे हैं तो जो पिछड़े हुए हैं, भूमिहीन काश्तकार हैं उनको उत्पादन करने के लिए और काश्तकारी काम करने के लिए भूमि दी जानी चाहिए। लेकिन, सभापति महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अजमेर जिले के मौजूदा जिलाधीश रणजीत सिंह कुम्मट ने अपने सगे भतीजे श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जसवन्तसिंह निवासी विजय नगर ग्राम सथाना खसरा नं. 1021 रकबा 15 बीघा किस्म बीड तहसील ब्यावर दिनांक आवंटन 26-1-75 कब्जा दिया, 21-6-75। एस.डी. ओ. ब्यावर राजस्व/75/1132, दिनांक 14-7-75 इसकी देखरेख श्री मदनसिंह कुम्मट डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, ब्यावर करते हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यदि आपके जिलाधीश अपने भाई व भतीजों के साथ करते हैं तो सीरियस मैटर है। यही नहीं वहां के नृसिंहदास सदर कानूनगो, जिलाधीश कार्यालय, अजमेर ने अपने लड़के के नाम खसरा नं० 1021,15 बीघा बीड़ ग्राम सथाना, तहसील ब्यावर में कर दी। उसका यह फार्म मोहम्मद इमामउल्ला के नाम था, अपने पुत्र के नाम एलाट कर दिया। अगर जिलाधीश अपने ऑफिस कानूनगो, तहसीलदार, आदि को 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे तो दुःख की बात है। काफी और भी उदाहरण है। श्री कंवरीलाल गिरदावरीलाल आफिस कानूनगो, अजमेर, ने इनके नाम जमीन ली। ताराचन्द पुत्र कैलाश चन्द्र जैन खसरा नं० 1021-15 बीड़ ग्राम सरहना तहसील ब्यावर। यह श्री कंवरीलाल का सगा भतीजा है। रामलाल पुत्र लादूराम छीपा खसरा नं० 2346। जबकि उस नाम से विजयनगर में कोई नहीं और उनके नाम से फार्म की देख रेख करता है। अगर आप उस भूमि को साधन संपन्न लोगों, जो बड़े आदमियों के भतीजे हैं, को देते हैं, जिनकी

(श्री शंकर सिंह रावत)

दो हजार मासिक तनख्वाह है। अगर उनको भूमि देकर उत्पादन कराना चाहते हैं तो गरीबों के लिए जिस 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रधान मंत्री ने आह्वान किया है, अगर इस प्रकार जिलाधीश भूमि देते रहे तो ठीक नहीं है और मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री इस बात की जांच करेंगे और मेरी बात सच पाने पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय, कुछ साथियों ने कहा कि पटवारी भ्रष्ट हैं, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता। पटवारी किसके अधीन हैं? कलेक्टर या एस.डी.ओ. के। पटवारी से गाँव का घी कौन मंगाता है? अगर शिकायत होती है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। इतना ही नहीं, मेरे गांव की कह रहा हूं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चरागाह में बटवारा किया। पटवारी से मैंने कहा, वह नया था क्योंकि राजस्व मंत्री ने एक तहसील से दूसरी तहसील में पटवारी का ट्रांसफर किया है, जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा गिरदावरी के समय ध्यान रखूंगा लेकिन विधान सभा में प्रश्न रखा तो गिरदावर भागकर आया। मैं इतना जरूर मानता हूं कि बाड़े और भूमि पर जो अतिक्रमण करते हैं वे जरूर पटवारी से मिले रहते हैं, लेकिन जब दूसरी पार्टी उनके अगेन्स्ट कार्यवाही करती है और तहसीलदार को रिपोर्ट करती है तो उनका कर्त्तव्य हो जाता है क्योंकि आज अगर यह भूमि का बड़ा भारी काम है देश के उत्पादन के लिए तो यह राजस्व विभाग का है। तो उनका स्वत: ही ध्यान रखना चाहिए जैसे बस में कंडक्टर चिल्लाता है कि कोई बगैर टिकट है क्या? तो उसी प्रकार राजस्व विभाग को चाहिए कि अगर किसी अधिकारी ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो कार्यवाही करनी चाहिए।

मुझे अधिक नहीं कहना है। इतना ही कहना है कि जैसे पटवारियों के इधर उधर ट्रांसफर हुए इससे राज्य सरकार को फायदा नहीं है। एक तहसील से दूसरी तहसील में वह शाम को वापस आता है तो इससे हानि होती है। उसका दिमाग उस पर नहीं रहता है। अगर गिरदावर सर्किल में उस गांव में न रखकर बाहर रखा जाय तो भी आपत्ति की बात नहीं।

अब मैं वन विभाग पर आता हूं हमारे बढ़िया घने जंगल थे, आज उनको कटवाना किसका काम है? फारेस्टर का है। हर आदमी चिल्लाता है, आपके जन प्रतिनिधि भी चिल्लाते हैं कि वन कट रहे हैं फिर विभाग को कायम रखने से क्या फायदा? आप जाकर देखें वर्षा में जब किसान को दिक्कत आती है और घास के लिए चिल्लाता है। अगर वर्षा के 4 महीने उसके मवेशियों को घास चरने के लिए छोड़ा जाए तो बाकी 8 महीने वे अच्छे निकालते हैं। कहते हैं कि जानवरों के चरने से बीड़ खराब हो जायगा। क्या वहां खराब नहीं होता है जब पैसा लेकर फारेस्टर से मिलकर वह चराता है? वन संपदा का वर्षा पर असर पड़ता है। आप श्रीनगर जाते समय देखें बीच में से कटे हुए पेड़। कम से कम कहने वाला तो होना चाहिए कि यहां पेड़ थे। किसने काटा? बोर्ड पर लिख दिया कि वृक्ष काटना पाप है, यह काफी नहीं है। गांव में देवी का मंदिर इसलिए रखते हैं कि देवी के नाम से जंगल को कोई सताता नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य की कई बातों की हमें सराहना करनी पड़ती है। अगर जंगल से कोई लकड़ी निकालता

(श्री शंकरसिंह रावत)

तो रोक देते पूछते कि कहां से लाए। एक बार एक टहनी काटने पर एक माह की सजा दे दी। आज तो फॉरेस्टर से मिल लो और जंगल को उजाड़ लो। फारेस्टर को आप ज्यादा वेतन दो लेकिन वनों का नाश मत करो, उनकी ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए। आप उनसे पूछेंगे कि किसने काटा। आप उनसे कहिए कि पेड़ आपके सर्किल में कटे हैं तो आपकी वजह से ही कटते हैं। आशा है, राजस्व मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री ओंकार लाल चौहान।

श्री ओंकार लाल चौहान (डग): सभापति जी, राजस्व विभाग की मांगों पर मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं। राजस्व मंडल की प्रगति रिपोर्ट 1974-75 में कई उपलब्धियां बताई गई हैं। सभापतिजी, मंत्रीजी इस बात से सहमत होंगे कि राजस्व विभाग ही ऐसा विभाग है जो कि आम जनता की और गरीब लोगों के हित की चीज है, जिससे जीवन-निर्वाह होता है, उसे हम देश की रीढ़ की हड्डी के रूप में मानते हैं। देश आजाद होने के बाद निरंतर सारे देश और प्रदेशों में और राजस्थान में भी इसी प्रकार के राजस्व संबंधी चीजें जैसे कि हरिजनों को जमीनें दिया जाना, इसमें, सभापति महोदय, जन जाति के लोगों को सुविधा दी है और पिछड़े लोगों को आगे लाने की कोशिश की है। हमारे यहां पर समाजवादी सरकार की किस प्रकार स्थापना हो, किस प्रकार से उन पिछड़े और गरीब लोगों को हम ऊपर उठा सकें, किस प्रकार से उनके जीवन स्तर को सुधार सकें और किस प्रकार से वह लोग अपने को आगे बढ़ा सकें इस प्रकार का भान उन्हें कराने के लिये हम क्या कारगर कदम उठा सकते हैं ऐसा हम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे देश में वैसे तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है हमारी सरकार इस बारे में कुछ न कुछ कार्यवाही कर रही है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 26 जून, 1975 को हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की और आपातकालीन स्थिति की घोषणा के तुरन्त बाद प्रधान मन्त्री ने देश के सामने एक 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, ट्वन्टी पॉइन्ट इकोनॉमिक प्रोग्राम हमारे सामने रखा।

सभापति महोदय, यह 20 पॉइन्ट इकोनॉमिक प्रोग्राम है वह कोई नयी बात नहीं है। इसमें मुख्यतया इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर जोर दिया है। और वह भी रूरल एरिया में हमारे जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उन्हें हम किस प्रकार से उठायें। जबसे हमारा देश आजाद हुआ है उसे, सभापति महोदय, आज 27 वर्ष से अधिक होगया है लेकिन उन गरीब लोगों के साथ क्या क्या ज्यादती हुई हैं। क्या क्या अधिकार उन्हें अभी तक नहीं मिल सके हैं। जो जो जमीनें उन्हें एलॉट हुई थीं वह उन्हें मिली या नहीं। वैसे तो सभापति, महोदय, जबसे कांग्रेस शासन-काल हमारे देश में आया तभी से राज्य सरकार ने कुछ न कुछ राहत के कार्य इन गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये किये थे पर इसमें देखने की बात यह है कि जब राज्य सरकार पिछले 27 वर्षों से गरीब लोगों को भूमि एलॉट करने का और उन्हें ऊपर उठाने के लिये कार्य कर रही है फिर क्या जरूरत थी इस 20 पोइन्ट प्रोग्राम को लागू करने की? इसका कारण स्पष्ट है कि

(श्री ओंकार लाल चौहान)

पिछले 27 वर्षों में जो हमारे यहां कांग्रेस सरकार ने काम किया है उसमें जितनी उपलब्धियां हमें होनी चाहिये थीं वह उपलब्धियां हमें प्राप्त नहीं हो सकतीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो 20 पोइन्ट प्रोग्राम है वह कोई नया कार्यक्रम नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बात के लिये हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने कई बार कहा भी है कि यह जो 20 पोइन्ट इकोनोमिक प्रोग्राम है वह कोई नया प्रोग्राम नहीं है। लेकिन उसी इकोनोमिक प्रोग्राम, जो पहले से हमारी सरकार करना चाहती थी, को टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाकर कार्यान्वित करने की चेष्टा की है। यह जो 20 पोइन्ट इकोनोमिक प्रोग्राम है इसमें विशेष तौर से हमारे देश की जो रुरल फोक है, जो पिछड़े क्षेत्रों की जनता है उसको किस प्रकार से राहत दी जाय। अगर हम, सभापति महोदय, इसकी रूपरेखा के संबंध में देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हालांकि काफी काम हुआ है लेकिन अभी तक हमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है इसमें। जहां पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान में इस आपातकालीन स्थिति के दौरान कई प्रगतिशील कदम उठाये हैं और हमने कानून भी बनाये है जैसे सीलिंग लॉ, बान्डेड लेबर को समाप्त करने के बारे में, स्माल और मार्जिनल फार्मर्स के बारे में, उन्हें सहूलियतें देने के बारे में कानून बनाये हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कहीं न कहीं गलती जरूर है। कारण यह है कि जो उपलब्धियां हम चाहते थे वह नहीं मिलीं। उनका नहीं मिलने का कारण है इन कानूनों का सही तौर से इम्पलीमेन्टेशन नहीं होना। मैं राज्य के राजस्व मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर विशेष तौर से दिलाना चाहता हूं कि इनका सही ढंग से इम्पलीमेन्टेशन हो, इसके बारे में कार्यवाही करें।

सभापति महोदय इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, राजस्व मंत्री जी को और मुख्य मन्त्री जी को कि इन कानूनों के इम्पलीमेन्टेशन के अन्दर बहुत सारी ज्यादतियां गरीब लोगों के साथ हुई हैं। इसके इम्पलीमेन्टेशन में खामी कहीं न कहीं जरूर है। आज हम ट्रेसपास के केसेज को ही लेकर चलें। इस ट्रेसपास के नाम को लेकर राजस्थान की गरीब और पिछड़ी जनता को काफी नुकसान हुआ है और इसके बारे में समय समय पर विधान सभा में प्रश्न भी उठाये गये हैं। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपको, सभापति महोदय, ट्रेसपास के संबंध में उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र गंगधार तहसील के पंचायत के केलूखेड़ा, पंचायत और पंचायत पीपलिया खुर्द के जिन लोगों को सन् 69-70 में भूमि अलॉटमेन्ट की गयी, सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोग, जिनको सन् 69-70 में नियमानुसार जमीन का अलाटमेन्ट हुआ, उनमें से करीब 100 अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों की खड़ी फसल ट्रेसपास के नाम से बरबाद कर दी गयी। उसे नष्ट कर दिया गया। सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि खड़ी फसल को नष्ट करना उचित है। आज हम उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो मगर इस तरह

(श्री ओंकारलाल चौहान)

से खड़ी फसल नष्ट करना कहां तक उचित है। सभापति महोदय, अलाटमेन्ट तो ठीक ही हुआ है लेकिन बाद में यह कहकर उनकी फसल को नष्ट किया कि उनका अलॉटमेन्ट का सैटलमेन्ट ठीक तरह से नहीं हुआ। तो यह, सभापति महोदय, ठीक तरह से सैटलमेन्ट किसने नहीं किया? क्या यह शिड्यूल्ड-कास्ट्स के उन 100 परिवार वालों की गलती से हुआ था? यह अलाटमेन्ट एस. डी. ओ. द्वारा सन् 69-70 में किया गया था लेकिन उन गरीबों की किसी ने नहीं सुनी, उस फसल को नष्ट कर दिया, मैं इसे उचित नहीं समझता। आप चाहते तो इसकी जांच करवाते, और तब तक के लिये उस फसल को नष्ट नहीं करके सुपुर्दगी में रखवा देते, राज्य सरकार अपने कब्जे में ले लेती और जब जांच पूरी हो जाती तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कर लेते। यह फसल नष्ट करना तो एक नेशनल वेस्टेज हो गया। आप उस फसल को चाहते तो नीलाम कर देते। तो मेरा राजस्व मन्त्री जी से यह निवेदन है कि उन लोगों के खिलाफ में जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स इन 100 परिवारों की फसलों को नष्ट करने वाले है, के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्यवाही करें। मुख्य मन्त्री जी से भी इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां बार बार यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है और सबसे ज्यादा हमारे यहां पर अगर कहीं पर भ्रष्टाचार है तो राजस्व विभाग में है। इतने बड़े पैमाने पर आपको कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं मिल सकता। यहां पर पटवारी के लेवल से भ्रष्टाचार शुरू होकर ऊपर तक चलता है अलॉटमेन्ट के बारे में एक ही जमीन यह पटवारी लोग दो लोगों को अलॉट कर देते हैं, नाम बदल देते है। तथा इसमें बहुत सी ज्यादतियां हुई हैं। जो पटवारी लोग ज्यादतियां करते हैं अलॉटमेन्ट आदि के संबंध में, तहसीलदार व एस. डी. ओ. और कलेक्टर तक उन गलतियों को नजरन्दाज कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को चाहिये कि गरीब और पिछड़े लोगों के साथ किन किन प्रकार की ज्यादतियां हुई हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही की जाय। मैं यह नहीं कहता कि सारी ही जगह ज्यादतियां हुई हैं या सारे ही अलॉटमेन्ट गलत हुए हैं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक राज्य सरकार ने यह पता नहीं लगाया कि राजस्थान में अलॉटमेन्ट के मामलों में कितनी-कितनी और कहां कहां ज्यादतियां हुई। सभापति महोदय, राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को भूमि आवन्टन के बारे में मेरे पास आंकड़े हैं। टोटल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों में 22508 व्यक्तियों को 6,263 एकड़ जमीन अलॉट की गयी और 24007 व्यक्तियों को 86104 एकड़ जमीन अलॉट की गयी। 956 सैनिकों को 7115 एकड़ जमीन अलॉट की गयी। लेकिन इनमें कितने मामलों में लोगों पर ज्यादतियां हुई इसके लिये मैं समझता हूं कोई जांच नहीं की जा रही है। इसके लिये मैंने समय समय पर राज्य के राजस्व मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभापति महोदय, गंगधार तहसील में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की जमीनों पर जबरदस्ती लोगों ने काश्त

(श्री ओंकारलाल चौहान)

कर दी। कुछ प्रभावशाली लोगों ने काश्त करके अपने पास जमीन कब्जे में ले ली। दूसरे वहां पर जो लोग प्रभावशाली है काश्त करने के बाद जब जमीन वहां पर नीलाम की जाती है तो वही लोग नीलामी में खरीद लेते है क्योंकि वह लोग पैसे वाले हैं और प्रभावशाली हैं। इस प्रकार वह लोग गरीब लोगों को कब्जा नहीं लेने देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन गरीबों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाया जाये। और इस प्रकार के केसेज के लिये मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार एक राजस्व विभाग में सेल क्रियेट करे जो कि इस प्रकार की कार्यवाही को देखे। जिस प्रकार कि मुख्य मन्त्री महोदय ने एक सेल अपने यहां पर ऐसा क्रियेट कर रखा है जिसमें जनता द्वारा शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है। लेकिन इस संबंध में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने भी एक रिपोर्ट मुख्य मन्त्री महोदय के इस सेल में भेजी थी दिनांक 22-1-75 को जिसमें मैंने लिखा था कि किस किस प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट्स लोगों के प्रभावशाली लोगों ने जमीन दबा रखी है लेकिन, सभापति महोदय, उस पत्र का जवाब मेरे पास, पूरा साल सन् 75 का निकल गया, मार्च 76 में यह आया कि कलेक्टर झालावाड़ को उचित कार्यवाही हेतु लिख दिया है। तो इस प्रकार से एक साल से ज्यादा समय हो गया, श्रीमान। मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई एजेन्सी क्रियेट करनी पड़ेगी। इस प्रकार की अनियमिततायें जो गैर कानूनी हैं, गैर तरीके से चल रही हैं उनके लिये एजेन्सी कायम की जानी चाहिये और वह एजेन्सी निष्पक्ष रूप से जहां जहां शिकायतें आयें, उनके बारे में मालूम करे और राहत देने की कोशिश करे—एक सुझाव मेरा इस प्रकार है। इसी प्रकार माननीय सभापति जी, मैं दूसरी चीज पर आना चाहता हूं। 2,88,672 म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स हैं। मैं समझता हूं गांवों में बड़ी अजीब स्थिति है। मैं इनको सरकार के आंकड़े, स्टेटिसटिक्स मानकर चलता हूं। माननीय मंत्री महोदय जानते हैं आंकड़े बड़े अजीब ढंग से आते हैं। मैंने निवेदन किया कि उनके जरिये जांच होनी चाहिये।

इसी प्रकार पास बुक, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको मालूम करना पड़ेगा कि कहां कहां अनियमिततायें हैं। मैं उस बात को कहता हूं कि यहां पर ज्यादती हुई है या फलां जगह ज्यादती हुई है तो असेम्बली के दौरान एक ऐसी एजेन्सी कायम की जानी चाहिये जो इन सब बातों की इन्क्वायरी करे। यह अजीब बात है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 21 तहसीलदार, 14 नायब तहसीलदार, 5 कार्यालय अधीक्षक, 2 शीघ्र लिपिक और एक सहायक तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इस तरह मेरे ख्याल से 44 का टोटल आता है। सभापति जी, शिक्षा विभाग और रेवेन्यू विभाग दोनों ऐसे विभाग हैं जहां जनता का काम होता है। शिक्षा से भी अधिक महत्व राजस्व का होता है जिसमें जमीन सम्बन्धी झगड़ों के निपटारे का काम दिन-रात होता है। छोटे से लेकर बड़े तक का काम है। हर आदमी को सन्तुष्ट करना होता है और आपने केवल 44 आदमियों की छंटनी की है और उसके अलावा सारा विभाग पास कर दिया।

माननीय मंत्री महोदय को देखना चाहिये किस किस जगह ऐसे लोग बैठते हैं

(श्री ओंकारलाल चौहान)

जो इस किस्म की अनियमिततायें करते हैं। मैंने निवेदन किया है, सभापति जी, हमारे जनतंत्र के दो पक्ष हैं एक राज्य करने वाला और दूसरा इम्पलीमेंट करने वाला लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो बैठी हुई है, उस पर आपका पूरा अंकुश होना चाहिये। मैं निवेदन कर रहा था जो इम्पलीमेंटेशन करने वाली मशीनरी है, मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा वैसे राजस्व मंत्री जी काफी जागरुक रहते है और बड़ी मुस्तैदी से, यह भी कहना चाहूंगा कि जब जब भी कैसेज उनके नोटिस में आये हैं, उन्होंने एक्शन लिया है और एक्शन लेने की हिम्मत भी रखते हैं। हमारे राजस्थान में दो-एक मंत्री ऐसे हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं लेकिन माननीय मंत्री महोदय तो काफी सतर्क हैं।

सभापति जी, इसके अन्दर हमें देखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का स्क्रीनिंग करना पड़ेगा और माननीय मंत्री महोदय को नीचे से ऊपर तक देखना पड़ेगा कि हम 27 साल में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुये टाइम बाउन्ड प्रोग्राम में ? रोजाना इस बात की शिकायत आती है—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की शिकायत आती है फिर भी उनको जमीनें नहीं मिल पाती हैं। जितने कैसेज अलॉटमेंट के हुये हैं, काफी तादाद में हुये हैं, सभापति जी, क्यों नहीं एक छोटा सा सेक्शन कायम कर दिया जाय जहां जहां इस प्रकार के कैसेज हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र निपटाया जाय। उन बेचारे गरीबों की अपीलें 6-6, 7-7 साल से पेन्डिंग पड़ी हुई हैं। उनके पास कोई जमीन नहीं है। आप यह कहें कि एस. डी. ओ. को लगा दें तो वह तो पहले ही ओवर बर्डन्ड है, कलक्टर को लगा दें वह भी पहले से ओवर बर्डन्ड है। सारे राजस्थान में सर्वे होनी चाहिये, इस प्रकार के जहां जहां कैसेज इकट्ठे हैं, हमको उनके बारे में शीघ्र निर्णय करना पड़ेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, सेक्शन 9 का जो मामला है, इसमें बड़ी ज्यादती है। जब बिल आया था मैंने निवेदन किया था सेक्शन 9 की पावर एस. डी. ओ. को न दी जाकर कलक्टर को दी जाय। उस समय क्या होता है कई चीजें चलती है गांव में रंजिश भी होती है, आपस के झगड़े भी होते हैं। और, सभापति जी, सेक्शन 9 का बात आपको शाहबाद में देखने को मिलेगी जहां पर शहरियों के नाम पर काफी चर्चा होती है लेकिन उनको अब तक कुछ भी नहीं मिला है। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, आज भी ऐसे लोग बैठे हुये हैं जो शहरियों की जमीन पर काबिज हैं। जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया उनको जबरदस्ती सेक्शन 9 में थाने में डाल दिया। इसको देखना चाहिये और इन्क्वायरी करानी चाहिये। वहां पर तहसीलदार जी रात दिन उन शहरियों की जमीनों को हड़पने में लगे हुये हैं। 66 में अलॉटमेंट हुआ और अब 72-74 में आकर कहते गलत हैं, हुआ था। मै कहता हूं अलॉटमेंट करने वाले कौन थे, किसके द्वारा ये अलाटमेंट किये गये थे और किसके अधिकार से अलाटमेंट किये गये थे और अब अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो उन राजस्व अधिकारियों को क्यों नहीं सजा दी जाती है, जिन्होंने इस प्रकार की

(श्री ओंकार लाल चौहान)

पहले गलती की है ? क्या आपकी केबिनेट उसके लिये सक्षम नहीं है ?

मान लीजिये जो राजस्व अधिकारी आज मौजूद है, जिसने अगर गलत अलाटमेंट किया है तो उसके खिलाफ किसी न किसी प्रकार का एक्शन लिया जाना चाहिये कि क्यों इस प्रकार की अनियमिततायें बरती हैं ? शहरिया, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, कपड़े के नाम पर लंगोटी नहीं, आज भी बेचारा परेशान है। 66 की दी हुई जमीन पर आज तक काबिज नहीं हुआ है। माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति ने इनके साथ ज्यादती की है, जिन सरमायेदारों ने इनके साथ ज्यादती की है, जिन भू-स्वामी ने इनके साथ ज्यादती की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिये और जो शहरिया हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको उस अन्याय से मुक्त किया जाना चाहिये। विकास करना है इस नाम से प्रधान मंत्री जी का संदेश है—20 पाइन्ट प्रोग्राम है—बोन्डेड लेबर से हटाने का ठीक है, लेकिन किसी को बेघर-बार न कीजिये। माननीय सभापति जी, इसकी पूरी एन्क्वायरी कराइये और जो दोषी हैं उनको सजा दीजिये। मैं, माननीय सभापति जी, इसी संदर्भ में निवेदन कर रहा था रिकवरीज के बारे में दो चार मिनिट और लूंगा। बहुत अहम मसला है राजस्व का और जन-जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। रिकवरीज, ठीक है, होनी चाहिये चाहे वह को-आपरेटिव की हो, चाहे किसी और चीज की हो लेकिन रिकवरीज के आप जो आंकड़े देते हैं उनमें उन बेचारों को मुर्गा बना कर सख्ती से वसूल करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस हाउस में गरीब लोग, अनपढ़ लोग, दबे हुये लोग हैं उनसे तहसीलदार जबरदस्ती से रिकवरी करते हैं, उनके ऊपर बहुत बुरी ज्यादतियां होती हैं, तो मेरा निवेदन करना है, आप कानून का हवाला दे सकते हैं, रिकवरीज के लिये कुर्की कर सकते हैं लेकिन सख्ती करना न्यायसंगत नहीं है। जो इस किस्म की चीजें की जाती हैं, वह गलत हैं। अभी जो छूट दी गई है वह नेगलिजेबल है। इसलिये रिकवरीज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में भी बहुत सावधानी से काम करना चाहिये। माननीय सभापति जी, रिकवरीज किस समय हो, आज फसल की हालत यह है कि जो गेहूं के भाव 160-170 के आस पास थे वे अब 80-90 के रह गये हैं। बाजरे के भाव भी आपको मालूम हैं, मेरा निवेदन करना यह है कि आज किसान की हालत टूटी हुई है। रबी की फसल खड़ी हुई है, उसकी रबी की फसल कट रही है तो इस समय में तो रिकवरीज देखकर करनी चाहिये। 15 दिन, 20 दिन का टाइम उनको मिलना चाहिये। ज्यों ही फसल आ जाय खलिहान में आप रिकवरीज की तरफ ध्यान दीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं रिकवरीज के मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिये ताकि रिकवरी ठीक प्रकार हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी सन्दर्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का मेरा प्रश्न है 46 नम्बर का जिसका जवाब राजस्व मन्त्रीजी ने दिया है। हमने काफी जमीन 52764 एकड़ भूमि अवाप्त की है और 568 एकड़ भूमि सिरोही में अवाप्त की है। यह खुशी की

(श्री ओंकार लाल चौहान)

बात है। मैं बधाई देना चाहता हूं लेकिन उस समय जो सूची दी थी उसमें अनुसूचित जाति को 128, अनुसूचित जन जाति को 22 इस तरह टोटल 146 के करीब अलाटमेंट किया है। भरतपुर के लिए आपने नोटिस जारी किये हैं लेकिन झालावाड़ के लिये कुछ नहीं है, कोटा के लिये कुछ नहीं है। इस तरह की एक सूचना मिली है। मेरा सुझाव है इस कार्य में गतिशीलता आनी चाहिये। कार्यवाही की जा रही है, यह तो साधारण जवाब हो गया है। आपको सख्ती से कार्यवाही करनी पड़ेगी—टाइमली आप उनको नोटिस दें, कहीं से भी उन लोगों को न्याय मिल सके और भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटित की जा सके।

माननीय सभापति महोदय, एक दो बातें और कह कर समाप्त करना चाहूंगा। एक बात मेरी कान्सटीट्यूएन्सी की है। मैंने पहले भी माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन किया था कि जिला झालावाड़ मध्य प्रदेश के बोर्डर पर है, उसकी सीमा से लगा हुआ झालावाड़ का इलाका है। एस. डी. ओ. का हैडक्वार्टर झालावाड़ होने से मेरे निर्वाचन क्षेत्र डग और पिड़ावा के केसेज को एस. डी. ओ. झालावाड़ सम्भालते हैं। आपने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया, जो आंकड़े दिये वह सही हैं। लोगों को दिक्कत है। मैं सोचता था कि आप कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे जिससे उन लोगों की दिक्कत मिट सके। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह एक ऐसा बेल्ट है आदमी आते हैं, पेशियां बदलती रहती हैं कभी कहीं वकील हाजिर नहीं, कभी पार्टी हाजिर नहीं और कभी हाकिम की वजह से बदलती हैं। यह एक प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें विशेष एक दम रद्दोबदल करना भी मुश्किल है। मैं स्वयं वकील हूं। कहीं वकील लोग ही तारीखें पलटवाते हैं। कई बार हाकिम नहीं होते हैं तो इस प्रकार से मामला दो, चार, पांच साल तक चलता रहता है। सौ-सौ, दो-दो सौ मील का फासला तय करके जब लोग तारीखों पर प्रस्तुत होते हैं और यदि उनको नजदीक में ही इसकी उपलब्धि करा दी जाय भवानी मण्डी में तो क्यों नहीं उनको यह सहूलियत प्रदान कर दी जाय। 20 सूत्री कार्यक्रम में से एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्रीजी इस सम्बन्ध में विचार कर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

सीलिंग के सम्बन्ध में भी क्या हुआ है। जो होशियार लोग थे, उन्होंने गलियां निकाल ली और उससे बच निकले हैं। बहुत लोगों की जमीनें गलत तरीके से निकल गयी हैं। इसलिये उन सारे केसेज को रीओपन किया जाय। इसके लिये आदेश देने पड़ेंगे। यदि उन केसेज को रीओपन करेंगे तो काफी जमीन हमारे कब्जे में आवेगी।

राजस्व मण्डल की चर्चा के सम्बन्ध में भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। 1-4-74 को विचाराधीन मामले राजस्व मण्डल में थे 5034। नये सन् 1975 में आये 5464। कुल मिला कर विचाराधीन मामले रहे थे 10198। उसमें से 4650 मामले फैसल हुए हैं और 5548 मामले अभी शेष हैं। काफी केसेज अभी भी बाकी पड़े हुए हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री ओंकारलाल चौहान: एक सैकिन्ड।

इसके जल्दी फैसले नहीं होंगे तो समस्या दूर नहीं होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि काफी प्रगति हुई है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से राहत दिला सकें और जिससे राजस्थान की अधिक से अधिक प्रगति हो सके इसके साथ में अपने कटमोशन्स को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): सभापति महोदय, आज वन और राजस्व के बारे में कटौती प्रस्ताव है। उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं वन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सन् 1973 में तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया, यह एक अच्छी पोलिसी है। राष्ट्रीयकरण से फायदा हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक हिस्से में ज्यादा फायदा हुआ है और एक हिस्से में कम फायदा हुआ है, फायदा हुआ तो थोड़ा हुआ है। हमको विवरण पत्रिका मिली है। सन् 1973 में राष्ट्रीयकरण हुआ। 74-75 में राष्ट्रीयकरण का कार्य शुरू किया। तेंदू पत्तों से 12 लाख की आय पूर्व में करना बताया गया। यह सही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सन् 1971-72 में 36,63,092 रु० की आमदनी हुई। 72-73 में 28,82,013 रु० की आमदनी हुई। 73-74 में 25,73,381 रुपये की आमदनी बतायी गयी। औसत आमदनी हुई राष्ट्रीयकरण से पूर्व 30,04,619। इसलिये यह 12 लाख रखी गयी है वह सही नहीं है। 30 लाख के आधार पर औसत को देखते हुए लक्ष्य कायम किया गया था और उसके लिये तेंदू स्टैंडर्ड बोरे पर हर डिवीजन को बांटा गया है। 12 डिवीजन इसमें थे जिसमें तेंदू पत्ते का ठेका है। 2,58,157 स्टैन्डर्ड बोरे का टार्गेट मुकर्रर किया उसमें से 1,29,022 स्टैन्डर्ड बोरे आये। परन्तु जिन डिवीजन में ये बोरे कम आये हैं उसमें झालावाड़ जिला ऐसा है जहां पूर्व का टार्गेट 63,905 बोरे का था वहां 66,062 बोरे निकले। बारां, कोटा, बून्दी, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही वहां पर इनका प्रोडक्शन होता है। वहां इनका पर्सेन्टेज 26.89 है। यह बोरे वहां पर कम हुए। इस वजह से आपको जो 69135 बोरे आपके लक्ष्य से कम निकले और उसके आधार पर 17,28,375 की राज्य सरकार को और आमदनी होती उससे राज्य सरकार वंचित रह गयी। यह जिम्मेदारी किन अधिकारियों की थी जिन्होंने लक्ष्य को पूरा नहीं किया? दो दो हजार जिनको तनख्वाह मिलती है। आपके रेन्जर हैं, डी. एफ. ओ. हैं, नाकेदार आदि हैं।

इसलिये सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राज्य सरकार को इस राष्ट्रीयकरण से आमदनी होनी चाहिये थी, एकाधिकार के खत्म होने से जहां राष्ट्रीयकरण सफल होना चाहिये वहां यह आमदनी क्यों कम हुई है? जैसे जिला झालावाड़ का ही मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि 66,062 बोरे, झालावाड़ में कम प्राप्त हुए और औसत 26.65%

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

कम हो जाने से 27 लाख की आमदनी का घाटा हुआ। यह किसकी जिम्मेदारी है ? माननीय मंत्री महोदय जानकारी करें।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व में झालावाड़ जिले की जो औसत आमदनी 4,64,746 थी वह 13,39,425 ज्यादा हुई थी। राष्ट्रीयकरण से फायदा हुआ। बारां 6,10,315। और कोटा में और बून्दी में भी फायदा औसत से ज्यादा आया। टोंक सवाई माधोपुर में 33,344 का लाभ मिला। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में 19,86,568 रु० की आमदनी का राष्ट्रीयकरण से फायदा हुआ। जयपुर क्षेत्र में 75,083 हजार का घाटा उठाना पड़ा और औसत से कम बोरे आये। और उदयपुर सर्किल में 1,23,627का घाटा वहां के अधिकारियों ने दिया। 13,38,720 का घाटा उदयपुर और जयपुर सर्किल ने दिया और 19,86,568 का पूर्वी सर्किल में उन्हीं रेन्जरों ने फायदा दिया है।

इस प्रकार राष्ट्रीयकरण से केवल 6 लाख 35 हजार 90 रुपये की असल आमदनी इसमें हुई है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि 6 लाख रुपये की आमदनी में पंचायतों को मिलने वाला शेयर भी शामिल है। ग्राम पंचायत बारां व जिला झालावाड़ में पहले ठेका दिया करती थी उसमें 10 लाख रुपये इनके बनते, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि यह 10 लाख रुपये में 6 लाख रुपये शरीक कर लिये जायें तो 4 लाख का घाटा राष्ट्रीयकरण के मामले में हुआ। वहां के अधिकारियों से कम से कम माननीय मंत्री जी यह तो पूछें और एक्शन लें एक कमीशन बैठाकर कि यह घाटा क्यों हुआ और आमदनी क्यों नहीं हुई और 10 लाख रुपये पंचायतों को देना चाहेंगे तो 4 लाख का घाटा रहेगा। इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1974-75 में सरकार के द्वारा पत्त तुड़वाये गये डूंगरपुर, बांसवाड़ा सिरोही और चित्तौड़गढ़ में। तो सरकार द्वारा पत्ते तुड़वाकर उनको बोरे में भरवाया गया और जो अपने पास रखा उसकी कीमत 14 लाख रुपये आंकी गई थी। मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन बोरों की वास्तविक कीमत क्या है और कितना रुपया गवर्नमेंट को मिलेगा। केवल उसका 5 लाख रुपया मिलेगा क्योंकि वह बोरे खराब हो गए, सड़ गये और काले पड़ गये। कलकत्ता में 2 हजार बोरे भेजे उसकी 30 रुपये बोरा कीमत लगी जब कि 50 रुपया तो उसके तुड़वाने का ही खर्चा लगा और 60 रुपया ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज। तो 110 रुपये की कीमत का बोरा 30 रुपये के हिसाब से बिकेगा। तो इस प्रकार हमारे अधिकारियों की गैरजिम्मेदारी के कारण 9 लाख रुपये का घाटा सरकार को होने जा रहा है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि 4 हजार बोरे डूंगरपुर के $11\frac{1}{2}$ रुपये में बेचे हैं। आप ताज्जुब कीजिए कि दूसरे व्योपारी 80 रुपये में बोरा बेच रहे हैं, 100 रुपये या 70 रुपये में बेच रहे हैं और आपके अधिकारियों ने $11\frac{1}{2}$ रुपये के हिसाब से 4 हजार बोरे बेच दिये हैं जब कि उन बोरों की लागत 80 रुपया बोरा आंकी गई है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच कराइये और 9 लाख रुपये का यह और 4 लाख रुपये का वह इस

(श्री रामप्रसाद बोहरा) प्रकार 13 लाख रुपये का घाटा सरकार को 1974-75 में होने जा रहा है जब कि पूर्वी वृत्त में फ़ायदा हुआ है। तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के कारण सन् 1975-76 में भी यही हाल होने वाला है। तो यह तो तेंदू पत्ते की आय के बारे में मैंने निवेदन किया।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि बोरी वन मण्डल में चेकिंग पार्टी गयी थी 1975-76 में और यह यूनिट मेरे पास लिखी हुई है यूनिट नं० 13, 26, 29, 31, 24 और 26 आदि 18 यूनिटों में आपकी चेकिंग पार्टी गयी और उसने ठेकेदारों के बोरों को चेक किया और रंगे हाथों पकड़ा और इस प्रकार लगभग 2707/802 बोरे चोरी से जाते हुए पकड़े जिनकी कीमत 1,08,009.33 रु० होती है और इतनी ही 1,08,009.33 रुपया पेनल्टी का, इस प्रकार करीब 2 लाख रुपये से ऊपर जब कि सी. एफ. ओ. ने आदेश दिया था कि यह रुपया उन लोगों से वसूल किया जाये परन्तु वहां के डी. एफ. ओ. ने आज तक पैसा वसूल नहीं किया है और राज्य सरकार को इसमें करीब दो लाख रुपये का घाटा हुआ है। इसकी भी आप जांच कराये।

अब मैं थोड़ा आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें राष्ट्रीयकरण में सफलता मिलती है और ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ती है तो उनको अच्छा शेयर मिलता है और उनसे गांवों का अच्छा विकास होता है। आपने लगभग 3 साल से पैसा नहीं दिया है और जब भी हम इसके बारे में पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि यह राज्य सरकार के विचाराधीन है। तो राज्य सरकार कब तक विचार करेगी जब कि हमारे जिले में 18 लाख 4 हजार 172 रुपया दिया है तो ऐसी स्थिति में हमें वह रुपया दिलाइये मेहरबानी करके। मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फ़त माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की पंचायतों की हालत खस्ता है और यह आप भी जानते हो। इसलिए उनका शेयर उनको जल्दी ही मिलना चाहिए।

अब, सभापति महोदय, मैं भू-राजस्व के बारे में निवेदन करूंगा। अभी बीस सूत्री कार्यक्रम में भू-आवंटन हुआ था खानपुर, झालरापाटन में और उसकी शिकायत भी कलेक्टर के पास आई लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और वहां पर सवर्णों को जमीन दे दी गयी और गरीब हरिजन, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को दुख दिया गया। जैसा खानपुर में हुआ था, वहां एस० डी० ओ० ने जमीन बांटी थी। आप इसकी भी जांच कराइये।

इसी प्रकार से पीपलोद और गोविन्दपुरा पंचायत की भी शिकायतें मैंने खुद ने भेजीं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तहसील का यह हाल है कि हर काम के लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो यह रफ्तार उनकी अब भी जारी है। तो अभी माननीय सदस्य ने निवेदन किया ही है मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। तो कम से कम आप इसके लिए महरबानी करें। तेंदू पत्ते का मामला बहुत ही चिन्ताजनक है। एक वृत्त के अधिकारी काम नहीं करते और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और इतने बोरों का नुकसान हुआ है। तो मैं मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा और यह बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप इसकी जांच कराइये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम में जो 6 सूत्र हैं वह ग्रामीण जनता से सम्बन्धित हैं और उनमें आप के विभाग से 4 सूत्रों का तो बहुत ही गहरा ताल्लुक है और 5वां सूत्र भी इस विभाग के कर्मचारियों, कलेक्टर, एस० डी० एम० के द्वारा संचालित होता है। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में जो प्रगति हुई उसके लिए राजस्थान बधाई की पात्र है चाहे वह सीलिंग का प्रश्न हो, चाहे वह राजाओं की भूमि अवाप्त करने का प्रश्न हो, चाहे वह भू-अभिलेख तैयार करने का प्रश्न हो, चाहे वह बंधक का प्रश्न हो या चाहे और प्रश्न हो, खातेदारी हकूक देने के या म्युटेशन के प्रश्न हो, राजस्थान ने सारे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह ठीक है कि कई प्रश्नों के सम्बन्ध में शिथिलता भी रही है लेकिन जो हमने प्राप्तियां की हैं मैं निश्चितरूप से कह सकता हूं कि वह इन शिथिलताओं के मुकाबले में कहीं अधिक हैं। इसलिए माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जो आज राजस्व को और वन विभाग को डील कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत आज हम मांग संख्या 8 को ले रहे हैं और जिसके लिए 12,66,93,000 की राशि चाही गयी है और वन विभाग जिसके तहत 6,90,21,000 की राशि चाही गयी है—यह विभाग इस बात के हकदार हैं कि उनको यह राशि दी जाये और इससे अधिक दी जाये और बधाई भी दी जाये। मैं समझता हूं कि जितना कार्य किया गया है उसके अनुपात के अन्दर कोई बहुत अधिक राशि स्वीकृत की जा सकती थी लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति जो इस समय है उसमें वह राशि हम इससे अधिक स्वीकृत नहीं कर सकते। अगर हम अपनी अर्थ व्यवस्था को री-जनरेट कर सकें तो इससे भी अधिक राशि स्वीकृत करने की स्थिति में हो सकते हैं। जो भूमि सुधार किये गये हैं वह इस दिशा में कदम हैं कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था को री-जनरेट करें। जो हमने भूमिहीन कृषकों को भूखण्ड आवंटित किए हैं, जो सीलिंग के तहत धरती अधिग्रहण की है और सबसे बड़ी बात यह है कि सामन्ती अवशेषों को समाप्त किया है वह इस दिशा में एक कदम है कि हम अपनी इकोनोमी को री-जनरेट करें। आज कैपिटलिस्ट इकोनोमी में भी लैंड रिफार्म्स को माना है, लैंड रिफार्म्स हमारा सबसे जरूरी टास्क है। आज प्रजातन्त्र का यह सबसे ज्यादा जरूरी टास्क है जिसको पूरा करना है और वह भूमि सुधारों का टास्क है। इसलिए इस बीस सूत्री प्रोग्राम में भी सबसे अधिक इम्पोर्टेंस भूमि के सुधारों के टास्क के सम्बन्ध में है और भूमि के सुधारों को अगर हम पूरी तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं तो निश्चितरूप से हम अपनी इकोनोमी को री-जनरेट करेंगे। हम अधिक मेटिरियल कम्पोनेंठ अपने इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में अवेलेबल कर सकेंगे। यही एक दिशा हो सकती है जो कि हमें डवलपमेन्ट की तरफ, हमारे साइंटिफिक डवलपमेंट की तरफ हमें आगे ले जायेगी।

सभापति महोदय, जहां तक लैंड सीलिंग का प्रश्न है मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र का सबसे पहला टास्क यही है कि लैंड सीलिंग लागू की जाय। आज हमने 5,59,468 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के आदेश जारी करके एक कीतिमान भी सारे हिन्दुस्तान के अन्दर स्थापित किया है। लेकिन इस कीतिमान के साथ कुछ सन्देह भी उभर गए

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

हैं। अभी चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस जब हुई तो प्रधान मन्त्री ने इस बात को स्पष्ट कहा कि यह भूमि कौनसी है और राजस्थान के सम्बन्ध में तो विशिष्ट स्थिति भी है।

सभापति महोदय, अगर हम लैंड होल्डिंग के सिलसिले में देखें तो सारे भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति 23 बीघा जमीन राजस्थान के अन्दर ही आती है और कहीं पर भी नहीं है। और फिर 59 पर्सेन्ट क्षेत्र भी मरुस्थल राजस्थान का ही है। हमें सारे अचीवमेंट को इस दृष्टि से देखना होगा। और भारतवर्ष के हिसाब से जितनी धरती सारे भारतवर्ष में 20 प्रतिशत लोगों के पास है उतनी धरती हमारे यहां 80 प्रतिशत लोगों के पास है। राजस्थान की इस दिशा में भी विशिष्ट स्थिति है। जो धरती सारे क्षेत्र में 30 पर्सेन्ट लोगों के पास है वैसी धरती यहां 70 प्रतिशत लोगों के पास है। पर-हैक्टर से देखें तो पांच हैक्टर की जो तो की संख्या जहां 48,957 है वहां 5 हैक्टर से लेकर 10 हैक्टर तक की जोतों की संख्या 5,57,024 है। मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी संख्या 5 हैक्टर से 10 हैक्टर तक के जोतों का भारतवर्ष में कहीं नहीं है। और दस हैक्टर से बीस हैक्टर तक के जोतों की संख्या 3,31,999 है। यह भी आंकड़े अपने आप में राजस्थान के अभूतपूर्व हैं। और पचास से ऊपर के 34,777 हैं। यह भी जमीनों की होल्डिंग की स्थिति अभूतपूर्व है। सारे अगर भारतवर्ष को आप देखें और, सभापति महोदय, हमने सीलिंग कानून सन् 1963 के अन्दर घोषित कर दिया था। यह हमारा दुर्भाग्य था कि वह कानून 1963 के अन्दर लागू न होकर 1966 के अन्दर लागू हुआ और 1966 के अन्दर यह कानून 1-4-66 से लागू हुआ। उस वक्त जब हम कल्पना करके चलते थे वह काफी था भूमि का लेकिन उसके बाद भी जब हमने अपने 30-4-71 के अनुमान लगाए तो हमारा यह अनुमान था कि हमारे सारे राजस्थान के अन्दर 33,510 केसेज से 16,05,328 एकड़ धरती प्राप्त कर सकेंगे। आज अगर हम यह घोषणा करते हैं कि हमने सारे राजस्थान के अन्दर नए और पुराने कानून के तहत 5,59,468 एकड़ धरती अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी तो न तो यह कोई हमारे उस अधिग्रहण कानून के अन्तर्गत है, हमें आप सन्तुष्टि बेशक दे दें लेकिन कोई बहुत अधिक प्राप्ति की बात नहीं कही जा सकती उस दृष्टि से। और फिर जब, सभापति महोदय, सारे सीलिंग के कानूनों की क्रियान्विति करने के लिए हमारा जो बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ कायम हुआ, जिसका कि डाकूमेंट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सरकूलेट हुआ उसके अन्दर भी इस बात की अपेक्षा की गई कि सारी कमजोरियों के बावजूद भी हम आठ लाख एकड़ से अधिक धरती अधिग्रहण कर सकेंगे। यह प्रकोष्ठ का नोट मेरे पास बाकायदा मौजूद है। मैं उस नोट को पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता हूं। सभापति महोदय, एक कानून 1973 में लागू किया गया और इस कानून के तहत बड़ी निराशाजनक बात हमारे सामने स्पष्ट होकर आई कि दो लाख से अधिक धरती अधिग्रहण नहीं कर सकेंगे लेकिन आज हमारे प्रकोष्ठ के मुताबिक नए और पुराने दोनों कानूनों को मिला कर हम आठ लाख एकड़ धरती प्रवाप्त करने की बात

Page No 100

(100)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा) समझते हैं। और हमारे राजस्थान प्रान्त की क्रियान्वयन कमेटी बीस सूत्री कार्यक्रम की है वह आठ लाख एकड़ का टार्जेट अपने मद्देनजर रख कर चलती है। इसलिए, सभापति महोदय, अगर इन सारी बातों को मिला कर देखा जाय तो निश्चित रूप से कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के अन्दर भी कहीं बहुत बड़ी खामी है और उन खामियों की ओर उस प्रकोष्ठ ने भी ध्यान दिलाया और उन खामियों को मद्देनजर रख कर हमने बहुत सारे अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हमारे 1973 के एक्ट के अन्दर किए हैं। दफा 1 के अन्दर हमने एक नई दफा सब्स्टीट्यूट की है। हमने धारा 12 के अन्दर संशोधन किया है जिसके अन्दर केस री-ओपन कर सकते हैं। हमने धारा 18-ए के अन्दर, धारा 23 के अन्दर संशोधन किये और हमारे टिनेन्सी एक्ट के अन्दर 124 धारा का एक नया समावेश किया है। कुल मिला कर आज हम क्लियरली इस स्थिति के अंदर आ गए हैं कि कोई भी केस चाहे वह 1963 के कानून के तहत तय हुआ हो या वह 1973 के कानून के तहत तय हुआ हो, उस केस को री-ओपन किया जा सकता है। आज हम उस स्थिति के अन्दर आ गए हैं कि किसी भी जमीन की अवाप्ति का अगर प्रश्न पैदा होता है तो उसकी घोषणा के बाद तीस दिन के अन्दर उसको अवाप्त किया जा सकेगा। आज अगर रिटर्न फाइल नहीं होते हैं तो आज क्लियरली दो साल की जेल और दो हजार जुर्माने का प्रावधान है। आज गलत इन्फार्मेशन देने पर सजाओं का प्रावधान है। इसलिए आज हम सारी प्राप्तियों के बाद, सभापति महोदय, यह देखें कि हम इस अमेंडमेंट के बाद कितने केस री-ओपन करवा सके और इसको देखें, तो बड़े निराशाजनक आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के केसेज री-ओपन के सम्बन्ध में देखते हैं तो केवल 486 केसेज हम सारे राजस्थान के अन्दर री-ओपन करवा सके हैं और इसके अन्दर भी गंगानगर जैसे जिले के अन्दर जहां पर कि तीस हजार एकड़ भूमि अवाप्त करने का प्रश्न है और आज अधिग्रहित भूमि बहुत थोड़ी है। सारे गंगानगर में अधिग्रहित भूमि के आंकड़े देखें तो भूमि अधिग्रहण आदेश, जो कि प्रदान किए हैं, 15,238 एकड़ के दिए जा चुके हैं और नए कानून के तहत भूमि अधिग्रहण के आदेश 10,878 एकड़ के दिए जा चुके हैं। कुल मिला कर 36,113 एकड़ धरती अधिग्रहण करने के आदेश दिए हैं लेकिन वास्तविक कब्जा 4753 एकड़ से ज्यादा का नहीं लिया जा सका है और अगर सिर्फ बीस-सूत्री कार्यक्रम में देखा जाए, तो यह 22 हजार एकड़ का कब्जा क्यों नहीं लिया जा सका? इस सम्बन्ध में जो सफाई बीस सूत्री कार्यक्रम की कमेटी के सामने प्रस्तुत की गई है, वह सफाई बहुत ही निराशाजनक है और इस सफाई के अन्दर यह स्पष्ट है, सभापति महोदय, कि स्थगन आदेश की वजह है। क्या सुप्रिम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है कि यह अधिग्रहण न की जावे? यह अधिग्रहण क्यों नहीं की गई, इसमें जाकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं, परन्तु इसके आंकड़े मंत्री महोदय के सामने मौजूद हैं। वहां के अधिकारियों की शिथिलता के कारण, वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण और वहां पर व्याप्त भू-स्वामियों और ठाकुरों के दबाव के कारण, यह अधिग्रहण नहीं किया जा सका।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सरकारी जमीन का तो अतिक्रमण हो और बार बार महाराजा करणीसिंह की जमीन का अधिग्रहण न हो, यह शोचनीय बात है। राजस्थान राज्य के राजस्व मन्त्री ने सारे राज्य के अन्दर जहां राजाओं के पास जमीन थी, वहां उसका अधिग्रहण करके एक बहुत बड़ा लैण्डमार्क इस दिशा में प्राप्त किया है। काफी बड़ी संख्या में राजाओं की भूमि की अवाप्ति की गई है। राजाओं की धरती जहां 1 लाख 74 हजार 585 एकड़ थी, उनके पास से हमने भू-स्वामी भूसम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 के अधीन 43,775 एकड़ जमीन अवाप्त कर ली और सीलिंग के एक्ट के अन्दर 14 हजार 246 एकड़ भूमि ही एक्वायर की गई। अभी ऐसी बहुत सी धरती है, जो राजाओं ने बेच दी है जो कि बीस हजार एकड़ से अधिक है। ऐसी बहुत सी धरती राजाओं की है जो इस कानून के अन्तर्गत अवाप्त की जा सकती है। सभापति महोदय, मैं एक विशेष केस की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस कानून के तहत बीकानेर के महाराजा करणीसिंह की धरती अवाप्त नहीं की जा सकती। महाराजा करणीसिंह की अवाप्ति न होने के अन्दर अधिकारियों की शिथिलता है जो कि एस. डी. एम. की रिपोर्ट के मुताबिक है। 25 मुरब्बा भूमि का बाग महाराजा करणीसिंह का है और जिसको चार गुना पानी वहां पर लगता है, 25 मुरब्बा याने 500 बीघा से ज्यादा, 600 बीघा के करीब और बाग का हिसाब लगायें, साधारण किसान के हिसाब से वह 2400 बीघा के करीब होता है और चार गुना पानी इन्डीपेन्डेन्ट उनका आउटलेट है। यह बहुत विलम्बर स्थिति है लैण्ड एक्वीजीशन आफ भू-स्वामी अधिनियम, 1963 के अन्दर, उसमें यह विलम्बर है कि बागात, जंगलात, तालाब, गैर मुमकिन जमीन, सारी की सारी जमीन अवाप्त कर ली जाये। तो फिर ऐसा कौनसा विशेष बाग है जिसको लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत एक्वायर नहीं किया गया? आज भी क्या झिझक है महाराजा करणीसिंह का जो बाग है, उसको सरकार क्यों अवाप्त नहीं करती है? सरकार क्यों नहीं अधिग्रहण करती है? और फिर विलम्बर 1-4-64 के बाद उन्होंने अपने खातों का वितरण किया है सारा का सारा नाबालिग बच्चों के नाम किया है, नाबालिग लड़की के नाम किया है, लड़कों के नाम किया है। इस सब से ऊपर यह है कि करणीसिंह के इस केस के सम्बन्ध में बड़े स्पष्ट रूप से, बीकानेर के सब डिवीजनल आफिसर का डिसीजन हो चुका है और इस डिसीजन के अन्दर बड़ी स्पष्टता से मिसल 42/590/69, 28-10-76 गजनेर, को 305 बीघा जमीन छोड़ कर, सारे स्थानों के अन्दर महाराजा करणीसिंह की जितनी जमीन है, उसको सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहण कर लेना चाहिये। यह डिसीजन हो गया। एस. डी. ओ. की रिपोर्ट के अन्दर विलम्बर है। यह डिसीजन हुआ, गंगानगर के तहसीलदार को क्रमांक 1727 दिनांक 9-11-71 चक नम्बर 3/21 की शामलात जमीन 600 बीघा को अवाप्त करने के आदेश भी दे दिये गये थे। इतना ही नहीं पत्र संख्या 1724, दिनांक 9-12-71 द्वारा इस बात की एक सूचना करणीसिंह मैनेजर के जरिये दे दी गई और उसके बाद ये सारे के सारे आदेश फाइलों में बन्द होते चले गये। आज महाराजा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करणीसिंह फौज के कमांडर जनरल से इस बात का सौदा कर रहे हैं कि उनकी जमीन चार लाख प्रति मुरब्बे के हिसाब से, चार लाख प्रति 25 बीघा के हिसाब से खरीद ले, खरीद ली जाये। यह जमीन बहुत जल्दी ही बेचने की स्थिति में है। इसलिए अब भी इनकी भूमि को हम भू स्वामी भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 के तहत अगर अवाप्त नहीं करते हैं तो इससे बड़ी कमजोरी, सभापति महोदय, हमारी और हमारी सरकार की ओर क्या हो सकती है ?

फिर, सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष इसी सम्बन्ध में निरलेप कौर का केस भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप कहेंगे यह भी कोई मामला है। ये ज्ञानसिंह राड़ेवाला की साहबजादी है, आप सभी लोग यह तो जानते होंगे। वे ही रायबहादुर रणधीरसिंह, जो कि पार्लियामेंट के मेम्बर थे, इनके ससुर थे, अपने ससुर साहब के मुकाबले अकाली टिकट से लड़ी थीं। आज यही निरलेप कौर शीशगंज के गुरुद्वारे पर कब्जा किये हुए हैं। गुरुद्वारे पर कब्जा राय बहादुर नारायणसिंह का नहीं है। वे अब इस दुनिया के अन्दर भी नहीं है लेकिन 12 हजार 500 बीघा जमीन रायबहादुर नारायणसिंह की है, जो कि गुजर चुके हैं, उनका एक लड़का भी बिना औलाद मर गया और रायबहादुर रणजीतसिंह केवल रह गये और उनकी एक यह लड़की रह गयी निरलेप कौर। तीन लोग रह गये। और 12 हजार 500 बीघा जमीन रह गई। इस जमीन के ऊपर 500 मजदूरों को लेकर रायबहादुर रणजीतसिंह के मेके-नाइज्ड फार्म पर, चक नम्बर 2/3-जेड, 7-सी, 8-सी के अन्दर काम चल रहा है। इतना ही नहीं एक एक मजदूर के ऊपर दस, पांच हजार रुपया निकल चुका, वह प्रश्न अलग से है। रायबहादुर रणजीतसिंह के खेत की, वहां की जांच की जाये। कोर्ट के अन्दर उनकी पेशी है परन्तु एस.डी.एम. फाइल बन्द करके, ताला लगा कर चला जावे और कहे कि यह केस आगे नहीं चल सकता है, सभापति महोदय, इससे गम्भीर केस और हो ही नहीं सकता।

फिर मैं पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री प्रकाशसिंह बादल का केस इस सदन में रखना चाहूंगा। इनको एक हजार एकड़ का मालिक लिखा गया है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर कलेक्टर को लिख कर दिया है कि यह सारा का सारा रिकार्ड फर्जी है। यह सारा का सारा बेनामी है। एन्टी करप्शन ने इस केस की जांच की है और जांच के दौरान यह सारा का सारा रिकार्ड फोर्ज्ड पाया गया है। ये वही प्रकाशसिंह बादल हैं जिनके यहां पर यूथ कांग्रेस, यूथ फेडरेशन, किसान सभा और कांग्रेस के प्रगतिशील और कम्युनिस्ट पार्टी के वर्करों ने 15 हजार क्विंटल चना और गेहूं के गोदाम को तोड़ा था और वह सारा का सारा गंगानगर के बाजार के अन्दर लाकर डाल दिया था और वहां चना और गेहूं का भाव दस रुपये क्विंटल हो गया था। आप आज प्रकाशसिंह बादल के केसेज को भी छोड़ना चाहते हैं।

(2.19 बजे म० प०)

(श्री रघुनाथ बिश्नोई, सभापति, पीठासीन)

फिर मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा इससे भी बड़े केसेज का, रिछबेरसिंह के केस का, श्योदत्त राय नीला के केस का।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

यह सारे के सारे खरबपति लोगों के हैं करोड़पति लोगों के हैं। भूपति भी हैं और करोड़पति भी हैं। श्योदत्त राय नीला नाम के व्यक्ति ने चार करोड़ की लागत का भोपाल के अन्दर ब्रीवेरी एस्टेब्लिश की है और चक 6 जेड, 7 जेड, 8 जेड और 9 जेड तीन हजार बीघा से अधिक जमीन पर काश्त कर रहे हैं। 55 परिवार 40 वर्षों से शिकमी काश्तकार हैं। एस०डी०एम० की कोर्ट में सीलिंग का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। न 63 के कानून के तहत तय हो रहा है और न 65 के कानून के तहत केस हो रहा है। वह 55 परिवार जो शिकमी काश्तकार हैं, जो सब्जी बेचने का काम करते हैं 25 साल जिसका रिकार्ड भगतसिंह ठेकेदार की बहियों में दर्ज है। दो हिस्सा लेते हैं और तीसरा हिस्सा देते हैं, लेकिन भगतसिंह ठेकेदार का रिकार्ड तलब नहीं हो रहा है। श्योदत्त राय नीला को नहीं छेड़ा जा रहा है, और पंजाब से दो-दो गुण्डे बुला कर शिकमी काश्तकारों की पिटाई करता है। थाने के अन्दर केस नहीं करता है। थानेदार भाषण देते हैं कि क्या लेना है हमको, 20 सूत्री प्रोग्राम से मार दिये जाओगे। जब 20 सूत्री प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग होती है तो हजारों की तादाद में शिकमी काश्तकार इकट्ठे होते हैं।

फिर यह महन्त शिवनाथ जो कि गंगानगर से कुल 5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, 1,425 एकड़ होल्डिंग 7 एम०एम० इनके पास है। इन महन्त साहब को क्यों नहीं छेड़ा जाता है? हरियाणा के राव वीरेंद्र सिंह जी की मिनिस्ट्री के केबिनेट मिनिस्टर ने सारे भारतवर्ष के अन्दर 25 हजार एकड़ से ऊपर की होल्डिंग्स जगह जगह पर ले रखी है, और प्रतिक्रियावादी शक्तियों को करोड़ों रुपया दान देने वाले हैं, लेकिन इन महन्त साहब के केस को छेड़ने की स्थिति में आप नहीं हैं।

और दो और सेठ सुगनचन्दजी के केस का भी मैं वर्णन करना चाहूंगा। यह एक एक्स्ट्राआर्डिनरी केस है। इस पर न तो 63 का कानून लागू है, न 73 का कानून लागू है, न 73 के कानून का एमेंडमेंट लागू है, न रिटर्न और इन्फार्मेशन देने का नोटिस जारी है, न उसको सप्लीमेंटरी फार्म भरना है और न कोई इसकी चिन्ता है। यह भी कोई छोटे-मोटे काश्तकार नहीं हैं। इनके यहां शिकमी काश्तकार काम कर रहे हैं चक 3-ए, 6-ए, 5-ई इनके अन्दर हजारों बीघा जमीन सेठ साहब के पास में है। फिर कोई मामूली आदमी नहीं हैं। बड़े काश्तकार हैं। एक काश्तकार का केस एस.डी.एम. की कोर्ट के अन्दर चल रहा है। एस०डी०एम० ने जकूराम काश्तकार के कब्जे को तस्लीम कर लिया है। उसने एन्ट्री बन्द कर रखी है, लेकिन बड़ी बेरहमी से उस जकूराम को पकड़ कर कूटा गया जिसकी सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में खबर आई है और कांग्रेस यूथ और कांग्रेस के खेत मजदूर सभा और कृषि मजदूर संघ जो कि कांग्रेस की यूनियन है उनके लोगों ने हजारों की तादाद में वहां पर प्रदर्शन किया। सेठ साहब ने बन्द रखा है अपने कमरे में और 14 तारीख को इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग हुई तो जकूराम जो उप-काश्तकार है उसके भाई जसराज की टांग तोड़ दी गई टेरेराइज करने के लिए। उसको हास्पिटल में भर्ती नहीं किया गया, थानेदार साहब ने रिपोर्ट नहीं ली।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सभापति महोदय, यह वह बड़े बड़े लोग हैं और उसके अतिरिक्त ऐसे तो सैकड़ों ही केसेज हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं। एक साहब हैं शेरसिंह जी जो कि 5 हजार एकड़ के मालिक हैं सी० पी० एफ० के चक हैं जो कि पदमपुर के अन्दर हैं। तीन शादियां कर रखी हैं और तीनों बीवियों के नाम अलग अलग अपने कुनबे के लिए किया है। ऐसे केसेज तो सैकड़ों ही हैं जिन्होंने बाकायदा अपनी बीवियों को तलाक दे रखा है। अगर उनकी लिस्ट सदन में पेश करने लगूं तो उस लिस्ट का अन्त नहीं होगा। घरवालियों को तलाक दे रखा है और बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, और उनसे कहते हैं कि यह बच्चा आपका है या किसी और का तो मरने मारने को तैयार हैं। सरदार साहब बन्दूक उठाये हुए रहते हैं।

एक सरदार रिछबेर सिंह जी का केस है। उनकी को-ऑपरेटिव सोसाइटी का उनका कुत्ता भी मेम्बर है और घोड़ा भी मेम्बर है, और बैल भी को-ऑपरेटिव सोसाइटी के अन्दर मेम्बर है और 3 हजार बीघा जमीन सरदार रिछबेर सिंह जी गंगानगर के, दो किलोमीटर की दूरी पर दावे हुए बैठे हैं। कभी राजस्थान से टेलिफोन जाता है, क्षमा कीजिये मंत्री महोदय, आपने इस प्रकार का कोई टेलिफोन नहीं किया, आप ऊंचे हैं इस काम से, और कभी दिल्ली से टेलिफोन आने लग जाता है कि सरदार रिछबेर सिंह जी को मत छेड़िये। वे राज्यपाल महोदय के रिश्तेदार हैं, क्षमा करें, उनको नहीं छेड़ा जा सकता है। सरदार साहब ने फर्जी को-ऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है और उसके तहत सारी की सारी जमीन को दाब रखा है।

तो, सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता था कि और फिर ऐसे भी लोग हैं क्योंकि गंगानगर कई भूपतियों का बहुत बड़ा गढ़ है, और सारे केसेज को देखा जाय और गंगानगर की परिस्थितियों को देखा जाय तो मैं समझता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम यह कहें कि केवल सरकार ही इस कार्य को करे ऐसी बात नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि केवल 20-सूत्री प्रोग्राम की इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी ही नहीं बल्कि सारे खेत मजदूर और विद्यार्थी संगठन इस कार्य के अन्दर जुट पायेंगे तो ही हम इस कार्य को सम्पादित कर सकेंगे और इन भूमियों को मुक्त कर सकेंगे।

लेकिन आज बन्धक मजदूरों के सम्बन्ध में जो दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति राजस्थान की है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और सबसे अधिक कोई दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति राजस्थान में है तो बन्धक मजदूरों की है। कुल मामले बन्धक मजदूरों के 335 आये हैं और उनमें से 133 मामलों में चालान किया गया है। सेन्ट्रल बन्धक मजदूर एक्ट बहुत क्लियर है। आज अगर सारे राजस्थान के खेत मजदूरों की परिस्थिति की जांच करें तो हमारे सामने स्पष्ट हो जायगी। राजस्थान में अगर हम कर्मी और अकर्मी लोग, श्रमिक कर्मी और अकर्मी लोगों के आंकड़े देखें तो कोई अच्छे आंकड़े नहीं हैं। 7,11,378 कर्मियों की संख्या राजस्थान के अन्दर है, जो कृषि श्रमिक हैं, 1,97,082 ऐसे लोग हैं जो पशु-पालन या बगीचों के अन्दर काम करके या मछली पालन करके गुजारा करते हैं। इसके अतिरिक्त 1,96,818 ऐसे लोग हैं जो कि घरेलू उद्योगों के अन्दर कार्य करते हैं। इसके अन्दर और भी बहुत से लोग हैं 3,27,436 जो कि अन्य सेवाओं और में हैं जिनमें

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बन्धक मजदूर भी हैं, ऐसी सेवाएं वह करते हैं। अगर देखा जाय तो 15 लाख के ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको कि हम खेती मजदूर या न्यूनतम मजदूर की संज्ञा दे सकते हैं और मैं समझता हूं कि वास्तविकता में यह आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि गंगानगर में 4 लाख से अधिक खेती मजदूर हैं और जो सेन्ट्रल डेफीनेशन है उस में सीरी बन्धक मजदूर के रूप में आते हैं। अगर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली और कोटा के सहरिये यह सारे बन्धक मजदूर हैं तो इनसे कम दुर्दशा इन बन्धक मजदूरों की नहीं है जिनको 25-30 साल हो गए हैं और उनसे एक एक साल का पट्टा लिखा रखा है, दो-दो साल का पट्टा लिखा रखा है, और हर किस्म के फर्जी इन्द्राज कर रखे हैं, और अकेले नारायणसिंह के चक के ऊपर चले जायं तो सैंकड़ों की तादाद में बन्धक मजदूर हैं, लेकिन 7 शायद 6, की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, 20 सूत्री प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 6 मजदूरों को मुक्त किया गया है। अन्य बन्धक मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, उन लोगों को देखें तो 42-43 दफा के तहत जो हरिजनों की जमीनों के कब्जे के मामले हैं तो वह भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। केवल 14,939 मामले पकड़े गये हैं जिनमें केवल कार्य आरम्भ हुआ है। इनमें 4,474 मामले ऐसे हैं, जिनमें कार्य आरम्भ हुआ है। 12644 लाभान्वित हुए हैं। पता नहीं यह कैसे हो गया है। 312 मामले केवल सरकार के अन्दर दर्ज हुए हैं। लम्बी चौड़ी बहस हुई है। 312 टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत वह जमीन जो किसी के पास रही, अवाप्त करली जाये। लेकिन कोई इस सम्बन्ध में प्रगति नहीं है। यहां तक ले ली गई है। कोई पटवारी अगर किसी हरिजन की जमीन के लिए कुछ करता है तो उसको सस्पेन्ड कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि मेरे जिले के अन्दर यह मामला किसी कदर कम नहीं हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी तरह से, सभापति महोदय, रहन और बय के केसेज 5 साल के लिए जिनकी जमीन ली है, वह कितने मुक्त किये हैं? वह ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। जहां तक जमीन के अलॉटमेंट का सवाल है, मैंने डिमाण्ड्स के समय राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में बोलते हुए रखा था। यह ठीक है, आपने सारे राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में जमीन अलाट की है। लेकिन जो लड़ाई है एक तरफ आपने जमीन अलवर में अलाट की तो एक हंगामा खड़ा हो गया। आप डिबार्चर जमीन को अलॉट कर दीजिए। जंगलात की जमीन कर दीजिए। यह तो हरिजन कमेटी ने किया है कि जंगलात की जमीन बड़े बड़े भूपतियों ने रोक रखी हैं। 30 हजार परिवारों को जमीन अलॉट की। पाली जिले में जमीन का अलॉटमेंट चल रहा था। तो एक आदमी भारत सरकार से आया कि, आकर उसने कहा कि जंगलात की जमीन के अलॉटमेंट रोक दिये जायें। वहां कुछ विशिष्ट लोगों को ऐतराज था क्योंकि 33% वन होने चाहिए। जैसलमेर में रेगिस्तान 58% है। इस दिशा में आज हम प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन जितनी हमारी उपजाऊ जमीन है, जहां हम हरिजनों को आबाद करना चाहते

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

हैं। पाश्चर लैण्ड एक बड़ा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। एक तरफ आप देखें तो वनों की आवश्यकता है। पाश्चर लैण्ड ऐसे भी हैं। मैं समझता हूं कि वन विभाग ने इसके अलावा भी पाश्चर लैण्ड का एक्सटेंशन किया है। कैनाल बोर्डर पर काफी एरियाज हैं। अगर आप इस सम्बन्ध में पूरा साइण्टिफिक काम करते हैं, पाश्चर लैण्ड का विकास करते हैं तो वह कृषि के आधार से लाभप्रद होगा। यह जी. डी. आर., पोलेण्ड और चैकोस्लोवाकिया में किया है। आपका सारा का सारा 80 लाख कल्चरेबल कमाण्ड एरिया है। जिस क्षेत्र में इरिगेशन कराना चाहते हैं अगर आप इर्रीगेशन देते हैं। लूणकरनसर, नागौर में तो यह प्रतिवर्ष 700–800 रु० हो जाएगी। अगर आप इन क्षेत्रों में करना चाहते हैं तो कास्ट आफ इरिगेशन ज्यादा होगी। अगर फारेस्ट की वैल्ट क्रियेट करना चाहते हैं तो लिफ्ट इर्रिगेशन भी हो सकता है मेरे यहां घग्घर डाइवर्शन कैनाल है जिस पर बहुत बड़ी प्राब्लम क्रियेट हो गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां फोरस्ट डवलप किये जायें, इस बात की वहां आवश्यकता है। यह अच्छा स्पोट हो सकता है। पाश्चर लैण्ड बन सकता है। फिशरीज और एनीमल हस्बैण्डरी का बन सकता है। लेकिन अभी स्थिति चम्बल या अन्य स्थानों की तरह है। अगर आप लीबिया, इजिप्ट के आसवां डेम की तरह खोलना चाहते हैं तो उन्होंने इरिगेशन भी किया है। उन्होंने इसको काफी इम्पोर्टेंस दी है। सिरसका गेम सेंचुअरी में वहां के कृषकों के जीवन को कठिनाई में डाल दें तो जहां आज वह है, वह ठीक नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, अब मैं देवस्थान की मांगों पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि विधान सभा के अन्दर जो कपट द्वारा प्रकट हुआ है, वहां लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति है चाहे वह जयपुर के गोविन्द देवजी हो या नाथद्वारा के हों। लाखों रुपया मन्दिरों के कपटद्वारों में प्रकट हुआ है। लाखों रुपयों का इनवेस्टमेंट हुआ है। यह पब्लिक वेलफेयर पर इनवेस्ट किया जाना चाहिए था। वह नहीं किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता यह है कि जो मठ हैं, और ऐसे स्थान है, उनको सरकार अपने हाथों में ले। कैलादेवी की कहानी मैंने कई बार दुहराई है। उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। बहुत बड़ा फ्रॉड है। कोई ट्रस्ट नहीं है। वहां के महाराज कुमार ने उस सारी की सारी सम्पत्ति को अपने हाथ में हथिया रखा है। ट्रस्ट को अपना एक महल बेच दिया है और करोड़ों रुपया ले लेते हैं। इसी प्रकार से मदनमोहन जी के मन्दिर के अन्दर भी लाखों रुपयों की बंगलिंग है वह भी फर्जी नाम से चलायी जा रही है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैलादेवी के मन्दिर का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है इनका सबको राज्य सरकार को ले लेना चाहिए। इसी प्रकार से आमेर के अन्दर माता जी का मन्दिर है उसका भी प्रश्न है। आज किसी भी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन को चलाने के लिये धर्म निरपेक्ष राज्य के अन्दर जितनी भूमि अलाउड है उतनी तो आप अलाउ कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार से अनाप शनाप सम्पत्ति और जमीन इनके पास पड़ी हुई हैं जिसकी राष्ट्र को आज जरूरत है, कैसे वे उसका उपयोग कर रहे हैं ?

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

गंगानगर में एक कानफाड़ बाबा थे, उनके तीन चेले हैं उन्होंने हजारों बीघा जमीन-तीन चकों के अन्दर दो हजार से भी अधिक बीघा जमीन दबा रखी है, उनका नाम है बाबा मवेशीनाथ, एक पूरा का पूरा मार्केट बाबा मवेशीनाथ का है। वह बाबा तो स्वर्ग सिधार गये, उनके चेले हैं जिनके नाम हैं देवनाथ, चतुरनाथ और

श्री सज्जन सिंह : योगेन्द्रनाथ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे तो चेला बनाया नहीं, मैंने कान फुड़ाया नहीं। मैंने कहा कि मेरा भी कान फाड़ दें लेकिन यह हुआ नहीं। तीसरा चेला था रतीनाथ, ये तीनों चेले वहां पर रह रहे हैं। लेकिन तीनों अब नाथ नहीं रहे, तीनों ने विवाह कर लिया है और हजारों रुपयों की जो सम्पत्ति बाबा मवेशीनाथ की थी उसका वे लोग उपभोग कर रहे हैं। इस तरह से आप कब तक उनको अलाउ करते रहेंगे ?

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिला प्रशासन के ऊपर मैंने काफी कट मोशन दिये हैं। कई जगह आपका जिला प्रशासन फैला हुआ है, आपकी तहसील की बिल्डिग है, एस. डी. एम. का आफिस है, आपकी कलेक्टोरेट की बिल्डिंग है एक ही कम्पाउन्ड में उसके अन्दर सैकड़ों अर्जी नवीस बैठते है, तिल रखने को भी जगह नहीं है ऐसी स्थिति चल रही है। खासतौर से मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा राजस्थान केनाल की जो 15 तहसीलें हैं उनकी ओर। अगर आप रायसिंहनगर की तहसील को ही ले लीजिये, उसकी हद में जो जमीन आती है वह दूसरी जगह लगती है, सारी की सारी तहसील ऊंट के गर्दन की तरह से है, चाहे अनूपगढ़ हो, चाहे सूरतगढ़ हो या विजयनगर हो, इस तरह से टोपोग्राफी है। सारी तहसीलों की जगह टिपिकल है। इस पर आप सारा का सारा रेवेन्यू सिस्टम लागू करेंगे तो कुल मिलाकर, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि तीन जो मेजर प्रोजेक्ट हैं— भाखरा प्रोजेक्ट, गंग केनाल और राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट इनकी प्राब्लम्स हैं, इनकी वजह से आज गंगानगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा ही अनविल्डी होता जा रहा है। इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट को दो डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करना बहुत ही आवश्यक है। ए.डी.एम. का आफिस आपका हनुमानगढ़ में है एक ए. डी. एम. का आफिस गंगानगर में है— सब कलेक्टरी चला रहे हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : माननीय सभापति जी, राजस्व और वन विभाग की मांगों के ऊपर मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। इसी सन्दर्भ में राजस्व विभाग की मांगों के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव मैंने दिये हैं उन पर मैं बोलना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, राजस्थान के अन्दर बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्व विभाग की ओर से राजस्थान के किसानों के हित में गरीब लोगों और आदिवासियों के हित में कई प्रकार के कार्यक्रम बनाये गये हैं और उनको राजस्थान केनाल के अन्दर भी लागू किया गया है। मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति जी, माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस मन्शा से बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत उन

(श्री राम गोपाल)

आदिवासी लोगों के अन्दर राजस्व विभाग की ओर से जो कार्यक्रम बनाए गए, व्यवहारिक रूप से कई स्थानों पर ऐसा नहीं किया गया और जो लक्ष्य होना चाहिए था उनकी उपलब्धि नहीं हो पाई हैं और वहां के आदिवासियों के जनजीवन, कई स्थानों पर आज की तारीख में अस्त-व्यस्त है। मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापतिजी कि इन उपलब्धियों का क्या परिणाम होगा और आदिवासियों के जीवन पर इनका क्या असर पड़ेगा और उसका क्या नतीजा निकलेगा ? यह हमारे लिये सोचने की बात है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर जो अभियान चलाया गया है उस ओर मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापतिजी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र शाहबाद के अन्दर आदिवासी लोग रहते हैं और सहरिया जो कम्युनिटी आदिवासियों की मानी जाती है वह केवल राजस्थान के शाहबाद पंचायत समिति के हिस्से में ही निवास करती है। वहां पर राजस्व विभाग ने एक आवंटन अभियान चलाया और विशेषतौर पर एक सघन अभियान चलाया गया। यह सोचा राजस्व विभाग ने कि वहां पर एक अभियान के तहत आदिवासियों का कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति जी, उस स्थान पर जिस व्यवहारिकता के नाते और जिस ढंग से कार्य होना चाहिए उस अभियान की मन्शा को समझ कर, वह कार्य नहीं हुआ है और आज वहां के आदिवासियों का जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। इस तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है, माननीय सभापति जी कि वर्षों तक वे लोग उस उलझन में उलझे रहेंगे और यहां तक स्थिति आ जाएगी उन की ओर अभी तक आ चुकी है कि वे यह महसूस करते हैं कि क्या किया है सरकार ने हमारे लिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, आवंटन की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा उसमें जो गड़बड़ियां और अनियमितताएं हुई हैं, व्यवहारिक कार्य नहीं हुआ हैं उस ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाने से पूर्व यह स्पष्ट कह देना चाहूंगा कि वे यह कहें कि भू-आवंटन कमेटी में विधायक भी बैठते हैं, इसलिए इसके पहले ही मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अधिकारियों ने किस प्रकार से अनियमितताएं की हैं। उनका चेयरमैन एस. डी. ओ. होता है, मैंने तय किया कि इस प्रकार से चलना है, हमने सारा प्रोग्राम बनाकर निकाल दिया, बीच में ही जयपुर आ जाते हैं और दूसरे कार्यक्रम में आवंटन करने लग जाते हैं। आज भी यही समस्या है, मुझे सूचना मिली है कि 25 तारीख से शाहबाद में आवंटन चालू कर दिया जायगा। यह इन्फोर्मेशन आज मेरे पास आयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के तहत, बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत प्रशासन और जन प्रतिनिधि इन दोनों में को-ऑपरेशन होना आवश्यक है। आज अगर को-ऑपरेशन नहीं होगा तो निश्चितरूप से हम समझेंगे कि व्यवहारिक रूप में काम नहीं होगा। यह स्थिति शाहबाद में हो चुकी है, भू-आवंटन में यह स्थिति पैदा हुई। आदिवासी वहां दस साल, पांच साल से ट्रेसपासर की हैसियत से जमीन पर बैठे हुए थे, जमीन उनकी नहीं थी, न उनको भू आवंटन हुआ था। वह उस जमीन पर ट्रेसपासर थे। राज्य सरकार का कानून लागू हुआ और ट्रेसपासर बेदखल

Page No 109

[redacted]

(109)

(श्री राम गोपाल)

हुए जमीन पर से। मैं कहना चाहूंगा कि उस समय हजारों की फसल खड़ी हुई थी, वह सारी फसल नष्ट कर दी गई और आदिवासी थे, उनको उजाड़ दिया गया। उसके बाद में जो भू-आवंटन हुआ तो जिस जगह पर कब्जा दस वर्ष से है, और दस वर्ष तक संवारा था मेहनत करके, वह जमीन उसे न देकर दूसरों को दे दी और दूसरी जमीन उसे दे दी। जो जमीन उसने संवारी उसका पट्टा उसे नहीं दिया गया। इस प्रकार जिसने मेहनत की उसको उस जमीन का आवंटन नहीं हुआ और ऐसी जमीन का आवंटन हुआ जिस पर न वह काश्त कर सकता है और न भवन बना सकता है। इस प्रकार का आवंटन आदिवासियों को किया गया है। इसी प्रकार जो सन् 1966 में भूमि का आवंटन शाहबाद में हुआ, वह राज्य सरकार से हुआ। लेकिन बाद में कहा गया कि शाहबाद में जो भू-आवंटन हुआ 66 में वह गलत हुआ है, उसको कैंसिल करना चाहिये। वह सारे के सारे भू-आवंटन कैन्सिल हो चुके हैं। उन तमाम को भूमिहीन कर दिया गया है। वह लोग आदिवासी हैं और उनको उस अभियान के तहत ही भू आवंटन हुआ था। लेकिन उनको उस भूमि से बेदखल किया गया है। खैर, बेदखल कर दिया गया लेकिन 1966 में जो जमीन का आवंटन हुआ था वह आदिवासी ट्रेसपासर नहीं थे, निश्चित-रूप से वह भूमिहीन आदिवासी थे और जो भूमि का आवंटन 1966 में हुआ वह कानूनी तौर से हुआ था और अगर यह कहते हैं कि गलत ढंग से वह किया गया था तो जिस जमीन पर जो खेती करता था उसको ही उसका हकदार बनाना चाहिए। लेकिन उसका हकदार न बना कर दूसरे को वह भूमि आवंटित कर देते हैं। इस प्रकार से आदिवासियों को उजाड़ दिया गया है। 1966 में जमीन आदिवासियों को आवंटित की, वह आवंटन कैन्सिल हो गया। लेकिन अब उस जमीन को उस व्यक्ति को, जो काश्त करता था, न देकर दूसरे को दे दी। इस प्रकार आदिवासियों को उलझा दिया है, उसकी जमीन चली गई, उसकी फसल चली गई। इस प्रकार कई आदिवासी हैं जिनको इस अभियान में भूमि का आवंटन नहीं हुआ है, यह मुझे कहना पड़ेगा। इसी प्रसंग के अन्तर्गत मैं आगे जाना चाहता हूं। जिस आदिवासी को जमीन आवंटित की, माननीय सभापति महोदय, आज भी उसको उसका कब्जा नहीं मिला है। कई आदिवासी ऐसे हैं जो दस साल से भूमि पर काबिज हैं, लेकिन कानूनी अधिकार होने पर भी उनको मालूम नहीं कि उनकी कहां भूमि है। ऐसे सैंकड़ों आदिवासी हैं, जिनको मालूम नहीं है कि कहां पर उनका नामांतरण है। आज नामांतरण की प्राब्लम उनके सामने हैं। इसके अलावा दफा 91 की प्राब्लम है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया गया। सबसे पहले जन प्रतिनिधियों की बेइज्जती की गई। जन प्रतिनिधियों के लिए ऐसा वातावरण उपस्थित कर दिया गया कि कोई इज्जतदार व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सके। इस कारण ही कई इज्जतदार व्यक्ति दो तीन महीने से वहां से गायब हैं। उनमें यह भय पैदा हो गया है कि जान-बूझ कर उनकी इज्जत पर हाथ डाला जायगा। मौजूदा तहसीलदार हैं शाहबाद के उनका नाम आत्माराम पारीक है। उनकी अव्यवहारिकता इस प्रकार की है, पंचायत की मीटिंग में जाते हैं। वहां पर जो सरपंच है वह अगर आदिवासियों की प्राब्लम रखना

(श्री राम गोपाल)

चाहते हैं, सरपंच होने के नाते तो वह कहते हैं कि क्या बक बक करते हो। तुमने खादी के कपड़े पहन रखे हैं इनको मैं जला दूंगा। हाट में घाड़ी बना दूंगा। वहां हाट होता है, उसके लिए कहता है कि घोड़ी बना दूंगा। वह पटवारी को कहते हैं कि ट्रैस-पासर दर्ज कर लो। पटवारी कहता है कि ट्रैसपासर है नहीं, कैसे दर्ज कर लूं। वह पटवारी को मुर्गा बना देता है, जिसको घोड़ी बनाना हमारे यहां कहते हैं। इस प्रकार बेइज्जती करता है, पैंतालीस, पचास के बुजुर्ग पटवारी की। इस प्रकार बेइज्जती की जाय तो धारा 91 का किस प्रकार इम्प्ली-मेंटेशन हो रहा है– इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1966 के बारे में मैंने बोल दिया कि 1966 में जिनको भूमि का आवंटन हुआ, जनरल अलाटमेंट वह कैन्सिल हुआ। उसके बाद वही भूमि सरकारी आवंटन में आवंटित होनी चाहिये लेकिन उसके बजाय दूसरी दे दी। इस प्रकार आदिवासियों को उलझा दिया है। इसके पीछे क्या भूमिका है? इसके पीछे यह भूमिका है, माननीय मंत्री यह जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ कि यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते है कि इतने बन्धक को छुड़ा दिया गया, इतनी जमीन छुड़ा दी गई, आदिवासियों का यह कर दिया वह कर दिया, अथवा इतनी भूमि के पट्टे दे दिये गये। यह उदाहरण सरकार के सामने पेश किये और आपने उसको अच्छा प्रमाण पत्र दे दिया···

श्री परसराम मदेरणा : कौनसी तह-सील है।

श्री रामगोपाल : शाहबाद।

श्री परसराम मदेरणा : पारीक शाह-बाद में है?

श्री रामगोपाल : शाहबाद में है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि दूसरे तहसीलदार भी लगे हुए हैं, वह क्या काम करते नहीं हैं? मैं बताऊं कि शाहबाद के अन्तर्गत इस प्रकार के व्यक्ति को प्रशंसा का प्रमाण पत्र दिया। मैंने दूसरे तहसीलदार से पूछा, तुम्हें मिला नहीं? उन्होंने कहा, हमें मिला नहीं। तो दूसरों ने क्या कर दिया, उन्होंने भी प्रोग्राम में अपनी भूमिका अदा का, लेकिन उनको प्रमाण-पत्र नहीं मिला। जिन दूसरे तहसीलदार को लगाया गया है वह भटकते फिरते हैं। वह कहते हैं कि हम कार्यक्रम पूरा करते हैं, हमको प्रशंसा नहीं मिलती, हमको बुराई मिलती है। यह वही तहसीलदार है जिसने लेवी के समय पर जिस प्रकार डकैती होती है, उस रूप में गेहूं की वसूली की है। यह तहसीलदार वही है जिसके खिलाफ पहले आवाज उठाई गई। इस प्रकार की अव्यव-स्थायें इस बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके द्वारा की गई है। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच करनी चाहिये। इस तह-सीलदार को हटा कर जांच करायें। इसके कारण वहां आदिवासियों का जीवन अस्त-व्यस्त है। हम चाहते हैं कि जन प्रतिनिधियों की इज्जत होनी चाहिए और इस बीस सूत्री कार्यक्रम में उनका हाथ होना चाहिए और आपको को-ऑपरेशन जन प्रतिनिधियों का लेना चाहिये। आज जन प्रतिनिधियों को बेइज्जत किया जाता है और इस प्रकार प्रोग्राम को फेल किया जाता है। इस प्रकार के जो लोग हैं वह किस प्रकार राज्य सरकार से प्रशंसा प्राप्त करते हैं—इस ओर आप ध्यान

(श्री राम गोपाल) :

दें और उसको हटा कर सारी जांच करें। और जिन आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है उसको व्यवस्थित बनाने की कोशिश करें।

मैं ज्यादा समय न लेकर वन विभाग के बारे में मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे पूर्व वक्ता, माननीय बोहराजी ने भी कहा है तेन्दू पत्ते के राष्ट्रीयकरण के बारे में और जिस प्रकार की कार्यवाही उसको फेल करने के लिए की है वह बताया है। राष्ट्रीयकरण की राज्य सरकार की नीति है, वह अच्छी नीति है, भली नीति है, राज्य सरकार उसको कार्यान्वित करना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती है। लेकिन आज जिस प्रकार के फारेस्ट विभाग के अधिकारी वहां बैठे हुए हैं और बैठा रखे हैं, और यह जिस प्रकार से इस राष्ट्रीयकरण को फेल करने का प्रयास करते हैं, मेरी समझ में नहीं बैठता कि किस प्रकार ऐसे अधिकारियों को माननीय वन मन्त्री सहन कर लेते हैं? मेरी समझ में यह नहीं बैठा, और सब बातें समझ में बैठ जाती है। किस प्रकार घोटाला किया उन्होंने यह समझ में बैठता है, किस प्रकार पालिसी को फेल किया यह समझ में बैठता है। लेकिन किस प्रकार माननीय मन्त्री महोदय उनको सहन कर बैठे हैं, और माननीय मन्त्री उनसे क्या उम्मीद करते हैं यह समझ में नहीं बैठता। राष्ट्रीयकरण के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। 17 मार्च को मैंने स्पीच दी थी, वह मेरे पास रखी है। 17 मार्च को मैंने बताया था, मैंने स्पेसिफिक नाम दिये थे, वन मण्डल अधिकारी का, जो अधिकारी बैठा हुआ है, एक अर्से से बैठा हुआ है उस पर पिछले सदन में आरोप लगाये थे कि ठेकेदारों से साठ गांठ करके, घोटाला करके राज्य सरकार को धोखा दिया हैं, सरकार को घाटा दिया है और दे रहा है और बड़े बड़े ठेकेदारों से मिल कर अपने स्वार्थ को उसने सिद्ध किया है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

1974 में सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था वह 56478 बोरों का किया था प्राप्त हुआ 41825 बोरे। उस समय नेशनलाइजेशन नीति फेल हो गई और टार्गेट्स अचीव नहीं कर पाये बारां में। शिकायतें हुई 1974 में, सी. सी. एफ. ने एक चेकिंग पॉर्टी लगाई, जो बोरे थे उनकी चेकिंग हुई, अलग अलग यूनिट्स में चेकिंग हुई। 18 यूनिट्स में 50 प्रतिशत तक बोरे नाजायज पाए गए। कहीं 25 प्रतिशत कहीं 50 प्रतिशत गिड्डियां नाजायज पाई गई। लक्ष्य कि पूर्ति नहीं हुई जो राज्य सरकार ने निर्धारित किए थे और जो घाटा हुआ उसके लिए जिम्मेदार राजस्व मन्त्री और वन अधिकारी हैं। पिछले साल भी मैंने सदन में कहा था—एक यह आदमी कैसे बैठा हुआ है। सदन में 19 तारीख को भी प्रश्न था वन कांड का बून्दी का जिसके अन्दर 1971-72 में 11 हजार पेड़ नाजायज तरीके से काटे थे। सी. सी. एफ. के स्पष्ट आदेश हैं 14-2-68 के उनमें लिखा गया है कि कम से कम 10 रुपये…:

श्री शंकरलाल (पाली) : उस दिन राजस्व मन्त्री ने कहा था कि कार्यवाही कर रहे हैं, आपको सन्तोष होना चाहिए।

श्री रामगोपाल : फिर तो वन मन्त्री जरूर ध्यान देंगे यदि आश्वासन दे दिया है तो। दूसरी बात, मेरा निर्वाचन क्षेत्र कुन्जी वास, रामगढ़ साइड में है। वहां लोग बांस का अच्छा उद्योग चलाते हैं लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में बड़े बड़े बांस, जिनकी हजारों रुपए कामत है, कटवा दिये। जांच हुई पाया गया कि बांस काटा गया। सी. सी. एफ. मौजूद थे, मौके पर गए। इस प्रकार बांस कांड किया गया।

एक कटौती प्रस्ताव बाकी रह गया। इस प्रकार नाजायज बातें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि 33 प्रतिशत वन सुरक्षित होने चाहिये। इस प्रकार वहां के अधिकारी नाजायज तरीके से काश्त करवाते हैं। पंचायत समिति छीपाबड़ौद में 8 हजार बीघा जमीन में नाजायज काश्त हुई। नवम्बर, 1975 की सूचना के आधार पर आज भी 5 हजार बीघा में नाजायज काश्त है जिस पर कोई कार्यवाही वहां के वन अधिकारी ने नहीं की। ऐसे बड़े बड़े अधिकारी जिनसे हम आशा करते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनायें जो प्रधान मन्त्री क्रियान्वित करना चाहती हैं और हमारे वन मन्त्री तत्पर हैं कुछ करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, बेईमानी करते हैं, राज्य सरकार को धोखा देते हैं और राष्ट्रीयकरण की नीति को फेल करते हैं। आपके सामने पूरा मामला आ चुका है, एक वर्ष से आप सहन करते आ रहे हैं। उनके ट्रांसफर को न मालूम कैसे रोका गया है। हमारे कहने के बावजूद भी अगर उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो फिर क्या बात है? हम तो आशा करते हैं कि ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करके, उदाहरण प्रस्तुत करें। आप छोटे आदमियों को तो सस्पेंड करते हैं, जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम में रोड़ा बनते हैं और गवर्नमेंट पोलिसी को फेल करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें ताकि जनता का मोरल ऊंचा हो। शाहबाद के कांड में तहसीलदार की जांच कराइये।

आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : सभापतिजी, हमारे राज्य की अधिकतर आबादी राजस्व विभाग की व्यवस्था, प्रशासन, कानून कायदे व प्रक्रिया से प्रभावित होती है, जो राज्य सरकार का स्वरूप केवल मात्र राजस्व विभाग से देखती है। ऐसी हालत में आवश्यक है कि राज्य सरकार को राजस्व विभाग की व्यवस्था और प्रशासन की तरफ विशेष रूप से जागरूक और सक्रिय होना चाहिये। हाल ही में प्रधान मंत्री के नए आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के संबंध में, राजस्थान में भूमि सुधार से संबंधित कानूनों में कई प्रकार के संशोधन किए गए हैं। मैं मानती हूं कि इस प्रकार के संशोधन राज्य की कमजोर जनता की भलाई के लिए किए जायेंगे लेकिन उन लोगों को वास्तविक लाभ तब होगा जब स्वयं कर्मचारियों को इन कानूनों और कायदों की जानकारी होगी। आज हालत यह है कि चाहे लैंड रेवेन्यू एक्ट हो, चाहे सीलिंग एक्ट हो, चाहे कोई दूसरा भूमि संबंधित कानून हो, उनमें जो संशोधन अब तक किए गए हैं और उनके अंतर्गत जो सक्यूलर्स प्रसारित किए जाते रहे हैं, उनकी जानकारी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी तरह नहीं होगी। राजस्व विभाग को चाहिए कि राज्य में जो भूमि से

(श्रीमती मदनकौर)

संबंधित कानून और प्रक्रियायें हैं, उनका सरलीकरण किया जाए और प्रचार गांव गांव में किया जाना चाहिये। इस संबंध में ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों इत्यादि जैसी संस्थायें निश्चितरूप से उपयोगी साबित होंगी।

हमारा राज्य भूमि सुधारों के मामले में दूसरे राज्यों से बहुत अग्रणी रहा है और हाल ही में भी भूमि सुधार संबंधी कई कानूनों में हमने परिवर्तन किए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व राजस्व मंत्री बता रहे थे कि जून के अन्त तक सारे भू-अभिलेख पूरे कर लिए जायेंगे और सीलिंग के अन्तर्गत जो जमीन प्रवास की गई है उसका एलाटमेंट भी जून तक किया जाएगा। मैं इसका स्वागत करती हूं। भूमिहीन लोगों को भू-आवंटन का काम आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी आर्थिक दशा सुधारने का माध्यम है लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे राज्य में भूमि आवंटन हो रहा है वह विशेष उपयोगी नहीं है। मेरा निवेदन है कि जब कभी एलाटमेंट होता है तो वह मौके पर किया जाए और उसी जमीन का किया जाए जो वास्तव में सरकारी रिकार्ड पर और मौके पर खाली हो। केवल कागजों पर भू-आवंटन करने से बेचारे भूमिहीन किसान पटवारियों के पीछे घूमते रहते हैं और पटवारी अनपढ़ काश्तकार का शोषण करते हैं। तो मैं राज्य सरकार को पुनः सुझाव देती हूं कि भू-आवंटन का काम मौके पर किया जाए, उस जमीन का किया जाए जो मौके पर खाली हो और भू-आवंटन समिति के सामने उस काश्तकार को भूमि का कब्जा दें, रकम वग़ैरह वसूल करके सनद दें, उसी समय खातेदारी अधिकार उसके दिए जाने चाहिएं।

इसके अलावा मैं पटवारी के पद के संबंध में भी निवेदन करना चाहती हूं। राज्य में जो रेवेन्यू कलेक्शन की व्यवस्था है उसमें यह पद ऐसा है जिससे सारा किसान वर्ग बुरी तरह से दुखी है। काश्तकार वर्ग के लिए तो राजस्व मंत्री, राजस्व सचिव, राजस्व मंडल के अध्यक्ष, जिलाधीश सभी उसके लिए पटवारी हैं। पटवारी अगर चाहे तो किसानों को समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है, नहीं तो किसान को बड़ी—बड़ी समस्याओं में उलझा सकता है। तो गांव के किसान की वास्तविक आजादी तो उसी दिन आएगी जिस दिन हम उसे पटवारी के चंगुल से मुक्त करायेंगे।

मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि आखिर पटवारी के पास काम क्या है? क्या आवश्यकता है? सभापति महोदय, पटवारी के पास मुख्य रूप से दो काम हैं। पहला तो लैण्ड रिकार्ड मेन्टेन करना। उनके पास जमीनों के नक्शे रहते हैं। लेकिन वह लोग इन नक्शों को ठीक तरह से नहीं रखते हैं और इसके लिए कई बार राज्य सरकार का ध्यान इस ओर सदन में और बाहर आकर्षित किया जाता रहा है और राज्य सरकार से यह निवेदन किया जाता है कि लैण्ड रिकार्ड्स को सही कराया जाय। दूसरा काम जो है, सभापति महोदय, पटवारी का वह है लैण्ड रेवेन्यू का वसूली का काम। तो इस बात के लिए मैं राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहती हूं कि इस कार्य को आप ग्राम पंचायत को निःसंकोच दे सकते हैं और ग्राम पंचायतें इस काम को सही ढंग से कर

(श्रीमती मदनकौर)

लेंगी। इसके लिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि रेवेन्यू लॉ कमीशन ने भी यह रिकमन्डेशन की थी अपनी रिपोर्ट में कि लैण्ड रेवेन्यू की वसूली ग्राम पंचायतों के माध्यम से की जानी चाहिये।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं; सभापति महोदय, कि मौजूदा जो रेवेन्यू कानून है वह बहुत ही ज्यादा लिबरल है। क्योंकि भूतपूर्व जागीरदारों ने इस कानून के माध्यम से पहले ही बहुत सी अच्छी अच्छी जमीन अपने कब्जे में रख ली। इसके साथ साथ उन भूतपूर्व जागीरदारों ने बड़ी बड़ी कीमती जमीन भी अपने पास रख ली थीं। और कई लोगों ने उन जमीनों पर काश्त नहीं करके उन जमीनों को आवासीय भूखण्ड में परिवर्तित करके उनके प्लाट बना कर बेच दिये, जिससे उन लोगों ने लाखों रुपया कमाया। इसके अलावा उन लोगों ने जमीनों के ट्रांसफर्स भी बहुत इल्लीगल कर दिये। इस बात से यह स्पष्ट मालूम होता है कि उन लोगों ने जमीनें खेती करने के लिए नहीं रखी थीं बल्कि खेती नहीं करके उन जमीनों को आवासीय भूखण्डों में परिवर्तित करके लाखों रुपये कमाये। इसलिये ऐसे भूतपूर्व जागीरदार है जिन्होंने बड़ी बड़ी और कीमती जमीनें अपने पास खुदकाश्त के नाम पर रखी थीं पर उसमें काश्त नहीं करके उन जमीनों को दूसरे पर्पज के लिए बेचान कर दिया उनके खिलाफ में राज्य सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्यवाही करे। मैं यह बात मानती हूं कि एक बार जब जमीन ट्रान्सफर हो जाती है तो फिर उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने और उसके लिए कानून बनाने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार की कार्यवाही हमको कानून के माध्यम से करनी चाहिये अगर हम भूमि विकास और लैण्ड में रिफार्म्स करना चाहते हैं तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण सुधार हमें करने पड़ेंगे। आज जब हमने भूमि सीलिंग के लिये महत्वपूर्ण कानून बनाये हैं। लेकिन हम यह देखते जा रहे हैं कि कृषि के लिए जमीन की दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही है, और सभापति महोदय, वन विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा दिया गया है कि पिछले पांच वर्षों में 25 हजार एकड़ भूमि कृषि के लिए थी या वन विभाग की थी चाहे वह शहरों के पास थी चाहे कस्बों के आसपास थी वह बड़ी मात्रा में आबादी की जमीन में कन्वर्ट की जा रही है। तो मेरा निवेदन है कि जमीन की एक लिमिट है। जमीन को हम बढ़ा तो सकते नहीं हैं और जमीन की हर क्षेत्र में आवश्यकता होती है इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिए कि हमारे राजस्थान में जितनी जमीन है उसका सर्वे कराया जाय। उसमें एक बार ऐसा करने से हमें पता लग जायेगा कि हमारे पास लैण्ड की कैपेबिलिटी कितनी है। उससे हमें पता लग सकेगा कि कितनी जमीन हमें उसमें से काश्त के लिए उपलब्ध हो सकेगी और फिर ऐसी जमीन को, राज्य सरकार को चाहिए कि एक्वायर करे। यह काम हमें एक बार अडिग होकर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, हमें भूमि

(श्रीमती मदनकौर)

विकास के और भूमि सुधार के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर करना चाहिये। क्योंकि आज हमारे यहां पर भूमि का दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। ऐसा होने से जो भूमि हमें उपलब्ध हो रही है वह भी दिन प्रतिदिन कम होती जायेगी।

सभापति महोदय, आज भूमि विकास के जो कार्यक्रम हैं वह बहुत हैं जैसे नहर बनाना, सड़क बनाना, स्कूलें बनाना, सड़कें बनाना यह सारे के सारे काम ऐसे हैं, सभापति महोदय कि अगर हम आज नहीं करें तो कल कर सकते हैं। लेकिन भूमि विकास के कार्यक्रमों को हम कल पर नहीं छोड़ सकते कल तो देर हो जाएगी। अगर हम भूमि का विकास नहीं करेंगे और भूमि के रूप में धरोहर जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है उसमें सुधार नहीं करेंगे तो उसमें हमें ऐसी कार्यवाही तो करनी ही चाहिए कि वह पूर्वजों की धरोहर क्षतिग्रस्त नहीं हो। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को यह क्षतिग्रस्त भूमि दें। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, वन विभाग के बारे में भी मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं। सभापति महोदय, राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये, पशुधन के साथ ही लकड़ी घास और चराई के लिये जमीन की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं समझती हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या और पशुधन के लिये लकड़ी, घास और चराई के लिये जो जमीन हमें चाहिये उसकी मांग को वन विभाग पूरी करने में असमर्थ है। अगर, सभापति महोदय, राज्य सरकार की वन नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो निश्चित-रूप से इन चीजों के बारे में हालत खराब होगी। राज्य के पास वन विकास का कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। राजस्थान नहर क्षेत्र में और कुछ आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर वन विकास के कार्यक्रम राज्य सरकार के पास नहीं है। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि अगर वन विभाग इन कार्यक्रमों को हाथ में नहीं लेगा तो वन विभाग इस बढ़ती हुई लकड़ी घास और चराई की मांग को पूरी नहीं कर सकेगा। क्योंकि आज वन विभाग के द्वारा इन वनों की सुरक्षा नहीं है। राज्य की वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 35891 वर्ग किलो मीटर है। इसके लिये यह स्कीम है कि इसको कांटेदार तार द्वारा घेर लिया जाय। लेकिन मैं समझती हूं, सभापति महोदय, जहां तक सवाल फेंसिंग का है यह काम होने वाला नहीं है। फेन्सिग से काम भी नहीं चलने वाला है, और इतने बड़े एरिया का फेन्सिग करके वनों की सुरक्षा करना मुश्किल है। यह फेन्सिग करना व्यवहारिक दृष्टि से भी उचित प्रतीत नहीं होता और फिर अगर कहीं से तार टूट जाते हैं तो हमें उनका मरम्मत करने में भी काफी कठिनाई होगी।

इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि फेन्सिग का काम नहीं करके इन वनों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के कर्मचारियों और चौकीदारों से ही चौकसी करायी जानी चाहिये। कर्मचारियों पर यह जोर दिया जाना चाहिये कि कर्मचारी लोग अपने अपने एरिया के वनों की

(श्रीमती मदनकौर)

कड़ी निगरानी करें और उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिये वनों की सुरक्षा होने की ओर अगर उसमें उन कर्मचारियों की लापरवाही वनों की सुरक्षा में पायी जाय तो उनके खिलाफ में कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये ।

सभापति महोदय, राज्य की जनसंख्या को जो लकड़ी, घास और चराई के लिये घास की जरूरत होती है उसकी पूर्ति आपके वन विभाग से नहीं होती है वह पूर्ति होती है निजी खेतों और राजस्व विभाग की पड़त भूमि पर खड़े पेड़ों से घास वगैरह से । लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन पिछले वर्षों में इन इलाकों के पेड़ों की धड़ाधड़ कटाई की जा रही है वन कट रहे हैं और वन कटेंगे इसको हम रोक नहीं सकेंगे । लेकिन बढ़ती हुई आबादी की लकड़ी की मांग है उसकी पूर्ति के लिये हमें व्यापक कार्यक्रम बनाने चाहियें ।

सभापति महोदय, इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जहां जहां भी इस प्रकार के स्रोत हैं और दूसरी सुविधायें उपलब्ध हैं वहां पर हमें वन विभाग के माध्यम से छोटी छोटी पौध शालाओं का निर्माण करना चाहिये । हमें हरे भरे पौधे लगाने चाहियें हालांकि कुछ लोग अपने क्षेत्रों में हरे भरे पौधे लगाने के काम करते हैं लेकिन उन लोगों को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण तथा कई क्षेत्रों में इसकी सुविधायें उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा ऐसा भी होता है कि वहां के क्षेत्रों के लोगों को उनके बारे में भली प्रकार से जानकारी नहीं होने के कारण इन पौध-शालाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है । सभापति महोदय, मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहती हूं । बालोतरा में एक छोटी सी नर्सरी है । सभापति महोदय, पूरी तह-सील में वह सिर्फ एक ही नर्सरी है । अब गांव पाटोदी है, गांव पालेरा है जो 30-40 मील दूर है । वहां के किसान अगर अपने पौधों की रक्षा करना चाहते हैं तो किस प्रकार रक्षा कर पायेंगे । रास्ते में रह पायेंगे या नहीं रह पायेंगे, इसलिये मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहती हूं जहां कहीं साधन उपलब्ध हैं । पानी के तालाब हैं, नल कूप हैं, कोई छोटा कुआं है उसके आस पास छोटी छोटी पौधशालायें बनानी चाहिये और लोगों को प्रेरित करना चाहिये । मैं समझती हूं वन विभाग इस काम में अब तक अधिक तरक्की नहीं कर पाया है, इसकी वजह यह है कि इसका हमेशा सम्बन्ध राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है । राजस्व विभाग अपने आप में इतना बड़ा विभाग है न राजस्व मंत्री जी को और न राजस्व सचिव को वन विभाग की ओर विशेष ध्यान देने की फुर्सत है ।

मेरा सुझाव है कि वन विभाग को अब राजस्व विभाग से अलग कर दिया जाय और अब इसको राजस्व विभाग के साथ न रखा जाय इसका सम्बन्ध कृषि विभाग से जोड़ा जाना चाहिये जैसा केन्द्रीय सरकार ने कर रखा है । मेरा एक सुझाव यह भी है कि वन विभाग से सम्बन्धित बाड़मेर बालोतरा में जब डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम नहीं चलते हैं तो वन विभाग के कोई कर्म-चारी की नियुक्ति नहीं होती है । आस-

(श्रीमती मदनकौर)

पास के लोग लकड़ी चुनकर ले जाते हैं और जब से डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत वन विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है तो शुरू शुरू में ट्रकों में लकड़ी आती थी, उसके बाद बैलगाड़ी में आती थी और उसके बाद ऊंट पर आती है और आज हालत यह है कि भील औरतें कहीं लकड़ियां चुनकर ले आती हैं तो मैंने स्वयं ने बालोतरा की नर्सरी में घन्टों रुके हुये देखा है। आखिर, सभापति जी, इसका तात्पर्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है?

एक माननीय सदस्य : तात्पर्य तो आप भी समझती हैं।

श्रीमती मदनकौर : इसका तात्पर्य है वनों का विकास रुका है तो मैं राज्य सरकार से जानना चाहती हूं बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर जहां वन क्षेत्र हैं ही नहीं ट्रेस पास क्यों माना जाता है? अगर इसका उद्देश्य है कि राजस्व की जो पड़त जमीन है, उस पर पेड़ों की कटाई रुके तो, मैं समझती हूं, पहले आपका ट्रेसपास का उद्देश्य कुछ भी रहा हो लेकिन यह वन विभाग में कटाई वास्तव में नहीं हुई है। वन विभाग की स्थिति के बारे में आम जनता बहुत परेशान है और उनका शोषण होता है और वन विभाग के निजी आय के स्रोत बने हुये हैं। मैं राज्य सरकार को पुरजोर शब्दों में कहना चाहती हूं इस विभाग से डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम को खत्म करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, सभापति जी, अपने कटौती प्रस्ताव रखती हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने भू-राजस्व और वन विभाग दोनों विषयों पर अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। पहले मैं भू-राजस्व पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार का विशेष महत्व है और यह सूत्र नम्बर 2 है और यह विशेष महत्व का है। हमारी प्रधान मन्त्री जी इस भूमि सुधार के बारे में विशेषतौर से जोर देती हैं और वास्तव में अगर गरीब किसानों की स्थिति को सुधारना है तो हम इसी भूमि सुधार से ही उसकी स्थिति को सुधार सकते हैं।

हमारी राज्य सरकार ने भूमि सुधार के बारे में जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह भी प्रशंसनीय है। पहले 1959 में भूमि सुधार के बारे में राज्य सरकार ने कदम उठाया था और सीलिंग एक्ट पास हुआ था और वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का ही भाग था। 1959 में कानून बनाया और वह 1963 में फोर्स में आया। 1963 में फोर्स में आने के बाद में हमने बड़ी ढील बरती। अगर उस समय हम सावधान होते तो हमारी परफारमेंन्स, राजस्थान की परफारमेन्स हिन्दुस्तान में एक महत्वपूर्ण होती और हमारे गरीब किसानों को बहुत लाभ होता। परन्तु 1969 में और 71 में हमने जो संशोधन किये, उन संशोधनों के आधार पर जितने ट्रान्सफर्स किये गये थे, यद्यपि उसमें बोनाफाइड ट्रान्सफर का जिक्र किया है—सब ट्रान्सफर्स रेगूलराइज किये गये और फिर 1973 में एक कानून आया उसमें काफी परिवर्तन हुआ। परिवार की डेफिनेशन को भी एक नया रूप दिया गया—यद्यपि यह हाइ कमान्ड की डाइरेक्शन्स थीं परन्तु इससे भी हमें सीलिंग के अन्तर्गत जमीन प्राप्त करने में कमी आई। अब जो भी कानून बना है, उसके इम्प्लीमेन्टेशन के बारे में जो राज्य

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं और जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं फरवरी, 1976 शेष तक उसमें 85777 मामले हैं और दूसरे जिनमें फैसले किये हैं वह है 7740 और 3260 और भूमि सुधार में 569468 एकड़ के बारे में और यही क्षेत्र 353779 एकड़ है जो भूमि आवंटित की गई वह 1 लाख 5 हजार 90 एकड़ है तो आवंटन के बारे में हमारी प्रगति धीमी है। इस प्रगति को हमें तेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है 30 जून तक हमें भूमिहीनों को जमीन अलाट करनी है और इसलिए इस गति को तेज करना होगा। अप्रेल और मई में बहुत ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब विशेष दिलचस्पी लेकर इस अलाटमेंट के कार्य को भी अमली जामा पहनायेंगे। अब मेरे जिले के बारे में आना चाहता हूं कि जो भूमि अधिग्रहण की गई है और जो ओल्ड एक्ट में की गई है उसकी कॉस्ट है तीन रुपया प्रति बीघा और नये एक्ट के अन्तर्गत जो भूमि अधिग्रहण की गई है उसकी 24) रु. प्रति बीघा है। वह एट टाइम का डिफरेन्स है। अब डिफिकल्टी यह आई कि अलाटमेंट के समय जो ओल्ड एक्ट के मार्फत अलाट करेंगे तो उसके माफिक कम्पन्सेशन लिया जायगा और जब न्यू एक्ट के माफिक वह जमीन अलाट की जायगी तो किसान से ज्यादा राशि ली जायगी और वह डिफरेन्स भी बहुत ज्यादा है—एट टाइम डिफरेन्स है। मैं इसको इस प्रकार समझ रहा हूं—हमारी थर्टी टाइम लैण्ड रेवेन्यू की और लैण्ड रेवेन्यू की रेट 10 पैसे जब ज्यादा नहीं है तो रेवेन्यू तीन रुपया प्रति बीघा पड़ता है और अभी जो है वह 24 रुपये प्रति बीघा है। इसलिए यह बड़ी कठिनाई आयेगी और इसको दूर करना आवश्यक है। ओल्ड एक्ट के और जो न्यू एक्ट है उन दोनों से जमीन की महत्ता ही नहीं रही। नये एक्ट के अनुसार आप किसी को अलाट करेंगे और भूमिहीनों से पैसे लेंगे जो वह मार्केट रेट के माफिक है तो इस आपकी रद्दी जमीन को कौन लेना चाहेगा ? एक तरफ हमारी जमीन ओल्ड एक्ट के माफिक है और दूसरी न्यू एक्ट के माफिक है। ओल्ड एक्ट के अनुसार अलाटमेंट कर रहे हैं तो ओल्ड रेट के माफिक ही दें तब तो ले सकेगा वरना कैसे ले सकेगा।

दूसरा मेरा कट मोशन है वह यह है कि बाड़मेर चौहटन तहसील में 7, 8 साल पहले तीन साल के लिये जमीन अलाट की गयी थी और उसके बाद बन्द हो गया अलाटमेंट होना। उन जमीनों पर भूमिहीनों का कब्जा रहा और कई जगह कब्जा फेल हो गया क्योंकि कोई अकाल के समय में राजस्थान नहर पर चला गया और कोई दूसरी जगह चला गया। उसके बाद किसान कब्जा करते रहे तो उन पर 50 गुना जुर्माना किया गया और उनकी फसल अटेच कर ली गयी। राज्य सरकार को सोचना चाहिये कि उनके साथ अन्याय हुआ है। 3 साल के लिये उनको अलाट हुई तो उनके अलाटमेंट का रेगुलराइजेशन कर देना चाहिये और 50 गुना जुर्माना हुआ और फसल कुर्क कर ली गयी उसके लिए राज्य सरकार को गहराई से सोच कर जिनियेन्ट व्यू लेना चाहिये।

एक मैंने कट मोशन रखा है बाड़मेर जिले में बाड़मेर तहसील है जिसका 10

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

हजार वर्ग मील का एरिया है और जिसकी 3½ लाख की आबादी है। जब कि बाड़मेर जिले की दूसरी तहसीलों की कुल आबादी 4½ लाख है। कोई भी तहसीलदार सही ढंग का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहे तो नहीं कर सकता है। पटवारियों पर, इन्सपेक्टरों पर कन्ट्रोल, सही व्यवस्था तरीके से नहीं हो सकती है। किसानों को बहुत कष्ट होता है, बहुत से लोग परेशान होते हैं। पचास पचास, साठ साठ मील दूर से किसान को आना पड़ता है। इसके विभाजन के लिये निवेदन किया था। इस सम्बन्ध में प्रश्न भी किया था, पहले भी पूछा था। मंत्री महोदय ने सहमति भी प्रकट की थी इसलिए फिर मेरा निवेदन है कि इस तहसील को दो तीन तहसीलों में विभाजित कर देना चाहिये जिससे एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से चल सके।

तीसरी डिफिकल्टी आती है हमारे जिलों में बड़े बड़े गांवों की। पहले तो इस प्रकार के गांव थे सिन्धरी गांव पांच सौ मील का एरिया, शिव तहसील सौ सौ स्क्वायर मील का 25 मील से ऊपर के सौ गांव हमारे जिले में हैं। उनके विभाजन की मेरी मांग है। कुछ गांवों का किया गया है। मंत्री महोदय बतायेंगे। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। सुन्दरी का गांव है, हरसाना ग्राम, इनका विभाजन किया गया। पाटन 70 हजार वर्ग मील है। रावसर। इस प्रकार के विलेज हैं। बड़े बड़े विलेज होने से विकास में बड़ा भारी नुकसान होता है। इनका विभाजन कर सकें और विकास कर सकें तो अच्छा है। सलाहकार समिति में भी इसको रखा था। इसमें होता यह है कि एक जगह पानी आ गया तो सब जगह आ गया। दूसरों को पानी नहीं मिल पाता। विकास से भी वे लोग महरूम रह जाते हैं। इसलिए मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि 25 वर्ग मील से बड़े गांव जैसलमेर जिले में भी हैं, शेरगढ़ तहसील में भी हैं, बाड़मेर में भी हैं, उनका विभाजन करना आवश्यक है। पोलिंग स्टेशन एक एक गांव में दो दो तीन तीन किये हैं फिर भी आवश्यकता है। विकास के लिये उनको बहुत ही नुकसान होता है यह कार्य कठिन है लेकिन मैं समझता हूं और मुझे विश्वास है कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इस कार्य को कर लेंगे और उनका विभाजन करेंगे।

अब मैं आता हूं रेवेन्यू की जो वसूली हो रही है उस पर। इसके लिए इस तरह के हिंसात्मक तरीके अपनाये जा रहे हैं, उनको मुर्गा बनाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। गौड़ की तला चौहटन तहसील में एक मेघवाल के साथ मारपीट की, मुझे अभी सूचना मिली है। वह कुएं में जाकर गिर गया। इस प्रकार के दृश्य हुए हैं। एक तरफ आप 20 सूत्री कार्यक्रम अपना कर भूमि अलाट करना चाहते हैं और उनका जीवन सुधारना चाहते हैं और दूसरी तरफ निर्ममता से वसूली कर रहे हैं। 65 का जो भयंकर अकाल आया, 70 में भयंकर अकाल पड़ा उस समय जो सहायता राशि देते थे वह पूरी की पूरी उनसे वसूल करना चाहते हैं। सब तरह की वसूली उनसे पूरी करना चाहते हैं। उनकी कैपेसिटी नहीं है देने की। हमने एक तरफ यह घोषणा कर दी है कि जो कर्जदार हैं उनका कर्जा मिटा देंगे, कोई उनको उधार देता नहीं और दूसरी तरफ मार डंडे आप वसूली कर रहे हैं, उनको आप कोई लोन नहीं देते, कर्जा नहीं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

देते और गवर्नमेंट ने इस तरह कस कर वसूली करना शुरू कर दिया है कि इसके परिणाम इतने भयंकर होंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम का जो कुछ भी असर हुआ है उसका असर हमारे जिले में बहुत कम पड़ा है क्योंकि हमारे यहां भूमि की प्रोब्लम नहीं हमारे यहां कोई भूमि की विशेष समस्या नहीं है, और अब साधारण जमाना आया और आप पांच छः वर्ष की एक साथ उन लोगों से वसूली कर रहे हैं और उनकी इतनी दुर्गति कर रहे हैं कि उनकी आपने कमर ही तोड़ दी है। राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि 20 बीघा जिसके पास जमीन होगी उसका रेवेन्यू माफ किया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : 20 एकड़।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 20 एकड़ यानि 60 बीघा। रेगिस्तान में 75 बीघा अलाट की है। उदयपुर डिवीजन के किसान हैं उनसे आप वसूल नहीं करना चाहते हैं। जयपुर डिवीजन में भी किसान हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट में, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में भी किसान हैं।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : वसूली सब जगह हो रही है। कोई तहसील नहीं है कि जहां पर वसूली नहीं हो रही हो। सब जगह हो रही है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : डूंगरपुर बांसवाड़ा में हो रही है?

रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आपने इतने भूमि सुधार किये हैं, इतने प्रोग्रेसिव लॉज लाये हैं, राजाओं से जमीनें, जो लेना बड़ा मुश्किल था, को अधिग्रहण किया है। आपने उन सब पर पानी फेर दिया है और यदि आप मंत्रिमंडल में पूरी कोशिश नहीं करेंगे तो आप असफल मिनिस्टर कहे जावेंगे। इतनी महनत करने वाला, इतना ईमानदार, सच्चा मिनिस्टर, एक एक समस्या पर गम्भीरता से मनन करता है वह इसका गहराई से मनन करेंगे और इस समस्या का भी हल निकालेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं फारेस्ट के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। जंगलात के बारे में कुछ तो मेरी बहिन श्रीमती मदनकौर ने कह दिया। कुछ एक दो बातें रह गयी हैं वह मैं कहना चाहता हूं। सेन्ट्रल एरिड जोन गडरा रोड से लेकर जैसलमेर तक है और कितने ही किसानों की जमीनें लेकर फारेस्ट कायम किया और फारेस्ट की आवश्यकता भी है यह मैं मानता हूं और फारेस्ट होना चाहिए। परन्तु फारेस्ट की निगरानी ढंग से नहीं होती है। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप हमारे जिले का दौरा करें और फारेस्ट का एरिया देखें। उस फारेस्ट के एरिया में यह स्थिति है कि जो किसान उनको जाकर दूध दे देता है, घी दे देता है तो उनकी मवेशियां आराम से चर सकती हैं और इस पर पहले तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने खर्चा किया और अब राजस्थान गवर्नमेन्ट भी कुछ खर्चा करने जा रही है; परन्तु जो फारेस्ट कायम किया गया है, जो प्रगति होनी चाहिए वह प्रगति नहीं है। तो इसके लिए भी जो एरिया इतना बड़ा है करीब 300 स्क्वायर माइल का बल्कि इससे भी ज्यादा होगा तो इतने बड़े एरिया में फारेस्ट है और उसके प्रोटेक्शन के बारे में कुछ खर्चा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

नहीं करें तो ठीक नहीं होगा। बाड़मेर जिले में राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में फारेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए और फारेस्ट के निर्माण के लिए बहुत अधिक खर्चा किया और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम साल में और पांचवी पंचवर्षीय योजना में बहुत ही कम खर्चा करके जो कुछ प्रयास किया था सब पर पानी फेर दिया। लाखों रुपया तो खर्च किया चौथी पंचवर्षीय योजना के चार सालों में और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम साल में और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दो सालों में बहुत ही कम प्रावधान करके जो कुछ भी मेहनत की थी उस सब पर पानी फेर दिया। तो मेरा कहना यह है कि जो भी योजना बने वह इस प्रकार की बने और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने भी आप यह स्थिति रखें जब इतना खर्चा कर दिया है और उससे फायदा भी हुआ है, दरख्त वगैरह भी उगाये गये हैं परन्तु आज वह मेन्टेन नहीं करेंगे तो जो कुछ किया हुआ है सब पर पानी फिर जायेगा। तो इसके लिए भी अधिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक): सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा राजस्व मन्त्री जी का ध्यान भू-राजस्व की ओर दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है वह भू-राजस्व की रेट्स के सम्बन्ध में है और रेट्स के सम्बन्ध में कई बार इस सदन में निवेदन किया जा चुका है कि इसको ऐसा रूप दिया जाये जिससे कि यह न्यायसंगत हो और सभी किसान इसको स्वीकार करें। कहीं तो रेट्स बहुत कम हैं और कहीं बहुत ज्यादा हैं और सारे राजस्थान की रेट्स एक नहीं हैं। तो मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि रेट्स के सम्बन्ध में कोई ऐसा निदान करें कि जिससे सब जगह एक जैसी रेट्स हों ताकि किसानों को राहत मिले और किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो।

कुओं से सिंचित और सिंचित भूमि की रेट्स के अन्दर, बारानी भूमि की रेट्स के अन्दर भी कई तरह की क्लासेज़ रख कर, हर गांव, हर तहसील और हर जिले की अलग अलग रेट्स बना कर बड़ा भारी फर्क किया हुआ है। तो इसके ऊपर आप विचार करें एक सी रेट्स कायम करने के लिए। एक सिद्धान्त के अनुसार वह रेट्स हों ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आज, सभापति महोदय, हालत यह है कि कहीं तो कुओं से सिंचित रेट बहुत ज्यादा है, 30-35 रुपया बीघा है। कुओं की पिलाई से वैसे काश्तकार के ऊपर काफी भार पड़ता है। तो उसके रिटर्न्स के हिसाब से रेट्स तय करें। इतना ज्यादा रेवेन्यू वसूल करना न्यायोचित नहीं है। जहां बारहों महीने ही पानी बहता हो, जिनको कि फैसेलिटीज हों, जिनकी भूमि की कीमत ज्यादा हो, जिनकी प्रोडक्शन शक्ति ज्यादा है उनकी रेट्स और हमारी कुओं की रेट्स में बहुत फर्क नजर आता है। तो जैसे आपने जोन सेट किये हैं वैसे जमीन के उत्पादन के हिसाब से काश्तकार को खेती से कितना रिटर्न आता है उसके हिसाब से लगायें। इसके अलावा आपने सरचार्ज लगा दिया, और भी टैक्सेज़ लगा दिये तो किसान को पता नहीं पड़ता कि क्या रेट्स उसको जमा

(श्री अजीतसिंह)

करानी हैं और किस किस बात का टैक्स देना है। आपने किताबें तो बांट दीं, आपने रेट्स के डिफरेन्सेज भी दिये लेकिन पटवारी लोग किसानों को मिसगाइड करते हैं और फिर काश्तकारों को पटवारी की शरण में जाना पड़ता है और जमा कराते समय तीन-चार रुपया पटवारी ले ही लेता है। मेरा निवेदन करना है कि इस सिद्धान्त से आप राहत दिलायेंगे तो बहुत भारी आपकी कामयाबी होगी। आज सबसे बड़ी दिक्कत पटवारी की है। हमारा पटवारियों से पीछा छुड़ाइये। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो वसूलात का काम है, जैसी यू० पी० में व्यवस्था है कि रेवेन्यू वसूल करने वाले अलग पटवारी होते हैं, लैण्ड रिकार्ड्स वाले अलग पटवारी होते हैं, वैसी व्यवस्था हमारे यहां हो जाये तो ज्यादा ठीक रहेगा।

दूसरे पटवारी के आफिस पर, ऐसा लगता है, राजस्थान सरकार ने सारा का सारा भार डाल दिया। बीमारी फैलने का काम हो तो पटवारी को पकड़ लेते हैं, टिड्डियां आ जाती हैं तो पटवारी आ जाता है, इलेक्शन वगैरह का काम हो तो पटवारी फिर आ जाता है। आपने पटवारी को पहले ही चालीस तरह के कार्य दे रखे हैं। इसके अलावा दूसरे काम भी दिये हुए हैं, इससे उनका काम ठीक तरह से नहीं हो पाता है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और पटवारियों से जो सही जानकारी काश्तकारों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। आपने एक सेमीनार की थी तो हमारे जिले से सुझाव दिया गया था कि पटवारी के ऊपर से यह भार कम कर दिया जाये। कम से कम आप देख लें कि जो काम उसको दिया जा रहा है उसकी उपयोगिता है या नहीं। जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के काम हैं वह भी उनको करने होते हैं जैसे मृत्यु पंजीकरण का काम है, जानवरों का काम है। यह काम पंचायतें या दूसरे डिपार्टमेंट करें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। आपने सिंचाई से पटवारी को निकाल दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वह यह है कि आपने लघु सिंचाई अपने पास रख रखी है। यह बहुत दिक्कत वाली बात है क्योंकि पटवारी उसी को दर्ज कर लेते हैं और उसी को इरिगेशन-पटवारी दर्ज कर लेते हैं। तो काश्तकारों को दो दो दफा लगान देना पड़ता है। अकाल राहत के अन्दर जो बांध स्वीकृत किये थे उनसे एक ही पानी ले पाते हैं और फिर बाद का पानी बड़ी नहरों से लेना पड़ता है। ऐसा करते हैं तो दोनों जगह रिकार्ड हो जाता है और पूरी कॉस्ट देनी पड़ती है। या तो वह बांध, जो कि रेवेन्यू के हैं, आप रखें और दूसरे जो इरिगेशन के नीचे छोटे बांध हों वह आप इरिगेशन डिपार्टमेंट को दे दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा और इससे काफी राहत मिलेगी।

इसके साथ साथ माननीय मन्त्री जी सबसे बड़ी दिक्कत लिफ्ट इरिगेशन की है। छोटे छोटे बांध हैं जिनसे पानी निकलता नहीं है और काफी लिफ्ट इरिगेशन करते हैं। उसमें कुए वगैरह बना कर पानी सींचते हैं। आपका डिपार्टमेंट फिर भी पानी की पूरी रेट वसूल करना चाहता है। आप देखेंगे कि पहले पुरानी व्यवस्था थी, रहट से, चरस से या पम्प से पानी निकाला करते थे, अब

(श्री अजीतसिंह)

छोटे छोटे बांध बन जाने से पानी की रेट वह पूरी वसूल करना चाहते हैं लेकिन उनको पानी मिलता नहीं है। इसलिए रेट की व्यवस्था के अन्दर भी आप संशोधन करें और इसके लिए कोई भी व्यवस्था करायें, यह मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं।

दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो है वह यह है कि आपने अलॉटमेंट कर दिया। अलॉटमेंट के अन्दर जैसा मैंने निवेदन किया था कि सबसे पहले अलॉटमेंट तो हो गया लेकिन जिन्होंने कब्जा कर लिया जोर जबरदस्ती से उनको तो आपने रेगुलराइज कर दिया लेकिन जिन्होंने कब्जा नहीं किया उनके पास जो आधा बीघा, पौन बीघा, एक बीघा के बाड़े हैं, जमीन खाली पड़ी है उसका न तो अलाटमेंट हो सकता है न उसका कोई उपयोग ही हो पाता है। मैंने पहले भी निवेदन किया था और आपने एक सवाल के जवाब में भी कहा है कि उसको नीलाम करने का अधिकार है लेकिन जब तक आप इसके आदेश नहीं देंगे तहसील के अन्दर कि उनकी नीलामी की कार्यवाही की जावे तब तक आपका विभाग कुछ काम करने को तैयार नहीं होगा। जब तक इण्टीमेट नहीं करें नीलामी करने के लिए तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक आप फालतू पड़ी हुई जमीन को अलॉट नहीं करेंगे तब तक काश्तकारों का शोषण खत्म नहीं होगा। लोग काश्त कर लेते हैं लेकिन दर्ज नहीं होती है। दस-दस साल से काश्त कर रहे हैं, उनका कब्जा है लेकिन पटवारी रिकार्ड में दर्ज नहीं करता है और लगान वसूल करके बीच में ही खा जाता है। अगर रिकार्ड में दर्ज करें तो लगान गवर्नमेंट में जमा कराना पड़े। इस तरह से उनका नाम दर्ज करने से वंचित रखा गया है। आपने नए अलाटमेंट किए तो दूसरों को अलाटमेंट हो गए। जो भूमिहीन हैं जिनके कब्जे में वर्षों से जमीन है लेकिन रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से दूसरों के नाम अलाटमेंट कर दी गई है। किसानों ने उस पर इन्वेस्टमेंट किया है, कुए खोदे हैं, अपना पैसा लगाकर जमीन तैयार की है और अब दूसरों को अलाट कर रहे हैं। इससे बड़ी दिक्कत सामने आती है। खैर, अपील चल रही है। जिसका कब्जा है उसको ही वह जमीन मिलनी चाहिए। यह मैं मानता हूं कि इतना बड़ा काम था तो गल्तियां भी होंगी लेकिन जिनका कब्जा था उनको वहां से हटा देना उचित नहीं है। लोगों को काफी इधर उधर कर दिया है इसलिए काश्तकारों को बड़ी परेशानी हो गई है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, पटवारियों के ऊपर जो गिरदावर रखते हैं, इस पद को मैं बिल्कुल बेकार समझता हूं। उनके पास चार रजिस्टर भी नहीं हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। जब आपके रेवेन्यू बोर्ड से लेकर पटवार तक सारा चैकिंग का काम पटवारी के पास है तो फिर गिरदावर की क्या आवश्यकता पड़ती है? आपने गिरदावर का कोई हेडक्वार्टर भी नहीं बना रखा है। कोई कहीं गिरदावर का आफिस भी नहीं है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे गिरदावर का आफिस कहीं नजर नहीं आया। गिरदावर के पास इधर उधर घूमने के अलावा कोई काम नहीं है। पटवारी की चिट्ठी तहसील तक पहुंचा दे और तहसील की चिट्ठी पटवारी के पास पहुंचा दे इसके अलावा कोई काम नहीं है। इससे उसका कोई उपयोग नहीं है। इससे ज्यादा तो यह

(श्री अजीत सिंह)

अच्छा होगा कि आप एक तहसीलदार का पद और बढ़ा दें। यह गिरदावर का पद बनाए रखने से मुझे कोई लाभ नजर नहीं आता है। इसके ऊपर भी आप विचार करें।

तहसील के अन्दर हालत यह है कि स्टॉफ जो है वह कम है। कोई नकल हुकुम मिलता नहीं है। रिकार्ड तैयार नहीं होता है। स्टॉफ की बड़ी भारी कमी है। बड़ी भारी दिक्कत है और बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जब अभी जमीन पर प्रेशर बढ़ गया है, जमीन के केसेज ज्यादा हो रहे हैं, लोग-बाग केसेज के साथ रिकार्ड तैयार कराने के लिए तहसील में जाते हैं तो सिवाय भ्रष्टाचार के कोई रास्ता नजर नहीं आता है। पैसा दिए बगैर कोई भी कागजात निकला लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। उनकी भी मजबूरियां हैं, स्टॉफ कम है तो काम कैसे चलेगा।

आपसे तहसील में टेलीफोन के बारे में निवेदन किया था कि हर तहसील में कम से कम एक टेलीफोन हो। पंचायत जैसे डिपार्टमेंट में और सारे डिपार्टमेंटों में आपने टेलीफोन दे रखे हैं लेकिन तहसील में जिसे गवर्नमेंट को चलाने वाला आफिस मानते हैं, उस आफिस के अन्दर टेलीफोन का न होना एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा करता है। तहसीलदार के पास न टेलीफोन है, न कोई व्हिकल है, न कोई और सवारी है, रात दिन धक्के खाने पड़ते हैं जिससे टाइम ज्यादा लगता है और काम होता नहीं है। इसलिए हमेशा तहसील में वह हाजिर नहीं मिलते। और भी दूसरे बहुत से काम लगा रखे हैं, आफिस अटेन होता नहीं है तहसील का और काश्तकारों को बड़ी भारी दिक्कत होती है। काश्तकार दरख्वास्त देने जाता है तो उसकी दरख्वास्त लेने वाला नहीं होता। यहां तक कि बैठने की व्यवस्था भी वहां पर नहीं है। कई तहसीलें तो ऐसी हैं कि जहां पर बैठने की जगह ही नहीं है। यह समस्या कलेक्टरी से लेकर तहसील तक है। कहीं कोई जगह नहीं है जहां काश्तकार आराम से बैठ सकें। न पेड़ हैं, न टिन शैड है। बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में बड़ी भारी परेशानी होती है। पहले के पुराने आफिसर थे वे तो फिर भी बरदाश्त कर लेते थे और बरामदे में बैठने देते थे लेकिन आज न नये अधिकारी आए हैं उनको बरामदे में भी नहीं बैठने देना चाहते। धूप में बरसात में कहां बैठे रहें?

आपकी आवाज देने की प्रणाली है वह भी बड़ी विचित्र है। ऐसे पुराने ढंग से, गलत ढंग से आवाज आपका चपरासी देता है कि बेचारा काश्तकार समझ ही नहीं पाता है। जब तक रुपया, दो रुपया नहीं दो सही ढंग की आवाज ही नहीं पड़ती। कई बेचारों की हालत यह होती है कि आवाज पड़ जाती है वे समझ ही नहीं पाते और उनके केसेज खारिज हो जाते हैं। तो यह छोटी छोटी दिक्कतें हैं, इनको तो आप मिटा दें। यह कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं है। आपको इसकी ओर ध्यान देना चाहिये। कम से कम ढंग से आवाज तो दें। ऐसे बुरे ढंग से आवाज दी जाती है, ऐसे कर्कश स्वर में आवाज दी जाती है कि बड़ी बुरी फील होती है। बुलाने का ढंग तो ठीक होना चाहिये····

श्री शंकरलाल (पाली) : माननीय मन्त्रीजी, इनकी आवाज पर ध्यान दीजिए।

श्री अजीतसिंह : यह तो सभी जिलों की हालत है। इसमें कोई पैसे खर्च करने का भी सवाल नहीं है। ऐसी बातों की समस्याओं को तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें खर्चा होने वाला नहीं है। जिला प्रशासन की हालत भी वही है। वही बेढंगी चाल है जो पहले थी वह अब भी है। आपसे मिलना आसान है लेकिन तहसीलदार से मिलना मुश्किल है ...

श्री शंकरलाल : आवाज देने वाली बात कही है। एक दफा आवाज देकर बता दीजिए।

श्री रामलाल (बाड़ी) : आप जरा बोल कर बता दीजिए।

श्री अजीतसिंह : माननीय मन्त्रीजी स्वयं वकील रह चुके हैं वे जानते हैं कि कैसे आवाज दी जाती है। बहुत ही गलत तरीका है आवाज देने का। उसमें सुधार होना चाहिए ताकि कम से कम लोग समझ तो सकें कि किस को आवाज दी है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ ही आज कल जो आपने कलेक्टरी की हालत की है, कलेक्टर साहब को अपनी मीटिंग्स से ही फुरसत नहीं है। दुनियां भर के केसेज़ पेंडिंग पड़े रहते हैं। काश्तकार दिन भर पड़े रहते हैं। आप कम से कम सप्ताह में तीन दिन का टाइम फिक्स करवा दें कि इन इन दिनों में तो कलेक्टर साहब मिलेंगे। इसके अलावा दिन भर बिठाये रख कर शाम को तारीख देते हैं। काश्तकारों का दुनिया भर का खर्चा होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, काश्तकार परेशान होते हैं। इसके अन्दर हम देखते हैं कि तीन तीन साल तक केसेज़ चलते रहते हैं। इन्साफ मिलना तो दूर रहा, सुबह से बुला कर शाम को पांच बजे पेशी बदली जाती है। कोई खास काम हो गया, आज मीटिंग है तो दिन भर तपस्या करा कर शाम को रवाना कर देते हैं। अगर तारीख ही बदलनी है तो सुबह ही बदल दें। लेकिन तारीख बदलने के लिए भी जब तक दो रुपया नहीं दो तारीख ही नहीं बदलेंगे। यह कोई तरीका थोड़े ही है। आप इसके अन्दर काफी संशोधन कर सकते हैं। यह बहुत छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इनकी ओर आप अवश्य ध्यान दें। कलेक्टर महोदय का टाइम फिक्स कर दें कि तीन दिन कोर्ट करनी चाहिए। तीन दिन तारीख के बाद बाकी मीटिंग करें कुछ भी करें। कम से कम कोर्ट टाइम फिक्स होना चाहिए। कोर्ट टाइम में फालतू बैठे रहें, इधर उधर चर्चा करते हैं, कलेक्टर, एस. डी. ओ. इधर उधर चले गए, लोग दिन भर बैठे रहें और शाम को घर जावें, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। इससे लम्बा टाइम लग जाता है फैसले होने में। छः छः साल तक, पांच पांच साल तक केसेज़ चलते हैं। जब इन अदालतों का यह हाल है तो छोटी अदालतों का तो भगवान ही मालिक है। नामान्तरकरण का भी यही हाल है। तीन तीन पीढ़ियां बदल गई लेकिन नामान्तरकरण नहीं होता है। अपना कब्जा है लेकिन लैंड रिकार्ड में नाम नहीं है। पटवारी अगर करता नहीं है तो वह बेचारा काश्तकार क्या करे। उसके पीछे घूमते रहते हैं। आपने इसके लिए अभियान चलाया इसका तो मैं स्वागत करता हूं। लोगों को इससे लाभ मिला है लेकिन अभी भी पचास प्रतिशत नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हुए हैं।

(श्री अजीत सिंह)

जो चतुर थे उन्होंने तो किसी तरह से करवा लिए लेकिन बहुत से लोग वंचित रह गए। इस अभियान का स्ट्रिक्टली फोलो हो तभी नामान्तरकरण की समस्या हल हो पाएगी।

इसके साथ साथ में वन विभाग के बारे में भी, सभापति महोदय, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वन विभाग के बारे में, मैं और जगहों की तो नहीं जानता लेकिन मेरे जिले में यह हालत है कि वन विभाग की जमीन खाली पड़ी है, सूनी है। वहां पर कोई पेड़ नहीं हैं। एक तरफ तो यह कहते हैं कि पेड़ होने चाहिये, क्योंकि पेड़ों की कमी से क्लाईमेट पर असर पड़ता है। परन्तु मैं नहीं जानता कि कौनसी क्लाईमेट पर असर पड़ेगा जब कि मेरे जिले के वन में कोई पेड़ नहीं है। उनको आप एलाट करें। अगर एलाट नहीं करते हैं तो पेड़ लगायें, वन लगायें। जो भी पेड़ लगाये गये हैं वे बेकार के पेड़ हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। फलदार पेड़ लगावें, आम, जामुन ऐसे पेड़ लगावें जिससे लाभ हो। आप नहीं लगा सकते हैं तो बाग लगाने के लिए दे दीजिये और उनको एलाट कर दीजिये जो कि वहां पर बाग लगाने को तैयार हों। इससे आपको भी इनकम होगी और हम को भी खाने को फ्रूट्स मिल जाएंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या कहा ?

श्री अजीतसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि फलदार पेड़ लगावें, जैसे आम, जामुन। इसलिए वन विभाग के पास जो जमीन खाली है उस पर आप बाग लगाने की योजना बनावें।

सड़कों के आस पास जो पेड़ लगाये गये हैं उनके ऊपर भी वन विभाग का पूरा ध्यान नहीं है ....

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पका पकाया आम उनके पास आ गया है।

श्री अजीत सिंह : आज, सभापति महोदय, वनों की संख्या बढ़ रही है उसी रफ्तार के साथ फारेस्ट गार्ड की संख्या भी आप बढ़ावें। आज फारेस्ट गार्ड की कमी है और इसकी वजह से चोरियां होती हैं और वन विभाग की बदनामी होती है। इसलिए फारेस्ट गार्ड को सक्षम बनाना चाहिये। इसके अलावा जो शहर हैं उनके पास ही आप वन विभाग को जमीन दे देते हैं। इसलिए शहर से वन की सीमा निश्चित कीजिये। आज टोंक शहर के पास ही आपका वन है और यह वन टोंक शहर में घुस रहा है। सिटी के अन्दर जावें तो पहले वन के अन्दर होकर जाना पड़ता है इसलिए सिटी से दो-चार मील की दूरी पर वन को रखें। मंत्री महोदय, आशा है, इसकी व्यवस्था करेंगे। वहीं शहर वहीं वन, यह तो नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्रीजी इस वन को जहां रखना चाहें रखें लेकिन शहर से दूर हो। आशा है आप ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री श्रीनिवास शारदा।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति जी, आज वन विभाग और राजस्व विभाग की मांगों के सम्बन्ध में मेरे भी छोटे छोटे दो कटौती प्रस्ताव हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले वर्षों में लैण्ड रिफार्म्स की दिशा में, रेवेन्यू लॉज में,

(श्री श्रीनिवास शारदा) ...

लॉज ग्राफ टिनेन्सी इन राजस्थान में काफी तब्दीलियां हुई हैं ग्रौर इतनी तब्दीलियां हुई हैं कि मैं सरकार की इस मंशा से तो कतई इन्कार नहीं करता । सरकार की मंशा इसके पीछे कुछ गलत रही है। लेकिन इतने अमेन्डमेन्ट्स टाइम टू टाइम इन कानूनों में ग्रावें, मैं समझता हूं कि ग्रब यह शैतान की तांत हो, या मगर की तांत हो, इस शक्ल में हमारे कानून हो गये हैं कि उनका पता नहीं पड़ता। इतने ग्रमेन्डमेन्ट्स समय समय पर होने के कारण ग्राज किसान को यह पता नहीं है कि वह कितने गहरे पानी में है। कोर्ट से छुटकारा नहीं है। सिविल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स है ग्रौर ग्राई. पी. सी. ग्रलग से पीछे उसके ग्रा जाता है। मैं समझता हूं कि कुल मिला कर हमारे इन कानूनों का एनफोर्समेन्ट हम एक ग्रशिक्षित, पिछड़े समाज, जिसे हम किसान कहते हैं, हित में करना चाहते हैं परन्तु ये कानून इस समाज की समझ से परे हैं। मैं चाहता यह हूं, माननीय मंत्री महोदय, यह सही बात है कि हमारे कानून ग्रंग्रेजी में बनाये जाते हैं, लेकिन इनका ग्रनुवाद इतना सरल ग्रौर साधारण होना चाहिये कि ग्राम किसान यह समझ सके कि मैं ग्रपने हितों की रक्षा किस ग्राधार पर कर सकता हूं ग्रौर उसको कम से कम वकील की शरण लेनी पड़े।

श्री ओंकार लाल चौहान : कानून तो हम हिन्दी में ही पास करते हैं।

श्री श्रीनिवास शारदा : क्या कहा, मैं समझा नहीं।

श्री ओंकार लाल चौहान: कानून तो हम विधान सभा में हिन्दी में ही पास करते हैं।

श्री श्रीनिवास शारदा : मेरा ग्राशय यह है कि जितने भी यह कानून बने हैं उनको कन्सोलिडेट किया जाना चाहिये ग्रौर जो बेसिक भाषा है ग्राम किसान की, उसमें उसका ग्रनुवाद भी समय समय पर होता रहे, जिससे ग्राम किसान समझ सके कि मेरे हित में यह कानून बना है, यह मेरा तात्पर्य है। तो क्या ग्राप रिप्लाई देंगे ?

श्री सभापति : ग्राप बोलिये।

श्री श्रीनिवास शारदा : सभापति महोदय, ...

श्री शंकर लाल : ग्रापको प्रोत्साहित कर रहे हैं।

श्री श्रीनिवास शारदा : सभापति महोदय, इस सदन में ग्राम तौर पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि कानूनों के जंजाल की वजह से पटवारी की ग्रहमियत बढ़ी। मैं समझता हूं कि केवल मात्र यही एक कारण नहीं है। जमीन की इम्पार्टेन्स बढ़ी, कुछ बड़े किसानों की हैसियत बढ़ी, यह भी उसमें एक कारण है। तो कुल मिलाकर रिश्वत-खोरी को बढ़ावा इसके जरिये से मिला है। लेकिन यह दरग्रसल में पटवारी का ऐसा ग्रोहदा है कि हर स्टेज के ऊपर पटवारी के पास किसानों को सीधा जाना पड़ता है ग्रौर ग्रधिकांश पटवारी भी, मेरी ऐसी मान्यता है, सेटलमेंट के काम से वाकिफ नहीं हैं। कोई भी पटवारी हो, एक पटवारी को 7 बीघा जमीन का टुकड़ा

(श्री श्रीनिवास शारदा)

दे दीजिये कि इसको डिमार्केट करना है, इसको नापना है तो वह उसको 7 बीघा 2 बिस्वा नापेगा। दूसरे पटवारी को देंगे तो वह उसको 7 बीघा 1 बिस्वा नापेगा। जो एक पटवारी एक बिस्वा ज्यादा नापेगा तो दूसरा उसको 2 बिस्वा ज्यादा बतायेगा। कोई उसको सही नहीं नापेगा। तो आखिर यह कैसा जंजाल है कि अकारण ही नाजायज कब्जा चलता आ रहा है। छोटी छोटी जमीनें हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि इसमें पटवारी भी इन्वाल्व्ड हैं। तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिये। पटवारी की व्यवस्था है, मैं समझता हूं शायद अकबर के जमाने से यह जो पटवारी की व्यवस्था है वही आज विद्यमान है। पहले उसके पास सीमित अधिकार थे। कानून से बढ़ने से, विकास की जिम्मेदारियां बढ़ने से आज उसके अधिकार भी बढ़ गये हैं, अधिकार बढ़ने से रिश्वतखोरी ज्यादा बढ़ी है। यह रिश्वतखोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बात यह है कि जिस पटवारी को हम अपनी बेकबोन मानते हैं, वह बेकबोन हमारी साफ सुथरी होनी चाहिये। इस दिशा में प्रयत्न होने चाहिये। क्यों नहीं ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाये कि किसी भी कल्टीवेटर को परेशानी न हो, चाहे वह भूमि अलाटमेंट की बात हो, पास बुक के वितरण की बात हो, पट्टे का वितरण हो, जमीन का अलाटमेंट हो, नोटिस दिये जाने का सवाल हो, अपने खाते की नकल लेने का सवाल हो, नामान्तरकरण का सवाल हो, इन सारे पेचीदगी के कामों को हम तुरन्त इस किस्म की एजेन्सी के द्वारा प्रतिपादित करावें कि किसानों को पटवारी के पास नहीं जाना पड़े। मेरा यह तात्पर्य है कि किसी एक आदमी का प्रार्थना-पत्र आया तो वह तहसीलदार को पेश करे और उसके लिए तहसीलदार को पाबन्दी होनी चाहिये, अगर वह खाते की नकल लेना चाहता हो, अपनी जमीन का ट्रेस करवाना चाहता हो, पास-बुक लेना चाहता हो, दरख्वास्त देने के 15 दिन के अन्दर अन्दर वह तहसीलदार उस किसान को नोटिस से बुलावे और सारे कागजात अपने सामने तैयार करवा कर किसान को उपलब्ध करवाये। आज उसको खुली छूट है और राज्य को कोई आमदनी नहीं है। खाते की नकल लेनी हो तो राज्य को आमदनी नहीं है जब कि एक पटवारी कम से कम 10/-रुपया तो लेगा ही। और जो पुराने पटवारी हैं वे कोई भी अमाउन्ट चार्ज करेंगे। 200/-,50/-,25/- भी ले सकते हैं। परन्तु राज्य की कोई आमदनी नहीं है। तो हम इतनी खुली छूट पटवारियों को न दें। मेरी ऐसी मान्यता है कि आज की स्थिति में कई हमारे सरकारी ओहदे तो ऐसे हैं, जिनको इतने दूसरी आमदनी के जरिये हैं कि सरकार एक नोटिस निकालकर कि इतने पटवारी चाहिये, इतने थानेदार चाहिये, इतने ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर्स चाहिये, इतने कस्टम्स एण्ड एक्साइज इन्सपेक्टर्स चाहिये तो मेरी ऐसी धारणा है कि गवर्नमेंट उनको एम्प्लायमेंट देकर उन्हें वेतन देने के बजाय रायल्टी ले सकती है इस अन्डरटेकिंग के साथ कि अगर तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई तो तुम्हारी सर्विसेज टर्मिनेट समझी जायंगी। जो क्वालिफिकेशन्स और कन्डीशन्स स्पेसिफाई करती है गवर्नमेंट इस तरह की कन्डीशन्स और क्वालिफिकेशन्स को फुलफिल करने वाले लोग उपलब्ध हैं, मेरे ख्याल से और वे अपने आपका रिक्रूटमेंट कराने

Page No 129

(129)

[(श्री श्रीनिवास शारदा) . . .

को तैयार हैं। आज यह ऐसे ओहदे हैं जो काफी बदनाम हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को निश्चित तौर से इस दिशा में कोई न कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये, आखिर राज्य से वे वेतन प्राप्त करते हैं तो वे जनता की सेवा करें। सरकार के इरादे पर मैं किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करता हूं ...

श्री शंकरलाल : ऊपर करतार और नीचे पटवार वाली कहावत मशहूर है।

श्री श्रीनिवास शारदा : दूसरे पटवार की प्रक्रिया में कोई न कोई नई तरकीब सोचने की जरूरत है।

पिछले दिनों अलाटमेंट में हुई अनियमितताओं की चर्चा इस सदन में समय समय पर होती रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो चर्चाएं इस सदन में होती हैं वह आखिर होती क्यों हैं ? कुछ हमारी पालिसी डिफेक्टिव है अपने आप में हम परिभाषा को क्यों न स्पष्ट करें। लैंडलेस में दर्जी भी आ सकता है, देहात में बैठने वाला एक व्यापारी भी आ सकता है और मांग कर खाने वाला एक ब्राह्मण भी आ सकता है। यही वजह है कि लैंडलेस की परिभाषा साफ नहीं होने के कारण ही केवल मात्र यह दोष रह जाते हैं। इन दोष के कारण जो गड़बड़ी होती है मेरी जानकारी में कई एक उदाहरण हैं। माननीय सदस्य नसीराबाद से आने वाले ने 3-4 उदाहरण दिये हैं यहां पर कि एक रेवेन्यू अधिकारी ने अपने रिश्तेदारों को जमीन का अलाटमेंट कर दिया। वह रिश्तेदार तो सैकण्ड और थर्ड ग्रेड के लोग होंगे, लेकिन यहां पर ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं कि कई आई० ए० एस० अफसरों ने नौकरी में रहते हुए जमीन अलाट करवाई है। चित्तौड़ की बात है कि चित्तौड़ में एलाटमेंट हुआ। वहां पर जितना एलाटमेंट हुआ है उसमें आई० ए० एस० के स्टेण्डर्ड के तो हैं नहीं लेकिन आर० ए० एस० के स्टेण्डर्ड के हैं, उनको तो आप नजरअन्दाज न करें और उनके चेप्टर रि-ओपन कर दें दूसरी ओर बड़े बड़े लोगों को नजरअन्दाज कर दें। मेरा कन्टेन्शन किसी को प्रोटेक्ट करने का नहीं है। मेरा मकसद साफ है कि आप परिभाषा में लैंडलेस किसको मानते हैं वह स्पष्ट कर दें। Tiller of soil owner of the land कर देंगे तो फर्जी लैंडलेस होंगे वह अपने आप छोड़ कर भाग जायेंगे। गरीब की परिभाषा भी साफ नहीं है। गरीब कौन है। मेरा लड़का है उसको मैं अलग कर देता हूं। कोई तस्दीक कर देता है कि वह अलग रहता है और गरीब है। गरीब है हालांकि मेरे मरने पर वह प्रापर्टी का मालिक बनेगा, क्लेम करेगा अवश्य अपने शेयर को। वह भी गरीब है आज तो क्योंकि गरीब की परिभाषा स्पष्ट नहीं है।

इसी तरह से अनएम्प्लायमेंट की बात है। अनएम्प्लायमेंट के बारे में मेरी अनुभूति यह है कि जिन लोगों के हाथ में एम्प्लायमेंट है उनके परिवारों में एक भी आदमी बेकार नहीं है और जिन आदमियों के हाथ में कुछ नहीं है और परिवार में चार पढ़े-लिखे लोग हैं तो चारों ही बेकार हैं। एक परिवार में चार पढ़े-लिखे हैं और चारों ही एम्प्लायड हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाय। जो फाल्स पैसेज हैं जिनकी वजह से चार रास्ते से लोग प्रवेश करते हैं उनको

(श्री श्रीनिवास शारदा)

किसी प्रकार से बन्द किया जाय। जब तक यह व्यवस्था नहीं की जाती है, मैं समझता हूं कि जैसा आज लैण्ड एलाटमेंट के मामलों में हो रहा है एम्प्लायमेंट के मामलों में भी वही होगा, और जो गरीब तबके के लोगों के लिए आप कुछ करने जा रहे हैं उसमें भी सेन्ट-पर्सेन्ट आपकी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पायेगा, कुछ अंशों तक ही मिल सकता है। आज लैण्ड एलाटमेंट की बात है तो लैण्ड एलाटमेंट के अन्दर एक आदमी एलाटमेंट के लिए एप्लीकेशन देता है तो एस.डी.ओ. को पता नहीं है और वह मार्क कर देता है पटवारी को निशांदेही के लिए। पटवारी निशांदेही क्या करें ? उसके पेपर पर वेट रख दिया तो ठीक है और अगर नहीं रखा तो पथरीली जमीन जाकर बता दे। एक स्टेज एलाटमेंट की उसकी है। एलाटमेंट की प्रक्रिया इतनी गलत है कि एलाटमेंट कमेटी के मेम्बर्स बावजूद इसके कि अच्छे ईमानदार हैं, अच्छे बढ़िया हैं और बिना कुछ लिये दिये, बिना किसी लालच के एलाटमेंट करें तो भी यह भरोसा नहीं है कि जिस गरीब को हम एलाटमेंट करने जा रहे हैं उसको बिना पैसे के जमीन मिलेगी भी या नहीं। खाली जमीनों के नक्शे नहीं रखते हैं। वह होने चाहिए और नक्शे में प्लाट्स साथ साथ डिमार्केट किये जाने चाहिए। एलाटमेंट होता है तो कभी पटवारी वहां पर बैठकर नं० 1, नं० 323 बटा 2, 323 बटा 3 और 323 बटा 4 इस तरह के नम्बर डाल लेते हैं तो वह नम्बर उसी वक्त नक्शे में मार्क करके वहां पर ग्राफ बना दें 5-10 बीघे के टुकड़े काट कर या खसरा साथ-साथ किसान को दे दिया जाय ट्रेस बना कर तो मैं समझता हूं कि बहुत कम चान्स Corruption का रह जायगा। क्योंकि आज बिल्कुल स्पष्ट नहीं है इसलिए परिणाम यही होता है। कुछ तो यह होता है अभियान के अन्दर। जब अभियान चलता है तो उस वक्त आंधी चलती है। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो एलॉटमेंट की हमारी प्रक्रिया है उसमें बहुत कुछ साफ करने की जरूरत है और खास तौर से मैं इस बात की परमावश्यकता मानता हूं कि जिस दिन किसान को एलाटमेंट होता है उसी दिन उसको ट्रेस मिल जाना चाहिए उस नोटिस के साथ ताकि पटवारी पश्चर में उसको ब्लफ न कर सके, पटवारी रद्दो-बदल न कर सके। जो आपके रिकार्ड को प्रिजर्व करता है वह बाबू उसको ब्लफ न कर सके, वह बाबू उसमें तरमीम नहीं कर सके। यह भी आवश्यक है कि जहां पर चैकिंग करवाते हैं तो सेन्ट-पर्सेन्ट ठीक नहीं हो सकता है। तहसीलदार भी चैकिंग करता है, एस. डी. ओ. भी चैकिंग करता है और कलेक्टर भी चैकिंग करता है। आपका पटवारी अपने फन में माहिर है या नहीं ? कोई साल भर में दो-चार इन्सीडेन्ट्स तो होने चाहिए कि एस. डी. ओ. फील्ड पर जाकर पटवारी का परीक्षण भी करे कि यह कौन से नम्बर का खाता है। वह नम्बर ही नहीं बता सकता। इस दयनीय स्थिति के अन्दर अगर नाजायज कब्जे के मामले हजारों की तादाद में बढ़ते जायं तो क्या अजब है। यह स्वाभाविक है बढ़ने चाहिए आपके कारण। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपकी जो एलाटमेंट की पालिसी है, गवर्नमेंट का कन्टेन्शन है कि गरीब लोगों को मुफ्त में जमीन मिले। किसी तरीके से उस पॉलिसी को एफिशियन्ट बनाया जाय, और ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाय कि

(श्री श्रीनिवास शारदा)

न तो पटवारी फ्यूचर में ब्लफ कर सके और न कोई दूसरा उसको ब्लफ कर सके, और न उसको उसके लिए कुछ लेना देना पड़े।

एक सुझाव मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि सीलिंग में पिछली बार थोड़े इफेक्टिव मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए और सीलिंग में आपके पास जमीन आई, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं, जहां रेगिस्तानी जमीन है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता···लेकिन मेरी ऐसी धारणा है कि ज्यादा अनकल्चरेबल लैण्ड सारी की सारी सीलिंग में मिली है। कहीं कहीं ऐसे उदाहरण देखने में आये हैं कि उन जमीनों के भूमिधर मालिक ने 15 वर्ष पहले उन जमीनों को फरोख्त किया लेकिन खातेदारी उनके नाम से चली आ रही है। तो इन्हीं जमीनों को, जो इण्डिवीजुअल्स को बेची हुई थी, सीलिंग में आपको दिया है। इसका परिणाम यह है कि वहां तहसील लैण्ड रिकार्ड में उन्हीं जमीनों का अधिग्रहण बताया गया है। पैसा लेकर उन्हीं का वापिस एलाटमेंट कर दिया। जब कि उनका पैसा पहले ही वसूल किया जा चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने उस जमीन का पैसा दुबारा चुकाया है। जमीन के जो पैसे चुकाये थे, सरकार को वापिस पैसे देने पड़े। सीलिंग के अन्दर पैसा देना पड़ा। यह डबल पेमेण्ट हो गया है। ऐसे उदाहरण आये हैं तो आप को सख्ती से स्टेप लेने चाहिए। इसके साथ साथ लैण्ड यूटिलाइजेशन की बात है। आपका लैंण्ड यूटिलाइजेशन एक्ट बना हुआ है। काफी तादाद में जमीन पड़त के रूप में पड़ी है। इस पर अमल करना चाहिए इससे भी हमारी प्रोब्लम काफी सोल्व होगी।

(विराम)

अब मैं थोड़ी सी बात वनों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। यह सौभाग्य की बात है, कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिनके मंत्री अलग अलग होते हैं। एक विभाग का एक मन्त्री है दूसरे विभाग का दूसरा। तो इस प्रकार के विभागों में कोआर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। यह सौभाग्य की बात है, माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्व मंत्री जी वन विभाग के मन्त्री भी हैं। इसलिए कोआर्डिनेशन का सवाल पैदा नहीं होता है। मुझे याद है, पिछले साल इस सदन के सत्र में माननीय मन्त्री महोदय ने वनों की स्थिति पर प्रकाश डाला था और इस स्थिति पर भी प्रकाश डाला था कि राजस्थान में पिछले वर्षों में किसी प्रेसर के आधार पर या परिस्थितियों के कारण काफी वन ट्रांसफर हुए रेवेन्यू विभाग को। मुझे जहां तक ख्याल पड़ता है 2% के लगभग तादाद कम हुई है. पहले 11% थी वह आज की स्थिति में 9% रह गई है। राजस्थान में वनों की कमी का कारण एक यह भी है कि यहां पर मरुस्थल अधिक है। आप राजस्व मन्त्री भी हैं और वन मन्त्री भी हैं। आज वनों की जो स्थिति हो चुकी है या हो रही है, या है, अब उस पर विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यक यह है कि आज भी कई जगह रेवेन्यू में ऐसी जमीनें हैं। पहाड़ों की चोटियों में पड़ी हैं, वनों में पठारों के रूप में इतनी पड़त पड़ी हुई है, वह एग्रीकल्चरेबल है। तो इस बारे में राजस्थान का एक सर्वेक्षण हो जाना चाहिए। वैसे पूरे राजस्थान के सर्वेक्षण के लिए काफी समय चाहिए। समय रहते मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह

(श्री श्रीनिवास शारदा)

जानकारी कर ली जाये कि कौन कौन सी जमीन ऐसी है जो नॉन कल्चरेबल है। उन पर पैंडक्स बनाये जा सकते हैं। जहां जहां कल्चरेबल है, वहां पर आसपास में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको एलाट की जा सकती है। इस प्रकार की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। आपका फ्यूचर का प्रोग्राम वनों का क्या होगा। यह लक्ष्य आपको अभी से निर्धारित करना होगा वनों के प्रसार के लिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह सुझाव मेरा है। गवर्नमेंट सक्षम है। और मन्त्री महोदय भी सक्षम है। यह कार्य शुरू होना चाहिए। एक मैं निवेदन करना चाहता था, एक सरकुलर जारी हुआ है इस सरकुलर का कण्टेंशन यह था पिछले पांच छः महीने पहले, जो दरख्त इण्डिवीजुअल कल्टीवेटर्स की जमीन पर हैं वह जब काटे जाते हैं तो जंगलात से स्वीकृति ली जाती है। उसमें वस्तुस्थिति यह है कि पहले तो उसमें रेंजर इन्वोल्व होता था। मरुभूमि के बाड़मेर और जालौर वगैरह के उदाहरण देता हूं। लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है, आपने लिखा है कि दरख्त काटने के लिए अब ए. सी. एफ. को इन्वोल्व किया है। अब ए. सी. एफ. एक है या किसी जगह दो हैं। अगर आप विश्वास करें तो रेंजर में भी नैतिकता हो सकती है, न कि ए. सी. एफ. में ही ऐसे भी उदाहरण हैं कि ए. सी. एफ. ने भी स्कैण्डल किये हैं। ए. सी. एफ. को जाकर इन्सिस्ट करें तो लकड़ी काटने का लाइसेंस मिलेगा। तो यह टू-टायर से थ्री टायर सिस्टम क्यों हुआ ? इससे लोगों को दिक्कत हुई है। इस प्रोसेस को वापिस ईजी बनाइये। इस हार्डशिप से किसानों को बचाइये। ऐसा सरकुलर निकला है। अगर कोई लाइसेंस चाहे तो कितना लम्बा समय लगेगा बहुत लम्बा डिस्ट्रिक्ट चला गया है। एक ए. सी. एफ. कहां कहां जाकर यह कार्य कर सकेगा। तो आप इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं।

श्री सभापति : श्री मोहनराज जैन।

श्री मोहनराज जैन (बाली) : सभापति महोदय, राजस्व विभाग और वन विभाग की मांगों पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। सबसे पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि राजस्थान में पिछले वर्षों में जितने भूमि सुधार हुये हैं, उनके कारण पटवारी से लेकर ऊपर के सभी राजस्व अधिकारियों की विशेष जवाबदारियां बढ़ी हैं और यदि इन जवाबदारियों के अनुरूप हम काम करके नहीं देंगे तो जनता में जो आशा हम लोगों ने जगाई है वह केवल मखौल ही नहीं होगी बल्कि उसके फल बड़े उल्टे हो जायेंगे। इसलिये जो भी भूमि आवंटन का प्रोग्राम हो, चाहे नामांतरकरण के निपटाये जाने की बात हो, या जो भी मामले रेग्युलराइजेशन के तहत आते हों उन मामलों को लेकर कहिये अभी तक आपने कई प्रकार के अभियानों को चलाया है लेकिन हर बार, बावजूद इसके कि अभियान एक पखवाड़े का हो, चाहे एक सप्ताह का हो अथवा एक महीने का, जो भी समय आपने निश्चित किया उसके समाप्त हो जाने के बाद भी उतना ही काम पड़ा हुआ मिलता है जितना कि अभियान चलाने से

(श्री मोहनराज जैन)

पहले पड़ा हुआ था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपको उस काम के लिये जितनी ताकत लगानी चाहिए वह उसमें नहीं लगायी अथवा जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के जिम्मे जो काम सौंपा गया था उस काम को उन्होंने पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और मेहनत के साथ पूरा नहीं करा चाहे पूरा नहीं करने के कोई भी वजूहात रहे हों। जब कोई काम पूरा नहीं हो पाता है तो भ्रष्ट तरीके का जो सिलसिला चला आया है, छोटे-मोटे जो राजस्व के कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं उनसे जो उस काम के लिये लाभ मिलता चला आ रहा है उस लाभ के खत्म होने का अन्देशा रहता है इसलिये उसमें कई प्रकार की कमियां रख दी जाती हैं ताकि उसका उनको उत्तरोत्तर लाभ मिलता रहे। माननीय सभापति महोदय, इस भ्रष्ट प्रवृत्ति को खत्म करने के लिये मैं निवेदन कर रहा था कि जिस आनेस्टी की अपेक्षा हम उन कर्मचारियों से करते हैं, भू-सुधार के लिये जो लगन और ईमानदारी उनमें पैदा करनी है, हमको इसके अनुसार हमारी मशीनरी को ढालना पड़ेगा। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा था कि अभी अभी बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत कई कर्मचारियों को कम्पलसरी रिटायर करने की बात सोची गई और कई कर्मचारियों को रिटायर कर भी दिया गया लेकिन अभी तक भी ऐसे लोग आपके विभागों में बैठे हुए हैं जो सारे इलाके में ही नहीं आपके कागजों में और आपके दफ्तरों में भी बैठे हुए हैं, इन अधिकारियों और कर्मचारियों को सारी दुनिया और आपका विभाग भी जानता है लेकिन उनको हटाया नहीं जाता है इसलिए आम जनता का ख्याल है कि यह सारी बात केवल कागजों में ही दिखावट के लिये है और गरीब लोगों के हित में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो भी भ्रष्ट तत्व या करप्ट एलीमेन्ट आज तक विभागों में बैठे हुए हैं जिनका काम गरीब से गरीब लोगों और जनता के साथ पड़ता है, ऐसे तत्वों को हटाने के लिये आपका विभाग खास अभियान चलावे। मुझे मालूम है पाली जिले के कलेक्टर को आपके आदेश गये थे। मैं पाली जिले की बात करता हूं, वह सूची सारी की सारी कमेटी द्वारा बनायी गई थी जिसमें 131 कर्मचारियों के नाम थे और यह आदेश थे कि अनडिजायरेबल एलिमेन्ट्स हैं उनको हटा दिया जाय। उस लिस्ट की दुबारा स्क्रुटिनी की गई तो उसमें 75 नाम ही रह गये और तीसरी बार में 51 और आते-आते घटते घटते वह संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई जिसका कोई असर नहीं हुआ और आम लोगों के बीच में यही भावना थी कि यह सारी चीजें केवल दिखावट के लिये हैं और यह सब केवल नारेबाजी के लिये होता है। सभापति महोदय, मेरा ख्याल है कि हम उस नतीजे को भुगत चुके हैं जब कि नारेबाजी का जमाना था, लेकिन अब अन्ततोगत्वा हमारे राष्ट्र की प्रधान मन्त्री को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा इसके लिए कि अब नारेबाजी से काम नहीं चलेगा और कागजी कार्यवाही से कुछ नहीं होने वाला है, अब हमको कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और ठोस कार्यवाही करनी होगी। हमने जो वातावरण बनाया है और जनता में जो आशा जगाई है कहीं फिर हम इस तरह के अभियान चलाकर उस जगह पर नहीं ले आवें और हमारा

(श्री मोहनराज जैन)

देश उसी तरह से संकटग्रस्त बना रहे, उसी में फंसा रहे।

मैं समझता हूं कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनमें सबसे ज्यादा जोर इस बात के लिए दिया है कि काश्तकारों के पास जो पास बुकें हैं वह पूरी होनी चाहिए, हर तरह से कम्पलीट होनी चाहिए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया है और बातचीत के दौरान यह बात स्पष्ट भी हुई है कि पास बुकों में जितनी भी एन्ट्रीज हैं जमीन के मुतल्लिक या किसान का जो कर्जा है या जो उसकी बकाया राशि है, उन सबका हवाला उसमें रहना चाहिए जिससे वह पास बुक ले जाकर सहकारी समिति से अथवा बैंक से या और किसी जगह से, पंचायत समिति से आवश्यक ऋण भी प्राप्त कर सके और जो भुगतान करे उसका भी उसमें विवरण हो। इस तरह से जब तक इस पास बुक को एक कानूनी दस्तावेज का रूप नहीं देंगे तब तक हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जितने भी भूमिहीनों को आप भू-आवंटन करेंगे जैसा कि मुझे मालूम हुआ है 15 अप्रेल से आप फिर एक अभियान चलाने जा रहे हैं। उसको बड़े पैमाने पर चलाया जाय। मेरा यह सुझाव है कि जिन लोगों को भू-आवंटन किया जाय वहां पर आप जो कैम्प लगाते हैं एक दिन के बजाय जरूरी हो तो दो दिन भी, चाहे अधिकारी दूसरी जगह चले जायं भू-आवंटन के लिए, लेकिन पीछे से तीन चार कर्मचारी वहां पर कायम रहें जो पास बुकों को कम्पलीट कर दें। नये लोगों को आप पास बुक दें उसमें यह नोट भी लगा दें कि इतने वर्ष तक जमीन को इधर से उधर नहीं कर पायेंगे, उसमें जमीन का नक्शा भी रहेगा और जमीन के हालात भी और भू-राजस्व का विवरण भी रहेगा। इससे उनको विश्वास हो जायगा। उनके पास एक दस्तावेज हो जायगा और वह तरक्की भी कर सकेगा। यह भी होना चाहिए कि उसको तत्काल उसका कब्जा भी मिल जाय।

दूसरी चीज जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि बकाया जो राजस्व की वसूली है उसके बारे में सदन में बहुत कुछ कहा गया है। यह बात सही है, अभी भी कई गरीब लोगों को बड़ा परेशान किया जा रहा है और वह परेशानी महसूस कर रहे हैं, इसका कारण समझियेगा, पिछले दो तीन वर्षों से हमारे राज्य में अकाल, बाढ़ और सूखे की स्थिति रही है जिसका नतीजा यह हुआ कि किसानों को कोई अच्छी फसल या पैदावार नहीं मिली है लेकिन अब की बार जरूर अच्छी हुई है। जिनकी खरीफ में अच्छी पैदावार हुई है उन्होंने चुकारा भी किया है और जिनकी पैदावार रबी में आने वाली है, महीने भर में या डेढ़ महीने के बाद वह मार्केट में आ-जाएगी, हालांकि भाव घटने से किसान को पूरा पैसा नहीं मिल पायेगा फिर भी वह कुछ देने लायक अवश्य बनेगा तो वह महीने डेढ़ महीने बाद बनेगा। यह बात तो सही है कि गरीब लोगों के साथ ज्यादती होती है। ऐसी भी रिपोर्ट आई हैं जिनसे पता चलता है कि आपके इन आदेशों का सही पालन नहीं हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न तो मेरा और न कोई और माननीय सदस्य का मतलब है कि जिन

श्री मोहनराज जैन)

लोगों की हैसियत है देने की, जो देने में समर्थ हैं उनसे आप तत्काल वसूली न करें लेकिन हम चाहते हैं कि जो प्रभावशाली लोग हैं जिनकी बड़ी ऊंची पहुंच है उनसे भी उसी प्रकार से वसूली की जाय, उनसे पूरा पैसा वसूल किया जाय क्योंकि उनके पूरे पैसे नहीं मिलने के कारण यह दण्ड गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। मेरे क्षेत्र के एक गांव की हालत मैं बताता हूं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोग थे उन की बराबर कुर्कियां आती रहीं और जो प्रभावशाली लोग हैं, वहां के उस गांव के 50 से अधिक उनसे पिछले बीस वर्षों में भी एक पैसा वसूल नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र के एक गांव की ही बात नहीं बल्कि गांव गांव में ऐसे लोग हैं जिनमें बकाया निकल रहा है और वे एक पैसा नहीं देना चाहते। जब भी कोई कुर्की लेकर जाता है, या नोटिस लेकर जाता है तो उसकी खातिर तवज्जह कर दी जाती है और गरीब लोगों के झोंपड़े और घर बिक जाते हैं। वे यह समझते हैं कि भाई चलो तुम तुम्हारी वसूली करके ले जाओ। वह सोचते हैं जो थोड़ी बहुत वसूली होती है वह हो जाय। वह इसलिए होती है कि ग्राम जनता को इस बात की जानकारी नहीं है कि बड़े लोगों के अन्दर हमारे इसी गांव में कितना पैसा बकाया है। इसलिए मेरा एक सुझाव आप लोगों को है, कान्क्रीट सजेशन है, वह कान्क्रीट सजेशन यह है, आप दो तरह की लिस्ट बनाइये—जिन लोगों के अन्दर हजार रुपये से ज्यादा राजस्व की रकम बकाया है, एक सूची उन लोगों की बनायें। दूसरी सूची उन लोगों की बनायें, भू-राजस्व के और दूसरे जो कर्ज हैं, उनके अन्दर भी पांच हजार जिन लोगों के अन्दर बकाया है। ऐसी सूचियां बना कर आप जिला कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, तहसील कार्यालय और पंचायत के कार्यालय पर टांगिये। तमाम पंचायतों के लिए यह जरूरी कर दीजिये कि तमाम पंचायत की ग्राम सभाओं के अन्दर उस गांव में बड़े बड़े लोग हैं जिनके अन्दर हजार रुपये से ज्यादा लगान की वसूली के बकाया है, जिन लोगों में पांच हजार से ज्यादा कर्ज के बकाया हैं- उन लोगों की सूचियां पढ़कर सुनाई जाय। इसके अलावा एक काम और कीजिये, ग्राम सूचना के जो स्थानीय अखबार हैं उनमें यह सूची आप छपवाने की कोशिश कीजिये। आप देखें कि जितने पर्सेन्टेज में बकाया है वह घट कर कितना आ जाता है। ज्यों ही प्रकाशित हो जायगा, ज्यों ही ग्राम लोगों को मालूम हो जायगा त्यों ही बड़े बड़े आदमी जो सीधे से पैसा देना जानते नहीं है, जिन्होंने सीखा नहीं है पैसा देना, उनमें खलबली मच उठेगी, जो समझते हैं इससे हमारा लाभ नहीं है, उन लोगों में वसूली शेष चली आ रही है, जो इतना पैसा लेकर बैठे हैं, कोई कारण नहीं है, कोई वजूहात नहीं हैं कि उनके ऊपर यह तरीका नहीं अपनायें। इसको जोर से न अपनायें, बीस सूत्री कार्यक्रम में इस प्रोग्राम को आप ले सकते हैं और उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करवा कर देखिये कि आपकी वसूली का अभियान कितना बड़ा सफल होता है। इससे बहुत गरीब लोग जो हैं, जो वास्तव में दे नहीं सकते हैं, जो मामूली किश्तों में चुका सकते हैं उन लोगों को भी सरकार को राहत देने में बड़ी मदद मिलेगी। मैं सोचता हूं कि इस सुझाव पर आप गम्भीरता से विचार करेंगे।

(श्री मोहनराज जैन)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता था, वह भू-आवंटन के बारे में है। यह बहुत जरूरी है कि हम कुछ चीजों पर अपना दिमाग साफ करें। अभी अभी कुछ गांवों के प्रभावशाली, लोग जो कतई भूमिहीन काश्तकार नहीं हैं, भूमिहीन मजदूर नहीं हैं, सबसे पहले ऐसी समाओं में चले जाते हैं और अपने नाम भूमि आवंटित कराते हैं। मैंने राजस्व मंत्री को पत्र लिखा था, कलेक्टर को बहुत पहले लिख दिया था। अभी वाली तहसील के कुछ गांवों में इस तरह का भू-आवंटन किया गया है। पिछली 13 को पंचायत समिति के एस. डी. ओ. तहसील कोर्ट के कर्मचारी हैं, उन लोगों को भू-आवंटन किया गया है। पिछले दिनों में करीब दस बारह व्यापारी, जिनकी होटल हैं, दुकान चलती हैं,को भू-आवंटन किया गया है। हमने पूछा, यह क्या हालत है क्योंकि एक ओर बीस सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, दूसरी ओर ऐसे लोगों को आवंटन कर रहे हैं। बार वार तकाजा किया कि इसका जवाब दिया जाय, तो मुझे जवाब मिला, जिन सरकारी कर्मचारियों को भू-आवंटित की गई है, वह जिलाधीश की पूर्व स्वीकृति लेकर की गई है। क्या जिलाधीश की पूर्व स्वीकृति मिल जाने से सारा पाप धुल जाता है ? हम कब तक यह काम करते रहेंगे। इसलिए मैं राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस तरह का जहां कहीं गलत आवंटन हुआ है और हम लोगों की गैर मौजूदगी में हुआ है, वहां पर इस तरह का आवंटन जिलाधीश की स्वीकृति मिल जाने पर भी हुआ हो, तो भी राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे आवंटन को कैंसिल कर दे। एक मामला मैं राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, पाजलड़ा गांव है सहबाड़ी में, आज 11 वर्ष पहले भू-आवंटन हुआ था, पचास लोगों को। अपील में वह मामला चला गया और मौके पर जमीन नहीं दी गई। उसके बाद उसका फैसला सुनाया नहीं। तहसील सहबाड़ी में चिट्ठी लिखी तहसीलदार को कि ऐसे आवंटन में पचास लोगों को भूमि आवंटित हो गई है जिनकी चाही बारानी और सिंचित जमीन है। यह गलत आवंटन हो गया है। अपील के अन्दर कुछ लागों ने मिल कर मामले को दबाये रखा। 11 साल बाद उस अपील का फैसला होता है, अब इस हिसाब से, दस दस बीघा नाप कर, 11 साल पहले सूची बनी थी, उनके आधार पर जमीन बांट दी जाय। मैंने राज्य सरकार, राजस्व मंत्री और जिलाधीश को पत्र लिखा है, दस वर्ष पहले जिस आधार पर सूची बनाई गई थी, उस वक्त एतराज किया था। आज भी 70 पर्सेन्ट लोग ऐसे हैं जिनके पास बारानी, नहरी जमीन हैं, उन लोगों को आज आप जमीन देंगे, उस फैसले के आधार पर, फिर न्याय क्या होगा ? और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं, जिनके हितार्थ संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों को जमीन कहां से दे पायेंगे ? तो आप सुधारें इस मामले को भी। जिलाधीश ने मुझे बताया है कि उन्होंने जांच करके यह सही पाया है कि बहुत सारे आवंटियों के पास पहले से जमीन है। उनको आवंटन करना, हमारे कार्यक्रम की जो भावना है, उस भावना के विरुद्ध जायगा। मैं आशा करता हूं, इस मामले में राज्य सरकार शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेगी। जो अभियान आवंटन का चल रहा है, उसमें उस भूमि को, जो वास्तव में गरीब लोग हैं,

(श्री मोहनराज जैन)

उनको आवंटित कर सकें और जो मालदार हैं उनके पास यह भूमि न जाय। साथ ही भू-आवंटन के बारे में राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आज से 20 वर्ष पहले एक प्रवृत्ति चली थी कि सारे सरकारी आफिसर, बहुत बड़े बड़े आफिसर, जिनका प्रभाव था, जवाई कमाण्ड एरिया में बड़ी बड़ी जमीन पर कब्जा किया है। इसी तरह जहां कहीं सूचना मिली कि यहां बांध बनने वाला है, वहां कोशिश करके जमीन ले ली। जिसके अन्दर कई जिलाधीश हैं, एस.डी.ओ. हैं, तहसीलदार हैं, और दूसरे कर्मचारी तो हैं ही। तो ऐसे लोगों के पास अगर बड़ी मात्रा में जमीन रही तो आर.ए. एस. आफिसर, दूसरी केटेगरी के आफिसर हैं उनमे क्या फिर हम जनता को न्याय दिला पायेंगे? हमारी यह भावना कागजों में रखी रह जायगी और हम लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर पायेंगे। ऐसे लोग आज भी काबिज हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं। उनकी भूमि पर काश्त कर रहा है बेचारा काश्तकार। आफिसर दफ्तर में बैठ कर काम करता है और काश्त करने के लिये गरीब लोगों को दे देता है और जब फसल पक जाती है तो दफ्तर, विभाग से छुट्टी लेकर वह पहुंच जाता है और वहां पहुंच कर प्रभाव और अधिकार के डर से, वहां तैनात आफिसरों की मदद से गरीब काश्तकार को खदेड़ दिया जाता है। उनकी सुनवाई नहीं होती है। जो सारा धान पैदा होता है, सारी फसल पैदा होती है, उसका कर्मचारी रुपया खड़ा करके ले जाते हैं। काश्तकार रोता है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। फिर आप किस तरह समाजवाद लाना चाहते हैं? किस तरह समाजवादी व्यवस्था करना चाहते हैं। इस तरह के मामले सब जगह मौजूद हैं। खास तौर से सज्जनसिंहजी के क्षेत्र सुमेरपुर में बहुत हैं। मेरे क्षेत्र के पास एक बांध का बंधा है जिसमें दो सौ बीघा की पिलाई होती थी। सैटलमेंट आफिसर, जो आज भी आफिसर है, को मालूम था कि इस बांध से यह जमीन सिंचित होने वाली है. उसने दो सौ बीघा जमीन अपने नाम करा ली। आज भी उस बांध से यह जमीन सिंचित होगी। फिर लोगों में आप किस तरह से विश्वास पैदा करेंगे। मैं सोचता हूं, राज्य सरकार इस बात को गम्भीरता से सोचे। मेरा निवेदन है कि आप जरूर जांच करायें, और जिस जिस आफिसर, जिनका वहां पर जमीन लेने का अधिकार नहीं था, ने जमीन ली है बिना सरकार की स्वीकृति के, बिना परमिशन के, उनकी जांच करवा कर उनसे जमीन छीनने की कार्यवाही करिये और उस गरीबों में बांटिये तब जाकर उनको राहत दे सकते हैं। पाली जिले में बीस सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो रहा है, आप हमसे कहते हैं हम लोगों से कहते हैं। लेकिन लोग कहते हैं, इस तरह की बात हम पच्चीस वर्ष मे सुनते आ रहे हैं इसका कुछ नतीजा नहीं है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और निवेदन कर दूं।

दूसरी बात वन के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि वन की अधिक रक्षा हो, इस ओर सरकार का ध्यान गया है और इस बारे में थोड़ी सी सचेत हुई है कि अगर हमारे वन बिल्कुल वीरान हो गये तो बहुत बड़ी बरबादी हमारे प्रान्त में हो जायगी। लेकिन आखिर वनों की रक्षा कैसे हो? जहां वन

(श्री मोहनराज जैन)

हैं वहां पर उनकी रक्षा की अगर समुचित व्यवस्था नहीं की जाती और वहां पर बड़े पैमाने पर चोरियां होती रहती हैं तो फिर वनों की रक्षा नहीं हो सकती। मैं अपने इलाके की बात करता हूं पाली व देसूरी रेंज का एक बड़ा इलाका है वहां पर आपके सशक्त अधिकारी होने चाहिए। आखिरकार पश्चिमी इलाके में जोधपुर डिवीजन में सबसे बड़ा वन खंड वही है। आज से दो वर्ष पहले पाली में डी. एफ. ओ. के केडर का अधिकारी रहता था। जहां कहीं गड़बड़ी होती थी, तत्काल पहुंचता लेकिन उसको वहां से हटा कर जोधपुर भेज दिया। 90 प्रतिशत आपका वन खंड हमारे इलाके में है और 10 प्रतिशत आपके बाकी जोधपुर डिवीजन में है। जोधपुर में डी. एफ. ओ. के रहते हुए वनों की रक्षा नहीं हो सकती। हम कई मामले पकड़ कर आपके अधिकारियों के ध्यान में लाए। इस ओर भी आप ख्याल करें और इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करें। पाली में डी. एफ. ओ. के केडर का आदमी लगायें। अगर आप जोधपुर से हटा सकें तो ठीक वरना विशेष व्यवस्था के बतौर पाली में डी. एफ. ओ. रखें तो वन खंड की अच्छी हिफाजत हो सकती है। बीजापुर में गत वर्ष चोरी के कई मामले हुए, बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए, वहां फारेस्ट का जो चौकीदार या गार्ड है उसकी सी.सी.एफ. की नालेज में मामला आया था। वहां ट्रैक्टर भर भर कर सामान ले जाकर खाली करते थे। रात को पकड़ा गया। वहां आपका ही चौकीदार उस ट्रेक्टर को ड्राइव करता था और दूसरे आदमियों की साजिश से सारा माल जा रहा था और आ रहा था अजमेर की तरफ ट्रकों में भर कर। आखिर ऐसे लोगों को इस समय भी नहीं निकालेंगे, कम्पलसरी रिटायर नहीं करेंगे तो फिर वनों की रक्षा नहीं होगी। वनों की रक्षा सिर्फ आम लोगों को कहने से नहीं होगी। उसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनको भी इस काम में लगायें, उन पर थोड़ी सख्ती बरतें और उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करें। आपकी एन्क्वायरी लंबी हो जाती है, दो दो तीन तीन वर्ष तक चलती है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं खुद इसी तरह का मामला, आपके कर्मचारी फारेस्ट गार्ड की शिकायत लेकर आया था। वह मारपीट करने का था। थोड़े दिन पहले आपके यहां से इन्क्वायरी हुई। उनमें से किसी का ट्रांसफर हो गया किसी का नहीं हुआ। मैंने उस बात को बार बार इसलिए राजस्व मंत्री से कहा कि हमारे पास 100 आदमियों की शिकायत होती है उनमें से एक दो को देखते हैं कि पक्की बात है, गलत नहीं है, कहने वाले विश्वसनीय हैं। उस बात को लेकर आपके सामने आते है और सी.सी.एफ. के सामने शिकायत प्रस्तुत करते हैं उनके अधिकारियों से मेरा सम्पर्क तो हुआ नहीं लेकिन अधिकारी ने रिपोर्ट लाकर दी और कहा कि खास एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पुरजोर शब्दों में राजस्व मंत्री से कहा। उन्होंने जयपुर से वन संरक्षक को भेजा। भरतसिंह नाम है उनका। सारी बात उनके सामने रखी गई। सारा गांव बैठा था, उनको कहा गया कि बेहरमी से लोगों को पीटा गया। बाद में गवाही देने गए तो उन लोगों के साथ में और दूसरे लोगों ने ज्यादतियां की और जब हमने पुलिस को शिकायत की तो झगड़ा किया था। मुझे दुःख होता है अभी राजस्व मंत्री यहां नहीं है लेकिन मुझे मालूम है मारवाड़ के अंदर मारवाड़ी परि-

(श्री मोहनराज जैन)

जब जोधपुर दरबार से लागपात के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी, मुझे याद है, उस समय राजस्व मंत्री भी उस लड़ाई में शरीक थे, उन्होंने लागपात के विरुद्ध संघर्ष किया : उनके ही कर्मचारी रायतों के साथ इसलिए मारपीट करते हैं कि एक एक बकरा दो, तो यह कैसे बरदाश्त होगा । पुलिस में शिकायत हुई पुलिस ने चालान पेश कर दिया । मैंने थोड़े दिन पहले राजस्व मंत्री से कहा कि चालान हो गया लेकिन सस्पेंड नहीं किया । विभाग ने प्राइमाफेसी केस बनाकर अदालत में चालान पेश कर दिया और आप उसको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं । तो कहा, नहीं, मेरी जानकारी में उसका चालान नहीं किया । लेकिन अभी वन संरक्षक से पूछ लिया जाए तो पता लगेगा कि दिसम्बर में चालान पेश हो गया । मजिस्ट्रेट के यहां पर क्रिमिनल कोर्ट में बतौर मुल्जिम आता है,सरकार ने उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया है कि वह इल्लीगल लागपात लेता है । लागपात माफ कराने के लिए इतना संघर्ष हुआ, आज यदि आपका कर्मचारी ही ऐसा करे तो यह मखौल है । इसलिए वनों की अगर रक्षा करवाना चाहते हैं तो दोषी व्यक्तियों को दंड दें । जब तक ऐसा नहीं करेंगे, तब तक लोगों में जो विश्वास पैदा होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा और महान् काम जो आप उठा रहे हैं विकास का, वह पूरा नहीं होगा ।

श्री सभापति : श्री सज्जनसिंह ।

श्री जयनारायण रोत : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक मांगें पारित हों तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए ।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया ।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, राजस्व विभाग की मांगों के संबंध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । उसी प्रसंग में आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए शुक्रगुजार हूं । एक जुलाई, 1975 को राष्ट्र के नाम प्रसारण में प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया और उस कार्यक्रम के क्रमांक 2 पर प्रधान मंत्री ने इन शब्दों में हमारी राज्य सरकारों का आह्वान किया : "कृषि भूमि की हदबंदी को तेजी से लागू करना, अतिरिक्त भूमि को तेजी से भूमिहीनों के बीच में बांटना तथा भूमि संबंधी अभिलेख तैयार करना ।" मैं अपने विचार केवल इसी संबंध में सीमित रखना चाहता हूं । मेरे कई शुभचिंतक माननीय सदस्य मुझे बार बार यह सलाह दिया करते हैं कि तुम जोर से मत बोलो, कहीं तुम्हारा हार्ट फेल न हो जाय । कई मेरे शुभचिंतक माननीय सदस्य बार बार सलाह दिया करते है कि तुम्हारी बातों में सब्सटेंस नहीं होता और तुम केवल सांडेराव के केस को रिपीट करते हो । सभापति महोदय, मेरा दुर्भाग्य है, जो अभावों से पीड़ित होता है, जिसमें दर्द होता है, उसकी भावनायें दबाने से दबती नहीं, रोकने से रुकती नहीं । मैंने कई बार सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए, मैंने कई बार सांडेराव के दुःख व दर्द भरी गाथा गाई, मैंने कई बार दूजाना की कहानी सुनाई लेकिन जो दर्द अभी तक संजोए हुए घूमता हूं वह यह कि सरकार कदम नहीं उठा रही है ।

(श्री सज्जनसिंह)

तो, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं

(व्यवधान : अश्रव्य)

कि यदि मुझे यही आशीर्वाद है तो मैं एक बार हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास जाकर फरियाद करूंगा और वहां से भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला तो फिर उसके बाद में मैं पुनः यह बात कभी भी मुंह पर नहीं लाऊंगा। कभी भी इस बात को सदन में नहीं कहूंगा। यह मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, दूजाना के खसरा नम्बर 25, खसरा नम्बर 227, खसरा नम्बर 226 की जमीन को एक आर.ए.एस. श्री सी. डी. देवल ने अपने कब्जे में नाजायज तौर पर करके उससे नाजायज लाभ उठाया है। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे यह कहा था कि आप बिलकुल डिसक्वालिफाई बात करते हैं लेकिन, सभापति महोदय, मैं सही निवेदन करना चाहता हूं कि उस आर. ए. एस. आफिसर ने बेनामी ट्रान्जेक्शन्स किये हैं, उसने सीलिंग कानून को सरकमवेन्ट किया है। लेण्ड ग्रेबिंग किया है। उसने वह जमीन को अलग नामों में आवंटित कर दी है और उस जमीन पर कब्जा किये हुए बैठा है। उस आर. ए. एस. आफिसर ने, सभापति महोदय, कत्ल करवाया वहां पर। उस आर. ए. एस. आफिसर ने अपने इन्फ्लूएंस को काम में लेकर ऐसी हालत बना रखी है कि वह किसी पटवारी को वहां पर टिकने नहीं देता। उस आर. ए. एस. आफिसर ने लगान तक उस जमीन में खेती करने का नहीं दिया। उससे लाखों रुपये कमाता है और फिर उसमें हजारों रुपये इधर उधर बांटता है।

सभापति महोदय, इन सच्ची बातों को मैं नहीं चिल्लाऊं, यह दर्द भरी कहानी यहां आपके समक्ष, राजस्थान सरकार के समक्ष नहीं कहूं तो मैं समझता हूं, सभापति महोदय, मैं अपना कर्त्तव्य नहीं निभा पा रहा हूं। यह दूजाना की कहानी है, इसी प्रकार, सभापति महोदय, सांडेराव के खसरा नम्बर 4 में एक व्यक्ति ने, सभापति महोदय, केवल एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। सभापति महोदय, यह खसरा नम्बर चार अकेला चार हजार बीघा जमीन का है। वह नहरी जमीन है और वहां चार हजार बीघा जमीन अगर किसी एक व्यक्ति के पास है तो वह एक बहुत बड़ी जागीर है। मुख्य मन्त्री महोदय किसी को जागीर देना चाहते हैं ऐसा प्रतीत होता है, In perpetuity for centuries to come. सभापति महोदय, चार हजार बीघा जमीन किसी एक व्यक्ति को प्रदान करना एक बड़ी जागीर देना नहीं तो क्या है। आप चाहें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी से बात करके पूछें कि अगर व्यक्ति नहरी क्षेत्र में गेहूं चार हजार बीघा जमीन में बोता है, जवाई एरिया में बोता है तो उसके कितना अनाज पैदा होता है? जब कि वह व्यक्ति जवाई बान्ध से पानी सिंचाई के लिये लेता है और इरिगेशन चार्जेज भी नहीं देता है। सभापति महोदय, यह सारा का सारा प्रोडक्शन एक ही व्यक्ति लेता है। लेकिन, सभापति महोदय, कोई सुनने वाला नहीं है। आपका

(श्री सज्जनसिंह)

रेवेन्यू लॉ का सेक्शन 91 मौन है, आपका सारे रेवेन्यू लाज बिल्कुल चुप है। उसने आपके इन करप्टेबल आदमियों को करप्ट कर दिया। सभापति महोदय, सेक्शन 91 के तहत नोटिस तहसीलदार ने दिया, उसके बाद में रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी ने उसको स्टे किया चाहे स्टे करवाने के लिये उसने चीफ मिनिस्टर के पांव पकड़े हों या जगह जगह जाकर उसने लोगों के पांवों को पकड़ा इससे भी मुझे मतलब नहीं कि उसने किन किन अधिकारियों के पांव पकड़े। उसके बाद में रेवेन्यू बोर्ड ने स्टे आर्डर दिया। गवर्नमेंट बाद में रेवेन्यू बोर्ड में जाती है। फिर रेवेन्यू बोर्ड ने उस स्टे को एब्सोल्यूट किया?

सभापति महोदय, इस प्रकार वह स्टे आर्डर लागू कर दिया। अगर यह जागीर नहीं तो क्या है?

(5.01 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, जागीर से क्या मतलब है। यही मतलब है कि जिस वक्त किसी व्यक्ति को जागीर प्रदान की जाती थी तो उसमें ऐसा किया जाता था कि इस जमीन के यह व्यक्ति और इसकी औलाद और इसके भाई भतीजे जब तक जीयेंगे तब तक मालिक रहेंगे। उस व्यक्ति को उस जमीन का फायदा उठाने का हक दिया जाता था। तो, सभापति महोदय, ठीक उसी प्रकार खसरा नम्बर चार की ज़मीन उस व्यक्ति के कब्जे में है। जिस पर वह व्यक्ति हल नहीं जोतता, बीज नहीं बोता, इरिगेशन का पानी लेकर उसके चार्जेज नहीं देता, और भूमि का लगान नहीं देता। इसके अलावा उस जमीन को सबलेट करता है। उसका हासिल उसको लाखों रुपये का मिल जाता है। लाखों रुपये की उसकी सालाना आमदनी है। उसमें से अगर वह व्यक्ति हजारों रुपये रिश्वत के बांट देता है तो क्या फर्क पड़ता है!

सभापति महोदय, यहां पर लोग मुझे कहते हैं कि क्या मेरे पास दूजाना की दास्तान और सांडेराव की दास्तान के सिवाय कहने को कुछ भी नहीं है? कई माननीय सदस्यों ने मुझे कहा कि सांडेराव की जमीन और दूजाना की जमीनों के सिवाय तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं? तो मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हमारे देश की प्रधान मंत्री के पास इस 20 सूत्री कार्यक्रम का जो दूसरा नम्बर का सूत्र है उससे बढ़कर कोई बात नहीं है? क्या कोई दूसरा सूत्र उनके पास नहीं था? आप 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये भूमिहीनों को जमीन अलाट करना चाहते हैं, मजदूरों को जमीन अलाट करना चाहते हैं पिछड़े लोगों को जमीन अलाट करना चाहते हैं वह भूमि आप उन गरीबों को अलाट नहीं करके उन गुण्डे लोगों को जमीन अलाट कर रहे हैं, उन बदमाश लोगों के पास आप वह जमीन रहने दे रहे हैं। तो आप जो राष्ट्र के गरीब लोगों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, भूमिहीनों को भूमि बांटने की बात करते हैं वह कैसे पूरी करेंगे? जो लोग इस तरह भूमि को नाजायज तौर से दबाये बैठे हैं....

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सदस्य, आप इसी बात को कहते रहेंगे तो आपका सारा समय इसी बात में चला जायेगा।

श्री सज्जनसिंह : माननीय सदस्या, एक तरफ तो सदन के सदस्य मुझे यह बात कहते हैं कि तुम्हारे को हमारा आशीर्वाद प्राप्त है कि मैं यह दर्द लेकर मरूंगा, दूसरी तरफ आप यह चाहते हैं कि मैं इस दर्द को इस सदन में गाऊं भी नहीं। माननीय सदस्य मुझे दुविधा में पटकना चाहते हैं। आप क्या फर्मा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। मैं राज्य सरकार पर आरोप लगा चुका हूं, मैंने यहां तक भी कहा कि हमारी सरकार पर यह एक बहुत बड़ा कलंक है। आप कानून बनाना चाहते हैं, आप सीलिंग कानून के तहत किसी गरीब अनपढ़ भूतपूर्व जागीरदार का मामला अगर री-ओपन करना होता है तो आप उसे री-ओपन कर देते हैं। उस भूतपूर्व जागीरदार, जो अनपढ़ था, से बहुत बड़ी भारी केजुअल्टी यह हो गई कि वह अनपढ़ जागीरदार समय पर फार्म नहीं भर सका। आपने नारायणी देवी की सारी भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। आपने उसका सारा केस री-ओपन किया। आप देखें कि क्या उस नारायणी देवी ने भूमि बेची थी? क्या वास्तव में उसका अधिकार था, क्या वास्तव में भूमि का बेचान हुआ था? सभापति महोदय, कोई बेचान नहीं हुआ। और इसी सी. डी. देवल ने मेनुपुलेट करके उस जमीन को अपने कब्जे में कर लिया है और उस अनपढ़ जागीरदार के साथ अन्याय हुआ। सभापति महोदय, आपके आई. ए. एस. अधिकारी और आपके रेवेन्यू कमिश्नर साहब चाहें तो उसकी जांच करवा लें कि किस प्रकार एक आर. ए. एस. अधिकारी ने इतनी बड़ी भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है सभापति महोदय, अगर इस गति से हम हमारे देश की प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति करते रहे तो शायद जो वायदे हमने जनता के साथ किये थे वह हम पूरे नहीं कर पायेंगे। वह सभी हमारे आश्वासन, जो जनता को हमने दिये थे, झूठे हो जायेंगे। वह सभी हमारे प्रगतिशील नारे कागज में रह जायेंगे। सभी आश्वासन मिथ्या हो जायेंगे और हम मिथ्याभिमान में घूमते फिरेंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें, सदन में बतायें कि राज्य सरकार की क्या मन्शा है, राज्य सरकार क्या फैसला करना चाहती है, राज्य सरकार का अंतिम निर्णय इसमें क्या है। कृपया मंत्रीजी को यह बतलाना चाहिये कि वास्तव में वह गरीब भूमिहीनों को जमीन अलाट करना चाहते हैं या नहीं।

सभापति महोदय, एक और दुर्भाग्य की बात है जवाई मीडियम साइज बान्ध में आता है और वहां पर जिन लोगों को जमीन अलाट हुई है उनको पैसा देना पड़ेगा। इसमें ऐसे खसरा नम्बर है, सभापति महोदय, जिन खसरा नम्बर, जिनका कि मैंने जिक्र किया है, चार नम्बर के खसरे के अलावा है। इसमें खसरा नम्बर 120, खसरा नम्बर 127, खसरा नम्बर 122, खसरा नम्बर 156, खसरा नम्बर 566, खसरा नम्बर 1028 और खसरा नम्बर 1028 बटे नौ, खसरा नम्बर 1040, 1150 बटे तीन, 1226 बटे एक, 1150,

(श्री सज्जन सिंह)

खसरा नम्बर 1140 बटे एक, खसरा नम्बर 1262, खसरा नम्बर 1271, 1273, 1275 यह कुल 11165 बीघा जमीन है। यह भूमि बारानी भूमि है जिसमें कभी भी पानी नहीं लग सकता और, सभापति महोदय कभी भी पानी लगने की सम्भावना भी नहीं है। अगर कोई अधिकारी उस जमीन में पानी लगने का कहता है तो गलत कहता है। कमान्ड एरिया में आप रिजर्व प्राइस वसूल करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं। फिर भी जब कि उस जमीन पर सिंचाई का पानी लगने वाला नहीं है और आपने वह जमीन को भूमिहीनों को अलॉट की, गरीबों का अलॉट की तो उन लोगों ने वह जमीन लेना भी स्वीकार किया लेकिन कुछ लठैत लोगों ने उन लोगों को डराया, धमकाया कि अगर तुम इस जमीन को ले लोगे तो हम तुम्हारी तबीयत दुरुस्त कर देंगे। तुम्हारी तबीयत दुरुस्त कर दी जावेगी। उन्होंने वापिस अलॉटमेंट होने के बाद जमीन सरेन्डर की है—जांच करवा लीजिये मंत्री महोदय इस बात की कि इन परिस्थितियों में आप उस जमीन के बारे में कब तय करेंगे कैसे करेंगे, क्या होगा। प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये आप रात-दिन एक करने की बात करते हैं और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। जैसा कि सान्डेराव के अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग कहा करते हैं प्रधान मंत्री जी ने हमको सब कुछ दिया लेकिन वह आते आते जयपुर आकर थक गया। आपका उन तक पहुंचाने का कर्तव्य है, इसलिये मैं बार बार मांग करता हूं। आप इसका निर्णय कीजिये, आप इसका फैसला कीजिये और आपको ही तय करना होगा और जैसा माननीय सदस्या ने बताया है यह आशा लेकर ही मरूंगा। मैं मरना नहीं चाहता हूं अन्याय करने वालों की मौत आपके हाथ से देखना चाहता हूं। जिन लोगों ने कानून की अवहेलना की है, जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, उनको दण्डित करके आप यह भूमि भूमिहीनों मजदूरी करने वाले लोगों में वितरित करेंगे। मरने से पहले मैं यह देखना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

एक माननीय सदस्य : इन जैसे बहादुर मंत्री नहीं कर पाये ......

श्री सज्जन सिंह : यह तो आप जानो मेरा आरोप सरकार पर है। मैं यह भी निवेदन कर रहा था कि हमारे इस आर्थिक कार्यक्रम के अन्दर देश की एक मात्र विश्वसनीय नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने यह भी कहा है कि खेतीहर मजदूरों के निम्नतम वेतन स्तर का कानून में प्रावधान कर दिया और हमारी सरकार ने बड़े गर्व से घोषणा की है कि पांच रुपये कम से कम मजदूरी का दिया जायगा। काश्तकारी मजदूरों को पांच रुपये दिलाने की बात करते हैं और कहते हैं पांच रुपये नहीं देंगे, उनको दण्डित करने की बात करेंगे लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी का क्या करेंगे जो आपकी नाक के नीचे जुल्म करती है। आपका सेंटलमेंट विभाग दैनिक मजदूरों को केवल तीन रुपया देता है, कल तक तीन रुपये दिये है इसके लिये आप किसको दोषी ठहराते हैं? मैं समझता हूं हमारी सरकार दोषी है। हमारी सरकार दोषी है और इसका दण्ड सरकार को

(श्री सज्जन सिंह)

भुगतना होगा। क्या कारण है साधारण गरीब किसान को यह भुगतना होगा। क्या कारण है आप साधारण गरीब किसान को यह कहते हैं कम से कम पांच रुपया मजदूरी देनी होगी और आपका सेटलमेंट सारी धूप में तपते हुये उन चैन मेनों को पूरा वेतन नहीं दे, केवल तीन रुपया दे और बारी बारी हुकुम देकर चैन खिचवाये ? यह जुल्म आपकी ब्यूरोक्रेसी करती रहे और आप बर्दाश्त करें। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं जहां आबादी बढ़ गई है, गांव के गांव नये बस गये हैं वहां पर सेटलमेंट के इन्स्ट्रक्शन्स हैं उस जमीन की किस्म अगर पहले के रिकार्ड में काबिल काश्त थी तो अब भी काबिल काश्त दर्ज की जाय। यह कहां का तरीका है ? आबादी बने और जिन लोगों ने अपने खेत में कुए खोद दिये, अपनी लैण्ड डवलप कर ली, अपना परमानेन्ट निवास का मकान बना लिया वहां जाने का रास्ता भी सेटलमेंट विभाग दर्ज नहीं करेगा। ऐसे सेटलमेंट विभाग के इन्स्ट्रक्शन्स है कि उस खोड का भी लगान लिया जाय, उस मकान का भी लगान लिया जाय-ये विभाग के इन्स्ट्रक्शन्स हैं। मान्यवर, यह मेरे समझ में नहीं आता है एक तरफ हमारी प्रधान मंत्री यह चाहें, आपका रेवेन्यू रिकार्ड अप-टू-डेट रहे और आप के रेवेन्यू रिकार्ड में कोई खामी नहीं रहे-आबादी गांव की दर्ज हो गई, गांव के गांव नये बस गये, मकान बन गये फिर भी वह जमीन नाकाबिले काश्त है तो उसको काबिल काश्त किया जाय। नाकाबिले काश्त को काबिल काश्त ही नहीं लिखा है गोचर लिखा है ताकि आपके पटवारी, आपके रेवेन्यू आफिसर वहां की जनता को मुतवातिर साल दर साल परेशान करते रहें। यह आपका सेटलमेंट विभाग करता है। प्रधान मंत्री का 20 सूत्री कार्यक्रम गांवों के स्तर पर इस तरह क्रियान्वित हो रहा है। मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि आपके नोटिस में यह बात लाऊं।

मान्यवर, खेत के अन्दर अगर किसी ने ईंट का खटावा बना दिया और भाड़ी है, पेड़ हैं नाकाबिल काश्त है तो भी उस जमीन की किस्म नहीं लिखी है। नाकाबिल काश्त में आज लगान काबिल काश्त का ही लिया जायेगा, ऐसे भी आपके सेटलमेंट विभाग के इन्स्ट्रक्शन्स हैं। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में सेटलमेंट आपरेशन अभी भी जारी है। आबादी के लिये आपने भूमि को रिजर्व नहीं किया, आप अपने रिकार्ड में उसको दुरुस्त नहीं करना चाहते हैं। लगान आप उसका बाकायदा लेना चाहते हैं, कनवर्शन करना नहीं चाहते हैं और इन परिस्थितियों में हमेशा हमेशा के लिए लोग परेशान होते रहें। आपकी मंशा क्या है और हमारी प्रधान मंत्री की मंशा क्या है यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, इसके अलावा वन विभाग की बात भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं—सान्डेराव की गाथा गाने का अवसर और आयेगा। एक बार प्रधान मंत्री के सामने गा चुका हूं और गाऊंगा और जब तक फैसला नहीं होगा गाता ही रहूंगा ...

(व्यवधान: अश्रव्य)

खैर, सान्डेराव का नाम बदला नहीं जा सकता है, वह एक ऐतिहासिक नाम है ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और सान्डेराव के बिना आपका भाषण भी पूरा नहीं होता है।

श्री सज्जन सिंह : धन्यवाद आपको। मैं यह कह रहा था, वन विभाग की रिपोर्ट देखने से मालूम हुआ घास को आपने बहुत रिजर्व किया और समय आने पर गुजरात में उसको एक्सपोर्ट भी किया लेकिन इस साल मैंने देखा है बीजवां नाम का एक कस्बा है पाली जिले में जहां हजारों मन घास काटी जाती है, एकत्रित की जाती है और यह काम हमेशा डिपार्टमेंट किया करता है, यह घास इस साल सारी सूख कर नष्ट होने जैसी हो गई। मवेशी भी, स्ट्रे कैटिल चरती है लेकिन आज तक घास काटी नहीं गई। पूछा गया तो पता लगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से इन्स्ट्रक्शन्स नहीं आये हैं। एक तरफ तो यह कहें कि घास को कलेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ हजारों मन घास बरबाद हो गई। इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके अलावा एक बड़ी भारी उपलब्धि हमारी सरकार ने की है-तेन्दू पत्तों के राष्ट्रीयकरण के मामले में। मान्यवर, बात चुभती हुई अवश्य है, क्योंकि सत्य है, मुझे यह ज्ञात है लेकिन मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि आपको निवेदन करूं। सन् 1971–72 में तेन्दू पत्ते से 35 लाख की नेट आमदनी होती थी, पंचायत की अलग से आमदनी हुआ करती है, जो करीब पांच लाख हुआ करती है। इसी तेन्दू पत्ते से सन् 72-73 में 25 लाख की आमदनी हुई और सन् 73-74 में 26 लाख की आमदनी हुई और सन् 74-75 में ग्रॉस इन्कम तो आपने काफी बताई है लेकिन मैं समझता हूं नेट इन्कम आप केलकुलेट करेंगे तो केवल 12 लाख रुपया ही हुई है। राजस्थान के मुकाबले में मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र शायद चार छः गुना अधिक है। मध्य प्रदेश को तेंदू पत्ते से सालाना आमदनी करीब 8 करोड़ होती है। वैसे ग्रोस आमदनी 20 करोड़ होती है। नेट आठ करोड़ की आमदनी होती है। अगर राजस्थान में सही ढंग से इस आमदनी को कलेक्ट किया जाय तो आपके यहां भी कम से कम दो करोड़ रुपये की नेट आमदनी होनी चाहिये। मुझे यह भी बताया गया है कि इसमें बड़ा भारी घपला हुआ है। इसमें पर्चेजर होता है पट्टे का उनके रिश्तेदार ही एजेन्ट बन जाते हैं डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट से साठ गांठ करके उन्हीं लोगों ने घपला किया और साथ ही साथ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी प्रस्तुत कर दी जो राजस्थान हाई कोर्ट में पेन्डिंग है। उसमें सरकार और सरकारी अधिकारियों पर यह आरोप लगाया गया है कि उनसे मनी स्क्वीज किया गया है।

तेंदू पत्ते के राष्ट्रीयकरण में उपलब्धियों की ओर ध्यान आकर्षित हुए विभाग इस बात का गर्व करता है कि इसको बड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है। उधर पंचायतें चिल्ला रही हैं कि हमारी आमदनी समाप्त हो गई और इधर हाई कोर्ट में आरोप लगाये जाते हैं कि फाइनेन्शियल स्क्वीजिंग हुआ है। मध्य प्रदेश के मुकाबले में हमारी आमदनी नगण्य हुई है और अब ग्रोस इनकम के आधार पर यह सूचना दी गयी है और यह बताया गया है कि इस वर्ष 1 करोड़ 80 लाख की आमदनी होगी। नेट इनकम कितनी होगी यह उसमें बतलाया नहीं गया। आमदनी करने के लिये ताने बाने जाल जंजाल खड़ा करते हैं। कितना ही पैसा इस प्रकार से बरबाद करते हैं। इसमें नेट बचत क्या होगी, यह बताने की कृपा करते तो मैं संतोष करता, राज-

(श्री सज्जनसिंह)

स्थान का गरीब आदमी संतोष करता कि हमारे खजाने में तेंदू पत्तों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् तेंदू पत्तों से इतनी आमदनी हो रही है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस मामले में घपला हुआ है। जांच करवानी चाहिये। शायद ऐसी कोई शिकायत हुई थी और उसके फलस्वरूप कुछ लोगों का स्थानान्तरण करके उसको दबाया गया। मैं चाहता हूं कि इसकी विभागीय जांच करानी चाहिये कि यह घपला कहां है, किस स्टेज पर, पर्चेजर के एजेन्ट, उसके रिश्तेदार डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, किस प्रकार से पत्तियां इकट्ठी करवायीं, किस प्रकार से खरीदी गयीं, किस प्रकार से बेची गयीं, इन सब बातों की डिटेल्ड इन्क्वायरी करवानी चाहिये। मैं यह मांग करूंगा कि उस रिपोर्ट को इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करना चाहिये।

और भी कई बातें निवेदन करना चाहता था, लेकिन सभापति महोदय, आपका कोपभाजन नहीं बनना चाहता। आपने समय जो प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नंदलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा : सभापति महोदय, राजस्व····

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : नम्बर तो मेरा आना चाहिये था।

श्री सभापति : उनसे पहले आप बोलना चाहते हैं क्या ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री सभापति : श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, इस सदन में वन और राजस्व विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी शिकायत यहां यह पैदा हो रही है इसमें कि राजस्थान में जमीन का अलॉटमेंट जो हुआ है, कई जगह या तो हुआ ही नहीं और हुआ तो उसमें बड़ी गड़बड़ी है।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि अलवर जिले में हमने करीब 85 हजार बीघा जमीन हरिजनों को और जो भी गरीब तबका है उनको अलाट की है। मुख्य मंत्रीजी सदन में कई बार कह चुके हैं कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में अलवर जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है कि वहां पर 85 हजार बीघा जमीन अलॉट की गयी। अलवर जिले में इसके बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके सरकार से निवेदन किया है कि जमीन अलाट कर दी जाय। बड़े जिम्मेदार लोग अलवर जिला कांग्रेस कमेटी में हैं। मैं प्रेसिडेन्ट हूं। माननीय शोभाराम जी, सम्पतराम जी, जयकिशनजी उसमें हैं। युनानिमसली हम सब ने एक प्रस्ताव पास किया था कि जमीन का अलॉटमेंट हो जाना चाहिये। लेकिन अलवर जिले के अलॉटमेंट की बात कह कर दूसरी जगह गलत रूप से कोई अलॉटमेंट हुआ हो तो उसके लिये हमको बदनाम करने लगे हैं। इसलिये मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि यह उचित नहीं है। यह कहा जा रहा है कि चरागाह की जमीन है। गलत रूप से प्रचार कर रहे हैं। इस

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

प्रकार के गलत प्रचार में किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। हमने जमीन खाली करायी है और 85 हजार बीघा जमीन हमने अलाट की। जहां तक चरागाह का सवाल है 1 लाख से ज्यादा जमीन चरागाह के लिये मौजूद है। यह कहना कि मवेशियों के लिये चरागाह का क्या होगा केवल मात्र अलॉटमेंट को बदनाम करके भ्रम फैलाना है। यह कतई उचित नहीं है और बिलकुल गलत प्रचार है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कट मोशन पर बोल रहे हैं या सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा कट मोशन है इस बारे में।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अलवर जिले में चरागाह का अलॉटमेंट हुआ है। ये वे ही लोग है जो अपने निज के स्वार्थों को बचाने के लिये जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं। चरागाह की 20 हजार बीघा के करीब जमीन पर आस-पास के लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको छुड़ाया है। रेगुलेराइजेशन के कानून के बाद सिवाय चक की जमीन को दबाया लोगों ने और नाजायज कब्जा जमीन पर कर रखा था या हो रहा था और चरागाह पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। 20 सूत्री प्रोग्राम की सफलता का जब प्रश्न आया तो हमने इस सम्बन्ध में गम्भीरता से सोचा और प्रधान मंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि गरीबों को जमीन बांटनी है सही रूप में, जैसा सज्जन सिंहजी बता रहे थे, सिवाय जमीन बांटने के और कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिये जमीन हम अलाट कर चुके हैं। कोई इस प्रकार की शिकायत अथवा बात हमारे सामने नहीं आयी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जमीन का अलॉटमेंट किया है इस अलॉटमेंट के सिलसिले में विरोधी लोगों ने कुछ नहीं कहा। कहीं यदि गलत अलॉटमेंट हुआ है तो उसको कैन्सिल कर दीजिये वरना सही रूप से अलॉटमेंट किये गये हैं। प्रधान मंत्री से भी यह कह दिया कि चरागाह मवेशियों के लिये थे उनको अलॉट कर दिया इसलिये अलवर जिले के अलॉटमेन्ट को कैन्सिल कर देना चाहिये। इस प्रकार से अलॉटमेन्ट को बदनाम करना एक गैर जिम्मेदाराना तरीका है। एक तरफ समाजवाद की बात करते है और दूसरी तरफ गरीब लोगों को अलाटमेन्ट किये गये तो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु अलॉटमेन्ट को बदनाम करते हैं और गरीबों के लिये किये गये अलॉटमेंट्स की खिलाफत करते हैं। यह कैसे समाजवादी है ? करते धरते कुछ नहीं और खाली समाजवादी बनते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम आया तो जमीन अलॉटमेंट की बात आयी। गांवों में और क्या देने के लिये है ? गरीब परेशान हो रहे हैं। कोई धन्धा नहीं। आबादी बढ़ रही है। अपने जिले को बचाने के लिये अलवर जिले को बदनाम करते हैं। इसलिए राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा एचीवमेंट हुआ है और मैं समझता हूं कि इस मामले में आइन्दा के लिए गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

दूसरा यहां सदन के अन्दर इस बात का जिक्र हुआ कि राजस्व विभाग में

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जो अधिकारी हैं और खास तौर से पटवारी, उनकी ज्यादतियों से बचाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि पटवारी काफी ज्यादतियां अनपढ़ लोगों के साथ करते हैं। अब तो यह आम रिवाज हो गया कि तहसील में जाओ तो एक भी तहसीलदार ऐसा नहीं होगा जो कि बिना पैसे लिए कोई काम या रजिस्ट्री करता हो। सभापति महोदय, मुझे एक बात याद आई कि अलवर स्टेट के जमाने में आज से कोई 50 साल पहले जब महाराजा जय सिंह जी थे तब एक आदमी ने दरख्वास्त दी कि साहब आप बाहर जा रहे हैं तो मेरे गुजरबसर के लिए कुछ करके जाइये। वह बिना पढ़ा लिखा आदमी था और उसको उस समय मुन्सिफ बना दिया था। तो उसके सामने एक मामला पेश हुआ और दावा था कि एक हजार रुपये की डिक्री देदी जाये। तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार क्या बात है। उसने कहा कि हुजूर इनको एक हजार रुपये की डिक्री चाहिए। मुन्सिफ साहब कहने लगे कि अच्छा इसको एक हजार रुपया हमसे चाहिए और वह भी मुफ्त में और लेना देना कुछ नहीं है। नहीं नहीं, यह हम नहीं कर सकते और जब उसने कुछ पैसे दे दिये तब जाकर उसको एक हजार की डिक्री दी। अब तो यह आम रिवाज हो गया है कि पैसे के बिना काम ही नहीं चलता। यह रेवेन्यू विभाग में ही नहीं है हर डिपार्टमेंट में है। हर एक डिपार्टमेंट की मिसाल मैं आपको बता सकता हूं। पुलिस का भी यही हाल है, पी. डब्ल्यू. डी. का भी यही हाल है और इरिगेशन डिपार्टमेंट की तो बात ही मत पूछिये। सभी डिपार्टमेंट का यह हाल है।

एक माननीय सदस्य : जमीन के अलॉटमेंट में भी ऐसा ही हुआ दिखे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर पटवारियों की बात आपको समाप्त करनी है तो इसके लिए हमारे यहां पर एक ग्रामदान के नाम से कानून बना हुआ है विनोबा जी के कहने पर और 1960 – 61 की बात है जब श्री दामोदरजी रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो इस सदन में वह कानून बनाया गया, उस कानून के अन्तर्गत जो गांव ग्रामदान में आ जाते हैं उनके अन्दर पटवारियों की समस्या नहीं रहती। उसमें ऐसा प्रॉविजन है, उस जमाने में विनोबा जी आये थे और दो तीन दिन मैं भी उनके साथ रहा था। तो उसमें प्रॉविजन है कि गांव की सारी जमीन सम्पूर्ण गांव की मिल्कियत है और लगान देने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की है और उसके बाद तहसील में जमा करा देती है। वह ग्राम सभा जो ग्राम सभा बनी होती है उसमें हर परिवार का एक एक आदमी होता है। उसमें पटवारी नहीं होता, जमीन का झगड़ा नहीं है चाहे कैसी भी जमीन हो। चाहे बारानी हो, पड़त हो या सिंचित हो, सब जमीन गांव के अण्डर में है। इस तरह के कई गांव नीम के थाने में हैं। मैं वहां एक बार गया था तो मैंने वहां देखा। वह तो सारे गांव को एक इकाई समझते हैं और सब लोग जिम्मेदारी महसूस करते हैं। वहां कोई जमीन के झगड़े नहीं होते। सभापति महोदय, जमीन के झगड़े सब बीमारियों की जड़ है, सारे अपराधों की जड़ है और इसमें

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

बहुत सों के तो मर्डर भी हो जाते हैं। इसलिए इस पटवारी की समस्या को हल करने के लिए उस कानून का अध्ययन करना चाहिए। हमारी सब की जिम्मेदारी है कि हम सब गांव वालों को समझायें तो वह समस्या हल हो सकती है वरना राज्य का काम तो जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा।

सभापति महोदय, अब मैं छोटी छोटी बातों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो जमीन के मुआवजे की है। जयपुर नेशनल हाई वे हमारे यहां बना हुआ है बहरोड़ के इलाके और मेरे भी क्षेत्र के बहुत से गांव उस पर पड़ते हैं। उनको अभी तक नेशनल हाई वे में जो जमीन आ गयी है उसका मुआवजा नहीं मिला है। वहां की जमीन, सभापति महोदय, बहुत कीमती है। बहुत से गांवों के बारे में मैं जानता हूं कि उनमें एक बीघा जमीन 5 हजार, 7 हजार, 8 हजार और 10 हजार रुपये तक की है और वह जमीन काश्तकारों से इस नेशनल हाई वे के लिए ले ली गयी लेकिन उसका अभी तक मुआवजा उन लोगों को नहीं मिला। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसको देखकर इस समस्या का निराकरण करें।

एक बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे यहां पर करीब 14 साल से दफा 91 का एक केस चल रहा है। वह रेवेन्यू बोर्ड में आया। शायद माननीय मंत्री महोदय को याद होगा कि एक बार मैं हरिजनों को लेकर आपके पास आया था। वह केस अभी तय नहीं हो पाया है। बहरोड़ के पास ही मेरी कान्सटीटुएन्सी में पहाड़ी गांव है वहां के हरिजनों की शिकायत है। एक तहसीलदार ने जमीन अलॉट कर दी थी और रेवेन्यू बोर्ड ने रिवर्स करके वापिस भेज दिया था। उसकी कीमत आज काफी है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में जल्दी से कार्यवाही करवा दें तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा।

एक निवेदन मेरा और है। हमारे प्रपोजल्स यहां आये हुए हैं फारेस्ट विभाग की जमीन को कन्वर्ट करने के सिलसिले में। उसमें एक बहरोड़ की रूंध का भी मामला है। उसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है जल्दी ही उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करें। उसमें निवेदन यह है कि जो जमीन खाली पड़ी है उसमें आप वन लगा दें तो मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन जो जमीन खाली पड़ी है उसमें आप वन भी नहीं लगा रहे है और जो किसी उपयोग की नहीं है उसको वन विभाग रेवेन्यू विभाग को दे दे...

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा रूंध है?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : बहरोड़ का रूंध है। एक निवेदन और है कि हमारे यहां सेटलमेन्ट हुए करीब 10 साल हो गए अलवर जिले में। सेटलमेंट विभाग ने बड़ा अन्याय किया है। संवत् 1890 या 91 में हमारा सेटलमेंट हुआ था और बहुत बढ़िया सेटलमेंट हुआ था। हमारे यहां जमीन कम है और आबादी ज्यादा है लेकिन सेटलमेंट वाले जब जाते हैं तो नये नम्बर्स बना देते हैं और पुराने सब खत्म। ऐसे केसेज अब भी बहुत से पड़े हुए हैं लेकिन एस.

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

डी. ओ. को टाइम नहीं मिलता है। यह केसेज तय हो जायें तो मैं आपका आभारी होऊंगा। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : सभापति महोदय, सदन में राजस्व और वन विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं भी सबसे पहले राज्य सरकार से राजस्व विभाग पर निवेदन करना चाहूंगा। यह सही है कि प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम के बाद राजस्थान में भूमिहीन लोगों को, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को जिस प्रकार पर्याप्त मात्रा में भूमि मिली उसके लिए राजस्थान सरकार और खास तौर से राजस्व मंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन आज भी गांवों में समस्यायें मौजूद हैं यदि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो बीस सूत्री कार्यक्रम को जो पूरा करने का लक्ष्य था और जिसे हमने हाथ में लिया है वह हमारा अधूरा रह जायगा। यह सही है कि गांवों के अन्दर अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा जो भूमि आवंटित की जाती है उसके लिए जो भूमिहीन लोग होते हैं, न तो उनको किसी प्रकार की जमीन बताई जाती है, न ही जमीन देखने का मौका मिल पाता है। स्थानीय पटवारी ज्यों ही अलॉटमेंट का कार्यक्रम बनेगा ऐसे लोगों के पास जाकर के कहेगा। गांव के अन्दर न तो रेडियो है, न और कोई साधन है और न कोई समझदार आदमी से सम्पर्क कर सकता है, वह साधन सम्पन्न व्यक्ति से जाकर कहेगा कि अब समय आ गया है, मैं आपको जमीन दिला सकता हूं। वह गरीब आदमी, वह अनुसूचित जाति या जन जाति का व्यक्ति जो है उस जमीन के लालच में आकर जैसा पटवारी कहेगा वैसा भूमिहीन करके जैसी भी जमीन पटवारी दिलायेगा उस जमीन पर राजी होगा। गांव में जो साधन सम्पन्न व्यक्ति होंगे वे अच्छी से अच्छी जमीन को उस पटवारी से मिलकर लेने की कोशिश करेंगे। भूमि आवंटन होने के बाद भी जब पटवारी को कब्जा दिलाने का मौका मिलेगा सबसे पहले जो साधन सम्पन्न व्यक्ति होंगे, जिनके पास दस पन्द्रह बीघा से कम जमीन है उनको सबसे अच्छी जमीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो नम्बर अलॉटमेंट कमेटी आवंटन करेगी उस जमीन को पटवारी लिस्ट में बतायेगा और तब उस कमेटी के सदस्य कोई भी हों, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे और कोई हो, अलॉटमेंट हो गया तो यही कहेंगे कि कमेटी ने अलाटमेंट किया, हमने तो कागजों पर अलाटमेंट किया है। हम तो अलॉटमेंट जमीन पर नहीं करते हैं, अलॉटमेंट कागजों पर करते हैं। लेकिन कागज सही करने वाला और जमीन को सही देने का मुखिया पटवारी है। यदि पटवारी इस बात को कर दे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आज हमारी बीस सूत्री कार्यक्रम की नीति है, जो सूत्र हैं, वह गरीब आदमी को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आदमी को अच्छी जमीन देने की स्थिति में हैं तो उस गरीब आदमी को अच्छी जमीन मिल सकती है। यह बात सही है कि राजस्थान में लाखों बीघा जमीन अलाट होगी लेकिन अच्छी जमीन तो उनको ही मिलेगी जो साधन सम्पन्न हैं। खराब जमीन गरीब आदमी को, अनुसूचित जाति और आदिम जाति के लोगों को मिलेगी।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

इसी के साथ साथ, सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र किया था कि पास-बुक पर केवल पटवारी हस्ताक्षर करके देता है। पटवारी के हस्ताक्षर उस पर होते हैं। अब उस किसान के अंदर वह चाहे सहकारी समिति का कर्जा हो चाहे और कोई कर्जा लेना हो, पटवारी के हस्ताक्षर की पास बुक कोई वक्त नहीं रखती। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो पास बुक किसानों को दी जाय, या तो अलाटमेंट कमेटी के चेयरमेन एस. डी. ओ. के हस्ताक्षर होने चाहिए। सारी पास बुकों पर संबंधित एस. डी. ओ. के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं जिससे उस पासबुक की कम से कम मान्यता रहे कि यह भूमि इस आदमी को दी गई है। एस. डी. ओ. के हस्ताक्षर हों या किसी उच्च अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर हों तो उस पास-बुक की मान्यता होगी। साथ ही साथ भूमि आवंटन होने के बाद मौके पर उसका कब्जा दिया जाना चाहिए। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनको कब्जा नहीं मिला है।

सभापति महोदय, हमारे बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार के मंत्री महोदय जानते हैं, सबसे ज्यादा सूत्र यदि राजस्थान या हिन्दुस्तान में हैं तो वह भू-राजस्व के सूत्र हैं। अस्सी प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। जिस में अधिकांश लोग सारे देश में अथवा राजस्थान में भूमिहीन लोग हैं। यदि यह सूत्र पूरा कर देंगे तो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को यहां पूरा करने में या उसको आगे लाने में किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेंगे। एक सूत्र इसमें यह है कि पांच साल से ज्यादा जिसके परिवार ने जमीन गिरवी रख दी उसको वापिस मिलेगी। यह सूत्र भी इसमें दिया है लेकिन आज उदाहरण के तौर पर गांव में जिसके पास जमीन थी बाप दादा की जमीन और बाप दादा ने गिरवी रख दी तो उसका बेटा आज जगह जगह मारा मारा फिरता है, यह जमीन कैसे मेरे पास आ सकती है। वह तहसीलदार के पास जाता है तो तहसीलदार मिलता नहीं क्योंकि वह वसूली में लगा रहता है। एस. डी. ओ. साहब के पास जाये तो एस. डी. ओ. साहब नहीं मिलते। वे वसूली में लगे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हमारे वहां ग्राम सूंसा तहसील नैनवां के अन्दर अभी एक आदमी का कत्ल हो चुका है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज...

श्री नत्थासिंह : सभापति महोदय, यह कूलर बन्द करवा दें। हाउस बहुत ठण्डा हो गया है।

श्री नन्दलाल बैरवा : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कत्ल होने के ठीक एक महीने पहले वह लड़का मेरे पास आया था। उसके पास खाते की नकल थी और उसके ऊपर उसके पिताजी का और उसके भी पिताजी का नाम लिखा हुआ था बीस साल पहले उसके पिताजी ने गिरवी रखी थी और जिसको गिरवी रखी थी उसका भी नाम लिखा हुआ था इसलिए कि उस जमीन पर कब्जा था। मैंने उसको सलाह दी कि अब कानून बन गया है, तुमको यह जमीन मिल सकती है। एस. डी. ओ के यहां पर अपनी तरफ से अपील कर दो कि मेरे पिताजी के खाते में यह जमीन थी और बीस साल पहले गिरवी रखी थी। वह आदमी निश्चित तौर पर

(श्री नन्दलाल बैरवा)

वहां गया होगा। कार्यवाही की होगी लेकिन बहुत ही खेदजनक बात है कि होली के बाद रात्रि में सोते वक्त ग्राम सूंसा के अन्दर उस लड़के का कत्ल कर दिया गया। कल ही इस मामले में मैंने एस. पी. से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने कार्यवाही चालू कर दी है लेकिन आत्महत्या का मामला है। आत्महत्या कैसे की? रात्रि में बन्दूक चला कर मर गया। कैसे पता चला? पत्र लिख कर मर गया है। मैंने निवेदन किया टेलीफोन पर कि क्या उसके हस्ताक्षर को, कोई पुराने पत्र लिखे गए हों, उनसे मिलाया है। एस. पी. साहब कहते हैं कि इसकी कार्यवाही करेंगे। तो सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि आज हम बीस सूत्री कार्यक्रम और कानून यहां हाउस में बैठ कर या पार्लियामेंट में बैठकर बनाते हैं लेकिन वास्तविक स्थिति गांवों में जाकर देखते हैं तो हरिजन की, भूमि-हीन लोगों की जो 25 साल पहले हालत थी वही आज भी है। लोगों को मारते हैं घर छोड़ने को बाध्य करते हैं क्योंकि उनकी जमीन भूमिहीन लोगों को दी जा रही है, 40 बीघा जमीन जिसने गिरवी रखी उससे कमाकर बीस साल से खा रहा था, आज कानून बनने से वह उसके हाथ से जा रही है और कुछ नहीं कर सका तो उसका कत्ल करा दिया। तो मैं, सभापति महोदय आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हुआ, यह कहां तक सही है? इसकी निश्चित तौर से जांच की जानी चाहिए। क्या यह सही है कि उसने चालीस बीघा जमीन गिरवी रखी थी और उसको वापिस लेने के लिए उससे मिला था? क्या यह सही है कि नैनवा तहसील में किसी प्रकार की अपील की है? यह बिल्कुल सही है कि वह मेरे पास आया था। मैं सबूत हूं कि वह लड़का मेरे पास आया था और मैंने सलाह दी। इस प्रकार के केसेज बहुत से हो सकते हैं लेकिन हमारे जिला बूंदी के अन्दर हजारों केसेज हैं।

इसी प्रकार से हमारे दो सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले मजदूर हैं। यह एक सूत्र है कि कम मजदूरी मिलने वाले लोगों का कर्जा माफ किया जाय। यह भी आपने बीस सूत्री कार्यक्रम में पास किया है लेकिन ऐसे दो सौ रुपये से कम पाने वाले मजदूर यह बात करते हैं कि सरकार ने कानून बनाया है दो सौ रुपये से कम पाने वाले का कर्जा माफ होगा। अगर वह नहीं देना चाहता है तो उस पर लट्ठ बरसाए जाते हैं। उसको मारा जाता है। यदि पुलिस के पास आता है तो पुलिस अन्दर घुसने तक नहीं देती। किसके पास जाय? सरपंच के पास जाता है तो हजारों का कर्जा दे रखा है, प्रधान के पास जाता है तो उसने हजारों का कर्जा दे रखा है। किसी बड़े आदमी के पास जाता है तो उसने स्वयं ने हजारों का कर्जा दे रखा है। अब हमारे अनुसूचित जाति के आदमी के सामने, गरीब आदमी के सामने बहुत बड़ी समस्या है। पुलिस के पास जाता है तो पुलिस नहीं सुनती। एस. डी. ओ. के पास जाता है तो वह नहीं सुनता। तहसीलदार के पास जाता है तो वह नहीं सुनता। आखिर जाये तो किसके पास जायं? इसकी कोई ऐसी एजेंसी कायम होनी चाहिए जिससे दो सौ रुपये से कम पाने वाले का जो कर्जा माफ किया है उसके बारे में उनके पास जाकर अपनी बात रख सके। इसलिए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हमने लागू किया है, हमारी प्रधान मंत्री ने दिया

ाल बैरवा)

इसको किस प्रकार से क्रियान्वित
लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

के साथ-साथ यहां तक एक सूत्र है
-जी का काम करता है, उसके लिए
ा है कि छः रुपया मजदूरी बड़ी
ना में, छोटी सिंचाई योजना में
तय किया है और बिना सिंचाई
चार रुपया तय किया है। मेरे
25 हाली आकर मिले हैं और
या हैं कि इतना सा रुपया
से और मारते हैं। इसलिए मारते
मारे नेताओं के पास जा करके,
ास जा करके छः रुपया लेने की
ो। तुमने कई वर्षों तक काम
कन अब तुमसे काम नहीं लेंगे।
की ही बात है। मेरे पास में
के कुछ हाली ठीक साढे सात
आकर के कहते हैं कि मुझको
1400 रुपयों का कर्जा था।
बराबर काम कर रहा था।
पये के ब्याज पर वह काम कर
सने दरख्वास्त दी। तहसील-
ा। तहसीलदार नहीं था।
ापति महोदय, वस्तुस्थिति
वेदन कर रहा हूं, आज हमारे
वों की हालत यह है कि लोग
ौर यह केस उसका सबूत है।
, नैनवां में सैकड़ों केस आप
ते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने
जाकर इसकी तलाश की हैं।
केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा
। यह कोटा डिवीजन में भी
सागड़ी प्रथा का ही रूप है।
के अन्दर सागड़ी प्रथा नहीं

है, यह आपको पता नहीं है। वे ही लोग वहां पर बैठे हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है। जिन्होंने उनसे पैसे लिये उनसे वे बेगार ले रहे हैं। किसी न किसी तरह उनको भी सागड़ी प्रथा के अन्दर बांध लिया। बीस सूत्री कार्यक्रम में ऐसे लोगों का विश्वास नहीं है। जो लोग इस कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं, उनको सताया जा रहा है, पिटवाया जा रहा है, लोग उनको मारते हैं। जमीन का मामला हो, चाहे दो सौ रुपये का मामला हो, चाहे हाली, गंवार का मामला हो।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जमीन आप दे रहे हैं उस पर वे काबिज नहीं हो पायेंगे। सभापति महोदय, हमारे यहां पर कोलोनाइजेशन की जमीन अलोट होने जा रही है। इसके अन्दर क्या समस्या आने वाली है और क्या नहीं है, वह सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मैं उपनिवेशन मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं। निश्चिततौर से वे हमारी समस्या पर ध्यान देंगे। वहां 99 पर्सेन्ट लोगों ने चाहे भूमिहीन लोग हों, ट्रेसपास कर रखा है। यदि इन लोगों से सीलिंग के प्रावधान के अनुसार जमीन वापिस लेंगे तो भी उस गांव के हरिजन उस जमीन को नहीं ले पायेंगे। अगर वह जमीन लेंगे तो उनको उस गांव को छोड़ना पड़ेगा। इसकी कोई व्यवस्था आपकी ओर से नहीं है कि वे गांव छोड़कर न जावें। जमीन तो गवर्नमेंट लेगी और वह जमीन गवर्नमेंट भूमिहीनों को देगी। पच्चीस साल से उसने काश्त की, गवर्नमेंट को वह लगान भी नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। यदि आप उसको लेकर भूमिहीन को देंगे, तो वह कब्जा नहीं

(श्री नन्दलाल बेरवा)

कर सकता। सरकार कब्जा भी करा देगी, पटवारी मौके पर आ जायेगा परन्तु उसके बाद भी उस पर मुसीबत आने वाली है। इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वह भूमिहीन उस भूमि पर काबिज रह सकें, जिस प्रकार कि हम मिलकर सारी स्थिति पर यहां पर चर्चा करते हैं। सभापति महोदय, यह मेरी आत्मा बोल रही है। यह वस्तुस्थिति है, उससे आखिर हम मिलते हैं। पटवारी से बात करते हैं तो वह परवाह नही करता है। अधिकारियों से बात करते हैं तो वह हमारी परवाह नहीं करता है। आज एम.एल.ए. है तो भी परवाह नहीं करते हैं। आज गांव की हालत क्या है, बहुत खराब है। आज बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया जा रहा है परन्तु गांवों में पच्चीस साल पहले से भी खराब हालत है। शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स के लोगों की बेगार को लेकर वहां खराब हालत हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के कारण हालत गंभीर है, उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। सरपंच कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो। चाहे वह कांग्रेस के पक्ष का हो, सरकारी पक्ष का हो। हम लोगों के पास जाकर बात करेंगे और गांव में अन्याय करेंगे। इस प्रकार से सभापति महोदय, मैंने जो तथ्य रखें हैं, हो सकता है कि उनमें कोई कमियां हों परन्तु आप इन तथ्यों की जांच करावें और जांच में हमको साथ लेकर चलिये। निश्चिततौर से जांच करिये।

800 बीघा जमीन चम्
एरिया के अन्दर है और कम से
साल से, 15 साल से, 10 साल से
कास्ट्स के लोगों ने 5 बीघा,
15 बीघा जमीन पर ट्रेसपास क
गांव वालों के पास भी खाते की
वहां के चाहे सरपंच हों, पंचाय
के प्रधान या सदस्य हों, और
हों, उन्होंने वन विभाग से
जंगल की जमीन को जंगला
लिया है और उसको बांट लिया
लिए मैंने मंत्री महोदय को
किया है। इस पर क्या कार्यवा
रहे हैं ? कृपया इस ओर ध्यान
सोचते हैं कि पहले हरिजनों को
गयी तो उनको मजदूर नहीं
हालत जिस इलाके में मैं
की निवेदन कर रहा हूं। हो स
इलाकों में बीस सूत्री कार्यक्र
काम हुआ होगा। निश्चित
हमको अधिकार दिलाना चाह
ये अधिकार केवल बातों में क
अधिकार केवल कागजों में
लेकिन गांव की हालत अत्यन्त

(समय-समाप्ति-सूचक

केवल एक मिनिट। ग्राम
ज्वार की खड़ी फसल थी।
फसल थी। गांव वालों ने
नष्ट करा दिया। मेरे पास ना
पन्द्रह साल से उसका कब्जा थ
पटवारी को लिखा। खड़ी फ
वालों ने, उच्च वर्ग के लोगों
तीन हजार की थी, खराब
उनकी शिकायत की गई
कर जमानत ले ली। इतना

ाल बैरवा)

तहसीलदार साहब ने, थानेदार
कोई केस नहीं बनाया उन गांव
यहां आकर गृह मंत्री महोदय
उन्होंने एस.पी. को लिखा। एस.
ी वाइ. एस. पी. सभी मौके पर
ां पर समझौते की बात की गई।
ने मन्जूर किया कि ज्वार खड़ी
प्रकार हम पर अन्याय हो और
जो अधिकारी, कर्मचारी बैठे हैं,
हीं करें तो यह कार्यक्रम कैसे
। परिस्थिति हमारे खिलाफ है।

क वन विभाग का सवाल है।
को हम सब मिलकर बचाना
सरकारी अधिकारी और हम
चाहते हैं। आपका चपरासी
येगा, कहेगा पाबन्द रहे। और
ो पांच, चार, दो एक रुपया
लेता। बूंदी के जंगल इस
साफ हो गये हैं, कोई रोकने
, कोई कहने वाला नहीं है,
ेला नहीं है तो जंगल कैसे बचा
त तो कट रहा है। सभापति
जगह मैं रहता हूं वहां पर
जंगल था कि एक आदमी एक
ा नहीं जा सकता था। आज तीन
ा बच्चा अकेला चार मील तक
, कोई डर नहीं है। जंगल साफ
लिये जमीन बांटने की बात कही
उसको बांटा जाना चाहिए।
ी खेती होती है और न वह
हैं। आज उन पर बड़े बड़े
ा कर रखा है। उनको छोटे लोगों
ाहिए जिससे उन लोगों को
ले। इसलिए मैंने जो मेरे

इलाके में देखा है वह आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन किया है। ऐसी बातों की आप जांच करें। मैंने जो कट मोशन दिये हैं वह उसी के समर्थन में हैं जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसको पूरा करेंगे और उसको देखेंगे और जांच करेंगे, इतना कहकर मैं अपने कट मोशन्स को प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : माननीय सभापति महोदय,

श्री नत्था सिंह : सभापति, रामलाल जी का और हमारा नम्बर है।

श्री सभापति : सभी को दूंगा समय।

श्री रामलाल : आशा कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, यह तो निर्विवाद सत्य है कि राजस्थान भू-सुधारों के अंदर हिन्दुस्तान में सर्व प्रथम रहा है। जहां पर देश में और कई प्रान्तों में जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किसानों से कम्पेन्सेशन वसूल करके या किसानों को उनके मालिकाना हक के लिए कुछ न कुछ किसी न किसी तरह का एवज में पैसा लेकर दिया गया है, वहां पर राजस्थान में किसानों से न कम्पेन्सेशन ही लिया गया है जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के लिए और न मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए यहां पर किसानों को ही कुछ चुकाना पड़ा है।

श्री शंकर लाल (पाली) : जागीरदारों को कम्पेन्सेशन दिया है।

कल शाम
जिला बूंदी
बजे आते हैं
मारा गया।
6 साल से
चौदह सौ
रहा था।
दार को लिख
लेकिन, सब
से आपको

इलाके के ग
परेशान हैं
केशोरायपाट
ऐसे देख सक
गांव गांव
सागड़ी प्रथा
में ही नहीं है
है। यह भी
कोटा डिविजन

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार ने दिया है लेकिन किसानों ने दिया है। तो मैं निवेदन यह कर रही थी ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 64 करोड़।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गरीब जनता को राहत देने के लिए या आर्थिक प्रगति के के लिए 20सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की बात करते हैं तो उस हालत में आज तक इतने वर्षों के बाद भी जब कि हमारा प्रान्त भू-सुधारों में इतना अग्रणी रहा है लेकिन भू-संबंधी रिकार्ड पूरा नहीं हो सका है, और उसमें किसी तरह की प्रगति नहीं हुई है। जैसा है उसी हालत में पड़ा हुआ है। उसकी प्रगति की यहां न चर्चा की जाय और न राजस्व विभाग ही किसी तरह से प्रगति करे तो मैं समझती हूं कि यह ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी को भी स्पष्ट हिदायत दे देनी चाहिए कि अगले वर्ष तक यह भू-अभिलेख जो हैं वह ठीक हो जाने चाहिएं, क्योंकि इनकी वजह से बहुत कुछ परेशानियां उत्पन्न होती हैं। भू-अभिलेख का रिकार्ड सम्पूर्ण नहीं होता है तो किसी को पास-बुक नहीं मिलती हैं। सारी परेशानियों का कारण यही बनता है।

चूंकि सदन में समय की बहुत कमी है इसलिए बहुत ही सूक्ष्म में मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। राजस्व मंत्रीजी हिदायत करें अपने विभाग को और शीघ्रातिशीघ्र सम्पूर्ण भू-सम्बन्धी ब्यौरा पूरा करने के लिए एक टार्गेट फिक्स करें कि इतना प्रतिशत अगले वर्ष ? यह ब्यौरा पूर्णरूप से दिया जाय जिसमें सभी बातें आयें, म्यूटेशन और दूसरे मामले भी आयें। उसके अभाव में उससे उत्पन्न होने वाली जो बुराइयां हैं, पटवारी की बेईमानी एवं मनमानी में, मैं समझती हूं, उसको रोकने में यह ब्यौरा काफी हद तक मददगार होगा।

माननीय सभापति महोदय, वन विभाग के बारे में जैसा कि वन विभाग का एक नोट हमें सक्युलेट हुआ है उन्होंने स्वयं ने इस बात को माना है कि इकोलाजिकल बैलेन्स या प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने के लिए वनों का महत्व है। राजस्थान जब बना था, यदि मैं गलत नहीं हूं और जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 13 पर्सेन्ट के आसपास वनों के नीचे आता था। धीरे धीरे यह वन का प्रतिशत बंटता जा रहा है। यह बात भी सही है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे इकोलाजिकल बैलेन्स नहीं रहा, उनमें कमी किसी प्रकार की आगई, वैसे-वैसे वनों का कटना भी स्वाभाविक है। लेकिन खासतौर से ऐसा प्रदेश हो कि जिसमें भूमि की कमी न हो, जहां इस तरह का इलाका हो जिसमें मरुस्थल हो वहां पर हमारी सबसे बड़ी आज के दिन जो वन-सम्पदा है उसकी रक्षा किया जाना हमारे जलवायु के दृष्टिकोण से और हमारी सब तरीकों की सम्पदा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन इस वन-सम्पदा को नष्ट होने से बचाये जाने में, मैं तो यह कहूंगी, राज्य सरकार न केवल उदासीन ही रही है, बल्कि राज्य सरकार इस बात के लिए उत्तरदायी भी है कि वन-सम्पदा का जिस तरह से संरक्षण किया जाना चाहिए था, वनों का जिस तरह से रक्षण किया जाना चाहिए था उस तरह राज्य सरकार ने निश्चिततौर से अपने कर्त्तव्य को नहीं निभाया।

Page No 157

157

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यह बात सही है कि राजस्थान में ऐसे इलाके भी थे जहां कि घने वन थे और उन वनों की वजह से बहुत काफी मात्रा में तेंदू के पत्ते भी हुआ करते थे। उन तेंदू के पत्ते तोड़ने के काम में मजदूरों का बहुत शोषण हुआ करता था। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में कृषि से संबंधित मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया है, उस हालत में उससे पहले भी राज्य सरकार ने इस बात को ठीक समझा कि वन के समीप रहने वाले आदिवासियों का जो शोषण किया जा रहा है, इस तेंदू पत्ते के नाम से व्यापारी लोग बहुत काफी पैसा कमाते थे, लेकिन जो असली काम करते थे, जो लोग पत्ते तोड़कर देते थे उनको कुछ नहीं मिलता इस बात को ध्यान में रखते हुए और मध्य-प्रदेश जो लगा हुआ है हमारी स्टेट से, जो हमारे से लगा हुआ राज्य है वहां से हमने प्रेरणा लेकर, तेंदू के पत्तों का राष्ट्रीय-करण करने से वहां की आमदनी के अन्दर चार गुना इजाफा हो गया, इससे ज्यादा प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने 74-75 में तेंदू के पत्तों का राष्ट्रीयकरण कर उसका व्यापार अपने हाथ में लिया। लेकिन तेंदू के पत्तों के राष्ट्रीयकरण के बाद में हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ हो उन आदिवासी क्षेत्र के उन आदिवासियों को जो तेंदू के पत्ते तोड़ा करते थे और उनसे पत्ते कम कीमत पर लेकर व्यापारी भारी मुनाफा कमाया करते थे। राज्य कोष में जो पैसा आने से रुका हुआ था उस बात को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने तेंदू के पत्तों का राष्ट्रीयकरण किया है। लेकिन आंकड़े जो विभाग द्वारा बताये गये हैं भिन्न भिन्न समय के उस बारे में निवेदन करना चाहूंगी। वैसे तो जो नोट सक्युलेट किया गया है उसमें कहा गया है कि एवरेज 12 लाख का आता है। पिछले 10 सालों में जो तेंदू के पत्तों से इनकम होती थी उसके आधार पर यह हो, पर मैं पहले के तीन सालों के आंकड़े लेती हूं तो 71-72 के अंदर 36,73,091 रुपये की नेट इन्कम हुई खर्चा वगैरह काटकर, 72-73 में 27,82,013 हुई और 73-74 के अन्दर यह कम होकर 26,91,149 रुपये हो गई। इन तीन सालों की इनकम को यदि हम देखें तो इसमें भी धीरे धीरे बजाय बढ़ने के कुछ कमी हुई है, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद तो बहुत ही कम हुई है। राष्ट्रीयकरण के बाद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार 24 लाख ग्रास इनकम मानी है और पिछली बार सब खर्चा काटकर कुल 12 लाख आमदनी हुई है। राजस्थान के वनों के क्षेत्रफल से मध्यप्रदेश के वनों का क्षेत्रफल मेरी समझ से तीन गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आथोरिटी के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकती हूं लेकिन जानकारी के मुताबिक मैं कह सकती हूं कि वह तीन गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां की तेंदू के पत्ते की इनकम के बारे में बताया कि वह ग्रास इनकम 20 करोड़ है और नेट इनकम 8 करोड़ है और राजस्थान के तेंदू पत्ते की इनकम उस अनुपात से ढाई-तीन करोड़ होनी चाहिए, लेकिन जो उस वक्त इनकम हुआ करती थी, राष्ट्रीयकरण से पहले उतनी इनकम भी नहीं हो पाई है और सरकार को एक तरह से जिसको कहना चाहिए बॉर्डरिंग अलग से हो गई, और व्यवस्था करने में उसको परेशानी होती है। इसके पीछे यह बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे लिए

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आवश्यक था कि आदिवासियों को उन एजेन्टों के शोषण से मुक्त करायें और दूसरी तरफ राज्य की आमदनी के अन्दर इजाफे का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है तेंदू पत्तों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन हम नहीं कर पाये उसके पीछे यही कारण नहीं है कि बदइन्तजामी ही हो, बल्कि बेईमानी भी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से साफ निवेदन करना चाहती हूं कि जहां राष्ट्रीयकरण से पहले 36 लाख, 27 लाख और 26 लाख की आमदनी हुई है उसके साथ-साथ लोकल पंचायतें भी जो अपने ठेके देती थी वह अगर सारे राजस्थान की इकट्ठी की जाय तो 5-6 लाख उन पंचायतों को भी आमदनी हुआ करती थी। तेंदू पत्तों के राष्ट्रीयकरण के बाद उन पंचायतों की आमदनी बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि वह उनके परव्यू से भी निकल गया। 5-7 लाख की आमदनी जो पंचायतों को हुआ करती थी वह भी उसमें जोड़े। इस प्रकार से झालावाड़ रेन्ज के अन्दर जो कि हमारा सबसे बड़ा तेंदू के पत्तों का इलाका है, खासतौर से इस तरह से हो रहा है कि एजेन्ट और पर्चेजर दोनों एक ही व्यक्ति हो गये या यह हुआ कि उसका रिश्तेदार होगा, साला होगा, या कोई न कोई क्लोज रिलेशन में से होगा। उसका नतीजा यह हुआ कि जितना पैसा आना चाहिए था राजकीय कोष में नहीं आया। मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य उसको स्पष्ट नहीं कर पाये, जो तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया है उसमें जो क्लोज रिलेशन वाला है उसने पत्ते तोड़े ज्यादा हैं और दिखाये थोड़े। तो एजेन्ट था, उसके बारे में उन्हें निश्चित करना था। माननीय मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे कि यह बात यहां होती है। हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने रिट कर रखी है। रिट उन लोगों ने कर रखी है जिनसे पैसा मांगा गया और जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। उनके खिलाफ हैवी पैनल्टी इम्पोज की गई। किसी न किसी कारण से यह किया गया। तो उन्होंने यह कहा है कि विभाग ने उनसे बड़ी राशि मांगी थी। हम से पैसा मांगते थे। जब हमने पैसा नहीं दिया तो
हमारे ऊपर यह पेनल्टी इम्पो
इस रिट को दायर किया ग
मेरी जानकारी में है। आ
क्यों हुई ? माननीय वन
राजस्व मन्त्री जी, आप जैसे
कि राजनैतिक जीवन अत्यन्त शुद्ध
आपके जैसा व्यक्ति बेलाग हो
करता है, मैं बहुत ही न
निवेदन करना चाहती हूं कि इस स
लिए सदन में जैसा माननीय सदस्य
तो मेरा निवेदन है कि आप के भ
बारां, कोटा जैसे इलाके में जो ए
क्लोज रिलेशन में था, यह एक ही
तो स्वयं आपका दामन साफ करे
आपको इस बारे में बेलगाव होकर
करानी चाहिए। और जिस वि
कारी को आप दोषी देखें उसके
कार्यवाही करें। एक तरफ
कोष में पैसा नहीं आये और उल
की बदनामी होती है। हमा
समाजवाद की ओर है।
असफलता होती है तो यह कल्याण
का दावा करने वालों के लिए
बात नहीं है। इससे सब के अं

[308
कमांड
कम 20
शिड्यूल्ड
10 बीघा,
र रखा है।
जमीन है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

की भावना आती है। तो मैं निवेदन करूंगी कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। दूसरी बात आपको सोचनी चाहिए, जब राष्ट्रीयकरण कर दिया तो कितनी क्वान्टिटी में पत्तों का करना है, यह स्पष्ट करना चाहिए था। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहूंगी कि भू-अभिलेख के बारे में, वन-सम्पदा नष्ट होने से बचाने के बारे में खासतौर से तेन्दू पत्ते के राष्ट्रीयकरण के बारे में जो कुछ विभाग ने किया है, उस पर कुछ न कुछ कार्यवाही सरकार अवश्य करेगी।

श्री सभापति : श्री रामलाल।

श्री रामलाल (वाड़ी): सभापति महोदय, मैं बहुत ही थोड़ा समय लूंगा। सभापति महोदय, एक तो हमारे राजस्थान के वनों में अलाटमेंट हुआ है। हमारे भरतपुर जिले में भी किया गया था। पहले यह कहा गया था कि चरागाह की भूमि अलाट नहीं की जायेगी। ऐसे आदेश थे लोगों का पैसा खर्च हुआ है लोगों से फार्म भराये गये और दो तारीखें लगाई गई। इसलिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अलाटमेंट के बारे में जो होना चाहिए वह पहले हो जाना चाहिए। बाद में किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पटवारी जी 10,20 रुपये लेते हैं। फिर इधर उधर जाते रहते हैं। तहसीलदार से करवाने के बाद तारीखें होती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि जब अलाटमेंट कमेटी बैठायें तो अलाटमेंट कर दें। इस में ऐसा होना चाहिए कि एलाटमेंट नम्बर वार होना चाहिए। जो गरीबों को दो चार बीघा मिली वह ऐसे लोगों के पास कब्जे में थी कि उसका कब्जा उन्होंने नहीं दिया। या फिर ऐसी जगह पर गरीबों को देते हैं, पहाड़ों पर जहां कि काश्त नहीं हो सकती है ऐसी जगह पर कब्जा नहीं होता है। अच्छी अच्छी जमीन का कब्जा उन लोगों से दिलायें जो पैसे वाले हैं। इसलिए इसको नम्बर वाइज बनाया जाये। ऐसा नहीं हो कि नम्बर आये और कब्जा नहीं कर सकें। अलाटमेंट कमेटी ने अलाट कर दिया। कब्जा अभी तक नहीं दिया है कब्जा नहीं मिलने से झगड़े होते हैं। लट्ठबाजी होती है। झगड़ा होता है तो मां बहिन की इज्जत और खराब होती है। फिर एम.एल.ए. को और परेशान करते हैं। रिकार्ड में कब्जा किसी का है। कब्जा करके कोई बैठा होता है। झगड़ा होता है तो सरकार को परेशानी होती। वकील करते हैं तो इस प्रकार के अलाटमेंट से गरीबों को परेशानी होती है। मन्त्री महोदय, इसको ऐसा बनायें जिससे गरीबों को परेशानी नहीं हो। जो कब्जे के बारे में प्रश्न उठाया गया है वह लोग वर्षों से पूछ रहे हैं कि गरीब आदमी किसके पास जाकर रोये। एम.एल.ए. के पास जाय तो वह खुद परेशान है। हम भी परेशान हैं। आप भी परेशान हैं। इस कानून को हाथ में लेकर ऐसी व्यवस्था बनाई जाये जिससे किसी को परेशानी नहीं हो। हमारे यहां पर बसेड़ी और वाड़ी दो क्षेत्र हैं, हमारे यहां बसेड़ी में कमाण्ड एरिया घोषित किया हुआ है, लेकिन मौके पर कोई नहीं गया और जमीन का अलाटमेन्ट हो गया, वहां पर पानी नहीं है, बरसात में जरूर कुछ पानी होता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहां पर पानी नहीं आता फिर भी पैसा वसूल करते हैं। इसलिए पानी नहीं आये और पैसा वसूल नहीं करें। दो बीघा, चार बीघा

(श्री रामलाल)

में पानी आ जाय तो आप पैसा ले लें। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी सर्वे कराई जाय कि वहां पर पानी पहुँच सकता है या नहीं। इस सम्बन्ध में पहले भी कई झगड़े हुए हैं और लोगों को आज तक कोई कब्जा नहीं मिला है बल्कि उनको दण्ड भुगतना पड़ रहा है, आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है इसलिए आप कानून बनाकर उनके हक में फैसला करें। गरीब आदमी हैं और बहुत परेशान हैं। उनके पास खाने को पैसा नहीं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं। इस तरह से लोग कब्जा नहीं कर सके, बहुत से केसेज हैं ऐसे, आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनको कब्जा वापिस दिलवाया जावे। मुझे डर है कि उनका कुछ और नहीं छिन जाय, यह मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप उनके हक में बैठे हैं इसलिए सच्ची बात कहनी पड़ती है। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर वन विभाग ने सेन्च्युरी कायम कर रखी है, अब न तो वहां पर जंगल है, न कोई पक्षी और न वहां पर बिजली का कोई साधन है, न जमीन ऐसी ऊबड़ खाबड़ है कि वहां पर फसल पैदा नहीं कर सकें। जंगल वाले उस जमीन का अलाटमेन्ट नहीं करने देते हैं तो मैं निवेदन कर दूं कि उसमें से आप जमीन अलाट करा देवें।

श्री सम्पतराम : जब वहां पर पहाड़ है तो क्या करा देवें।

श्री रामलाल : कुछ तो वहां पर हो सकता है। सात सौ बीघा जमीन अलाट हुई है, रेवेन्यू विभाग तो कहता है कि हमारे कब्जे में है और वन विभाग कहता है कि हमारे कब्जे में है। उनकी जमानत करवादी और कुछ पूछा भी नहीं। ऐसी जमीन अलाट कर दें ताकि उनकी दिक्कत दूर हो।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री नत्थासिंह : सभापति महोदय, हमारा भी नम्बर है।

श्री सभापति : आपका बाद में।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : सभापति महोदय, मेरा नम्बर नहीं आया है।

श्री सभापति : आयगा।

श्री देवीलाल : सभापति महोदय, राजस्व विभाग और वन विभाग के बारे में मेरे चार पांच कटौती प्रस्ताव हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी का ध्यान उस आदिवासी इलाके की ओर दिलाना चाहता हूं, एक जमीन है मेहरवाली जमीन आराजी नम्बर 1 से 5 तक है, वह जमीन 1957 के अन्दर एक जागीरदार को खुदकाश्त में अलाट हुई थी और उस जमीन पर 1954 से लेकर आज तक आदिवासी काश्तकार भील बैठे हुए हैं। जागीरदार ने पटवारी से मिलकर वैसे खाली कागज बना लिये और उस पर आदिवासियों का कब्जा होकर जिन्स आदिवासियों के नाम दर्ज हैं। बीच-बीच में जागीरदार ने झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद दफा 147 में तहसील का रिसीवर मुकर्रर हुआ और उस जमीन के बारे में एस. डी. ओ. के यहां से झाडोल के काश्तकार के हक में फैसला हुआ आज भी आदिवासी काश्तकारों का कब्जा चल रहा है और तहसीलदार सराडा ने उप-जिलाधीश झाडोल के फैसले के आधार

(श्री देवीलाल)

पर आदिवासियों को कब्जा दे दिया है। जागीरदार के नाम पर, न तो कोई जिन्स है और न कोई कब्जा है लेकिन उन आदिवासियों का 20 हजार रुपया खर्च हो गया, उनके पास खाने का कोई साधन नहीं, पहनने को कपड़े भी नहीं रहे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। वे गरीब आदमी सेशन जज तक कोई सिफारिश नहीं पहुंचा सके और दूसरी ओर जागीरदार पैसे वाले हैं वे अपनी सिफारिश पहुंचाने में हमेशा तैयार रहते हैं, मैं यह मानता हूं हालांकि लोग कहते हैं कि सेशन तक सिफारिश नहीं पहुंचती है, यह बात सही है लेकिन उन आदिवासियों के नाम जिम्मवारी मौजूद होने से सलूम्बर के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने आदिवासियों के हक में फैसला दिया है, उदयपुर के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट थे जिनके यहां पर केस दायर हुआ उन्होंने भी आदिवासियों के हक में अपनी राय दी है। एक बीच में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ठाकुर आया वह चला गया, उस मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने ठाकुर से मिल कर तहसील का रिकार्ड मंगवाया गया, उस फाइल को गायब कर लिया गया। क्या मालूम ठाकुर ने गायब कर दी हो तो पता नहीं है।

(6.28 सायं)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

अब क्या है कि यह जो कार्यवाही चल रही है उसमें आदिवासियों का कब्जा होते हुए भी तहसीलदार या राज्य सरकार या जिलाधीश कोई भी हो, उनको खातेदारी हक नहीं दे रहे हैं। इसीलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है वह देखे कि कि उस मामले पर क्या किया जा सकता है। मैं इस मामले में यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों को खातेदारी हक दिया जावे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि उस आदिवासी इलाके में जैसे— केवड़ा कलां, केवड़ा खुर्द और एकलिंगपुरा हैं इन इलाकों में वन विभाग ने फोरेस्ट का सेटलमेंट पूरी तरह से नहीं किया है न रेवेन्यू नक्शे में कोई सेटलमेंट इन्द्राज है। कुछ भी नहीं होते हुए भी आदिवासियों को जमीन अलॉट हो गई है, उनको पास बुक दे दी है और आदिवासी लोग वहां पर बैठे हुए है। जंगलात विभाग आदिवासियों को बार बार तंग करता है, इसलिए माननीय वन मंत्रीजी से मैं कहना चाहता हूं कि वह खुद इस मामले को देखें और लिखें कि जहां पर पहले से आदिवासी बैठे हुए हैं, उनको जमीन दिलवायी जा चुकी है उनसे जमीन छुड़वायेंगे नहीं चाहे वह जमीन वन विभाग की हो यह देख लिया जाय कि जंगलों की जमीन है या काबिल काश्त है। यह पहले ही देखना चाहिए। गरीब आदमी आज भूमिहीन है। आज उसके पास भूमि नहीं है और हर तरह से परेशान है। यह ठीक नहीं है। हमारे यहां जंगल रखने के लिए बड़े बड़े पहाड़ है, वहां पर जंगल रखने चाहिए। कई पहाड़ खुले हुए होते हैं, उनके ऊपर वन रखने चाहिए। लेकिन जो काबिल काश्त भूमि है वह कम से कम भूमिहीनों को दी जानी चाहिए। दूसरी जमीन पटवार मण्डल याना के अन्दर काबिल काश्त है, आदिवासी उस पर बैठे हुए हैं, उस पर कुए खोदे हैं और मकान बनाये हैं। वह जमीन जंगलात में दिखा रखी है। जहां पर एक पेड़ नहीं लगा हुआ है, लोग खेती कर रहे हैं, ऐसी जमीन को फोरेस्ट से निकाल देना चाहिए और रेवेन्यू विभाग में ले लेनी चाहिए।

(श्री देवीलाल)

एक हमारे सराड़ा तहसीलदार साहब आये, करीब करीब साल भर हुआ है। वह यहां पर रहे। अभी सुना है कि अब फिर सब-रजिस्ट्रार बना कर उदयपुर में लगा दिया है। उन्होंने साल भर तक, जब तक वे वहां रहे, तब तक काफी गरीबों का गला घोंटा। गरीबों को जो जमीन का अलाटमेंट हुआ, उन पर नाजायज कब्जे की कार्यवाही करके जुर्माना किया। नाजायज कब्जे की फाइल चला दी। अभी एक महीने पहले पंचायत समिति जाकर जीप लेकर वसूली के बहाने तहसील में घूमे और हर जगह जाकर लोगों का गला घोंटा। जिसने रिश्वत का पैसा दिया, उसको छोड़ दिया और जिसने पैसा नहीं दिया, उसका गला घोंटा। किसी ने रजिस्ट्री करानी चाही तो जीप लेकर गये और रजिस्ट्री का पैसा लिया तब रजिस्ट्री की। तहसील में लोग आये तो रजिस्ट्री के नाम से पैसा लिया। लोगों के पसीने की कमाई का पैसा लेकर रजिस्ट्री की। नठारे की पाल सहकारी समिति का शक्कर का कोटा था। एक व्यापारी से पैसा लेकर, जो शक्कर के कोटे के पचास रुपये आदिवासी सहकारी समिति के जमा थे वह जब्त करके, कोटा व्यापारी को दे दिया। इस तरह उस तहसीलदार ने काफी घोटाले किये, काफी लोगों को लूटा। अब उसे सब-रजिस्ट्रार बना कर, कलेक्टर या बोर्ड की राय से सब-रजि, स्ट्रार बना कर मेरे ख्याल में उसे उदयपुर में लगा दिया है। इस तरह के आदमियों को सरकार नहीं देखती है। सरकार भ्रष्ट आदमियों को नहीं निकालती है, उनको भेजकर गरीब लोगों का गला घुटवाती है। यह सरकार के लिए उचित नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। भ्रष्ट पटवारियों के खिलाफ लोगों ने दरख्वास्त की। लेकिन तहसीलदार ने एक के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं की। ऐसे लोगों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बैठा रखा है जो गरीबों का शोषण करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपका पूर्ण विश्वास है, आप कार्यवाही करते हैं तब ऐसी करते हैं कि अगला याद रखता है। मुझे भरोसा है, काम कराते कराते बीस साल हो गये हैं, आप काम करते हैं, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। आप इस रेवेन्यू विभाग को सुधारने की अवश्य कार्यवाही करें और गरीब लोगों को राहत दें, मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल (पाली)।

श्री नत्थासिंह : नम्बर मेरा है, माननीय सभापति जी, यह कहा गया था कि इनके बाद आपका नम्बर होगा। भरतपुर के साथ में सौतेला व्यवहार करना, माननीय सभापति, सही नहीं है। आप नम्बर काट रहे हैं, हम गरीब, शिड्यूल्ड कास्ट.......

श्री सभापति : कृपया बैठें।

श्री शंकरलाल (पाली) : माननीय सदस्य, मैं संक्षेप में कहूंगा। आप चिन्तित मत होइये।

सभापति महोदय, 5–6 मार्च को दिल्ली में प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुलाई बीस सूत्री कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए कि क्या प्रगति की। उन्होंने उसमें भूमि सुधार को बड़ी प्राथमिकता दी और बड़ी चर्चा की। वह लम्बी चर्चा रही लेकिन खासतौर से लैंड सीलिंग के बारे में उन्होंने बात कही, वह बात हम राजस्थान के अन्दर, क्षमा

(श्री शंकरलाल)

करें, समापति महोदय, 1967 से इस सदन के अन्दर कहते रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, मैंने अपने विचार लैंड सीलिंग के बारे में काफी हद तक रखे। आज स्थिति यह है, लैंड सीलिंग कानून तो अच्छा है, इसका हमारे यहां इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है, भूमि ली जा रही है, लेकिन जो वितरण के आंकड़े हैं उनको देखने से ऐसा लगता है कि जो मकसद है वह पूरा नहीं हो रहा है। जो राज्य सरकार ने आंकड़े दिये हैं, करीब पांच लाख भूमि के अधिकरण के आदेश दिये हैं, तीन लाख कब्जे में ले ली है और एक लाख वितरित हुई है। यह याददाश्त से कहता हूं। तो वितरण का कार्य ठीक नहीं हो रहा है। भूमि जो सीलिंग से प्राप्त होती है उसके लिए सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूंगा। अगर राजस्थान सरकार चाहती है कि यह भूमि वास्तव में गरीब आदमियों के पास जाय तो उसके लिए ऐसा आदेश नहीं रखना चाहिए कि आपको कम्पेन्सेशन के रूप में कुछ पैसा दे। बहुत सी जगह के ऐसे उदाहरण आये हैं, गांव के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स का ध्यान नहीं रखा गया, दूसरे लोगों से पैसा लेकर बेनामी अलॉटमेंट करवा दिया और भूमि वास्तव में उनके पास चली गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज उस भूमि का, जो सीलिंग से प्राप्त होती है, जिस प्रकार सरकारी भूमि का आवंटन होता है, उस प्रकार आवंटन होना चाहिए बिना मुआवजे के, या फिर भी कुछ देना पड़े तो कर्ज के रूप में उसी वक्त दे दिया जाय वरना भूमि गरीब आदमियों के पास नहीं जा सकती।

दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, एक अलॉटमेंट कमेटी बनी हुई है उसको आन्दोलन के रूप में करना चाहिए था, जिस प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरुआ ने कहा। उसके लिए हमें रेवेन्यू सर्किलवाइज कमेटी बनानी पड़ेगी। वह बनायें, जिसके पास दूसरा काम नहीं हो सिवाय इस काम के, अलॉटमेंट का, भूमि सुधार का काम करे, वरना एस डी.ओ. के पास म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है, रिकवरी का काम करता है, दूसरा काम करता है, इसलिए कभी इतना समय नहीं उसे नहीं मिल सकता है। यह मुझे अनुभव पाली का है। कई कमेटी अलॉटमेंट की हैं, उनमें एम. एल. ए. होता है मेम्बर। मेरे पास कोई इत्तला नहीं आयी है। एक दो बार मीटिंग हुई, फिर नहीं हुई। इसलिए आप रेवेन्यू सर्किलवाइज कमेटी का गठन करें। अभी 5, 6 मार्च को तय किया है मुख्य मन्त्रियों ने वायदा किया है कि 30 जून तक इस काम को कर लेंगे, वह इससे ही पूरा हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा।

रिकार्ड, भू-अभिलेख तैयार कर रहे हैं, उसमें, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से जो भूमि के खातेदार होते हैं, उनका अदालत में मान लो पार्टीशन हो जाता है, या भूमि रजिस्ट्रेशन के जरिये अलग अलग हो जाती है। उसके बाद दरख्वास्त कर देता है म्यूटेशन की। म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स में दो तीन वर्ष लग गये, तो लैंड रिकार्ड के अंदर अलग खाता दर्ज होने के बाद वह कहता है कि सरचार्ज नहीं लगेगा। उसके पहले जो पीरियड है, जिसमें रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद दरख्वास्त दे दी, और रजिस्ट्री हो गई, खाते अलग अलग हो गये, रेवेन्यू कोर्ट से डिग्री होकर अलग अलग पार्टीशन हो गये—मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा

(श्री शंकरलाल)

कि पार्टीशन हो जाने के बाद रजिस्ट्री हो जाने के बाद दरख्वास्त म्यूटेशन की करने के बाद में, म्यूटेशन की कार्यवाही में, दो तीन साल लग जाते हैं, तो सरचार्ज उस तारीख से नहीं लगना चाहिए, जब कि म्यूटेशन की दर्ख्वास्त दे दो। यह उसका कसूर नहीं है। फिर तीन साल के बाद रेवेन्यू रिकार्ड में खाते अलग होते हैं तो उसको सरचार्ज देना पड़ता है। हजारों केसेज राजस्थान में ऐसे होंगे। पाली जिले में सैकड़ों केसेज ऐसे आये हैं। इसका स्पष्टीकरण अभी नहीं है।

तीसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि रिकवरी के बारे में बहुत माननीय सदस्यों ने कहा। मैंने प्रश्न किया था पाली जिले के लिए, खैर वह समय के अभाव के कारण हाउस में नहीं आया। लेकिन लिखित में इन्कार किया है, कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई अभियान नहीं चलाया गया। मेरे पास आदेश हैं। मैं निवेदन करूंगा, जो अभियान चलाया जाय, उसमें स्वयं जिलाधीश ने लिखा है, राजस्व कार्यक्रम होगा। आगे राजस्व कार्यक्रम उसमें लिखा है। इसके अतिरिक्त वसूली को प्राथमिकता देंगे और इस अवधि में पूर्ण किया जायगा। इसमें लिखित में सब लोगों को भेजा है। आपने लिखित में उत्तर दिया है कि वसूली का अभियान नहीं चलाया गया। मेरे पास काफी इन्स्टान्सेज हैं, लेकिन मैं बता कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। मेरे पास दर्ख्वास्तें हैं, मेरे पास लोग आये थे, जिनको पीटा गया, जिनके बैलों की, पशुओं की कुर्की की गई। उनके पास खाने को नहीं है। एक नहीं ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। सबके बारे में करीब-करीब जिलाधीश से बात की। उन्होंने कहा कि ऊपर से इस प्रकार के आदेश हैं। वसूली में वास्तव में ज्यादती हुई है। लोगों को सहन करना पड़ेगा। यह पाली जिले में अनुभव हुआ है।

सभापति जी, एक महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पाली के अन्दर जो कृषि भूमि पर रंगाई, छपाई की फैक्ट्रियां लगी हैं जिसके लिए मैंने 9 जनवरी को सदन में प्रश्न भी किया था और मंत्री महोदय स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया था कि धारा 91 के तहत जो निर्णय हो जाते हैं उनकी अपील कलेक्टर को और दूसरी अपील रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी को होती है। सरकार ने धारा 91 के केसेज जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के शिड्यूल के अन्दर हैं, उनको जुडीशियल मैटर माना है क्योंकि उसमें पेनल्टी का प्रावधान है, उसके अन्दर सरकार को स्टे आर्डर देने या जनरल आर्डर देकर स्टे करने का कोई अधिकार नहीं है। उन मामलों में अभी तक जो स्टे आर्डर पड़ा हुआ है उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया, और हालत यह है कि जो कृषि भूमि पर फैक्ट्रियां लगीं उनसे मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं वहां का विधायक होने के नाते औद्योगिक विकास चाहता हूं। लेकिन दूसरों के जीवन को खतरे में डालकर और काश्त की भूमि को नष्ट करके फैक्ट्रियां बनें तो उन लोगों के लिए खतरे की बात हो जाती है। पंचायत समिति पाली और रोहत दोनों के प्रस्ताव हैं कि सैकड़ों बीघा जमीन खराब होती है जितने कुए थे, रोहत के आगे कितनी गांव की जमीन नष्ट हो गई, कुओं का पानी खराब हो गया और शहर के अन्दर रोग फैल गया। हमने कहा कि इन फैक्ट्रियों को औद्योगिक एरिया में ले आओ। ये फैक्ट्रियां कोई ऐसी चीज नहीं हैं जिनके

(श्री शंकरलाल)

हटने से तोड़ फोड़ होती है, वे तो लकड़ियों के तावूत पर खड़ी करते हैं और दूसरी जगह फाउंडेशन कर सकते हैं। 3-2-76 को वहां के एक श्री एस. एन. वोहरा, प्रेस एसोसिएशन पाली ने तार मुख्यमन्त्री को, राजस्व मन्त्री व श्री गिरधारीलाल व्यास को दिया और उसकी कापी मेरे पास भेजी। वह मैं इसलिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिससे मालूम हो कि उस मामले को रेगुलराइज करने में किस प्रकार की बात हो रही है:

"Political touts collecting funds worth lakhs of rupees from factory owners for regularisation of these factories on agriculture land in your name. These factories proving curse for the people of Pali, playing with the lives and health of seventy thousand people. Lakhs of rupees also previously collected for the same purpose giving birth and encouragement to corruption, thereby defeating the very objects of Prime Minister's Twenty Point Programme. Question of regularisation of factories hanging before the Government since long proving 'Kamdhenu' for morally degraded and corrupt politicians. Pray order immediate removal of these factories erected on agriculture land and within city premises, else they would endanger lives and health of seventy thousand people of Pali City." "S. N. Bora, Press Association, Pali."

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की ? मैं जानता हूं कि आपका जीवन कितना शुद्ध है, लेकिन यदि आपके नाम से या सरकार के नाम से इस प्रकार की इल्लीगल कार्यवाही करके लोग लाखों रुपए इकट्ठा करेंगे तो आपको स्वयं देखना चाहिए कि कहां तक यह ठीक है वरना एक मामले को लेकर पाली शहर में बवंडर मचा हुआ है।

पाली तहसील में एक भाम्बेलाई गांव है, वहां पर खसरा नं. 13, 2196 बीघे के बारे में मैंने सवाल किया था। उत्तर में कहा गया कि वह गलती से भूतपूर्व महाराजा के नाम पर रिकार्ड हो गया, उसको वापस जिलाधीश ने सरकार में नाम पर दर्ज कर दिया और तहसीलदार से कहा है कि जिनका नाजायज कब्जा है उसको हटा दें। तहसीलदार ने नाजायज कब्जेदारों को हटाने का निर्णय दिया और फैसला 91 में 17-6-75 को कर लिया लेकिन उसके बाद में वापस मामला एडिशनल कलेक्टर के पास चला गया और वापस स्टे आ गया। प्रश्न यह है कि जिस चीज के बारे में सरकार मान चुकी है और विधान सभा में उत्तर दिया जा चुका है कि गलती से भूतपूर्व महाराजा की जमीन लैंड रिकार्ड्स में करेक्शन हो गई और ट्रेसपासर मानकर इजेक्टमेंट के आदेश हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ।

इसी तरह से पाली तहसील में व्यासपुरा गांव में खीववाड़ भूतपूर्व जागीरदार

(श्री शंकरलाल)

की लाडोजी की जमीन है। 700 बीघा का पट्टा था और जमीन कब्जे में थी 1700 बीघा। जब मौके पर नापी गई तो मालूम पड़ा कि कब्जा 1700 बीघे का है। उसी समय श्री विजयसिंह जिलाधीश जो आज चिकित्सा सचिव है, ने आदेश दे दिया कि इसको इजेक्ट किया जाए। यह 1967-68 की बात है, लेकिन आज तक उसका कब्जा लगा हुआ है और बेदखल नहीं किया। इस प्रकार हजारों बीघा जमीन जो लोग दवाए हुए बैठे हैं, उनसे लेकर गरीबों को बांटने की बात है। इस काम में जब तक तेजी नहीं लायेंगे तब तक लोगों को जमीन नहीं मिलेगी और फिर माननीय सदस्य शिकायत करते हैं कि जमीन ऊबड़-खाबड़ है, अच्छी जमीन लोगों ने दबा रखी है।

गोचर के बारे में बद्री प्रसाद जी ने कहा और मेरी भी मान्यता है, जैसे प्रधान मंत्री ने कहा 6 मार्च को कि सार्वजनिक भूमि चरागाह, वन वगैरह का आपको एलाटमेंट नहीं करना चाहिए। यह सही है लेकिन जिस गांव में गोचर बहुत ज्यादा हो, 500 बीघा जमीन और 3 हजार बीघा गोचर भूमि हो, इतना ही नहीं अगर गोचर ऐसी रह जाए तो आपत्ति नहीं लेकिन वहां सरपंच और दूसरे लोग मिलकर, पटवारी से मिलकर कब्जा करवाते हैं और कहते हैं कि गोचर है इसलिए अलाटमेंट नहीं होना चाहिये, कम से कम ऐसे आदमियों को बेदखल करें। अलाटमेंट ऐसे आदमियों को करो जिनको जरूरत है। मंत्रीजी को पता होगा कि पाली तहसील में अरटिया और भाकरीवाला दो गांव हैं जिनके लिए मैंने प्रश्न भी किया था और उत्तर में आया था कि उतना बीघा जमीन ज्यादा है और कहा गया कि इतने बीघों पर अतिक्रमण किया है, लेकिन न अतिक्रमण हटाया गया न कुछ हुआ। वहां लोग एस. डी. ओ. से मिले। उन्होंने कहा कि वे लोग वहां नहीं रहते हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी है। मैंने कहा रहते हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने गोचर पर नाजायज कब्जा कर रखा है उनको पहले हटाया जाए उसके बाद अगर मन बन जाता है कि जमीन ज्यादा है तो जिन लोगों ने दरख्वास्त दी है उनको दें। लेकिन इस तरह की जहां दिक्कतें आती हैं वहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

वन के बारे में मेरा निवेदन है कि पाली के अन्दर इन रंगाई छपाई की फैक्ट्रियों में ट्रकें भरकर लकड़ी आती है। जो कर वन विभाग का है वह वसूल नहीं होता है और वन विभाग के लोग वहां पर ऊपर से पैसा लेते हैं और जाने देते हैं। इस तरह हजारों मन लकड़ी आती है, आप वेरीफिकेशन कराना चाहें तो इन फैक्ट्रीज की जो एन्ट्रीज हैं उनको देखकर मालूम करें कि जितनी लकड़ियां फैक्ट्रीज में आई हैं उनका टैक्स वन विभाग को मिला या नहीं। इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि आपके वन विभाग को कोई टैक्स नहीं मिला। वह बात दूसरी है कि उन लोगों ने दिखाने के लिये दो चार ट्रकों की एन्ट्री अपने आप कहीं पर करली हो। लेकिन इतना मैं दावे से कह सकता हूं कि वन विभाग के कर्मचारी भी इन लोगों में लकड़ी की चोरी में मिले हुए हैं।

अब, सभापति महोदय, मैं एक बात और कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा क्योंकि आपने घन्टी बजादी है और समय भी कम है। सभापति महोदय, हमारे पाली जिले में पुराने जागीरदारों ने अपने यहां पर आज भी छोटे छोटे तालाबों

(श्री शंकरलाल)

को अपने कब्जे में रखा है। जिसमें चाहे आप निम्वाज ठाकुर हों चाहे वे जो छत्तरगढ़ में जमीन है उसको लेकर बैठे हुए हों। उन लोगों ने आज छोटे छोटे तालाबों को अपनी प्राइवेट प्रापर्टी में दर्ज करा रखा है। मेरा, सभापति महोदय, राज्य सरकार से यह निवेदन है कि आखिर यह जागीरदार लोग इन छोटे छोटे तालाबों को कितने दिन तक अपने कब्जे में रखेंगे? जिस तरह आज जवाई बान्ध में कई जगह गड़बड़ है उसके बारे में जब हम यहां कहते हैं तो यहां पर यह कहा जाता है कि वह हिजहाइनेस की पर्सनल प्रॉपर्टी है। सभापति महोदय, उस बांध से गरीबों को पानी दिया जाता है। उस एरिया में जवाई का पानी दिया जाता है लोग खेती करते हैं लेकिन आज भी उन लोगों को इन हिजहाइनेस व ठाकुरों की वजह से पानी देने में दिक्कत हो रही है। इस संबंध में राज्य सरकार को कदम उठाने चाहियें। इन छोटे छोटे तालावों को राज्य सरकार को चाहिये कि अपने कब्जे में ले ले।

अब थोड़ा मैं वन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय। आज हमारे यहां पर राज्य सरकार ने जीव-जन्तु जो हिरन वगैरह हैं उनका शिकार करने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। हमारे पाली जिले में चितकबरे हिरन होते हैं उनकी लोग शिकार कर लेते हैं। उनको रोका जाना चाहिये। इन पशुओं को वन विभाग द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिये और इनकी जो हंटिंग की जाती है उस पर रोक लगायी जानी चाहिये, इन पशुओं की रक्षा की जानी चाहिये। क्योंकि हमारे देश की प्रधान मन्त्री हैं उन्होंने भी इन वन्य पशुओं की रक्षा करनी चाहिये कि जिसकी हमें पालना करनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री नत्थासिंह।

श्री नत्थासिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, वन विभाग और राजस्व विभाग की मांगों के ऊपर मैंने भी अपने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। आज सदन में, सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो हमारे देश में अभी भूमि का अलॉटमेन्ट हुआ भूमि हीन लोगों को इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के और भूमिहीन लोगों को भूमि का अलॉटमेन्ट हुआ। सभापति महोदय, हमारे यहां राजस्थान में तकरीबन 22 हजार शिड्यूल्ड कास्ट्स परिवारों को और 24 हजार भूमिहीन परिवारों को लैण्ड अलॉटमेन्ट किया गया है।

(6-52 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : कहां?

श्री नत्थासिंह : हमारे राजस्थान में। लेकिन मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भरतपुर जिले ने ऐसा कौनसा पाप किया है कि आपने भरतपुर जिले में कोई भूमिहीन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि का अलॉटमेन्ट नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

Page No 168

(168)

(श्री नत्थासिंह)

सारे देश के लिये लागू करने की बात कही थी फिर वह भरतपुर में लागू क्यों नहीं किया गया ? हमारे भरतपुर में सिवाय चक जमीन करीब 95 हजार बीघा, जो कि सरकारी जमीन भी थी और कुछ चरागाह की जमीन थी जो कि काबिल काश्त जमीन थी उसको भूमिहीन लोगों में, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में अलॉटमेन्ट करने के लिये भरतपुर जिले की जो अलॉटमेन्ट कमेटी है उसने सात नवम्बर को अलॉटमेन्ट करना तय किया। सात नवम्बर को, उपाध्यक्ष महोदय, अलॉटमेन्ट यह हुआ कि राज्य सरकार के पास से कलेक्टर के नाम आदेश आया कि अलॉटमेन्ट जो भरतपुर में किये गये हैं वह सभी कैन्सिल किये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर जिले में भूमिहीनों को लैण्ड का अलॉटमेन्ट हुआ, अलवर में हुआ, लेकिन भरतपुर में नहीं हुआ। हमारे देश में 20 सूत्री आर्थिक प्रोग्राम के बारे में जब गांवों के लोग रेडियो में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि इतनी इतनी लैंड गरीबों को एलॉट की गयी और जब हम लोग भरतपुर में गांवों में जाते हैं तो वहां भूमिहीन व गरीब और कमजोर तबके के लोग, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हमें कहते हैं कि हम भूमि मिलने से वञ्चित रह गये। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के राजस्व मन्त्रीजी को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस भूमि अलॉटमेन्ट के बारे में हमें भरतपुर में बड़ी भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। इसलिये आपने जो यह दो साल पहले अध्यादेश निकाला है, आर्डिनेन्स जारी किया है कि भूमिहीन काश्तकारों को जमीन दी जायेगी, जो शिकमी काश्तकार हैं उन्हें ही भूमि अलॉट की जायेगी और यह शिकमी प्रथा समाप्त कर दी जायेगी।

मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि जिन लोगों को मौके पर जाकर दो दो चार बीघे भूमिहीनों को जमीन अलॉट की गई थी उनकी जमीनों को इन पटवारियों ने और तहसीलदारों ने भरतपुर जिले में कैन्सिल करके उन लोगों को वह जमीन अलॉट करदी जिनके पास पहले से ही 250-250 और 300-300 बीघा जमीन थी। उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय चाहें तो उनके नामों का पता रेवेन्यू के कागजों से लगा लें। उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर चूंकि रेवेन्यू के बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं वह चाहें तो देखलें कि भरतपुर जिले के शेरगढ़ गांव में जिन 28 परिवारों को, हरिजनों को भूमि का अलॉटमेन्ट हुआ था 14, 14 बीघा वह वहां के एस. डी. ओ. ने कैन्सिल करके, बेचारे शिकमी काश्तकारों से छीनकर बड़े बड़े भूमिपतियों को दे दी।

दूसरी बात, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह क्या है कि पंचायत समिति रूपवास के एक गांव उनेरहाडोली में भूमिहीनों के 12 परिवारों को तीन-तीन बीघा जमीन भूमि अलॉट की गयी थी सन् 74 में वह वापिस एक ऐसे व्यक्ति ने अपने कब्जे में ले ली जो कि पुलिस हैड कान्स्टेबल था। यह हैड कान्स्टेबल सेवर पंचायत समिति के थाने में लगा हुआ है। उसने पटवारी से सांठ-गांठ करके जो जमीन उन 12 परिवारों की थी अपने कब्जे में ले ली। उसमें खटीक, जाटव, और हरिजन परिवार थे। उन लोगों को बेदखल कर दिया। मैं वहां पर गया। उन लोगों से मिला मैंने उनसे

(श्री नत्थासिंह)

कहा कि तुम जाकर एस. पी. साहब से मिलो और मैं भी कहूंगा। तुम जाकर अपनी जमीन पर काश्त करना शुरू कर दो। लेकिन जब वह लोग काश्त करने गये तो, उपाध्यक्ष महोदय, उस हैड कान्स्टेबल ने लोगों पर गोली चलाई।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह एक बयाना में रेवेन्यू अधिकारी हैं जो कि भरतपुर का नहीं है, और यह हैड कान्स्टेबल भी भरतपुर का नहीं है वह अलवर के बहरोड़ का है, एस. डी. ओ. भी, उपाध्यक्ष महोदय, अलवर का है।

एक माननीय सदस्य : नाम बतावें।

श्री नत्थासिंह : नाम मैं क्या बताऊं अगर इसकी रिपोर्ट मंगाकर मन्त्री महोदय देखेंगे तो अपने आप पता पड़ जायेगा। तो मेरा निवेदन है कि आपने जो ऑर्डिनेन्स निकाला है उसको आप कृपया वापिस ले लें क्योंकि कई जगह पर 10,12,15, और 8 और कई जगह आपने 20 बीघा लोगों को जमीन अलॉट की है और भरतपुर में, उपाध्यक्ष महोदय, करीबन पांच हजार केसेज होंगे जो कि एस.डी.एम. साहब ने मौके पर जाकर कैन्सिल किये हैं। वहां पर बड़े-बड़े लठधारी लोगों ने और गुन्डों ने अब दस दस पन्द्रह पन्द्रह और 12-12 बीघा जमीन अपने नामजद करा ली है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री नत्थासिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो यह ऑर्डिनेन्स निकाला है उसके जरिये आपने भूमिहीनों और हरिजनों को फायदा नहीं पहुंचाया बल्कि उन पर आपने अत्याचार किया है। इससे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बरबाद हो गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस अध्यादेश को वापिस ले लें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर, बयाना डीग के सब-डिविजन में एस.डी.ओ. के कोर्ट में शिकमी काश्तकारों ने दावे पेश किये हैं। आप चाहें तो लिस्ट मंगाकर देख सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता लग जायेगा कि कितना अन्याय हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह है, भरतपुर जिले में गान्धी जयन्ती के अवसर से लेकर आज तक जितने भी भूमिहीनों को भूमि का अलॉटमेन्ट हुआ है उसमें तकरीबन 70 हजार बीघा भूमि का अलॉटमेन्ट भरतपुर जिले में हुआ है। इसमें यह भूमि भूमिहीनों में नहीं बांटी जाकर भरतपुर के डी.एस.पी., तहसीलदार, एस० डी० ओ०, एस० पी० और बड़े बड़े अधिकारियों ने भी भूमि अलॉट करायी है। और इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह लोग भरतपुर के नहीं हैं यह लोग सवाई माधोपुर और अलवर जिले के अधिकारी हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स का हूं, पिछड़ा हुआ हूं, मुझे टाइम दे दीजिये। इस सम्बन्ध में हम बरबाद हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहूंगा और यह कहूंगा कि जो अलाटमेंट होता है और अलाटमेंट होने के बाद में हमें दखल मिल जाता है और दखल मिल जाता है तो काश्त कर लेते हैं। दखल मिल गया,

(श्री नत्थासिंह)

खेत बो दिया, फसल खड़ी है और पैसे वाली पार्टी जाकर आपके रेवेन्यू ग्राफिसर, कमिश्नर साहब कहें, अपील ग्राथोरिटी बोले या क्या उनको कुछ पैसे दे देते हैं और खटाक स्टे ग्रा जाता है तो दो, चार, पांच बीघा का ग्रलाटमेंट हुग्रा और मुकदमेबाजी में फंस गया। गान्धी शताब्दी से लेकर ग्राज तक ग्राप इन्क्वायरी करेंगे तो 20 हजार ऐसे केसेज निकलेंगे जो बेचारे मुकदमेबाजी में फंसे हुये हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा, ग्रलाटमेंट करें तो ऐसा कानून बनायें कि भूमिहीनों के ग्रलाटमेंट के बाद और किसी प्रकार की ग्रपील नहीं होनी चाहिये और न स्टे ग्रानी चाहिये। गैरकानूनी ग्रलाटमेंट होता है ग्रौर ऊपर बेढंगा ग्रलाटमेंट कर दिया तो हर प्रकार की सुनवाई हो सकती है। लेकिन जब कायदे से होता है तो फिर उसकी किसी प्रकार की ग्रपील नहीं होनी चाहिये। मुकदमेबाजी में फंस जाय ग्रौर रेवेन्यू बोर्ड तक लड़ने के लिये एक हरिजन जाय तो वह बेचारा ग्रपनी ग्रौरत का जेवर गिरवी रख देता है। हरिजनों के लिये जो छोटे छोटे ग्रलाटमेंट होते हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरे भरतपुर के ग्रन्दर हैं ग्रौर हम लोग बरबाद हो जाते हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरी फागी का भी है भाई।

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी सम्बन्ध में बोल रहा था। ग्रब मैं ग्रापको एक थोड़ा सा निवेदन ग्रौर करूंगा। मन्त्री महोदय, मुझे केवल एक दिन दे दें, भरतपुर के लिये। चीफ मिनिस्टर साहब को भी कहा है, मैं भाषण नहीं दिलाऊंगा। मैं भरतपुर जिले के जितने भूमिहीन किसान हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, जो मुकदमेबाजी में फंसे हैं, जो पुलिस के शिकार हैं, ग्रापके पटवारी ग्रौर गिरदावर के शिकार हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर दूंगा ग्रौर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दो-दो मिनिट ग्राप हरएक काश्तकार की बात सुन लेना। उस दिन आप एस. डी. ओ. साहब को, पटवारी को, गिरदावर को, ग्रपीलेट ग्राथोरिटी को, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को भी बुलाना ग्रौर इस बात को देखना कि रेवेन्यू के जितने अधिकारी हैं, वे छोटे छोटे भूमिहीन किसानों पर कितना ग्रन्याय करते हैं। पचासों ग्रलाटमेंट कैन्सिल कर दिये 6-6, 8-8 साल मुकदमेबाजी में फंसे हो गये और उनके फेसले नहीं देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा जब आप जवाब दें, इसे डिमान्ड पर उसमें एक चीज मुझे जरूर कह दें कि भाई नत्थासिंह मैं तुम्हारे जिले में ग्रा रहा हूं और सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक यही सुनूंगा कि किस किस पर जुल्म हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुझे सदन में यह ग्राश्वासन दिया जाय।

ग्रब रेवेन्यू......

(व्यवधान: ग्रश्रव्य)

ग्रब थोड़ा सा, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं भाई-उपाध्यक्ष महोदय, मैं फारेस्ट डिपार्टमेंट की दो बात कहूंगा। कुछ नहीं कहूंगा केवल यह कहूंगा ग्रभी माननीय सदस्यों ने तेन्दू पत्ते के राष्ट्रीयकरण का जिक्र किया है वह माननीय सदस्यों ने सदन में बता दिया है। उन्होंने लकड़ी और कोयले का डिपार्टमेंटली व्यापार करना शुरू कर

(श्री नत्थासिंह)

दिया है। भरतपुर का उदाहरण देता हूं सी० सी० एफ० साहब को मैंने तीन महीने पहिले एप्लीकेशन भी दी थी। एक व्यापार मण्डल है, वह लूट कब्जी कर रहा है। वन विभाग का जहां डिपो है 10 ट्रक आते हैं तो पांच ट्रक तो वहां आते हैं और बाकी पांच ट्रक सीधे टालों पर जाते हैं। ऐसा ही कोयले का हाल है। तो माननीय मन्त्री जी, मैं यही कहूंगा भरतपुर में 11 लकड़ी की टालें हैं—धोक की और किसी डिपार्टमेंट में नहीं हैं—फारेस्ट डिपार्टमेंट के काबिज है। गीली लकड़ी के हजारों मन के ढेर उन टालों पर उतरते हैं। आप कहते है झूठ हैं तो माननीय मंत्रीजी कल कार में बैठकर आप मेरे साथ चले चलो, मैं बता दूंगा। यह लकड़ी कहां से आई है? एक रेन्जर है जो भरतपुर का रहने वाला है और एक भरतपुर के बड़े आफिसर ने उसको लगाया है। उसकी सांठ गांठ है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं थक गया नाम लेते लेते तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस व्यापार मण्डल में यह हुआ है कि अडोस-पड़ोस के जितने जंगल है, वहां से लाकर बाजार में बेचते हैं और वहां के रेन्जर और अधिकारी सब शामिल रहते हैं। मैं आपको सही बात बताऊंगा, आज भी भरतपुर जिले में फारेस्ट डिपार्टमेंट की जमीने हैं, गत वर्ष भी विधान सभा में मैंने यह बात बताई थी सैकड़ों ट्रक महीने में जयपुर आते हैं और लाभसिंह, उत्तमल हैं, उनकी दुकान पर उतरते हैं। हिम्मत है तो पकड़ो—उन्होने जंगल का सफाया किया है। जो एजेन्ट बनाये हैं तेन्दू पत्ते के, वे करते हैं- बोली लगा लगा कर ठेकेदार सरकार को खत्म करते हैं। वे पीछे के रास्ते से आगये हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, फारेस्ट डिपार्टमेंट की छानबीन करके कम से कम जंगलों की कटाई और सरकारी पैसे की आमदनी जो सरकार में आती नहीं है और अधिकारियों की कोठी बनती है, उस पर आप अंकुश लगावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर दो मांगें प्रस्तुत की गई हैं- एक वन विभाग की और दूसरी राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग के बारे में मेरा निवेदन है वैसे राजस्व विभाग में कई प्रकार से किसानों को सुविधा तो कर दी है लेकिन साथ ही साथ बड़ी भारी दिक्कत आती है, जब फसल आती है तो उस फसल में पटवारी इस प्रकार गड़बड़ी करता है, गिरदावर इस प्रकार गड़बड़ी कर देता है कि फसल होती है गेहूं की, बना देता है चने की, फसल होती है चने की बना देता है गेहूं की और इस प्रकार की दिक्कत से आज किसान के सामने....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है जो बातें आ चुकी हैं उनके रिपीटीशन से कोई मतलब नहीं है। माननीय सदस्य ने डिटेल में गिरदावरी के बारे में बताया है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जो चीज दिक्कत की है, वह तो बतानी ही पड़ेगी चाहे आ चुकी है तब भी और नहीं आयी है तब भी। किसान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है। इस सम्बन्ध में चाहे पटवारी हो, गिरदावर हो या तहसीलदार, उनको इस प्रकार के संकेत कर देने चाहिये, जरूरत हो तो अलग से एक अधिकारी की नियुक्ति कर देनी चाहिये कि

(श्री जयकिशनलाल होसावड़ा)

जहां जहां पर भी पटवारी ने गिरदावरी की है, कहीं गलती की है तो सही सर्वेक्षण करने के बाद, जिस पटवारी की गलती है, उसको तुरन्त सजा देनी चाहिये। सही गिरदावरी न होने के कारण किसान के सामने लेवी के समय में हर वक्त यह प्रश्न आता है कि पटवारी ने नाराजगी के कारण जो की जगह गेहूं लिख दिया और उसके कारण गेहूं देने के लिए उसको बाजार से खरीद कर लाकर उसको पूर्ति करनी पड़ती है। इसलिए वास्तविक जांच करवा कर ऐसे अधिकारी को दण्ड दिया जावेगा तब ही जाकर किसान का भला हो सकता है वरना तो किसान इस तरह पिसता ही रहेगा।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग होती है तो जमीन अलाट कर दी जाती है लेकिन किसान को कब्जा नहीं मिलता है। कब्जा मिल जाता है तो पट्टा नहीं मिलता है और पट्टा और कब्जा दोनों ही मिल जाते हैं तो भी ऐसे आदमी होते हैं कि जो कब्जा छोड़ना नहीं चाहते हैं और अलाटमेंट के बाद भी जाकर कोर्ट केस कर देते हैं। एक तरफ आप किसानों को, हरिजनों को, गरीब लोगों को राहत और सुविधा देना चाहते हैं और उसको भूमि देना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनके सामने इस प्रकार की परेशानियां मुंह बाये खड़ी रहती हैं। उनको राजस्व विभाग से हल करवाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से यही निवेदन है।

दूसरी पेटाबन्दी की बड़ी भारी दिक्कत है और किसान के सामने बड़ा भारी प्रश्न है। एक साल के लिये या पांच साल के लिये अलाटमेंट के बाद भी पेटाबन्दी नहीं होती है। इससे क्या होता है कि किसान को वापिस सब कुछ छोड़ कर हाजिर होना पड़ता है। इसलिये पेटाबन्दी का कार्य भी पूरा होना चाहिये और जिसकी गलती हो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

सीलिंग का कानून है। दिक्कत यह आती है कि अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग करके जमीन अलाट कर देते हैं साथ ही क्या होता है कि उनके सामने कई प्रकार के स्टे आ जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, कई लोग कब्जा छोड़ते नहीं या दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। सीलिंग का कानून बना दिया अच्छा किया लेकिन वास्तविकता तब तक सामने नजर नहीं आयगी जबतक उन लोगों को कब्जा नहीं दिलायेंगे। पट्टा नहीं दिलायेंगे तब तक यह दिक्कत दूर नहीं होगी।

चारागाह की समस्या भी हमारे सामने है। अलग अलग स्थितियों के अनुसार हर जगह पर चरागाह हैं। जहां पर नाले हैं, नदियां हैं वहां पर चारागाह हैं तो वे आसानी से बचे रहेंगे। दिक्कत तो वहां आती है जहां कि मैदानी इलाका है। चारागाह की जमीन को अलाट कर देते हैं तो उससे पशुधन नष्ट हो जावेगा। ऐसी स्थिति का सर्वेक्षण करवाना चाहिये और उसको देखना चाहिये। डिपार्टमेंट से नहीं होता है तो प्राइवेट कमेटी बना कर सर्वेक्षण करवा कर कौनसी मैदानी जमीन है, पशुधन कितना है, कितनी संख्या है और कौनसा पशुधन है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिये। यदि पशुधन की संख्या से अधिक चारागाह है तो अलाटमेंट कर देना चाहिये और

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

मवेशियों की संख्या के आधार पर ही चरागाह हैं तो उनको अलाट नहीं करना चाहिये। डेयरीज खोलते हैं, प्रजनन के केन्द्र चलाते हैं और विकास करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में चारागाह नष्ट हो गया तो पशुधन खत्म हो जावेगा और पशुधन खत्म हो गया तो किसान को कृषि के लिये जो चीजें उपलब्ध होने वाली हैं वह सारी की सारी नष्ट हो जावेंगी। किसान को खेतों के लिये खाद पशुधन से मिलता है। दूध घी पशुओं से मिलता है। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति आप लाना चाहते हैं, वह कैसे होगी? चारागाह का तो विकास करना चाहिये।

भू-संरक्षण योजना चलाने के लिये फागी और चाकसू तहसीलों के लिये मैंने राज्य सरकार को पत्र लिखा था और वहां का सर्वे हुआ था। भू-संरक्षण का अधिकारी रिपोर्ट देकर गया था और आंकड़े दिये थे। आज किसान खेती करता है उसमें हरवर्ष 4400 और कुछ रुपयों का उसको नुकसान रह जाता है इसलिए कि वहां की जमीन की सही ढंग से रक्षा नहीं की गयी। मेड़बन्दी ठीक तरह से नहीं की गयी। रिपोर्ट दी है कि ऐसे इलाके में भू-संरक्षण, मेड़बन्दी ठीक कर दी जाय तो हर एक किसान को 3500 रुपया वार्षिक लाभ हो सकता है। इस तरह के आंकड़े बहुत हैं। समयाभाव के कारण दे नहीं सकता। मेरा यह निवेदन है कि प्रत्येक पंचायत या तहसील का सर्वे करवाया जाय। मेरे इलाके की रिपोर्ट बनी है उसी आधार पर राजस्थान की प्रत्येक पंचायत या तहसील क्षेत्र का सर्वे करवाया जाय तो जिस प्रकार आज किसान को आय नहीं हो रही है और वह घाटे में जा रहा है वह लाभ में परिवर्तित उसको कर सकता है।

भू-संरक्षण के साथ साथ अतिक्रमण की भी बड़ी भारी समस्या है। वास्तविक रूप से अतिक्रमण को देखें तो पता चलेगा कि ऐसे लोगों के द्वारा अतिक्रमण किये गये हैं जिनके पास दो सौ, चार सौ बीघा जमीन है। किसी ने सिवाय चक की जमीन पर कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, किसी ने चारागाह पर कर लिया है, किसी ने रास्ते में एक ट्रैक्टर को उधर उधर मोड़ दिया और अतिक्रमण कर लिया। सर्वे कराने के पश्चात्, 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिए इमर्जेन्सी के बाद घोषणा कर दी गयी है जिसमें स्पष्ट है कि ऐसे अतिक्रमण, भू खण्ड, चारागाह, आबादी लैंड गैरमुमकिन या सवाई जमीन पर हैं तो ऐसे अतिक्रमण तुरन्त हटाये जावेंगे। फिर भी डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों की ओर से राज्य सरकार के आदेश पहुंचने पर भी नहीं हटाये जा रहे हैं और उसमें से एतलाली बरती जा रही है। नोटिस देते हैं, आदेश देते है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि पूरे राजस्थान का सर्वेक्षण करवाया जाय और यदि अतिक्रमण नहीं हुए और 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी गरीबों को राहत नहीं मिली तो फिर कोई सार की बात नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस प्रकार का अभियान छेड़ देते हैं तो राजस्व विभाग को इस ढंग के नियम बना कर गरीबों को राहत पहुंचानी चाहिये। नियम बने हुए हैं फिर भी गरीबों की दिक्कतों को मिटा नहीं सकते हैं। मेरा सुझाव है कि एस. डी. ओ.

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

कोर्ट दो तीन तहसीलों को मिला कर बनाई जाती है। कलेक्टर जिले की तहसीलों को मिला कर बनाया जाता है, मेरा निवेदन है और सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जिस तहसील के अन्दर अधिक रेवेन्यू के केसेज हैं चाहे वहां रेवेन्यू की बेंच को जाकर दो या तीन दिन स्टे करना पड़े पर वहां के केसेज को निपटाना चाहिए। राजस्थान हमारा बहुत लम्बा चौड़ा है और राजस्थान का कोना है गंगानगर वहां का किसान अजमेर आता है तो उसको कितना खर्चा करना पड़ता है। एक वकील को भी वह साथ लायेगा और उसको खुद को भी आना पड़ेगा। एक रोज उसको वहां रहना भी पड़ेगा। खाना भी खाना पड़ेगा और रहना भी पड़ेगा और फिर क्या होगा कि उसके वहां जाने के बाद तुरन्त ही तारीख मिल जायगी। एक किसान को सौ रुपया एक पेशी पर एक रोज में खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां जहां जिस जिस क्षेत्र के अन्दर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के अन्दर चलने वाले केसेज हैं वह चाहे जिला स्तर पर हों या तहसील स्तर पर हों, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे एक ही रोज का कैम्प लगाया जाये वहां के किसानों के केसेज को निपटाया जाये तो किसानों को राहत मिल सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

रेवेन्यू के जितने भी केसेज आते हैं वह या तो गरीबों के आते हैं या फिर किसानों के आते हैं। किसान और मजदूर वर्ग दोनों का आपस में मेलजोल है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की दिक्कतें मिटाना चाहते हैं तो तहसील में जितने भी केसेज पेन्डिंग हैं और जिलाधीश के यहां जितने भी केसेज पेन्डिंग हैं उनको वहां पर ही जाकर निपटाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो चुका है। समाप्त करें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसा आप कर दें तो गरीबों को राहत मिल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो वन विभाग के बारे में थोड़ा सा निवेदन कर दूं। वन विभाग की स्थिति ऐसी है कि आज हम एक तरफ अपने देश को खुशहाल बनाने के लिए यह चाहते हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था हो। वह व्यवस्था तभी हो सकती है जब कि जो प्राकृतिक चीजें उपलब्ध हैं उनका सही रूप में संरक्षण किया जाये। यदि वन विभाग की स्थिति को नहीं सुधारा गया तो अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है। हम स्वयं जानते हैं कि जनता के सामने अकाल के समय क्या क्या विपत्तियां आती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हर स्थान के ऊपर जहां भी ऊबड़-खाबड़ जमीन हो या जहां से नदी और नाले निकलते हों वहां विशेषरूप से वन जरूर लगाने चाहिए। मैदानी हिस्सा है तो चारागाहों की जमीन को लेकर और दूसरी जमीन को लेकर वन लगाना चाहिए ताकि पेड़ों का उपयोग हो जाये और उससे वर्षा भी अच्छी हो जाये और गरीबों को लकड़ियां भी जलाने को मिल जायं। पशुओं को भी इससे फायदा हो सकता है। आज भाई नत्थाराम जी कह रहे थे कि बैंकडोर से व्यापार मण्डल को वन विभाग की लड़की काटने का ठेका दिया है।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

वहां स्थिति यह भी है। इसलिए वनों का ठेका हम बड़े बड़े लखपतियों को देते हैं। मेरा निवेदन है कि जहां वन सुरक्षित हों वहां छोटी छोटी जातियों को जिनको हम रोजगार देना चाहते हैं वह चाहे किसी भी जाति के हों, मैं यह नहीं कहता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ही हों लेकिन वह गरीब होने चाहिए और जिनके पास जीवन-यापन करने का साधन नहीं हो ऐसे लोगों को वन के छोटे छोटे हिस्सों को बांटकर ठेका देना चाहिए तब जाकर वह अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। हम बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेका देकर उनको और अधिक लखपति बनाते जा रहे हैं और गरीबों के सामने वही की वही भुखमरी है, ऐसी स्थिति हम पैदा करेंगे तो जिस दिशा में हम देश को ले जाना चाहते हैं, वहां ले जा सकते हैं।

मेरा निवेदन यही है कि हमारे मंत्री महोदय योग्य हैं, यह नहीं है कि मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं लेकिन वास्तविकता का मैं वर्णन कर रहा हूं कि वह योग्य हैं और जब से मंत्री बने हैं तब से हर डिपार्टमेन्ट की गहराई और जड़ तक की सारी स्थिति और परिस्थिति को वह अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा तो उनसे बहुत ज्यादा नजदीक का संबंध है और मैं तो उनके पास बैठकर एक छोटे भाई की तरह शिक्षा ग्रहण करता रहता हूं। मैं जब उनसे नियमों की बातें सुनता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वे इस डिपार्टमेन्ट की सारी बातों को जानते हैं और अन्य डिपार्टमेन्ट की भी सारी बातों को जानते हैं। तो जो डिपार्टमेन्ट उनके पास हैं उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को भी वह अच्छी तरह से समझते हैं। फिर भी इस प्रकार का घोटाला उनके डिपार्टमेंट में हो तो अच्छी चीज नहीं है। इसलिए मेरा उनसे बहुत ज्यादा निवेदन है सारी की सारी स्थिति का सर्वेक्षण करवा कर गरीबों को, किसानों को और अन्य व्यक्तियों को जिस प्रकार से राहत मिल सके वह पहुंचाने की कृपा करें।

यही कहकर मैं अपने विचारों को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र सैनिक।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांगें किसानों से संबंधित मांगें हैं और जमीन और जंगल दोनों का किसानों के साथ अटूट संबंध है। माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं विशेषकर उन माननीय सदस्यों ने, जो देहातों से आते हैं, अपनी पीड़ा कही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपने विचार व्यक्त कीजिये।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : उनसे मिलती जुलती मेरी भी पीड़ा है और समस्या है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री जी स्वयं कृषक हैं और यह महसूस करते हैं कि उनकी जो हृदयस्पर्शी पीड़ा है उसकी तरफ ध्यान दिया जाये और निश्चितरूप से हमें विश्वास है कि ध्यान दिया जायेगा। जिस प्रकार से जन प्रतिनिधि यह महसूस करते हैं कि किसान बड़ा परेशान है। जंगल कट रहे हैं कारण इसमें जनसेवकों का कोई सहयोग नहीं है। आखिर क्यों? इस पर मैंने विचार किया है। मैं अधिक

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

समय दूसरे विषयों पर नहीं लेकर अपने विचार इस पर व्यक्त करूंगा कि इन जन-सेवकों का सहयोग जन प्रतिनिधियों के साथ कितना होना चाहिये। जनसेवकों को लॉयल बनाना है, ईमानदार बनाना है और इन लोगों की मंशाओं पर कुछ कन्ट्रोल करना है। यह लोग सर्विसेज में रहते रहते ही इस प्रकार का अभिनय शुरू कर देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि यह भविष्य में जन प्रति-निधियों का स्थान लेने वाले हैं। तो यह ऐसी पद्धति, ऐसी परम्परा पड़ गई है कि जिसके कारण हम यहां खड़े होकर बार-बार कहते हैं। मुझे याद है, जब मैं यहां अपने साथियों को सुनता रहता हूं कि जनसेवकों और प्रतिनिधियों के अन्दर कोई सहयोग नहीं है और किसानों को किसी प्रकार का कोई भी वैध अधिकार और वैध सुविधायें नहीं मिल रही हैं तो वह मंत्रीजी बैठे हंसते हैं और यहां से ऐसी समझ लेकर जाते हैं। जब जन प्रतिनिधि उनके चैम्बर में मिलते हैं तो निश्चितरूप से उनकी वह बात याद आती है। इस बात को जनसेवक याद रखें तो वह जन प्रतिनिधि वह जनता का आदमी क्या लेकर आयेगा। क्या वह अपनी आशाओं को पूरा कर सकेंगे कि जो कि जनता के हित को लेकर जाता है? इसलिए केवल एक ही बात उनके हृदय से निकलता है कि इन लोगों को नियंत्रित किया जाये। इन लोगों को आजाद नहीं छोड़ा जाये। हम जिन लोगों के लिए यहां आते हैं उनकी आशायें धूमिल हो जायें और उनकी इच्छायें पूरी नहीं हों, उनको रोटी नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले, दवा नहीं मिले, घर नहीं मिले और शिक्षा नहीं मिले तो आखिर एक शिशु पैदा हो चुका है, एक बीस सूत्री बालक पैदा हो चुका है उसके लिए हम सारे हिन्दुस्तानियों को बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। आज वह बच्चा हमारे सामने है। उसको हमने कुछ नहीं दिया और वह हमको सब कुछ देगा। वह आज नंगा है, भूखा है, प्यासा है, अशिक्षित है। इसके साथ ही साथ उसके रहने के लिए कोई साधन नहीं है। इस प्रकार वह हर तरह से पीड़ित है। उसको जवान करना है। उसके बाद ही हम लोगों को उससे आशा बंध सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूं। अब मैं अपने विषय पर आता हूं और आवंटन संबंधी बात को लेता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : क्या अब तक विषय पर नहीं थे?

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : सबसे पहले गरीब आदमी जिसको हम जमीन देने की बात करते हैं वह इतना कमजोर है कि उठ नहीं सकता और अगर उठ भी जाता है तो आगे आकर जमीन नहीं मांग सकता। हमें सबको सहयोग करना है। अब अनेकानेक समस्यायें, उलझन इस जमीन के सम्बन्ध में जब किसानों को देखते हैं तो आती है। सबसे पहले देखना यह है कि अगर बड़ी जोत है, किसी के पास 40-50 बीघा जमीन है तो उसके पास जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं वह जमीन उन्हीं में बांट दी जाये जिससे वह परिवार कम से कम सेटल हो जायें। ऐसा न हो कि उसकी जमीन छीन लें और दूसरे ऐसे आदमी को दे दी जावे जिसको कि कम आवश्यकता है। दूसरा यह है कि जो प्रभारी व्यक्ति हैं जिनके पास

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

फालतू जमीन पड़ी है उनसे गरीब इतने आतंकित हैं, यदि प्रभारी व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत जमीन है, किसान को दे दी है तो भी वह खुद इतना आतंकित है, उसके संस्कार, उसकी सभ्यता और सामाजिक भावना इस प्रकार की ढ़ाली हुई है कि उनकी कदर करनी पड़ती है और वह पहले ही इस्तीफा लाकर देता है कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं काश्त कर सकूं। मैं इसको नहीं जोत सकता। इसी प्रकार से हम जो भूमिहीन हैं, जो माइनर ट्रैसपासर्स हैं उनको बाहर निकालें। जिनके पास में छ: बीघा, पांच बीघा, चार बीघा जमीन है उनको रेगुलेराइज करके खातेदारी राइट दे देना चाहिए। मेरे डेढ़ महीने के अभियान में मैंने अनुभव किया है कि वहां पर पांच पांच अधिकारी बदल गये। पहले ने जैसा आवंटन किया दूसरे ने उसको नहीं किया, तीसरे ने किया उसको चौथे ने नहीं किया। इसलिए इसके साथ साथ यह भी सुझाव है कि जो एस. डी. ओ. और चेयरमैन होते हैं आवंटन कमेटी के वह नहीं बदलने चाहिए और शुरू से अन्त तक रहने चाहिये ताकि कमेटी का तालमेल बैठा रहे और सही आदमियों को जमीन मिल सके। इसके अलावा जो बड़े ट्रैसपासर्स हैं उनकी जमीनें भी ऐसी जमीनें हैं जिनको हम लोगों को नहीं दे सकते। इसका पहले सर्वेक्षण होना चाहिए। जिनके पास आवश्यकता से अधिक जमीन है उनको और जमीन नहीं दें। अक्सर यह होता है कि बिना सर्वेक्षण किये ही, आफिस में बैठे बैठे ही नक्शा बना लिया जाता है, तीन सौ बीघा का चक है, छोटे छोटे प्लाट उसके काट देते हैं और कमेटी अलाटमेंट कर देती है। लेकिन दरअसल में वह भूमि जो अलाट होती है उसमें कहीं पहाड़ हैं, नदी नाले हैं, ऊसर है जिस पर खेती हो नहीं सकती है। इस प्रकार की यहां पर दिक्कतें होती हैं कि किसान कागजों में तो मालिक बन जाता है लेकिन मौके पर मना कर देते हैं। जहां मजदूरी करता था वह भी छूट जाती है और एक प्रकार की समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है, बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है।

इसी प्रकार से जो कमांड और डी-कमाण्ड का प्रश्न है, बड़ा जबरदस्त हैक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक पंचायत में जो कानगो सर्किल होते हैं, उसके कमाण्ड और डी-कमाण्ड के सर्किल के नम्बर मंगाये जायं। ऐसा अक्सर हो जाता है कि अलाटमेंट तो कर देते हैं लेकिन नंबर नहीं मंगाने से खराब जमीन को भी कमांड बता देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए बराबर अनुरोध किया जाता है लेकिन आफिस में बैठने वाले जो जन सेवक होते हैं इस बात को नहीं सुनते। जहां पर इस प्रकार की अवस्था है, जहां पानी मिलने की सम्भावना नहीं है उसको डी-कमाण्ड कर दिया जावे परन्तु ऐसा नहीं करने से बड़ी दिक्कत होती है। जो कमाण्ड डी-कमाण्ड का मसला है इसको हल कर दिया जावे और जो डी-कमाण्ड का प्रीमियम चढ़ जाय उसको वह दे दे। खराब जमीन का प्रीमियम कोई देना नहीं चाहेगा। कागजों में भले ही दिखा दें लेकिन व्यवहार में कोई दे नहीं पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जमीन आवंटन के आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए हैं। आंकड़े बेशुमार दिखाए हैं। पब्लिसिटी तो खूब करा दी गई है, बुकलेट छपवा दी कलेक्टर साहब के यहां से, पेम्प-

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

लेट निकलवा दिये कि इतनी लाख एकड़ भूमि आवंटित कर दी लेकिन क्या कम्परेटिव आउटपुट दे सके ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह तत्काल बूंदी जिले के बारे में जानकारी करावें कि कितने लोगों को आवंटन हुआ है और कब्जा कितने लोगों को मिला है ? कितने लोग स्वेच्छा से त्याग कर चले गये इसका कारण ढूंढ़ा जाय। मैं बूंदी जिले के बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पांच से दस पर्सेंट लोग ही ऐसे मिलेंगे जिनको धरती मिली होगी बाकी 90 पर्सेंट भूमिहीन अभी भी वैसे ही डोल रहे हैं। कागजों में यह हो गया है 'कि इतने हजार आदमियों को इतने लाख एकड़ जमीन दे दी इसको पब्लिसिटी तो बहुत करा दी लेकिन वास्तव में देखा जाय कि कितने लोगों के पास जमीन है।

इसके बाद हमारे बूंदी में वन है। वन सम्पदा एक ऐसी सम्पदा थी जो वहां का धन था। बूंदी प्राकृतिक गोद में बसा हुआ है। आने वाले सैलानी वहां पर देखा करते थे और वहां के किसानों को कोई चिन्ता नहीं थी लेकिन आज बूंदी जिले में वन नाम की कोई चीज नहीं है। भूतपूर्व महाराजा के नाम से अभी थोड़ा जंगल बचा हुआ है जो केवल प्रदर्शन लाभ के लिए रह गया है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा का सारा जंगल कट चुका है। अब तो स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि जंगल तो बहुत थोड़े खड़े है और रखवाले बहुत खड़े हैं। थोड़े से जंगलों की रखवाली करने वाले बहुत खड़े हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की बात है। पहले रखवाली करने वाले कम होते थे और जंगल पूरा रखते थे और अब रखवाली करने वाले ज्यादा हैं और जंगल कम हो रहे हैं। यद्यपि इस बात को मानते हैं कि मानव सृजन प्रकृति के विकास और प्रकृति विकास मानव विसर्जन में है। विश्वात्मा के नियोजन के साथ प्रकृति की रक्षा करना भी आवश्यक है। यद्यपि मानव का स्वभाव है कि वह ज्यादा से ज्यादा उसका उपभोग करना चाहता है। यह मानव स्वभाव है और इसी से जंगल काटे जा रहे हैं। हमको इसका रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन सारे के सारे जंगलों से ही मानव को प्रकृति प्रदत्त साधन उपलब्ध होते हैं। जंगल हमको जल देता है, हमारी जलवायु को ठीक रखता है, लकड़ी देता है, जंगल से ही खाद मिलता है। तीर्थ स्थान भी वहीं पर हैं, सैलानी वहां पर आते हैं, टूरिस्ट पोइन्ट हैं, वे सारे जंगलों में है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : इन सारी चीजों को देखें तो जंगल का मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतः फिर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो आवंटन सम्बन्धी सुझाव मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किये हैं उनको ध्यान में रख कर जिनको आवंटन किया जावे उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका ध्यान रखा जावे और जो वन सम्पदा है उसको बचाना चाहिए। वन बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या 8 और 9 के सम्बन्ध में 23 माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखें। यहां पर यह भी कहा गया कि भूमि सुधारों में राजस्थान देश में पायोनियर है लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड को दुरुस्त रखने में और रखवाली के सम्बन्ध में बहुत पिछड़ गया है। यहां पर यह भी बात कही गई कि जो भूमि का आवंटन होता है वह आवंटन तो हो जाता है लेकिन अलाटी को कब्जा नहीं दिया जाता। यहां पर यह भी बात कही गई कि अभी मालगुजारी या दूसरी तकाबियों या अन्य कर्जों की वसूली हो रही है उस वसूली में कई लोगों को मुर्गा बनाया गया, कइयों को घोड़ा, और कइयों को कुए में खड़ा कर दिया गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। यहां पर यह भी बात कही गई कि ऊपर से लेकर नीचे तक, यानि पटवारी से लेकर ऊपर तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा करप्शन है। यहां पर यह भी कहा गया कि कहीं पर राजस्व मंत्री के नाम से चन्दा भी वसूल होता है। यहां पर यह भी कहा गया कि मुझे कुछ जगहों पर चलना चाहिए ताकि मैं वस्तुस्थिति को देख लूं स्वयं। यहां पर यह बात भी कही गई कि इस पटवारी की हरकत को बन्द करने के लिए ग्राम दान एक्ट भी लागू कर दिया जावे ताकि समस्या का समाधान हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान देश के उन अग्रणी राज्यों में से है जहां बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया है और बिचौलियों का मतलब है लास्ट वेस्टीज रेमनेण्ट्स, एक्स रूलर्स के बतौर। राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड एक्विजिशन आफ एस्टेट एक्ट यह केवल राजाओं की भूमि को एक्वायर करने को सीलिंग का कानून नहीं है बल्कि बिचौलियों को समाप्त करने का कानून है। उसके बाद में कोई भी बिचौलिया नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर 40 लाख से ऊपर खातेदार हैं और छः लाख से ऊपर गैर-खातेदार। यहां पर यह कहना कि राजस्थान में लैंड रिकार्ड्स बहुत कुछ पिछड़ गए हैं सत्य नहीं है। पूरे देश भर के राज्यों में से अधिकांश में सैटलमेंट नहीं हुआ है। सर्वे सैटलमेंट और टेम्प्रेरी सैटलमेंट भी नहीं हुआ है। कर्नाटक स्टेट में खातेदारी दी जा रही है सीलिंग कानून के तहत अब। बिहार में पता भी नहीं है कि मामला क्या है। देश के अन्दर कुछ ही राज्य हैं जहां सैटलमेंट हुआ है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा और पंजाब ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड एरिया में इसलिए सेटलमेंट पहले हो गया था लेकिन राजस्थान एक प्रिंसली स्टेट था। अलग 2 प्रकार के टेन्योर सिस्टम थे और जिस तरह प्रारम्भ से ही किसानों को प्रोटेक्शन देने के लिए, फिक्सेडिटी आफ रेंट था उसके साथ साथ अधिकार देने के बारे में राजस्थान, मैं समझता हूं कि कई मायनों में देश में किसी भी अन्य राज्य से कम नहीं है। आज कहीं अगर बेगलाग किसी वजह से हो गया है और बेगलाग को समाप्त करने के लिए कोई ड्राइव कराया गया है तो वह गैरवाजिब नहीं है। ड्राइव तो पहले भी चल रहा था जब मैं राजस्व मंत्री बना। 21 सूत्री प्रोग्राम 1973 से ही चालू था और भूमि सुधारों में क्रान्ति लाने के लिए 11 मार्च, 75 से अधिक तेजी से ड्राइव चलाया गया, जीपें दी गई और उसके फलस्वरूप राजस्थान में फरवरी के अन्त तक 6,29,625 नामान्तरण स्वीकृत किये

(श्री परसराममदेरणा)

गये हैं। यह अपने आप में एक वर्ल्ड टाइम रिकार्ड है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर यह कहा कि म्युटेशन के अन्दर और कोर्ट डिक्रीज के अन्दर समय लग जाता है। इसलिए मैंने आज ही 6 महीने पहले के आदेश दिये हैं इनहेरिटेन्स के मामले हों, कोर्ट डिक्रीज के हों, वे म्युटेशन स्वतः ही तहसीलदार को करने चाहिये और पंचायत के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि ज्यादा पिछड़ गये थे इसलिए अब किया जा रहा है। लैन्ड रिकार्ड को ठीक तरह से रखना एक जरूरी काम है परन्तु साथ ही बहुत कठिन भी। आज जिस आदमी के पास भूमि है वह कल किसी और को बेच देता है। इसलिए यह कहना कि सब अपटू-डेट हो गया, गलत होगा। परन्तु फिर भी काफी अपटूडेट काम हो गया है। इसलिए इस बात के आदेश दिये जा रहे हैं भविष्य में कोई म्युटेशन बाकी नहीं रहे, इसके लिए बराबर राजस्व अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी। इस बात के आदेश दे दिये हैं और सख्त आदेश दे रहा हूं ताकि बेकलाग खत्म हो। यहां पर यह बात भी माननीय सदस्यों को निवेदन कर देना चाहता हूं, इस एक साल के अन्दर 1-1-75 से 1,65,492 व्यक्तियों को खातेदारी के अधिकार दे दिये गये हैं। इस एक वर्ष के अन्दर, एक साल में 7,15,755 अतिक्रमियों के मामले निपटाये गये हैं और इसी एक वर्ष के अन्दर 48,215 लोगों 90339 एकड़ भूमि के अन्दर जो उनके केसेज रेगुलराइजेशन के लायक थे, केसेज को रेगुलराइज कर दिया गया है।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि मैं ज्यादा समय तक उनके बीच में न खड़ा रहूं। जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, उस समय मैं सोच रहा था और साथ ही साथ ख्यालात मेरे दिमाग में आ रहे थे-कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, कितना समय लेना चाहिये। अक्सर माननीय सदस्य यह शिकायत करते रहते हैं कि मैं अपनी तकरीर को बहुत लम्बा कर देता हूं। आप कह रहे हैं इसलिए इस तकरीर को लम्बा नहीं करना चाहता हूं। मैं अपनी तकरीर को बहुत ही शोर्ट में रखूंगा क्योंकि मैं अपनी आदत में सुधार करना चाहता हूं। वैसे मैं हर माननीय सदस्य के एक एक मुद्दे पर उत्तर देने की तैयारी करता हूं, अब इसको गलत समझ रहा हूं।

राज्य सरकार आदेश दे रही है कि ऐसे मामले जो 91 में चल रहे हैं, एस. डी. ओ. के पास नहीं गये, जो रेगुलराइजेशन के लायक हों उनको रेगुलराइज कर दिया जाये क्योंकि उनकी कई फाइलें हो गई हैं। जैसा सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था एक फाइल एस. डी. ओ. के पास है और तहसीलदार ने भी उसकी दूसरी फाइल खोल दी है। इस प्रकार जो भी फाइल 91 के अन्तर्गत रेगुलराइजेशन की हो फाइल भविष्य में तहसीलदार के पास नहीं जायेगी और एस. डी. ओ. ही कार्यवाही करेगा।

उपाध्यक्ष जी, सीलिंग के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कहीं गई। सीलिंग में जो

(श्री परसराम मदेरणा)

भूमि अधिगृहीत की गई है, सीलिंग में अधिगृहीत करने के बाद में जिस भूमि का कब्जा लिया गया है और कब्जा लेने के बाद जो अलाटमेंट हुआ है उसके आंकड़ों में फर्क है। यह मैं मानता हूं। जो आंकड़े पहले दिये गये थे, वे पूरे नहीं थे। अब यह सूचना मेरे पास आयी है। अब जो भूमि अवाप्त की गई है, वह 5,77,956 एकड़ है। कब्जा लिया गया है 3 लाख 92 हजार 709 एकड़ का। क्षेत्रफल आवंटित किया गया है वह है, 1 लाख 11 हजार 819 एकड़। बेनीफिशियरिज की संख्या 16 हजार 607 है।

अब नई भूमि आवंटित करने का प्रोग्राम है। चूंकि इस विधान सभा का सत्र चल रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों का ऐसा सुझाव था कि वे अलाटमेंट कमेटी के सदस्य हैं, उनकी अनुपस्थिति के अन्दर अलाटमेंट नहीं होना चाहिये। इसलिए राज्य सरकार ने 9 मार्च को वायरलेस के जरिये सभी जिलाधीशों को ऐसे आदेश दिये हैं कि 15 अप्रेल तक आवंटन की कार्यवाही नहीं हो। 15 अप्रेल के बाद में आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जाये। इस आवंटन की कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिये केवल सीलिंग से आई हुई भूमि को ही नहीं, कमांड, अन कमांड एरिया की भूमि, मेजर, मीडियम, माइनर प्रोजेक्ट्स की भूमि, सिवाय चक और दूसरी भूमि भी आवंटित की जा सकती है, मेरी ऐसी मान्यता है और अनुभव है कि 15 अप्रेल की यह जो टार्गेट डेट दी गई है, इस पीरियड में राज्य भर में करीब साढ़े आठ लाख एकड़ के आस पास भूमि का आवंटन किया जायेगा। आवंटन की जो प्रक्रिया है उसको माननीय सदस्यों ने काफी दोषपूर्ण बताया। इसलिए राज्य सरकार यह निर्णय ले रही है कि आगे, भविष्य में कोई भी भू आवंटन पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर नहीं हो और जिस गांव में भूमि है, उसी गांव में जाकर आवंटन होगा। यह भू-आवंटन मजमे आम में होगा। कोई छिप कर नहीं होगा। मेरी माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि हजार काम छोड़ करके आने वाले इस भू-आवंटन के पीरियड में जो भी प्रोग्राम फिक्स किया जाता है, उस निर्धारित कार्यक्रम की हर बैठक में आप सम्मिलित हों और इस काम में साझेदार बनें, नहीं तो जैसा नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे, प्रधान मन्त्री के आर्थिक कार्यक्रम का यह एक बहुत ही मुख्य सूत्र है और इस मुख्य सूत्र में भूमि का आवंटन जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं हो रहा है, जो वास्तव में भूमिहीन हैं, उनको नहीं हो रहा है। तो निश्चिततौर से इस बात के आदेश दिये जा रहे हैं। विधान सभा के सदस्य की राय, आपका डिस्क्रिशन उस गरीब के हक में जाये और आपकी आवाज में इस बार वजन रहेगा, इस आने वाले आवंटन के पीरियड में। यह भी सरकार निर्णय लेने जा रही है इस सम्बन्ध में कि आवंटन होने के बाद में कुछ ऐसे लोग जो कब्जा नहीं देते या आवंटी के खिलाफ मुकदमा या स्टे आर्डर लाकर मामले को उलझा देते हैं—तो ऐसे सभी आवंटियों को कोई लीगल एड देने के सम्बन्ध में भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अलग बातें कहीं।

श्री मोहनराज : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पहले ही एक आदेश दे रखा है कि स्टे ऑर्डर किसी भी प्रकार के जारी न हों सीलिंग के मामलों में, उसी तरह से यह आदेश जारी हो जाय कि अलाटमेंट के बारे में स्टे जारी नहीं होगा उसका निर्णय होने के बाद।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया है। हम किसी भी कोर्ट को कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं। यह आप गलतफहमी में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो वकील हैं।

श्री परसराम मदेरणा : स्टे ऑर्डर के सम्बन्ध में मैं कोई भी आदेश नहीं दे सकता कोर्ट को जुडिशियल मैटर्स में। लेकिन यह तो निश्चित बात सरकार कर सकती है कि ऐसे लोगों को लीगल एड दी जाय, और हियरिंग के संबंध में भी कि ऐसे मामलों में जो दूर दूर पर सुनवाई हो रही है केसेज की वह दूर दूर सुनवाई न होकर तहसील हैड क्वार्टर पर या एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर पर हो ताकि उन केसेज की पैरवी ठीक तौर से की जा सके।

यहां पर सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े दिये। न मालूम कौन से 12 हजार के आंकड़े पढ़ रहे थे। अवैध भूमि के ट्रान्सफर के जो फीगर्स दिये हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की भूमि के ट्रान्सफर्स नान-शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को हो गये हैं, और ऐसे जो मामले पकड़े गये हैं वह 16,666 है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के अन्तर्गत इस प्रकार के ट्रान्सफर इल्लीगल हैं। इस प्रकार के ट्रान्सफर्स इल्लीगल हैं तो यह मामले पकड़े गये हैं, और पकड़ने के बाद में इसी एक्ट की धारा 175 के अन्दर ऐसी एप्लीकेशन दी जाती है और सूट के कम्प्लीट होने के बाद में उसका फैसला होता है। अगर राज्य सरकार के सामने इसके जरिये कोई अड़चन आई तो राज्य सरकार की यह भी तैयारी है ऐसे मामलों के अन्दर क्योंकि यह ट्रान्सफर्स इल्लीगल हैं और जैसा कि सैक्शन 43 के अन्दर इप्सो फैक्टो मोरगेज के अन्दर अगर तीन महीने तक कर्जा न दे तो पैनल आफेन्स बनता है, उसी तरह से पैनल आफेन्स और क्रिमिनल लायबिलिटी ट्रान्सफरी और ट्रांसफरर के ऊपर स्थापित करने के बारे में भी सोचा जा रहा है।

बेदखली की कार्यवाही और ऋण को अवैध करने के कारण मुक्त होने वालों की संख्या 1747 है जिनकी जमीनें रिलीज हुई है, लेकिन नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य एक केस के बारे में कह रहे थे। उसके फेक्ट्स मेरे पास नहीं हैं। दादा ने भूमि गिरवी रख दी थी। गिरवी रखने के बाद ग्राण्ड सन छुड़ाने गया तो संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई। पुलिस वाले कह रहे है कि सुसाइड कर लिया है और आप कह रहे हैं कि मरवा दिया है यह पुलिस की जांच का मामला है, लेकिन फिर भी इसकी जांच के सम्बन्ध में आदेश दूंगा राजस्व अधिकारियों को यह अगर इस तरह का मामला है, और माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी बात करूंगा कि इसकी जांच और इन्वेस्टीगेशन इन्डिपेन्डेन्ट और आनेस्ट आदमी से कराई जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार का इसमें शक न रहे।

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर कुछ सबटिनेन्ट्स के सम्बन्ध में बात कही गई। क्योंकि वह सब-टिनेन्ट्स हैं और उनको खातेदारी नहीं मिली है इसलिए उनकी भूमि लैण्ड होल्डर की सीलिंग में रिज्यूम कर ली गई है और उन्हें महरूम भी कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार सोच रही है, और यदि आवश्यकता हुई तो टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन 19 के अन्तर्गत संशोधन किया जायगा।

यहां पर पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जागीरदारों का तालाब उनकी पर्सनल प्रापर्टी में मान लिया गया है या अजमेर के अन्दर तालाब की पाल उनकी पर्सनल प्रापर्टी में आई है इसलिए काश्तकार उनके तालाब पर नहीं जा सकता, इन दोनों ही प्रकार के मामलों में राज्य सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है और ऐसे केसेज को रिव्यू करने के रेवेन्यू बोर्ड को अख्त्यारात देगी।

यहां पर केसेज के सम्बन्ध में भी कहा गया। केसेज का नॉर्म तय कर रखा है अलग अलग कोर्ट्स का। यहां पर यह कहा गया है कि इतने ज्यादा केसेज हैं कि हमेशा केसेज में एडजर्न होने के बाद फैसले नहीं होते हैं, और फैसले नहीं होने की वजह से कुछ मामलों में किसानों को जल्दी न्याय मिलना चाहिए उस न्याय में बहुत देरी होती है। Justice delayed is justice denied.

टोंक से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इन कोर्ट्स में जो सम्बोधित किया जाता है वह कुछ गैरसत्कार से किया जाता है। यह कुछ ऐसी समाज की सामन्ती परम्परा रही है उनके कुछ अवशेष हो सकते हैं। उन्हें हमेशा सत्कार से बोलना चाहिए और नम्रता के साथ में किसी को सम्बोधित करना चाहिए। आज के युग में ऐसी मान्यताओं को बदलना चाहिए। भारत सरकार के विधि मंत्रीजी ने भी कहा है कि अभी तक हाई कोर्ट्स में जजेज को 'मि लार्ड' कहा जाता है। यह अब नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग इस तरह से करते हों। ऐसी घटनाएं बचपन में मेरे साथ भी बहुत घटी हैं गैर-सत्कार की।

लेकिन केसेज के सम्बन्ध में कहा गया एस. डी. ओ. अभी सीलिंग के काम में लगे हुए हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत केसेज आते हैं, और आज जो नार्म रखा हुआ है उसी के अनुसार यदि वह काम करें, चाहे वह केसेज ज्यादा हों, तो भी इस सम्बन्ध में काफी लम्बा समय लगेगा। इसलिए राज्य सरकार ऐसा सोच रही है कि कुछ ऐसे असिस्टेन्ट कलेक्टर्स की, जिन को एस. डी.-ओ. की पावर्स ट्रान्सफर की जायं, नई पोस्ट्स क्रियेट की जायं जहां ज्यादा केसेज हों ताकि केसेज को जल्दी से निपटाया जा सके। राज्य सरकार अपीलेट आथोरिटी की कुछ नई पोस्ट्स भी क्रियेट कर रही है। अलवर और भरतपुर दोनों को अलग कर दिया है। इसी तरह से बीकानेर जयपुर नं. 2 अपीलेट आथोरिटी हैं गंगानगर, बीकानेर, सीकर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके उनके पास में केसेज हैं सोच रहे हैं कि एक पोस्ट और क्रियेट कर दें ताकि इन केसेज का निपटारा जल्दी से जल्दी हो। उतने ही केसेज लिये जायं जितने केसेज को प्रेसाइडिंग आफिसर डिसपोज ऑफ कर सकें। राज्य सरकार अभी आदेश दे रही है कि एस.डी.ओ.

(श्री परसराम मदेरणा)

अपने क्षेत्र में निश्चित तौर पर और ज्यादा दिन लगाएं लेकिन सोमवार और मंगलवार को निश्चित तौर पर पूरे राज्य भर में एस. डी. ओ. को केसेज लेने पड़ेंगे। वह किसी भी दूसरी जगह पर नहीं जा सकते है। इस प्रकार के भी आदेश दे रहे हैं।

राज्य सरकार यह भी आदेश दे रही हैं कि रेवेन्यू रिकार्ड का बेकलॉग न हो। इसलिए जो मन्थली मीटिंग पटवार और तहसीलदार हेडक्वार्टर पर होती है उस मीटिंग में एस. डी. ओ. निश्चिततौर पर पहुंचे। यह भी आदेश दे रहे हैं कि जनता की ग्रीवान्सेज हों तो वह वक्त पर सुनें। राज्य सरकार इस बात के भी आदेश दे रही है कि कलेक्टर या एडीशनल कलेक्टर हर तीन महीने में एक दफा उस मीटिंग को जाकर अटेन्ड करें और पब्लिक ग्रीवान्सेज को सुनें, और मैं समझता हूं कि जहां कहीं नीचे के अमले की कोई भी कमी हो और आवश्यकता हो तो उसका काग्नीजेन्स लेंगे।

पास-बुक्स के सम्बन्ध में यहां पर एक बात कही गई थी रिकार्ड आफ राइट्स तो बना दिये हैं, लेकिन कितना कर्जा लिया है, कितना नहीं लिया है? यह सैटलमेंट और सर्वे के हमारे जो रूल्स हैं उसमें रिकार्ड आफ राइट्स तो बना दिया लेकिन रिकार्ड आफ राइट का अपटूडेट मेन्टेनेंस है, ऐसा नहीं है। एक माननीय सदस्य यह ठीक कह रहे थे कि इससे वित्तीय संस्थानों को काफी डाउट रहता है। यह बुक किसानों को बांटी गई हैं। राजस्थान में 25 लाख बांटी गई है। इस सम्बन्ध में कानून में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई तो निश्चिततौर से परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाएंगे।

अब मैं कुछ बात जो माननीय सदस्यों ने जनरल बातों के अलावा कुछ बातें कहीं हैं उनके बारे में कहूंगा। इस से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि विभाग में कम्पलसरी रिटायरमेण्ट हुआ है। करीब 44 कर्मचारियों को कम्पलसरीली रिटायर किया गया है। यह बात सही नहीं है। सच यह है कि राजस्व विभाग के 39 तहसीलदारों को, 16 नायब तहसीलदारों को, 3. पी. आर. ए. और अन्य आदमियों के अलावा सबोर्डिनेट सर्विसेज के 134, मिनिस्टीरियल 320, पटवारी और दूसरे ऐसे 486 व्यक्तियों को किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर राजस्व विभाग में 939 कर्मचारियों को कम्पलसरीली रिटायर किया गया है। साथ ही फोरेस्ट डिपार्टमेंट में अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलाकर 1081 हैं। पूरे राज्य में 1906 नान-गजेटेड और 200 गजेटेड रिटायर किये गये हैं। पूरे राज्य भर में रिटायर हुए हैं 2106, इनमें 1081 केवल राजस्व विभाग में हैं जिनका पर्सेंटेज 50 से ऊपर हैं। लेकिन कई बड़े बड़े डिपार्टमेन्ट हैं, नान-प्लान डिपार्टमेन्ट में दूसरे हैं। जब कभी कोई शिकायत आई है तो उस पर एक्शन लिया गया है। आगे भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी कोई शिकायत आयेगी तो निश्चिततौर से दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। अतः म्युटेशन को निकाल लेने के सम्बन्ध में कापी लेने के 10-/ से 200/-रु. की बातें कह रहे थे। इस क्रिया में एक सप्ताह में मैं सुधार लाने की सोच रहा हूं, इसमें

(श्री परसराम मदेरणा)

क्या सुधार किये जायं ताकि किसानों को परेशानी नहीं हो। यहां पर खासतौर से रूरल भूमि के अलाटमेंट की बात कही गई है। हम अभी वह कर रहे हैं। हमने कानून में संशोधन कर दिया है, सीलिंग एक्ट सेक्शन 18 में, खड़ी फसल है तो वह उन्हें लेने दें। यह ऐसा पीरियड है उसमें रबी की फसल काटी जायेगी। जिनमें कोई फसल होगी तो वह उन्हीं को लेने दी जायेगी। मेजर प्रोजेक्ट में हम उन्हें कब्जा नहीं करने देंगे। जहां तक कानून में प्रावधान भूमि के आवंटन का है, इसी समय में किया जायेगा। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने महाराजा करणीसिंह की भूमि के सम्बन्ध में और राय बहादुर रणजीतसिंह के मामले में कहा है। इसके अलावा उन्होंने सरदार रिचबीरसिंह, शेरसिंह की बीबियों के सम्बन्ध में कहा है कि उनकी पांच बीबियां हैं। तलाक होने के बाद अभी भी उनके बच्चों पर बच्चे होते जा रहे हैं, इस बारे में उन्होंने कहा है। महन्त शिवनाथ की जमीन के सीलिंग के सम्बन्ध में जिक्र किया गया है। नारायण सिंह की जमीन के बारे में हाई कोर्ट से स्टे आर्डर आ गया है। महाराजा करणीसिंह की जमीन के बारे में रेवेन्यू बोर्ड से स्थगन आदेश आ गया है। इसीलिये यह भूमि नहीं आ पाई है। आप कोई सूचना देंगे तो उस केस को देख लिया जायेगा। सेठ उगमचन्द के मामले में जिलाधीश से बात का है। उन्होंने सूचित किया है कि रीओपन करने के लिये सीलिंग केस को राज्य सरकार के पास भेज रहे हैं। किसी व्यक्ति के पास सीलिंग से ज्यादा भूमि अगर है तो सीलिंग एक्ट की धारा 15 में, चाहे पुराने कानून में चाहे नये कानून में, अभी काफी समय है दो साल का समय है। पुराने में दो साल का है नये में जिस दिन केस डिसाइड होगा उसी दिन से तीन साल है उससे लिमिटेशन कन्टीन्यू चलता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि दो तीन वर्षों में जो केस रीओपन के आयेंगे सरकार रीओपन करने के वापिस आदेश देगी। यहां पर शाहबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई तहसीलदार शाहबाद के हैं उनके सम्बन्ध में कहा है। महन्तजी बना कर जो केसेज बना दिये हैं, वह गलत है। इस मामले में उन्होंने आवेदन पत्र दिये हैं। मैंने वह कलेक्टर को भेजे हैं। उन्होंने चैक किया है वह पहले से भूमि में था। यह कैन्सिल कैसे हुआ अगर अलॉट नहीं हुआ है तो बहुत पुराने कब्जे हैं कोई रेगूलराइजेशन एप्लीकेशन लेकर आये थे। उसको जांच के लिये भेजा है, लेकिन इस बात की कोई जनरल कम्प्लेन्ट है कि जानबूझ कर केस बनाया गया है। वैसे इस सम्बन्ध में मैं उसकी जांच करवाने का इस सदन में आश्वासन देता हूं। रहा सवाल तहसीलदार के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जायगा। एक जागीरदारी के खुदकाश्त के सम्बन्ध में भी पाबूदानसिंह के केस को लेकर जो बात कही गई, उसके सम्बन्ध में कहना है कि जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट और उसके अन्तर्गत बने हुए रूल्स में क्या किस तरह के आदेश थे और कहां पर उसका वायोलेशन हो रहा है, पूरे एक्ट को देख रहे हैं और आज की बदलती हुई परिस्थितियों में अगर उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो उसमें संशोधन भी किया जायगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर गौड़ के तले के मेघवाल कर बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था इस सम्बन्ध में मैंने आज यहीं विधानसभा सचिवालय के प्रांगण से ही टेलीफोन पर कलेक्टर से बात की है। 20-3-76 को यह स्थिति थी, पटवारी और मृतक के रियल ब्रदर से व उसके लड़कों के बयान लिये गये और मेघवाल जाति के अन्य लोगों के भी बयान लिये गये। उन बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसको मिर्गी आती थी और दमे का रोग था। पटवारी ने स्वयं ने उसको इलाज के लिये बाड़मेर भेजा था। एक्सिडेन्टली कुए में गिरा है। डेढ़ सौ या दो सौ रुपये उसमें बकाया हैं। उसके साथ कोई सख्ती नहीं की गई।

चेतराराम जिसको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं उसने शिकायत की है और अखबारों में भी खबरें छपी हैं। जो मुझको टेलीफोन से सूचना मिली है उन तथ्यों के आधार पर उसने सुसाइड किया है। वसूली हो रही थी उस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं मिला है। कोई प्रमाण आप देंगे तो मैं निश्चित तौर पर पुलिस के माध्यम से इसकी जांच करवा लूंगा। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वसूली के सम्बन्ध में कि जो रोकी गई है राजस्थान में वह केवल उन जगहों में रोकी गई है और उसका लाभ उन कृषकों को मिलेगा जिनके पास बीस एकड़ से कम भूमि है चाहे वह बारानी हो या दूसरी। यह बात सही है। उन्होंने मुझ से अपेक्षा की है कि पूरी शक्ति लगाई जाय नहीं तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी और सफल राजस्व मन्त्री नहीं होऊंगा। इस सम्बन्ध में मैं शक्तिहीन महसूस करता हूं और सख्ती लगाने में मैं असमर्थ हूं, आपकी बात को मंत्रिमण्डल में पहुंचा दूंगा।

यहां पर पार्ला से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जिन लोगों में भू राजस्व की, सरचार्ज की या अन्य प्रकार की बकाया हैं उनकी सूची बनाकर उसको ग्राम सभा में पढ़ना चाहिए। मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत हूं और इस प्रकार के आदेश दे रहा हूं कि जहां जहां मालूम हो, आने वाले समय में अलॉट-मेंट कमेटी जिनकी इस मद में धनराशि बकाया हो उनके नाम माइक्रोफोन पर नहीं बोल सकें तो कोई बात नहीं, बहुत जोर जोर से पढ़कर सुनावें।

सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सांडेराव के सम्बन्ध में जो बात कही, मैं उनके मन की व्यथा को जानता हूं। स्टेग्राईर परपीच्युएटी में रहेगा, एक दफा एब्सोलीट बन गया, वह एब्सोलीट रहेगा। आज हाई-कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन के सम्बन्ध में भी सोचा जा रहा है, और अदालतों की पावर्स के सम्बन्ध में विचार करने की आज आवश्यकता है। जैसी कि राष्ट्र में चर्चा हो रही है कि हिन्दुस्तान के संविधान में भी परिवर्तन करना पड़े तो किया जाय, ताकि परपीच्युएटी में रहने वाले नहीं हों यह मैं आश्वासन दे सकता हूं।

अन्याय करने वालों के सम्बन्ध में, कई समस्याओं के बारे में कहा गया। जो भी कानून हाथ में लिया है अब जो भी ऐसे हैं उन कानून हाथ में लेने वालों के कुछ ही दिन शेष रहे हैं। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आव-श्यक कार्यवाही की जायगी, यह आश्वासन

(श्री परसराम मदेरणा)

दे सकता हूं। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

कुछ लठैतों के सम्बन्ध में खसरा नंबर भी दिया गया 112 से 175 दिया, भूमिहीनों को भूमि आवंटित की गई लेकिन लठैतों ने डराया इसके लिए अब स्वयं कलक्टर को जांच करने के लिये आदेश दे रहा हूं और जांच पूरी हो जानी चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने और भी कई बातें कही लेकिन वे यहां पर नहीं हैं इसलिए जो जनरल बातें थीं वह तो कह दीं।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया कि रेवेन्यू सर्किल पर अलाटमेन्ट कमेटी की मीटिंग जल्दी होनी चाहिए। इसको तहसील या रेवेन्यू सर्किल पर बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि सीलिंग से अवाप्त भूमि और दूसरी भूमि के अलाटमेन्ट के सम्बन्ध में कमेटी तहसील लेवल पर हो। एक ही तहसील में चार रेवेन्यू इन्स्पेक्टरों के सर्किल अलग-अलग हैं और वहां पर कमेटी बनेगी तो टाइम बाउन्ड प्रोग्राम है वह पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए तहसील लेवल पर ही कमेटी होना उपयुक्त रहेगा। जिनके सरचार्ज ज्यादा बन गये हैं उनको अपील में जाना चाहिए। म्युटेशन के सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूं। एग्रीकल्चरल भूमि पर फैक्ट्रीज बन रही हैं उस सम्बन्ध में श्री एस. एम. बोहरा का टेलिग्राम बताया। मैंने जिलाधीश को इसकी जांच करने के लिये कह दिया है। लेकिन यहां पर यह बात भी कही गई, करप्ट पोलिटिशियन्स का डाउट है इसलिए मनी कलेक्ट कर रहे हैं। टेलिग्राम की इबारत पढ़ने के बाद में आपने यह भी कहा कि मेरे नाम से लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं इससे बदनामी होती है। मैं समझता हूं कि मैंने उस टेलिग्राम को कलेक्टर के पास जांच करने के लिये भेज दूं, कुछ लोग दूसरे ग्रुप में चल रहे थे इसलिए पहले तो क्लियरेन्स नहीं दिया लेकिन जो मेरा नाम लेते हैं तो इससे कोई बड़ा फ्रॉड नहीं होगा और इससे ज्यादा सफेद झूठ भी शायद इस दुनिया में नहीं होगा। मैं नहीं समझ सका कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की हिमायत कर भी सकता है क्या? मैं स्वप्न में नहीं सोच सकता। इसलिए यह सब निराधार ही नहीं, असत्य है। अब उस टेलीग्राम को कलेक्टर को जांच के लिए भेजा है। उसकी जांच रिपोर्ट आने पर ही मैं आपको सूचित करूंगा कि टेलिग्राम में वास्तव में कोई तथ्य हैं या निराधार है।

पायलदा और सयालपुरा में जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा और लाड़ी जी के नाम भूमि है। एक तो गलती से रिकार्ड में दर्ज हुई, सात सौ के बजाय सत्रह सौ रख दी गई। इसमें कार्यवाही कर दी जायगी। पूरे फैक्ट मुझे अभी मालूम नहीं हैं।

यहां पर कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी बात कही, वे यहां पर हैं नहीं लेकिन उन्होंने जो भी सुझाव दिये हैं, जिनके ऊपर राज्य सरकार द्वारा गौर करके निर्णय लेने की बात है तो निश्चिततौर पर उसमें कोई कमी नहीं रखी जायगी।

यहां पर एक बात हमेशा कही जाती है, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अन्दर और ऐसे इलाके में जहां लोग अपने स्वयं के मकानात बनाते हैं, वहां मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत जो

(श्री परसराम मदेरणा)

इन्जीनियर और तहसीलदार को पावर दी गई है, उनसे काफी लोग परेशान हैं। यह मेरे ध्यान में लाया गया है। मिनरल कन्सेशन रूल्स में धांधला, कंकर, लाइम स्टोन में माना है। धांधला से मकान बनते हैं और छत और फर्श बनाने के काम में आता है। जल्दी रूल्स में अमेंडमेंट करके इसके सम्बन्ध में कार्यवाही कर देंगे।

अंत में जो भूमि का आवंटन हो रहा है, इस सम्बन्ध में आदेश दे रहा हूं कि जिन पाठशालाओं में बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउन्ड नहीं हैं, जिस भूमि को आवंटित किया जा रहा है, उस भूमि में से जहां कहीं भी प्ले ग्राउन्ड की आवश्यकता है उस प्ले ग्राउन्ड के लिए रिजर्व करके भूमि का आवंटन किया जायगा क्योंकि अब इसके बाद भूमि बचना मुश्किल है।

श्री सम्पतराम : स्कूल के नाम होना चाहिए। नहीं तो फिर मुश्किल होगी।

श्री परसराम मदेरणा : स्कूल के नाम रिजर्व का मतलब यह है, जहां स्कूल में आवश्यकता है, जहां आलरेडी प्ले ग्राउन्ड नहीं है उसके लिये रिजर्व करने की आवश्यकता है। अब समय ऐसा आगया है कि बंजर भूमि है वह भी अलाट हो चुकी है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। कई तहसील में चरागाह के लिए भी सिफारिश कर दी है। फिर जमीन कौनसी बचेगी जो प्ले ग्राउन्ड के लिए अलाट की जाय? इसलिए मैं समझता हूं कि यह राज्य के हित में है और आवश्यक भी है।

इन शब्दों के साथ में मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि भूमि आवंटन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है। यह तभी सफल हो सकता है जब आप सक्रिय होकर और आने वाले समय में अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग में कहीं भी अनुपस्थित न रह कर निश्चितरूप से अपने उत्तरदायित्व का पालन करेंगे इससे बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं और प्रधान मन्त्री के कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सक्रिय मदद आप दें।

जब मैं मांग संख्या 9 पर ··

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) One at a time.

श्री देवीलाल : चरागाह की जमीन निकालने के लिए ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भेजे हैं, उन पर विचार होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : यहां नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं। उन्होंने अजमेर, अर्स्टव्हाइल स्टेट में जो खालसा विस्वेदारी है, वहां सैटलमेंट हुआ, वह सैटलमेंट 1940-41 में हुआ, 52 में नहीं ··

श्री शंकरसिंह रावत : 52 में जागीरदारी का हुआ, 1941-42 में खालसा का हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी जगह इस्तमरारदारी एरिया था, वह सैटलमेंट 41 में हुआ था। इस सम्बन्ध में एक बहुत अर्से पहले आपने मुझ से 9-5-75 को क्वेश्चन भी पूछा था, उसका उत्तर भी सदन में दिया था। कुछ 91 के केसेज बने, लोगों को बहुत परेशानी हुई। उसमें भी संशोधन करने के लिए जो कमेटी बैठी थी, रेवेन्यू

(श्री परसराम मदेरणा)

बोर्ड के चेयरमैन की चेअरमैनशिप में, उसने भी सिफारिश की, उसके अनुसार भी संशोधन का कार्य प्रारम्भ किया गया और भू-संशोधन का कार्य प्रारम्भ होने के बाद में जिस जिलाधीश के लैटर रेफरेन्स की बात कह रहे हैं, रेट 25 पर्सेन्ट हो जायगा, 25-3-75 को। तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने दिया था, उससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि एक आदेश से रेंट के बारे में फैसला लेकर फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत कलेक्टर को पावर कन्फर की गई। लेकिन लॉ डिपार्टमेंट ने ओपिनियन दी कि लैंड रेवेन्यू का रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते। यह ठीक नहीं है। आप कह रहे है, लैंड का रेशनलाइजेशन मत कीजिये, उससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ और बड़ा भी हो सकता है। कारण यह है कि विश्वेदार और खेवटदार थे इन्टरमीडियरीज के अबालिशन पर 40 परसेन्ट देना पड़ा। जिन काश्तकारों से लेकर खेवटदार दे रहे थे, तो बिचौलियों का रह गया चालीस परसेन्ट। दूसरे एक बहुत लम्बा चौड़ा रिप्रजेन्टेशन मेम्बर आफ पार्लियामेंट को दिया था। उस को मैं एक्जामिन करवा रहा हूं। एक्जामिन करने पर तथ्य आ सकते हैं उनको रेंट रेट के रिवीजन के समय ध्यान में रखा जायगा।

श्री सज्जन सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : करणसिंह की जमीन है, वह सीधी 2 आपके भू-स्वामियों के कानून के अन्तर्गत अवाप्त होती है। तो उस कानून के तहत अवाप्त क्यों नहीं की गई है। 25 के 25 मुरब्बे का बाग है, बोनाफाइड बाग है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स रूलर के एस्टेट एक्वायर करने का कानून है, उसके तहत यह अवाप्त हो सकती है। जहां तक रणजीत सिंह, नारायणसिंह का केस है, किसी लेवल पर प्रेस आउट नहीं किया न एस. डी. एम. लेवल पर, न कलेक्टर के लेवल पर और डाइरेक्टली हाई कोर्ट में केस चला गया।

श्री उपाध्यक्ष : यह कानून की बात है।

श्री सज्जन सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह दो केसेज का घोटाला बहुत से एम. एल. एज. ने रखा। और श्योदत्त का घोटाला भी रेफर किया था।

श्री सज्जन सिंह : एक आर. ए. एस. अधिकारी जिसका नाम लेकर दूजाना खसरा नम्बर बतलाया। उसकी लम्बी चौड़ी जांच करवा ली। उसको लेकर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। इस विषय पर माननीय राजस्व मन्त्री ने कुछ नहीं फर्माया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, राज्य सरकार उस अधिकारी को प्रोटेक्ट करती है या सरकार का उसके विरुद्ध कोई एक्शन लेने का इरादा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) No more question आप तशरीफ रखिये। आप तशरीफ रखिये। बैठिये। Not allowed.

श्री परसराम मदेरणा : करणसिंह के केस के फैक्ट क्या है, लेकिन लैंड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन आफ लैंड आफ स्टेट ओनर एक्ट के नीचे सारे एक्स रूलर्स की प्रापर्टी नहीं ली जा सकती। अब रेवेन्यू बोर्ड में

(श्री परसराम मदेरणा)

किस मुद्दे पर गया है। इसकी जानकारी नहीं है। 25 मुरब्बा जमीन है, पर्सनल कल्टीवेशन है। यह सूचना नहीं है। मैं आफ हैंड रिप्लाई नहीं दे सकता। दुजाना वाले से सम्बन्धित आर.ए. एस. अधिकारी का प्रश्न है। मैंने जांच के लिए डिप्टी सेक्रेटरी को भेजा था। जांच करली है। मेरे विभाग में इन्क्वायरी रिपोर्ट को एक्जामिन कर लिया गया है और एक दो रोज में मेरे सामने प्रस्तुत होने वाला है। जहां तक राजस्व विभाग का प्रश्न है स्टेट लेवल पर, आल इन्डिया सर्विस के खिलाफ एक्शन लेने की बात डिपार्टमेंट आफ पर्सनल करता है। राजस्व विभाग द्वारा किसी को कोई प्राटेक्ट करने का प्रश्न नहीं है, न छुपाया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं वन विभाग की मांग संख्या 9 के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा....

एक माननीय सदस्य : कमांड के सम्बन्ध में ?

श्री परसराम मदेरणा : कमांड के सम्बन्ध में मैं परसों कह चुका हूं, उस समय आप अनुपस्थित थे। वनों की आवश्यकता के बारे में दो राय नहीं। ईकालोजीकल बैलेन्स होना चाहिये। उसके साथ साथ राजस्थान में कहीं में जल स्रोतों के संरक्षण में और बाढ़ की रोकथाम में और जिस द्रुत गति से नगरीकरण और औद्योगीकरण हो रहा है, वहां इसका बड़ा योगदान है। वनों के मल्टी फंक्शन्स है। जो भारत सरकार ने फारेस्ट की नेशनल पोलिसी 1951 में निर्धारित की थी उसमें सभी राज्यों को आदेश दिये हैं कि वनों के अन्दर 33 परसेन्ट याने वन-थर्ड इलाका होना चाहिए। राजस्थान में 11 प्रतिशत थे और वह भी घट कर 10।। प्रतिशत हो गई। जो नई नीति निर्धारित की है उसमें भी इसी बात का उल्लेख है कि पूरे देश में 1/3 हिस्सा फारेस्ट में लाना चाहिए। फारेस्ट्स का वितरण इक्विटेबल और राशनल तरीके से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह राष्ट्र के लिए और आने वाली पीढ़ी के हित में भी नहीं है। परसेन्टेज डिमिनिश नहीं होनी चाहिए और वनों का डी फोरस्टेशन नहीं किया जाना चाहिए। डीफोरस्टेशन किया जाता है और बहुत आवश्यक हुआ तो ऐसी अभी भी पोलिसी है लेकिन लेजिस्लेचर की अनुमति से ऐसा किया जाय, सरकार के हाथ में नहीं रहना चाहिए। इस बैकग्राउन्ड को लेकर मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि वनों के जो मल्टीपल फंक्शन्स हैं उत्पादन के लिए, सोश्यल बेनीफिट के लिए, खेती और टिम्बर के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए, जड़ी बूंटी दवाइयों के लिए। इसके अलावा बहुत से पेपर मिल्स हैं उनमें भी टिम्बर काम आता है, मकान बनाने के काम आता है, इसलिए फारेस्ट्स को फर्दर डिमिनिश नहीं होने दिया जाना चाहिए। राजस्थान में जितने जंगल बच गए हैं, जंगलों का जो ह्रास व क्षति हुई, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मकानों के लिए टिम्बर, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी लेने के लिए, खेती के लिए आवश्यक लकड़ी लेने के लिए और खास तौर से मवेशियों को फ्री चराने की क्योंकि बहुत ज्यादा कन्जेशन है, आबादी बढ़ गई, इसलिए वनों की क्षति हुई है और आगे भी क्षति बढ़ती चली जा रही है। इसलिए

(श्री परसराम मदेरणा)

राज्य सरकार सोच रही है कि चराई के सम्बन्ध में भी पुनर्विचार किया जाय। कुछ मामलों को लेकर हमने जो वनों में प्रोड्यूस हैं उसको ठेके पर दे दिया है। एक पेड़ की छाल होती है जो टैनरी के काम में आती है। बहुत से उद्योगों के लिए यह रॉ मैटीरियल देते हैं। हमने कमेटी बनाई है कि आया इसका भी नेशनलाइजेशन किया जाए। यदि हां, तो कैसे किया जाए ? लेकिन उससे पूर्व 1968 में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि टिम्बर और चारकोल का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए उसके बाद हमने निर्णय लिया कि कत्था, बांस और तेन्दू का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए लेकिन तेन्दू का जो राष्ट्रीयकरण हुआ उस सम्बन्ध में कानून दिसम्बर, 1973 में बना और मार्च, 1974 में सदन में बिल लाया गया। 1974 में मैंने सदन में कहा था कि तेन्दू के पत्ते से जो आमदनी होगी, वह मैं आशा करता हूं कि 34 लाख रुपए के आस पास होगी।

यहां पर सुमेरपुर के माननीय सदस्य और झुन्झुनू से आने वाली माननीय सदस्या ने आंकड़े दिये उस संबंध में मैं बाद में जाना चाहूंगा लेकिन जहां नेशनलाइज हुआ है डिपार्टमेंटल वर्किंग मेजर प्रोड्यूस का हो रहा है—टिम्बर और कोल उसे आप देखेंगे जो प्रगति विवरण प्रस्तुत किया है, बड़े ठेकेदारों से जो काम कराए जाते थे और आज जंगलों में फेलिंग विभाग के मारफत किया जाता है, उस एरिया में बहुत कमी आई है। एरिया के साथ साथ साइंटिफिक लाइन्स पर भी जंगल काटे जाते हैं। प्लांटेशन के सम्बन्ध में भी एक प्रोग्राम बनाया जाता है और काटने से पहले किस कूप की कटाई होगी उसका वर्किंग प्लान होगा और योजनाबद्ध तरीके से काटे जाते हैं। जितने जंगल काटे, यह वन सम्पदा नष्ट भी हुई उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ लेकिन पेड़ लगाने चाहिये और बराबर मेच्योर होते चले जाते हैं, इसका ध्यान रखा जाए। इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए और करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि वनों का ह्रास हो रहा है इसलिये वृक्षारोपण के सम्बन्ध में और जो जंगल कट रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिये। ऐसा दिखता है कि वनों के कटने में नीचे के जंगलात के कर्मचारियों का कॉल्यूजन है और उस कॉल्यूजन को रोका जाना चाहिये। यह भी कहा गया कि डी. एफ. ओ. के खिलाफ पिछले साल एलीगेशन लगा इस सदन में। एलीगेशन के बाद भी उसकी जांच नहीं कराई गई। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ट्रांजिट पास के बारे में निर्णय लिया गया कि राजस्थान के कुछ इलाके में बहुत बड़ी संख्या में बबूल और खेजड़ा कटकर बाहर जा रहा था और फारेस्ट एक्ट में प्रावधान है। यह नहीं है कि जो कुछ किया गया, उसके लिये एग्जीक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन्स हैं लेकिन फारेस्ट के बाहर जो ट्रीज हैं, वे फोरेस्ट के समझे जायेंगे। पहले जो प्रक्रिया थी, उसके अनुसार ट्रांजिट पास की आवश्यकता नहीं थी। माननीय सदस्यों ने ट्रांजिट पास के सम्बन्ध में बहुत बातें कहीं। बाड़मेर, पाली व निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने टी. पी. के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। इसलिए मैं समझता हूं, इस प्रकार ट्रांजिट पास के बारे में भ्रष्टाचार की बातें कही हैं। आज जो लोग एक दो गाड़ी ट्रक्स

(श्री परसराम मदेरणा)

को एन्ट्री करवाते हैं और बाकी गाड़ियों की एन्ट्री नहीं होती तो इस सारी गड़बड़ी को देखकर राज्य सरकार ने इस ट्रान्जिट पास सिस्टम का एबोलिश करने के लिये निर्णय लिया है। और इसके लिये पहले ए. सी. एफ. ग्रोज. की पोस्ट्स का निर्माण किया गया था। लेकिन जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ी की है, किन किन अधिकारियों की हाई हैंडेडनैस रही उसके बारे में मैं जानकारी कर रहा हूं और जिन जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ी की है उनके खिलाफ में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। यह बात सही है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार आगे भी होने का खतरा बना हुआ है इसलिये भविष्य में अब ट्रान्जिट पास की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि आज कुछ लोग जंगल शहरों और कस्बों के पास लगा रहे हैं जिससे वातावरण दूषित हो रहा है। और इन्हें वहां पर नहीं रखा जाना चाहिये। लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि हमें शहरों के पास भी जंगल रखने चाहिये और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी जंगल शहरों के पास लगाये जाने चाहिये। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में ऐसा है। आज भी दिल्ली के आस पास आप देखिये कि बड़े घने जंगल लगे हुए हैं। इससे कई लाभ हुए हैं। इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी कह देना चाहता हूं कि वेस्टर्न कन्ट्रीज में बड़े बड़े शहरों के आसपास जंगलों की बहुत ज्यादा व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं हमारे यह समाजवादी देश हैं उनमें शहरों के आसपास बहुत घने पेड़ लगाये हुए हैं। वैसे पेड़ कोई चोर तो नहीं हैं कि जो कुछ चोर के ले जायेंगे। हमारे देश में जंगलों की रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है और सरकार भी इन जंगलों की रक्षा करना चाहती है। लेकिन जितनी जागृति हमारे मन में जंगलों की रक्षा करने की होनी चाहिये उतनी जागृति अभी हमारे देश में जंगलों की रक्षा के बारे में है नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सन् 1973 के कांग्रेस सेशन में यह कहा था कि हमें वनों की रक्षा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिये और हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिये। हर व्यक्ति को पेड़ लगाने चाहियें।

इसके साथ साथ मैं यहां पर यह भी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि विदेशों में वनों की रक्षा के लिए और वनों के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि वाइल्ड लाइफ क्या है और पेड़ पौधे क्या हैं और उनसे हमें क्या लाभ हो सकता है। इस लिए अपने यहां भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों में वनों के बारे में रुचि बढ़े। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के युवा नेता श्री संजय गांधी ने भी यह कहा कि हिन्दुस्तान की जनता को चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगायें। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़

(श्री परसराम मदेरणा)

लगाये जायं और पिछले साल करीब 25 लाख पेड़ लगाये गये थे। और इस वर्ष 25 लाख से भी ज्यादा पेड़ों के लगाने की योजना है।

इसके अलावा जो बात है आज फोरेस्ट्स का डिग्रेडेशन हो रहा है उसके बारे में भी कहा गया अभी जब फोरेस्ट की मांग विधान सभा में आने वाली थी तो मैंने मंत्री मण्डल की बैठक में इस बारे में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिये तथा वन महोत्सव आदि के बारे में विचार विमर्श किया। और उसमें मैंने 25 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने की योजना के बारे में तय करवाया। इसके लिए सम्बन्धित विभाग को आदेश दे दिये गये हैं और सी. सी. एफ. साहब इस बारे में तय कर लेंगे तथा कहां 2 नर्सरी लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इनके छोटे छोटे पौधे मार्च में लगा दिये जायेंगे ताकि बरसात की मौसम में वह पौधे पूरी तरह तैयार हो जावें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां राजस्थान के अन्दर कुछ रिजर्व फोरेस्ट और कुछ प्रोटेक्टेड फोरेस्ट भी हैं। इस साल इन फोरेस्ट्स से करीब 4 करोड़ 99 लाख रुपये की रेवेन्यू हुई है। यह रेवेन्यू सन् 70-71 के मुकाबले 232 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में वनों के विकास के लिये करीब 17 करोड़ 12 लाख रुपये की धनराशि रखने का प्रावधान किया है। इसके अलावा कुछ सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजनाओं के तहत तीन योजनायें 168 लाख की बना कर भारत सरकार को भेजी है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डिग्रेडेड फोरेस्टेशन का सवाल है उनको रीहैबिलिटेट करने के लिए काफी धनराशि के खर्चे की आवश्यकता होती है उतने राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने वनों के विकास के लिए एक निगम बनाने का फैसला किया है। इस कोर्पोरेशन को कैसे बनाया जाय उसके लिए हैड आफ डिपार्टमेंट वन विभाग ने उसका प्रारूप क्या हो सेक्रेटेरियट में भेज दिया है, जिससे कि उसको कानूनी रूप दिया जा सके। और यहां पर कोरपोरेशन की स्थापना की जा सके। कुछ माननीय सदस्यों ने वनों की जो भूमि है तथा और टोटल भूमि है उसका लैण्ड यूटिलाइजेशन के सर्वे के बारे में भी बात की। यह मामला बहुत बड़ा है इसमें कल्चरेबल और अन-कल्चरेबल जमीन कितनी है फिर उसमें कितनी जमीन को जंगलों के लिए छोड़ी जाय कितनी जमीन में खेती की जाय तथा चरागाह वगैरह के लिए कितनी जमीन रखी जाय, के बारे में बात की। यह मामला बहुत बड़ा है और मैं उनके इस सुझाव को मानने में असमर्थ हूं। यहां पर माननीय सदस्यों को मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन पांच छः सालों में करीब 33 हजार हैक्टर भूमि वनों की है जो कि रिलीज कृषि परपजेज और दूसरे काम के लिए की गई है। इससे प्रदेश में वनों की हालत काफी दयनीय हो गई है। अब हमने प्लान्टेशन करने की योजना बनाई है लेकिन इसमें समय लगेगा। वैसे यहां पर नग्न पहाड़ियां हैं उस में भी प्लान्टेशन में समय लगेगा पेड़ लगाते ही तो बड़े नहीं हो जाते हैं। इसलिए राज्य

(श्री परसराम मदेरणा)

सरकार अब वन भूमि को रिलीज करने में काफी सतर्कता बरतेगी। वैसे राष्ट्रीय नीति के हिसाब से राज्य में वन भूमि 60 प्रतिशत होनी चाहिए। इस बात का हमारे 1952 में जो वनों के बारे में नेशनल कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें ऐसा विचार था। इसके अलावा बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहरोड़ की वन भूमि के बारे में यहां पर कहा था। उसके लिए मेरा यही जवाब है कि यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। हालांकि बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं फिर भी सदन की जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूं। इसके अलावा अलवर जिले के बारे में वनों के बारे में मुद्दे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे सदस्यों ने उठाये। इसमें यह है कि माननीय सदस्य खुद चेअरमैन हैं वह खुद समझ सकते हैं वैसे शहरों के पास भूमि पर ज्यादा घने वन होने चाहिएं। इसके अलावा दूसरा मुद्दा अलवर जिले के बारे में बहरोड़ वाला मामला है उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया कि इस मामले को राज्य सरकार को रेफरेन्स किया हुआ है। और यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। अब आने वाले समय में जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया विजिलेन्स की मशीनरी को टाइट करना चाहिये और जो इस प्रकार के करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ रूथलैस एक्शन लिया जाना चाहिए मैं इस बात से सहमत हूं। इसलिये राज्य सरकार यह निर्णय ले रही है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट में विजिलैंस स्क्वेंड जो पहले था, जिसको डन विथ अवे कर दिया गया है उसको वापिस कर दिया जाय और जहां कहीं करप्शन की शिकायत आये सरप्राइज चैकिंग किया जाय। हैड आफ दी डिपार्टमेंट के पास स्क्वैड होना चाहिए ताकि कोई भी शिकायत आये तो उसकी जांच हो सके।

यहां पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हिरण, जो शिड्यूल वन में है वह प्रोटेक्टेड में है, शिकार नहीं कर सकते हैं। चिन्कारा शिड्यूल तीन के चार में है और राज्य सरकार को यह पावर्स हैं कि किसी भी शिड्यूल में संशोधन कर सकती है। हालांकि यह भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है लेकिन राज्य सरकार किसी भी वाइल्ड लाइफ के सम्बन्ध में चेन्ज कर सकती है, क्योंकि यह सुझाव दिया गया है कि हिरण या जिसे चिन्कारा कहते हैं ज्यादा संख्या में है और इसलिये क्योंकि शिड्यूल वन में नहीं हैं हालांकि राजस्थान में हमने निर्णय ले रखा है कि महावीर जयन्ती के समय में साल भर के लिये डिक्लेरेशन किया था कि शिकार नहीं कर सकते हैं अब और कर दिया है। चिन्कारा का शिकार हो नहीं सकता है। जब लिमिटेशन का पीरियड निकल जायगा तब शिकार हो सकता है। इसलिये हम शिड्यूल तीन से एक में डाल रहे हैं।

यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने तेन्दू पत्तों के बारे में बात कही। झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े दिये हैं कम्परेटिव आंकड़े कि किस सर्किल में क्या क्या हुआ है और यह बताने की चेष्टा की है कि कोटा सर्किल में तेन्दू पत्तों से आमदनी दूसरे सर्किल से ज्यादा हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि पंचायत को आमदनी उन्हें नहीं मिली और सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी तेन्दू पत्ते के राष्ट्रीय-

(श्री परसराम मदेरणा)

करण के संबंध में मध्य प्रदेश का उल्लेख करते हुये किसी गफले का जिक्र किया और उसी प्रकार झुंझनूं से आने वाले माननीय सदस्या ने तेन्दू पत्तों के संबंध में मध्य प्रदेश का जिक्र किया, उसका तो स्वागत किया लेकिन उन्होंने ऐसा एस्टीमेट किया है कि ढ़ाई और तीन करोड़ की आय होनी चाहिये, ऐसी बात कही। तेन्दू पत्तें के सम्बन्ध में यह बात सही है। जो 12 लाख का एवरेज आ रहा है वह 63-64 के बाद लेते हैं तो 12 लाख का है लेकिन 1972-73 से। झुंझनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि 27 लाख की आमदनी, वह न होकर 23 लाख 94 हजार की हुई जब ठेके पर दी गई थी और 73-74 में 26 लाख 91 हजार की आमदनी हुई। 71-72 में 35 लाख 23 हजार की आमदनी हुई। उसके पहले 11 लाख 32 हजार उसके बाद 7 लाख, फिर 6 लाख, फिर चार लाख और कुछ हजार। इस तरह से ऐवरेज 12 लाख का आ रहा है। अब यहां पर यह बात कही गई कि तेन्दू पत्तों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद में जो 1974 से हुआ है तेन्दू पत्तों का सीजन अप्रेल से जून तक का है, उसमें बताया गया आमदनी 12 लाख है। कुछ आंकड़े हमने कहीं दिये हैं। एक साल में 12 लाख की बिक्री हुई थी, बाकी माल सरकारी गोदामों में पड़ा हुआ था। उदयपुर और कुछ जगह पड़ा था ठेकेदारों ने बिड नहीं दिया और इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं पहले साल में मध्य प्रदेश भी फेल्योर रहा है लेकिन हम पहले साल में फेल्योर नहीं रहे। जो बाकी स्टाक पड़ा था उसको बेच दिया और उसके बेचने के बाद में अब हमारे पास में जो पत्ता डेटियोरेट हो गया था, उसको भी बेच दिया और अब 5 लाख का पत्ता मौजूद है। और उसको इन्क्लूड करते हैं तो 36 लाख 34 हजार की शुद्ध आय हुई है 74 में 12 लाख की नहीं, 36 लाख 34 हजार की जो इनकम आई है, डिपार्टमेंट ऐसा एस्टीमेट करके चल रहा हैं और जैसा मैंने सदन में कहा है 34 लाख की हम उम्मीद करते थे उससे दो लाख ज्यादा हुई है तो यह कहना मध्य प्रदेश में ज्यादा हुई है, वहां जंगल ज्यादा हैं और 8 करोड़ की आमदनी हो रही है। लेकिन उड़ीसा में इसको केन्दू कहते है और इस केन्दू की राजनीति वहां कई खेल लाई है। इस पर सरयू प्रसाद कमीशन बैठा था। मिनिस्टर मिस-कन्डक्ट में मैंने पढ़ा है तो माननीय सदस्य तसल्ली रखें राजस्थान का वन मंत्री किसी भी तेन्दू और केन्दू की राजनीति में फंसने वाला नहीं है। यहां पर झुंझनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने भी कहा-दामन साफ करने की बात कही और ऊपर से नीचे तक कही, इसके पीछे बेईमानी हैं और राजस्व मंत्री को अपना दामन साफ करना चाहिये।

तेन्दू पत्तों के बारे में हमारे पास शिकायतें आई हैं, जो रिट पिटीशन में गये हुये हैं, हमने सब मामले एन्टीकरप्शन को दे रखे हैं। जैसी मुझे रात को जानकारी मिली है, जिन लोगों ने रिट पिटीशन की और जिनके ऊपर पेनेल्टी इम्पोज की गई है। रेड हैन्डेड पकड़े जाते हैं और पेनल्टी इम्पोज होती है। कोटा की शिकायतें मेरे पास ज्यादा आई हैं जुलाई में शिकायत आई थी, उसके बाद कई बार शिकायतें आई हैं। तीन-चार ठेकेदार हैं ये वहां भी ब्लेक लिस्ट हो चुके हैं। जब

(श्री परसराम मदेरणा)

इनकी मेरे पास शिकायत आई तो मैंने सोचा बहुत बड़ा करप्शन है। मैंने दो डिप्टीसेक्रे- टरी ग्राइ. ए. एस. लेवल के इमीजियेटली वहां भेज दिये हैं जो सारे मामले को सुनेंगे। जिस भूमि की वे बात कर रहे हैं वास्तव में वह है नहीं। पैसा मांग रहे हैं, पैसा लेना चाहते थे। एन्टीकरप्शन ने इस संबंध में बयान लिये हैं। सब जगह यही बात की है कि हमसे पैसा मांग रहे थे और क्योंकि एन्टीकरप्शन इस बात से सीज्ड है, कोई भी राज्य का अधिकारी, कन्जरवेटर ऑफ फॉरेस्ट, डिप्टी कन्जरवेटर, डी. एफ. ओ. और नीचे के अधिकारी करप्ट हैं, यह बात साबित होगी तो दोषी को दंड दिया जावेगा। लेकिन मनी स्क्वीज की गयी यह यह नहीं कह रहे हैं, वह तो कह रहे हैं कि पैनल्टी इम्पोज की गयी वह नियमों के अनु- सार कम होनी चाहिये। पत्ते पकड़ लिये गये, टार्गेट पर पेनल्टी इम्पोज कर दी वह नहीं होनी चाहिये। एंटी करप्शन को बयान में ठेकेदार ने कहा है कि पत्ते जा रहे हैं। तेन्दू पत्ते के बारे में राजनीति चल रही है यह कहा गया। उसके बारे में यही कहना है कि ठेकेदार जितनी बात कह रहा है उतनी बात सही नहीं है। किसी ने करप्शन किया तो उसको बख्शा नहीं जावेगा। टेक्निकल हैड की इसमें कोई आवश्यकता पड़ी तो किसी टेक्नि- कल आदमी को लेकर इसका पूरा अनुसंधान करके कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामगोपाल : आपने फर्माया यह बात सही है। मेन्यूपुलेट किया है। बांभा का अधिकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : बारां वन मंडल के संबंध में शिकायत थी वह एन्टी करप्शन को दे दी गयी है। हुण्डी की बात कही। कलेक्टर को इन्क्वायरी आफिसर नियुक्ति किया था उससे विथड्रॉ करके इसको एन्टी करप्शन को दे दिया गया है। पांच कम्प्लेन्ट थी। एक चीफ मिनिस्टर साहब के पास आयी। एन्टी करप्शन को दे दी हैं। कोई प्रोटेक्शन, नरमी नहीं बरती जावेगी।

श्री रामगोपाल: मेरा यह निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामगोपाल : बारां वन अधिकारी द्वारा ठेकेदार को संरक्षण दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले सुन लीजिये। तेंदू पत्ता कुछ ज्यादा हावी है।

श्री परसराम मदेरणा : बारां रेंज में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तेंदू पत्ते जहां कलेक्ट हो रहे थे वह कुछ कहा, 74 की बात 75 की बात की लेकिन यह कहा जाना कि ऊपर से लेकर नीचे तक अमाउन्ट पहुँचाया जा रहा था, यह बात कही गयी थी, यह सफेद झूठ है। मेरे पास कोई शिकायत नहीं आयी। हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट, सेक्रेटरी के बारे में कोई शिकायत नहीं आयी। वे उनके पास पहुँचे। यह शिकायत नहीं आयी नीचे के अधिकारियों के लिये शिकायत आयी कि रुपया मांगा और पेनल्टी लगा दी। जुलाई में यह आयी। पेनल्टी इम्पोज कर दी। हाईकोर्ट के सामने मैटर आ जावेगा। एन्टी करप्शन जांच कर रहा है। नीचे से ऊपर तक जनरल रूप से इस तरह की बात कह देना यह सफेद टोपी लगायी है इसलिये

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं कि यह गांधी की टोपी है। यह साफ नहीं है तो किसी का दामन साफ नहीं हो सकता। ठेकेदार के आने के बाद में पांच मिनिट भी नहीं लगे होंगे मैंने कहा कि सेक्रेटरी के पास चले जाओ। यह कहा कि रुपया हमसे मांगा गया, दिया नहीं। ऊपर तक कहां पहुँच गया ?

जहां तक तेंदू पत्ते के सम्बन्ध में आमदनी का प्रश्न है यह कहा गया कि 12 लाख की आमदनी हुई। जब कि 36 लाख 34 हजार की हुई है जैसा कि झुंझनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि 24 लाख हुई। 41 लाख की एस्टीमेटेड थी। ठेकेदार शिकायत कर रहे हैं, पंचायतों में ठेकेदार थे, पंचायतों के दस वर्ष की आमदनी की बात कह रहे थे। पास में जंगल था। काफी पंचायतों में ठेकेदार थे। कुछ ब्लेक लिस्टेड थे मध्यप्रदेश में। आप निश्चित रहिये। मैं आदेश दे रहा हूं कि आने वाले सीजन में तेंदू पत्ते का सलेक्शन, प्रोक्शन, कलेक्ट करने के लिये विजिलेन्स स्क्वेड लगा रहा हूं ताकि हरएक जगह इसको देखा जा सके। इन शब्दों में आगे के प्रोग्राम के विषय में मैं जिक्र करना उचित नहीं समझता और ज्यादा समय सदन का लेना नहीं चाहता। मेरे उत्तर के बाद में आप मांग को पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,66,93,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है, कि मांग संख्या 9 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,90, 21,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 1976 के 11 म.पू.तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.10 बजे, मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 1976 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

ता. प्र. सं. 245 की सूची

गत तीन वर्षों में मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय, जयपुर में जिलेवार दाखिल हुए रोगियों का विवरण

क.सं.	जिले का नाम	वयस्क	अवयस्क 1973	योग	वयस्क	अवयस्क 1974	योग	वयस्क	अवयस्क 1975	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	जयपुर	400	122	522	501	140	641	497	90	597
2.	सवाई माधोपुर	140	41	161	150	25	175	140	20	160
3.	अलवर	89	40	129	140	25	165	146	10	156
4.	सीकर	90	9	99	106	20	126	60	15	75
5.	कोटा	68	44	112	102	20	122	80	14	94
6.	झुन्झुनू	55	22	77	88	12	100	50	12	62
7.	झालावाड़	39	2	41	50	7	57	78	12	90
8.	नागौर	79	—	79	50	23	73	66	—	66
9.	भरतपुर	100	14	114	130	13	143	75	1	76
10.	अजमेर	50	10	60	40	10	56	54	10	64
11.	बूंदी	55	10	65	80	7	87	70	8	78
12.	गंगानगर	10	8	18	20	3	23	25	5	30
13.	चूरू	50	3	53	55	—	55	45	—	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	टोंक	50	9	59	79	—	79	39	3	42
15.	पाली	9	6	15	22	—	22	40	—	40
16.	भीलवाड़ा	36	—	36	30	—	30	33	—	33
17.	जोधपुर	7	—	7	6	—	6	12	9	21
18.	बीकानेर	5	—	5	6	—	6	9	—	9
19.	उदयपुर	2	—	2	—	—	—	8	—	8
20.	चित्तौड़गढ़	19	—	19	20	—	20	20	—	20
21.	बांसवाड़ा	1	—	1	—	—	—	2	—	2
22.	जालोर	10	—	10	7	—	7	9	—	9
23.	अन्य	93	10	103	55	15	70	88	11	99
	योग	1457	330	1787	1737	320	2057	1646	220	1866

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गए तारांकित प्रश्नोत्तर

हरिजनों के लिए योजना

253. श्री ओंकारलाल चौहान (उग) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार हरिजनों (शिड्यूल्ड कास्ट्स) के लिए कोई डेवलपमेंट प्लान बनाने की योजना सोच रहा है ?

(2) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में हरिजनों (शिड्यूल्ड कास्ट्स) के लिए डवलपमेंट प्लान प्रत्येक पंचवर्षीय योजना काल के लिए बनाई जाती हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल के लिये भी अनुसूचित जाति विकास हेतु योजना बनाई जा चुकी है।

(2) पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए अनुसूचित जाति के विकास हेतु योजना बनाई जा चुकी है।

अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत चूरू जिले में व्यय की गई राशि

254. श्री लूणाराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल राहत के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में चूरू जिले में प्रभावित लोगों को रोजगार देने के लिये क्या क्या कार्य किन किन दिनांकों में आरम्भ किये और उन पर अब तक क्या क्या खर्च किया गया तथा क्या क्या कार्य हुआ ? कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे समस्त कार्य यकायक दिनांक 12-7-75 से 14-7 75 के बीच मजदूरों की पूरी संख्या काम पर लगे हुए होते हुए भी बन्द कर दिये गये और यकायक मजदूर बेकार हो गये ?

(3) यदि हां, तो कार्य बन्द किए जाने की तिथि को कार्यवार कितने कितने मजदूर कार्य पर थे ?

(4) उक्त कार्यवाही किस अधिकारी द्वारा किस नीयत से की गई जब कि सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं था ?

(5) क्या इस प्रकार मजदूरों के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(2) यह सही नहीं है। परन्तु केवल मिट्टी के कार्य बरसात होने से बन्द किए गये थे।

(3) कार्यवार श्रमिकों की संख्या विवरण सूची के कॉलम 4 में दी गई है।

(4) कार्यवाही नियमानुसार की गई है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

चूरू जिले में कराये गये राहत कार्यों का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 12-7-75 से 14-7-75 श्रमिकों की सं०	कुल व्यय हुई राशि (लाखों में)	कराये गये कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	छापर रेल्वे स्टेशन से छापर राजलदेसर लाघसर सड़क	16- 4-75	304	1.10	इन कार्यों पर मिट्टी का काम, खाम पर धांधला का काम व सड़क पर धांधला एकत्रित करने का काम एवं सड़क पर धांधला कुटाई का कार्य किया गया है।
2.	लालगढ़ - कातर	,,	196	1.34	
3.	चूरू राजगढ़	,,	106	5.08	
4.	बिग्गा गांव से बिग्गा रेल्वे स्टेशन	,,	62	0.39	
5.	सिद्धमुख राजगढ़	,,	278	1.29	
6.	चूरू जयपुर वाया रतननगर	,,	187	1.76	
7.	चूरू झुंझुनू	,,	85	1.22	
8.	रतन नगर देपालसर	,,	89	0.53	
9.	चूरू रतनगढ़ (पटरी सुधार कार्य)	,,	209	4.65	
10.	रतनगढ़ सुजानगढ़ सालासर पटरी सुधार कार्य	,,	370	3.35	
11.	डूंगरगढ़ सरदारशहर (पटरी सुधार कार्य)	,,	105	1.13	
12.	सरदारशहर कालू सड़क (पटरी सुधार कार्य)	,,	316	1.91	
13.	साहवा तारानगर (टीबा हटाने का कार्य)	,,	664	1.66	
14.	मोमासर लाछड़सर	1- 5-75	907	0.58	
15.	सुजानगढ़ लालगढ़ जिला	25- 4-75	987	5.91	
16.	डूंगरगढ़ उनियारा	11- 5-75	430	0.57	
17.	सेहल्या से कातर	11- 5-75	151	0.23	
18.	राजगढ़ सांखू	20- 5-75	304	0.69	
19.	मसीना मगरासर	28- 5-75	401	0.13	
20.	बीदासर जोरावरपुरा	28- 5-75	295	0.25	
21.	बिग्गा से तोलियासर वाया लिखमीसर	,,	280	0.22	

(2027)

1	2	3	4	5	6
22.	ढुकरियासर से भोमासर सड़क	28-5-75	250	0.24	
23.	बरजांगसर से सजासर	,,	—	0.34	
24.	भोजूसर उपाध्यान से मालासर वाया रूपलीसर	,,	102	0.11	
25.	देरासर से गोपालसर वाया रूपलीसर	,,	225	0.29	
26.	कुसमदेसर कनवारीसालासर	,,	91	0.13	
27.	पड़िहारा से कनवारी	,,	74	0.01	
28.	एप्रोच रोड से गुल्लिया सुजानगढ़	,,	97	0.07	
29.	एप्रोच रोड से भीमासर (सुजानगढ़ सालासर)	,,	—	—	
30.	अप्रोच रोड़ तेनदेसर से सेठू	,,	104	0.23	
31.	मालेरी से साहुवा	,,	122	0.17	
32.	खारिया खिवरासर	,,	325	1.46	
33.	भानीपुरा महाजन	,,	—	0.43	
34.	भानीपुरा सोमासर	,,	—	1.67	
35.	सरदारशहर नोहर	,,	210	0.58	
36.	एप्रोच सड़क राष्ट्रीय मार्ग से रतनगढ़	,,	60	1.27	
37.	राजलदेसर पड़िहारा	,,	481	1.12	
38.	गोरीसर दाऊदसर	,,	216	0.62	
39.	लढ़ासर से सरदारशहर रतनगढ़ सड़क एप्रोच	,,	71	0.02	
40.	मोजासर का गढ़	,,	399	0.72	
41.	चूरू मालेरी सड़क पटरी सुधार कार्य	,,	60	0.50	
42.	चूरू तारानगर (सहजूसर आनन्द पोतपुरा चलकोई)	1-5-75	331	0.77	
43.	हमीरवास रामपुरा सड़क तहसील राजगढ़ (नया कार्य)	,,		0.05	
44.	बेरासर मंडेला सड़क तहसील रतनगढ़ नया कार्य	,,	—	0.14	

मण्डोर में देवी-देवताओं की मूर्ति

256. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या मंत्री, पुरातत्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि मारवाड़ के इतिहास के अनुसार मण्डोर में देवी-देवताओं की पत्थर की मूर्तियों में नं. 8 की मूर्ति जाम्भोजी महाराज की स्थित थी ? अगर हां, तो वह मूर्ति दूसरी मूर्तियों के साथ किस वर्ष में खोदी गई थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि अब नं. 8 मूर्ति मण्डोर में दूसरी बताई जाती है एवं उस जाम्भोजी की मूर्ति का मौके पर रद्दोबदल कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब व किसके द्वारा यह रद्दोबदल किया गया है ? ऐसा करने के क्या कारण थे ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त मामले की उच्चस्तरीय जांच विभाग द्वारा किए जाने का आश्वासन दिया गया था ? अगर हां, तो कब ? अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ? भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मूर्ति में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ है।

(3) आश्वासन की जानकारी उपलब्ध नहीं है। जांच अवश्य कराई गई थी जिसके अनुसार कोई रद्दोबदल नहीं पाया गया।

जयपुर नगर विकास अधिकरण

257. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जयपुर नगर के विकास के लिए अधिकरण का गठन कब तक हो जायेगा ?

(2) अधिकरण का स्वरूप व कार्यक्षेत्र क्या होगा ?

(3) क्या अधिकरण के गठन के पश्चात् निकट भविष्य में जयपुर में नगर निगम बनाये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ?

(4) गठित किया जाने वाला अधिकरण जयपुर नगर का समुचित विकास किस कार्यपद्धति के आधार पर कर सकेगा ?

उत्तर

(1 व 2) जयपुर नगर के विकास के लिए अधिकरण के गठन स्वरूप व कार्यक्षेत्र का मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन ही है।

(3) जयपुर में नगर निगम बनाने का मामला अलग से विचाराधीन है।

(4) यह अधिकरण जयपुर नगर का विकास उसमें प्राविधित व्यवस्था के अनुरूप ही करेगा।

अलवर बस स्टेण्ड पर यात्रियों को असुविधा

258. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम, अलवर के बस स्टेण्ड पर कोई बाथरूम या पेशाबघर की व्यवस्था नहीं है, जिससे आस पास गन्दगी रहती है व सड़क खुदी हुई है जिसमें पानी भरे रहने के कारण आने जाने वालों को बड़ी परेशानी रहती है ? यदि हां, तो इन असुविधाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य परिवहन निगम के अलवर स्थित बस स्टेण्ड पर शौचालय एवं पेशाबघर स्थित हैं। यह सत्य है कि सड़क टूटी होने से आने जाने वालों को कठिनाई रहती है। सड़क को ठीक करवा दिया जावेगा तथा शौचालय की भी मरम्मत करवा दी जावेगी।

शिक्षण संस्थाओं को एडहॉक ग्रान्ट

259. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1973-74 और 1974-75 में जिन जिन शिक्षण संस्थाओं को एडहॉक ग्रान्ट-इन-एड दी गई उनकी पूर्ण सूची मय दी गई धनराशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन सिद्धान्तों के आधार पर उपरोक्त धनराशि आवन्टित की गई, उनका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

(3) वित्तीय वर्ष 1975-76 में किन सिद्धान्तों के आधार पर 'एडहॉक ग्रान्ट-इन-एड' दी गई या दी जायगी ?

(4) क्या यह सत्य है कि सुमेर हायर सैकण्डरी स्कूल, जोधपुर को शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. 29 (44) शिक्षा-5 (73), दिनांक 29-6-73 द्वारा 50,000/- रुपये का तदर्थ अनुदान दो किश्तों यानि मार्च, 1974 में 25,000/-रु. एवं मार्च, 1975 में 25,000/- रु. देने की स्वीकृति दी थी उसके विरुद्ध केवल 5,0007-रुपये मार्च, 1974 में एवं 5,000/-रु. मार्च, 1974 में दिये और 40,000/-रु. अब तक शेष रहे ?

(5) क्या कारण है कि लाखों रुपये की 'एडहॉक ग्रान्ट-इन-एड' बाद में स्वीकार कर अन्य संस्थाओं को दी गई परन्तु उपरोक्त शाला को पूर्व स्वीकृत ग्रान्ट न देकर सरकार ने अपना वचन पूरा नहीं किया ?

(6) उपरोक्त शाला की बकाया रु. 40,000/-का तदर्थ अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) संस्था की आवश्यकता तथा उसका कार्य देखकर दी गई।

(3) यदि एडहॉक ग्रान्ट दी गई तो उपयुक्त सिद्धान्तों के आधार पर दी जावेगी।

(4) जी हां, । राज्य सरकार ने अभी तक 15,000/- रुपये की राशि दी है।

(शिक्षा मंत्री)

(5) वित्तीय संकोच के कारण ऐसा नहीं हो सका।

(6) वित्तीय स्थिति ठीक होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत रतेवाला के सरपंच के विरुद्ध दर्ज मामला

260. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) श्री बन्सीलाल, ग्राम पंचायत रतेवाला (8, 9 बी.बी.) तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर के विरुद्ध चक 12 बी. बी. की 12 हजार ईंटे व रतेवाला राजकीय पाठशाला के चार बड़े गारडर खुर्द-बुर्द करने के आरोप में थाना पुलिस पदमपुर में एफ.आइ.आर. नं. 49, दिनांक 21-7-72 को मुकदमा दर्ज किया जाकर श्री बन्सीलाल को गिरफ्तार किया गया था जिसका चालान 1976 की फरवरी में किया गया ? यदि हां, तो चालान इतने विलम्ब से किये जाने का क्या कारण है ?

(ख) क्या यह सच है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति पदमपुर ने एक झूठी रिपोर्ट पेश की थी जिसके कारण इस चालान में देरी हुई ?

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री बन्सी लाल आज भी सरपंच का कार्य कर रहा है ? उसे सस्पेन्ड नहीं किया गया और न ही विकास अधिकारी, पंचायत समिति पदमपुर जिसने गलत रिपोर्ट की थी, के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? यह कार्यवाही अब कब तक की जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी हां, चालान की स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुलिस अनुसंधान पत्रावली के अभाव में विलम्ब हुआ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरपंच को निलम्बित किया जा चुका है। विकास अधिकारी द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटा में उद्योगों के लिए लाइसेन्स

261. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले पांच वर्षों में कोटा में कौन कौन से बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेन्स दिए गए और कौन कौन से स्थापित हो चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों कोटा में कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ है ?

(3) औद्योगीकरण की इस धीमी अथवा ठहरी हुई प्रगति के क्या कारण हैं ? और राज्य सरकार इस समस्या के निवारण हेतु क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) कोटा में पिछले पांच वर्षों में बड़े उद्योगों को स्थापित किये जाने हेतु दिये गये लाइसेन्सों की ब्योरेवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) कोटा में औद्योगीकरण की गति सन्तोषप्रद है।

LIST OF INDUSTRIAL LICENCES ISSUED DURING 1971-75 FOR KOTA

S. No.	Name	Location	Dated	Mfg. Items	Capacity	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. J.K. Synthetics Ltd., Kota F.2 (19) Ind/I/70.	Kota.	23.5.72	Polyster staple Fibre	450 Tons p. a.	Imple-mented
2.	M/s Shriram Chemicals Ind., Kota F.2 (16) Ind/I/70.	Kota.	11.1.72	Expansion of 1. Ammonia 2. Uria		Imple-mented
3.	M/s. J.K. Synthetic Ltd., J.K. House, J. Bara Khamba Rd., New Delhi. F.2 (79) Ind/I/63.	Kota.	1.1.73	Nylon Eliment yarn		Imple-mented
4.	M/s. Shriram Chemical Ind. Naaz Building, Jhandewalan, New Delhi. F.2 (19) Ind/I/73.	Kota.	30.4.74	Calcium Carbide	23,300 Tons.	Imple-mented
5.	M/s Dewan Ltd; 24, Barakhamba Rd. New Delhi. F.2 (43) Ind./I/73.	Kota.	21.6.74	M. S. Ingots		Ad. Stage.
6.	M/s Prabhai Steel P. Ltd., 190, Civil Lines (North) Muzaffar Nagar.	Kota.	21.6.74	M. S. Ingots.		Ad. Stage.
7.	M/s. Rajasthan State Industrial Development Corp. Ltd., Jaipur. F.2 (64) Ind/I/74.	Kota.	29.6.74	Calcium Carbide	14,850 Tons p. a.	Not Imple-mentation.
8.	M/s. Sanghi Motors (P) Ltd., 39-A, Mughes Road, Bombay.	Kota.	17.11.71	Oxygen & Acetylene		Imple-mented

1	2	3	4	5	6	7
9.	M/s. Oriental Power Cables, Kota.	Kota.	29.7.71	ACSR/AAC conductors		Imple-mented.
10.	M/s. J.K. Synthetics Ltd., Kota.	Kota.	15.3.72	Polyster Fila-ment Yarn 360 T. P. A.		Imple-mented
11.	M/s. D.C.&. Gen. Mills Ltd., New Delhi.	Kota.	21.2.73	Rayan tyre yarn fabrics 2320 T.P.A.		Imple-mented
12.	M/s. Sh. A.K. Bagla, N.33 Panchsila Park, New Delhi.	Kota.	29.1.75	Pulp Paper & Paper Board 6000 T. P. A.		Not imple-mentation
13.	M/s. Sanavi Motors (Bombay) Pvt. Ltd., Kota Mugha Road, Bom-bay-7.	Kota.	14.4.75	Nitrogen Gas.		Imple-mented
14.	M/s. Industrial Oxygen Ltd., AG/A6/A-41 Cannaught Palace, New Delhi.	Kota.	24.1.75	Writing & Prin-ting Paper.		Pre. Stage.
15.	M/s. J.K. Synthetics, Kota.	Kota.	9.9.74	Nylon tyre yarn		Imple-mented

रतनगढ़-छापर मार्ग पर यात्रियों को परेशानी

262. श्री रावतराम आर्य (छापर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार के ध्यान में यह बार बार लाया गया है कि रतनगढ़ और छापर (जिला चूरू) के बीच में रोडवेज की गाड़ी नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर अभी तक क्यों नहीं कार्यवाही की ?

(2) जयपुर एवं चूरू के बीच में कितनी गाड़ियां चलती हैं और इनमें उपबन्धित कितनी हैं और किसकी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर चूरू मार्ग पर चलने वाली उपबन्धित गाड़ियां घटिया दर्जे की हैं जिनमें यात्रियों को बैठने तक की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है ?

(4) क्या सरकार इन घटिया गाड़ियों को उक्त रास्ते से हटाकर अच्छी कन्डीशन की गाड़ियाँ चलाने का विचार रखती है ?

उत्तर।

(1) वर्तमान में इस मार्ग पर निजी वाहनें चल रही हैं। निगम ने इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना प्रकाशित कर दी है। योजना के अनुमोदित होने पर मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर लिया जायेगा।

(2) जयपुर चूरू मार्ग पर वर्तमान में 7 वाहनों से 4 अप व 4 डाउन सेवायें संचालित की जा रही हैं। ये सातों वाहनें अनुबन्धित हैं। वाहनें जिन व्यक्तियों की हैं उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर-चूरू मार्ग पर चल रही वाहनों के मालिकों की सूची:—

1. आर.आर.एल. 7117 : श्री बृज बिहारी माथुर
2. आर.जे.एल. 4415 : श्री लतीफ मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद
3. डी. एल. वी. 5260 : श्री मैसर्स अशोक ट्रैवलर्स
4. डी. एल. पी. 5202 - श्री मैसर्स अशोक ट्रैवलर्स
5. आर.आर.एम. 8121 : श्री भगवानदास अग्रवाल
6. आर.आर.एल. 2971 : श्री हरिमोहन यादव
7. आर. जे. एल. 9551 : श्री महेन्द्रसिंह

अटरू के थानेदार के विरुद्ध शिकायतों की जांच

263. श्री रामचरण (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अटरू के थानेदार के खिलाफ 5-6 माह पूर्व आप से अटरू क्षेत्र का एक डेप्यूटेशन मिला था, जिन्होंने शपथ-पत्र सहित शिकायत की पत्रिका पेश की थी ? अगर हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि अभी भी उस थानेदार को ड्यूटी पर लगा रखा है ? यदि हां, तो किस थाने में ?

(श्री रामचरण)

(3) गम्भीर शिकायतों की जांच कराने का क्या प्रोसीजर है जिससे जांच सही हो सके ? इस थानेदार की जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। इन शिकायतों पर जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

(2) जी हां। थाना कनवास पर लगाया गया है।

(3) गम्भीर शिकायतों की जांच राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के नियम 16 के अनुसार की जाती है। जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी. आइ. डी. द्वारा की जा रही है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

264. श्री मोहनराज (बाली) : क्या चिकित्सा-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के बावजूद भी जन्म दर में पिछले वर्षों लगातार वृद्धि हुई है ? कृपया पिछले 3 वर्षों के आंकड़े जन्म व मृत्यु दर के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या विभाग ने इस बात की जांच करवाई है कि बावजूद इतने खर्च व प्रयत्नों के वांछित फल क्यों नहीं मिले ?

(3) इस कार्यक्रम की सफलता हेतु राज्य सरकार क्या क्या कदम उठाने का विचार रखती है ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित सन् 1971 72 एवं 73 के जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े राजस्थान में इस प्रकार है :—

वर्ष	जन्म दर प्रति हजार	मृत्यु दर प्रति हजार
1971	42-4	15-6
1972	42-4	16-8
1973	38-1	16-1

सन् 1974 एवं 1975 के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए है।

(2) जी हां। प्रदेश की 80% जनता अशिक्षित होने व आवागमन के साधनों की कमी एवं अभी भी इस कार्यक्रम को आमतौर पर स्वेच्छा से अपनाने की मनोवृत्ति का अभाव है किन्तु गत तीन वर्षों में प्रगति उत्साहवर्द्धक रही है।

(3) विस्तृत जानकारी की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

वर्ष 1975-76 में कार्य की गति बढ़ाने हेतु निम्न प्रयास किये गये हैं :—

1. प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस बात पर जोर दिया है कि परिवार नियोजन द्वारा बढ़ती आबादी पर नियन्त्रण करना बहुत आवश्यक है। इस मंशा का पत्र उन्होंने समस्त लोक सभा सदस्य, विधान सभा सदस्य, प्रधान एवं सरपंचों को सम्बोधित किया है।

2. मुख्य मन्त्री ने समस्त संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, प्रधान और सरपंचों को पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें ताकि यह कार्यक्रम जन कार्यक्रम (पिपुल्स प्रोग्राम) का रूप धारण कर ले।

3. स्वास्थ्य मन्त्री, द्वारा जन प्रतिनिधियों से परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने एवं जन जागृति लाने हेतु समय समय पर अपीलें की हैं। मन्त्री महोदय द्वारा उनको सक्रिय सहयोग के लिये भी जोर दिया है।

4. मुख्य सचिव, महोदय ने सारे जिलाधीशों को परिवार नियोजन कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देने के लिये पत्र लिखे हैं। इसके अन्तर्गत जिलाधीशों के मार्ग दर्शन में पंचायत समिति कार्यकर्ता के लिये विशेष कार्य योजनायें एवं क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं।

5. स्वास्थ्य सचिव महोदय, के निरन्तर प्रयासों द्वारा विभिन्न विभागों जैसे स्थानीय निकाय, राजस्व, पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग, पुलिस एवं जेल विभाग, आयुर्वेद विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण (बी० एण्ड आर०) विभाग, सहकारी एवं अन्य विभागों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने भी इस कार्यक्रम के प्रेरणात्मक कार्य में सहयोग देना आरम्भ कर दिया है।

6. बहुत से जिलों में जिला परिषद् एवं पंचायत समितियां इस कार्यक्रम को बढ़ा देने के लिये नई दिशा प्रदान कर रही हैं। पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग द्वारा समस्त पंचायत समितियों को रुपये 2000/- तक की राशि परिवार नियोजन सम्बन्धी शिविरों के आयोजन हेतु खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

7. स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषदों तथा सहकारी विभाग ने सहकारी समितियों को उनके कर्मचारियों द्वारा नसबन्दी कराने पर, विशेष प्रोत्साहन देने के आदेश प्रसारित किये हैं।

8. अब परिवार नियोजन कार्यक्रम को अन्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत रूप से चलाया जा रहा है। परिवार नियोजन की सेवायें अन्य

सेवाओं जैसे मातृ एवं शिशु कल्याण एवं इम्युनाइजेशन आदि के साथ दी जा रही हैं। जैसा कि डिप्थेरिया, पर्टूसिस एवं टिटेनस आदि के टीके लगाने, कमजोर शिशु एवं माताओं को विटामिन 'डी' एवं आवरण फोलिक एसिड आदि की दवायें वितरण करने के कार्य।

9. मेडिकल टरमीनेशन आफ प्रेगनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत अधिकाधिक संस्थाओं एवं डाक्टरों का पंजीकरण किया गया है। मेडीकल टरमीनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी करने के लिये 57 संस्थाओं को अधिक से अधिक सहयोग एवं कार्य सामग्री प्रदान की गई है।

10. बहुत सी औद्योगिक संस्थाओं द्वारा (सार्वजनिक व निजी) अपने कर्मचारियों को नकद एवं वेतन सहित अवकाश आदि सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

11. कुछ अन्य राज्यों में जैसा कि हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब एवं देहली प्रशासन आदि ने परिवार नियोजन को अनिवार्य रूप से अपनाने के बारे में कदम उठाये हैं। राजस्थान सरकार भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने का विचार कर रही है।

12. विभिन्न विभागों के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वालों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के आदेश प्रसारित किये हैं; वे निम्नानुसार हैं :—

(1) पंचायत समितियां :—प्रत्येक पंचायत समिति को इस कार्यक्रम के लिये अपने वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर हर वर्ष 2,000/- रुपया व्यय करने के आदेश प्रसारित किये हैं।

(2) नगर पालिका :—नगर पालिका के कर्मचारियों को नसबन्दी कराने पर अतिरिक्त धनराशि के रूप में 50/- रुपये दिये जावेंगे।

(3) पुलिस एवं जेल विभाग :—जेल विभाग ने कैदियों को 15 दिवस की छूट एवं 5 दिन का विश्राम देने की घोषणा की है। तथा जेल विभाग के कर्मचारियों को नसबन्दी कराने पर 30 रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जावेगी।

(4) सहकारिता विभाग :—विभाग ने अपने कर्मचारियों को नसबन्दी कराने पर रुपये 25/- अतिरिक्त दिये जावेंगे।

(5) सार्वजनिक निर्माण एवं पथ विभाग :—विभाग के समस्त श्रमिकों को 25/- रुपये अतिरिक्त धनराशि कल्याण कोष में से दी जावेगी।

मीरपुर एवं जोजपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का रजिस्टेशन

265. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल में आने के लिये श्री शिवनाथसिंह व श्री माधोसिंह ने मीरपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति व जोलपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के नाम से दो फर्जी सहकारी समितियां रजिस्टर्ड करवाई थी ? यदि हां, तो इन्हें अभी तक भंग क्यों नहीं किया गया ?

(2) मीरपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति व जोलपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में कुल कितने कितने सदस्य हैं तथा कितना वर्किंग कैपिटल है ? और कितनी भैंस व कितनी गायें है ? विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखें। जिसमें यह भी बतायें कि सोसायटी रजिस्टर्ड होने के बाद प्रतिवर्ष कितना दुग्ध का उत्पादन हुआ, कितना बिक्री हुआ और कितना मुनाफा रहा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ! मीरपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को निष्क्रिय होने के कारण से दिनांक 18-12-75 को अवसायन में लाया जा चुका है तथा जोलपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को भी अवसायन में लाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची बाबत मीरपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति व जोलपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जिला सिरोही

क्रम सं०	नाम समिति	सदस्य संख्या	वर्किंग कैपीटल	संख्या गाय भैंस	दुग्ध उत्पादन में बिक्री	मुनाफा
1	2	3	4	5	6	7
1.	मीरपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति	18	156-75	नहीं है	शून्य	शून्य
2.	जोलपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति	15	165-00	नहीं है	शून्य	शून्य

राजस्थान नहर की अनूपगढ़ एवं पूगल शाखाओं से पानी बिजली की व्यवस्था

266. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की मूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अनूपगढ़ एवं पूगल शाखाओं से पन-विद्युत् उत्पादन हेतु प्रावधान रखा गया था ? अगर हां, तो दोनों शाखाओं से कितनी कितनी बिजली उत्पादन का लक्ष्य था तथा राज्य सरकार अब इस सम्बन्ध में क्या इरादा रखती है ?

उत्तर

राजस्थान नहर की चालू प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अनूपगढ़ एवं पूगल शाखाओं पर पन-विद्युत उत्पादन हेतु संभावनायें व्यक्त की गई थी। इस विषय में मंडल अनूपगढ़ एवं पूगल शाखाओं पर आवश्यक अनुसंधान कर रहा है। उसकी समाप्ति पर ही मालूम हो सकेगा कि कितना विद्युत् उत्पादन आर्थिक व तकनीकी दृष्टि से साध्य हो सकेगा। मंडल द्वारा प्रारम्भिक जांच से यह मालूम हुआ है कि पूगल शाखाओं पर पन-विद्युत उत्पादन आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं रहेगा।

थाना सदर जयपुर में दर्ज चोरी का मामला

267. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15-5-1973 को पंचायत श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बगरूवालान (रजि. ट्रस्ट) स्टेशन रोड, जयपुर में चोरी हो गई थी जिसकी रिपोर्ट थाना सदर में दर्ज रजिस्टर में करादी गई थी ? अगर हां, तो इसमें माल की बरामदगी के विषय में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस मन्दिर में हुई चोरी का पता लगाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चोरी में गई सिर्फ तिजोरी बरामद होकर थाना सदर के माल गोदाम में रख दी गयी है लेकिन बाकी चोरी गए हुए माल की बरामदगी चोरी में लिप्त व्यक्तियों के अनुचित प्रभाव में आकर बचाने के लिए नहीं की जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त चोरी के मामले में केन्द्र सरकार का एक मुलाजिम लिप्त है और माननीय मुख्य मन्त्री के आश्वासनों के बावजूद भी इस मामले में एफ. आइ. आर. दे दी गयी है और इस सार्वजनिक मन्दिर में हुई चोरी के मामले को दबा दिया गया है ?

उत्तर

(1) श्री चिरंजीलाल लुहाड़िया, मन्त्री, पंचायत मन्दिर, दिगम्बर जैन बगरूवालान स्टेशन रोड, जयपुर ने इस मन्दिर में चोरी होने बाबत एक अन्तर्देशीय-पत्र डाक द्वारा भेजा था। जिसकी थाना सदर पर 18-5-73 को प्राप्त होने पर मुकदमा नं.82 दिनांक 18-5-73 धारा 380 आइ. पी. सी. पंजिबद्ध हुआ। तफतीश पर पुलिस के सामने किसी भी चीज के चोरी जाने की बात प्रमाणित नहीं हुई। अतः माल की बरामदगी का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(गृह-मंत्री)

(2) जी नहीं। तिजोरी का चोरी जाना तफतीश से नहीं पाया गया। तिजोरी को वजह सबूत कब्जे पुलिस में लिया गया है। जब मन्दिर में चोरी ही नहीं हुई तो चोरी गये माल की बरामदगी व चोरी में लिप्त व्यक्तियों के अनुचित प्रभाव में आकर बचाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) श्री चिरन्जीलाल पाटनी जो कि ए. जी. ऑफिस में आडिटर है को कथित अभियुक्त बताया था। लेकिन अभियोग में दिनांक 2-11-74 को एफ. आर. बसिगे अदम बकुआ सिविल नेचर दी गई है।

अलवर जिले में को-आपरेटिव के कर्ज की वसूली में की गई कार्यवाही

268. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर की रामगढ़ तहसील के मुबारकपुर के श्री केसरसिंह से को-ऑपरेटिव कर्ज वसूली 500) रु. के तहत उसको पुलिस ने बेइज्जत किया व मारपीट की व ग्राम की चौपाल में बिठा कर जूते लगवाये और भैंस की नीलामी की गई?

(2) क्या यह सही है कि तहसील रामगढ़ के ही रब्बाका ग्राम के हरिसिंह चमार से उसकी कुर्की की पहली किश्त जो जून 76 में वाजिब होती है, समय से पूर्व जबरन पुलिस व एस. डी. ओ. द्वारा मारपीट करके ढोर नीलाम करके वसूली की गई?

(3) इसी जिले की गोविन्दगढ़ तहसील के पुंडपुरी ग्राम के दीवानचन्द के खाद-बीज को 500) रुपया के करीब की वसूली न चुका सकने पर उसे बेइज्जत किया गया व मारते हुए थाने में ले गये और चालान कर जेल में भेज दिया?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त गोविन्दगढ़ तहसील के ग्राम हमूदखेडा के सरपंच श्री रामनारायण के कानों की बाली व हाथ की मूंदड़ी चौपाल में खड़ा करके पुलिस ने उतारी और एस.डी.ओ. ने उसे गालियां दी और उपरोक्त दोनों चीजों को थाने में नीलाम कर दिया गया?

(5) क्या यह सही है कि गोविन्दगढ़ तहसील के ग्राम डबोली के सत्यपाल की दुकान पुलिस द्वारा नीलाम करवा दी गई और इसी ग्राम के कितने ही अन्य किसानों को उनका मुंह काला करके ग्राम में घुमाया गया और गले में जूतों की माला भी पहनाई गई?

(6) क्या इस सिलसिले में यह सही नहीं है कि उपरोक्त सभी किसान 4 से 16 बीघा तक के बारानी के काश्तकार हैं? अगर हां, तो जुल्म करने वालों के साथ क्या कार्यवाही की जायेगी?

(स्थगित किया गया)

जयपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था

269. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कुल कितने बंधे हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1972 से 1975 तक राजस्थान में सिंचाई पर कितनी राशि व्यय की गई?

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(3) उपरोक्त अवधि में जयपुर जिले में कितनी राशि व्यय की गई ?

(4) अगले वित्तीय वर्ष में जयपुर जिले के लिये कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 114 बांध हैं जिनकी सूची 'अ' संलग्न है।

(2) सूची 'ब' संलग्न है।

(3) जयपुर जिले में व्यय की गई राशि का विवरण सूची 'स' में संलग्न है।

(4) अभी केवल लघु सिंचाई मद से रु० 5.00 लाख का प्रावधान निश्चित किया गया है। अन्य मदों के अन्तर्गत प्रावधान होना शेष है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर जिले में डकैती के मामले

270. श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में वर्ष 1975 (1-1 से 31-12-75) और 1976 में अब तक कुल कितने डाके पड़े ?

(2) डाके किन किन स्थानों में पड़े ? उससे सम्बन्धित थानों का एवं पंचायत समितियों का नाम क्या है ?

(3) डाकों में कितनी धनराशि की हानि हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ तहसील में खुडयाना गांव में किसी व्यक्ति को जीवित जला दिया गया ? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन था ?

(5) डाकों में पुलिस द्वारा किये प्रयासों का विवरण भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में सन् 1975 में 6 तथा 1-1-76 से 29-2-76 तक 4 डकैती की घटनायें हुई।

(2) सूचना संलग्न तालिका के कालम नं० 1 में अंकित है।

(3) सूचना संलग्न तालिका के कालम नं० 2 में अंकित है।

(4) जी हां। श्री मूला कुम्हार निवासी खडियाना उम्र 75 वर्ष को डाकुओं ने वक्त वारदात जिन्दा जला दिया था।

(5) सूचना संलग्न तालिका के कालम नं० 4 में अंकित है।

अलवर जिले में दिनांक 1-1-75 से 31-12-75 एवं 1-1-76 से 29-2-76 तक डाकेजनी की घटनाओं की तालिका—

क्रम संख्या	घटनास्थल, पुलिस थाना व पंचायत समिति का नाम	डाकेजनी में लूटी हुई सम्पत्ति	मुकदमा नं० व दिनांक धारा	पुलिस द्वारा किये गये प्रयास व अभियोगों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	ग्राम डोरोली थाना राजगढ़, पंचायत समिति, रैणी	जेवरात, सोना, चांदी व कपड़े कीमत 4700/-	मु० नं० 10/ 18-1-75 धारा 395/397 आइ. पी. सी.	बाद तफतीश मुकदमें तारीख 30-6-75 को एफ.आर. अदम पता माल मुलजिमान में दी गई ।
2.	अशोक टॉकीज के पास अलवर शहर कोतवाली, अलवर	घड़ी, नकद रु० 30/- व बुशर्ट एक कीमत 401/-	मु० नं० 366/20-7-75 धारा 295, 397, 363, 365, 323आई. पी.सी.	मुलजिमान श्री भगवतस्वरूप, दिनेश, छोटेला, मदनगोपाल, योगेशचन्द्र उर्फ छोटे को गिरफ्तार कर माल सरूका बरामद कर मुलजिमान का चालान दिनांक 18-9-75 को पेश अदालत किया गया है ?
3.	वासपीपल खेड़ा, थाना गोविन्दगढ़ प० स० लक्ष्मणगढ़	कोई माल नहीं लूटा गया	मु० नं० 4/ 12-8-75 धारा 399/216 एवं 27 आर्म्स एक्ट	पुलिस ने टेका उर्फ टेकचन्द रामदत्त, चन्दर, रमेशचन्द्र, अमरचन्द्र, कृपालसिंह, मुलकीराम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तीन बन्दूक व कारतूस बरामद किये जाकर मुलजिमान का चालान तारीख 10-10-75 को पेश अदालत किया गया ।
4.	बडौदा कान थाना कठूमर, पंचायत समिति, कठूमर	चांदी के जेवर कीमत 700/-	मु० नं० 57/26-9-75 धारा 395/397 आइ. पी. सी.	पुलिस ने माल मुलजिमान की पतारसी के लिये भरसक प्रयत्न किये गये अभी तक कोई पता नहीं चला है कोशिश जारी है ।
5.	शेखपुरा, थाना किशनगढ़, पंचायत समिति किशनगढ़	जेवरात नकद, 12 बोर बंदूक की० 20,000/-	मु. नं. 139/8-12-75 धारा 395/396 आइ. पी. सी.	इस मुकदमें में पुलिस ने माल मुलजिमान की पतारसी के लिये भरसक प्रयत्न किये गये मगर अभी तक कामयाबी नहीं हुई, तफतीश जारी है ।

6. मालखेड़ा, थाना मालाखेड़ा पंचायत समिति, उमरैन	नकद रु० 1300/- सोने चांदी के जेवरात कीमत 4200/- कुल 5500/-	मु. नं. 58/ 10-12-75 धारा 395 आई. पी. सी.	इस मुकदमें में भी माल मुलजिमान की पतारसी जारी है।
7. ग्राम बस्सी थाना वहरोड़ पंचायत समिति, वहरोड़	कोई माल नहीं गया	मु० नं० 11/11-1-76 धारा 395/397/307 आई.पी.सी.	इस मुकदमें में मुलजिमान लाला, कल्लू, जगन, शिवचरण, महावीर बावरीयान को गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 7-3-76 को चालान पेश अदालत किया जा चुका है।
8. ग्राम इंटेरा थाना लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़	नकद व जेवरात कीमती रु० 30,000/-	मु०. नं. 3/10-1-76 धारा 395/397 आई. पी. सी.	इस अभियोग में पुलिस ने माल मुलजिमान की पतारसी में भरसक प्रयत्न किया गया परन्तु कामयाबी नहीं हुई कोशिश जारी है।
9. ग्राम खुडयाना, थाना कठूमर पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़	सोने चांदी के जेवरात कीमती रु० 12050/-	मु०. नं० 10/6-2-76 धारा 395/396 आई. पी. सी.	" "
10. ग्राम बलूलाका थाना सदर अलवर प. सा., उमरैन	नकद सोने चांदी के जेवरात कीमती 35000/-	मु० नं० 27/8-2-76 धारा 396/397 आई. पी. सी.	" "

एस.टी.सी. स्कूल झालरापाटन के छात्रों का बकाया भत्ता

271. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन एस.टी.सी. ट्रेनिंग स्कूल के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्रों को गत वर्ष (74–75) व इस वर्ष (75–76) में भत्ता नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त छात्रों को भत्ता अब कब तक दे दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 74-75 एवं 75-76 की प्रशिक्षण अवधि में ऐसी कोई केन्द्रीय योजना नहीं होने के कारण एस. टी. सी. के किसी भी प्रशिक्षणार्थी को शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया गया।

(2) इस प्रकार की कोई योजना नहीं होने के कारण भत्ता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला श्रीगंगानगर

272. श्री ज्ञानसिंह (मादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि प्रधान जिले श्रीगंगानगर में कृषि निर्भर उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं ?

(2) इस समय श्रीगंगानगर जिले में गन्ना, तिलहन, कपास तथा चावल का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है ?

(3) इस समय श्रीगंगानगर जिले में सार्वजनिक और सहकारिता के क्षेत्र में कितने कारखाने हैं और कितने कारखाने निजी क्षेत्र में हैं तथा कुल कारखानों में कितने श्रमिकों को नियमित एवं सीजनल कार्य मिल रहा है ?

(4) इस कृषि प्रधान जिले में सार्वजनिक और सहकारिता के क्षेत्र में कितने कारखानें लगाने की सरकार की योजना है ?

(5) क्या सरकार श्रीगंगानगर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गंगानगर जिले में गन्ना, तिलहन, कपास एवं चावल का वर्ष 1974-75 में उत्पादन अनुमानतः निम्न प्रकार हुआ:—

(1) गन्ना	1,20,580	टन
(2) तिलहन	51,117	टन
(3) कपास	64,524	टन
(4) चावल	31,114	टन

(3) गंगानगर जिले में सार्वजनिक क्षेत्र में 1, सरकारी क्षेत्र में 2 तथा निजी क्षेत्र में 673 कारखाने हैं तथा कुल कारखानों में 8649 श्रमिकों को नियमित और 1200 श्रमिकों को सीजनल कार्य मिल रहा है।

(उद्योग मंत्री)

(4) सहकारिता क्षेत्र में 3 कारखानें स्थापित किये जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

(5) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

—

परमानन्द विद्यालय डीडवाना

273. श्री दीपंकर (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना जिला नागौर में परमानन्द नामक एक विद्यालय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा राज्य सरकार से सहायता लेकर चलाया जाता रहा है? अगर हां, तो इस विद्यालय में कितने छात्र हैं और कितने अध्यापक हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय की पूरी की पूरी प्रबन्ध समिति जेल में है और अध्यापकों का वेतन बकाया है? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में इस विद्यालय को राज्य सरकार अधिग्रहण क्यों नहीं करती और अध्यापकों के वेतन के चुकारे की क्या व्यवस्था की गई है?

(3) क्या यह सही है कि इस विद्यालय की स्थायी फंड को जनसंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बछराज के नाम से स्मारक बनाने में लगाने का निश्चय चन्द समाज विरोधी लोगों ने किया है और वह राशि बैंक में विद्यालय फण्ड के नाम से जमा है? अगर हां, तो इस फण्ड को सरकार को हस्तगत करने में क्या दिक्कत है?

उत्तर

(1) परमानन्द उच्च प्राथमिक विद्यालय, डीडवाना सहायता एवं अनुदान, प्राप्त संस्था है। विद्यालय में कुल छः अध्यापक एवं 284 छात्र है।

(2) इस विद्यालय की प्रबन्ध समिति के निम्न लिखित पदाधिकारी/सदस्य मीसा के अन्तर्गत बन्दी है:—

1. श्री हरिशंकर भायड़ा अध्यक्ष
2. श्री गिरधारीलाल व्यवस्थापक
3. श्री मिलापचन्द माथुर सलाहकार
4. श्री नारायण प्रसाद प्रधानाध्यापक

विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को अगस्त, 75 तक का वेतन दिया हुआ है। माह सितम्बर, 75 से जनवरी, 76 तक के वेतन की 70 प्रतिशत राशि के भुगतान की व्यवस्था करदी गई है। विद्यालय के मेनेजमेन्ट को भंग करके प्रशासक की नियुक्ति की जा रही है तथा शाला का प्रबन्ध राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है।

(3) ऐसी कोई जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। विद्यालय द्वारा प्रस्तुत लेखों के अनुसार संस्था के रुपये 30,000/- की राशि ट्रस्ट के स्थायी खाते में जमा है।

(220)

परिशिष्ट 3

अता. प्र. सं. 133 की सूची

राज्य में जिलेवार चिकित्सकों की स्वीकृत संख्या वर्ष 1975-76

एवं

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मद में किये गये व्यय का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत चिकित्सकों की संख्या	मद 280 चिकित्सा का व्यय	मद 282 लोक स्वास्थ्य का व्यय
1.	अजमेर	141	4.90	15.49
2.	अलवर	102	4.36	16.02
3.	बाड़मेर	54	1.42	8.75
4.	बांसवाड़ा	54	3.41	1.24
5.	बीकानेर	94	0.85	15.58
6.	बूंदी	33	1.62	0.88
7.	भरतपुर	80	4.09	15.57
8.	भीलवाड़ा	79	8.07	14.76
9.	चित्ताड़गढ़	68	3.89	18.00
10.	डूंगरपुर	38	2.00	0.73
11.	चूरू	61	4.20	5.49
12.	धौलपुर	32	1.59	0.04
13.	गंगानगर	79	2.94	12.16
14.	जयपुर	296	9.85	13.66
15.	जैसलमेर	20	6.68	0.38
16.	जालोर	37	2.77	0.94
17.	जोधपुर	123	2.96	16.78
18.	झालावाड़	42	1.34	0.73
19.	झुंझुनूं	63	5.03	1.30
20.	कोटा	118	7.37	18.95
21.	नागौर	58	4.64	1.69
22.	पाली	74	5.59	1.17
23.	सवाई माधोपुर	65	5.19	6.65
24.	सीकर	74	3.34	1.08
25.	सिरोही	43	3.58	11.63
26.	टोंक	47	1.83	13.05
27.	उदयपुर	133	5.13	19.11

(221)

परिशिष्ट 4

अता. प्र. सं. 139 की सूची

List of Government College in Rajasthan

No.	Name of the college.
	POST GRADUATE COLLEGE (Men)
1.	Govt. College, Ajmer
2.	R.R. College, Ajmer
3.	S.D. Govt. College, Beawar
4.	M.S.J. College, Bharatpur
5.	M.J.H. Govt. College, Bhilwara
6.	Dungar College, Bikaner
7.	Govt. College, Kota
8.	Govt. College, Sri Gnr.
9.	S.K. College, Sikar
10.	Lohia College, Churu.
	DEGREE COLLEGE (Men)
1.	Govt. College, Banswara
2.	,, ,, Baran
3.	,, ,, Barmer
4.	,, ,, Bhinmal
5.	,, ,, Bundi
6.	,, ,, Chittorgarh
7.	,, ,, Dausa
8.	,, ,, Didwana
9.	,, ,, Dholpur
10.	,, ,, Dungarpur
11.	,, ,, Jalore

No.	Name of the College
12.	Govt. College, Jhalawar
13.	,, ,, Jaisalmer
14.	,, ,, Kaladera
15.	,, ,, Karauli
16.	,, ,, Kishangarh
17.	,, ,, Kotputli
18.	M.L. Begani College, Ladanu
19.	Govt. College, Nagaur
20.	S.M B. Govt. College, Nathdwara
21.	S.N.Kp. Govt. College, Neem-ka-Thana.
22.	Govt. College, Nasirabad
23.	Bangur College, Pali
24.	Govt. College, Partapgarh
25.	,, ,, Ramgarh
26.	,, ,, Rajgarh
27.	,, ,, Sardarshahar
28.	,, ,, Shahpura [Bhilwara]
29.	,, ,, Sirohi
30.	,, ,, Sambharlake
31.	,, ,, Sujangarh
32.	,, ,, Sawai Madhopur
33.	,, ,, Tonk

GIRLS COLLEGES

1. G.D. Girls College, Alwar
2. M.S. College, Bikaner
3. J.D.B. Girls College, Kota
4. Meera Girls College, Udaipur
5. Ch. BRG Girls College, Sri Ganganagar
6. Govt. College, (Girls) Bharatpur
7. Govt. Girls College, Bhilwara

(223)

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति दिनांक
29.	सुश्री जलपकन्ता देवी	24-12-70
30.	श्री सुगन ओझा	22-10-71
31.	,, देवीकिशन अरोड़ा	24-10-71
32.	सुश्री सीता देवी	28-10-71
33.	,, श्रीमती घनश्याम	31-10-71
34.	श्री रतन कुमार शर्मा	1-11-71
35.	सुश्री सुमित्रा देवी मिश्र	22-11-71
36.	,, कंचन कुमारी	7- 5-72
37.	,, विमला देवी शर्मा	16- 9-72
38.	,, मदा देवी वर्मा	16- 6-72
39.	,, विमला देवी शर्मा	19- 6-72
40.	,, गुलाब देवी भाटी	24- 6-72
41.	,, उर्मिला माहेश्वरी	11- 7-72
42.	,, प्रेमलता शर्मा	21- 8-72
43.	श्री नरोत्तम लाल	11-73
44.	सुश्री कलावती देवी शर्मा	3-73
45.	,, चन्द्रकला देवी	,,
46.	,, माया देवी गुप्ता	24- 3-73
47.	,, चन्द्रकान्ता देवी	30- 3-73
48.	,, संगीता देवी शर्मा	27- 3-73
49.	,, गणेशी देवी	29- 3-73
50.	,, मन्जुलता देवी	3-73
51.	,, विजयलक्ष्मी पाठक	,,
52.	,, हीरा देवी चौहान	3- 4-73
53.	,, मनोहर देवी	1- 4-73
54.	श्री राधेश्याम शर्मा	31- 3-73
55.	सुश्री शान्ति देवी शर्मा	5-73
56.	,, राजकुमारी शर्मा	10- 9-73
57.	श्री रतीराम	8-10-73

237

परिशिष्ट 7

(अता. प्र. सं. 145 की सूची)

सब्सटीट्यूट कल्पद/धात्रियों की नामावली व नियुक्ति दिनांक

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति दिनांक
1.	श्री पदमचन्द जैन	28-4-65
2.	सुश्री यशोदा देवी	28-2-66
3.	,, गीता देवी	3-66
4.	श्री त्रिलोक चन्द	20-4-66
5.	सुश्री कंचन देवी पारासर	28-4-66
6.	,, शकुन्तला देवी	7-66
7.	,, रमा देवी पालीवाल	21-11-66
8.	,, सावित्री देवी	6- 1-67
9.	,, लक्ष्मी देवी	1-67
10.	,, शारदा देवी	16-6-68 (दि. 1-7-68 से 26-7-72 तक अनुपस्थित)
11.	,, रुकमा देवी	2-4-70
12.	,, प्रेमलता शर्मा	6-4-70
13.	,, हांसी देवी	8-4-70
14.	,, राम देवी शर्मा	,,
15.	,, सुमित्रा देवी	,,
16.	,, देवी बिरसा	10-4-70
17.	,, जीवनलता	14-4-70
18.	,, पार्वती देवी शर्मा	,,
19.	,, प्रेमलता माथुर	17-4-70
20.	,, विमला देवी शर्मा	25-4-70
21.	,, कौशल्या देवी	4-5-70
22.	,, सावित्री देवी चौहान	1-6-70
23.	श्री अनूप शर्मा	4-6-70
24.	सुश्री जमना देवी शर्मा	20-8-70
25.	,, कुन्ती देवी शर्मा	23-9-70
26.	,, मनोरमा देवी	8-9-70
27.	,, रुकसाना प्रवीन	1-11-70
28.	,, रूपकंवर लोढ़ा	21-11-70

(226)

परिशिष्ट 6

(प्रता. प्रश्न संख्या 144 की सूची)

अभिकरणवार विभिन्न अकाल राहत कार्यों पर किये गये खर्चे का विवरण
तथा बकाया मजदूरों की सूचना

क्र.सं.	नाम अभिकरण	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	बकाया मजदूरी यदि कोई हो	कार्य की स्थिति
1.	राजस्व अभिकरण	29,620.00	2,30,32.43	—	पूर्ण
2.	सिंचाई विभाग	13,11,532.00	5,86,426.00	1700	10 कार्य अपूर्ण
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	18,10,000.00	8,06,185.00	318.56	अपूर्ण
4.	पंचायत समिति द्वारा	5,79,327.00	4,62,947.66	—	पूर्ण

वर्ष 72-73 में विभिन्न विभागों से स्वीकृत राशि की सूची

क्र. सं.	नाम अभिकरण	स्वीकृत राशि
1.	तहसील फागी।	
1.	राजस्व विभाग द्वारा	—
2.	पंचायत समिति द्वारा	1,53,240
3.	सिंचाई विभाग द्वारा	8,78,532
4.	कृषि विभाग द्वारा	—
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा	9,90,000
	योग—	20,21,772.00
2.	तहसील चाकसू।	
1.	राजस्व विभाग द्वारा	29,620.00
2.	पंचायत समिति द्वारा	4,26,087.00
3.	सिंचाई विभाग द्वारा	4,33,000.00
4.	कृषि विभाग द्वारा	—
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा	9,20,000.00
	योग—	17,08,707.00
	कुल योग— (दोनों तहसील)	37,30,479.00

1	2	3	4
झुंझुनूं			
1.	विद्या मन्दिर मा. वि., हनुमानपुरा (उ. प्रा. वि.)	70	60
अलवर			
1.	ओंकार उ. प्रा. वि., अलवर	60	50
2.	महिला प्रा. वि., शिक्षण केन्द्र, अलवर	60	50
3.	हैपी स्कूल, अलवर	90	80
4.	आर्य कन्या प्रा. वि., अलवर	70	60
भरतपुर			
1.	गोपालजी पाठशाला, भरतपुर	60	50
2.	ग्राम प्रचार सोसायटी प्रा. वि., माखेरा	60	50
3.	महिला प्रा. वि. विद्यापीठ पा. वि., मुसावर	90	80
4.	महिला विद्यापीठ उ. प्रा. वि., मुसावर	90	80
अजमेर			
1.	के. डी. ए. वी. मा. वि., अजमेर	80	70
2.	कायस्थ प्रा. वि., अजमेर	70	60
3.	डी. ए. वी. प्रा. वि., अजमेर	80	70
4.	आर्यपुत्री प्रा. वि., अजमेर	70	60
5.	राष्ट्रीय गोविन्द कन्या प्रा. वि , अजमेर	70	60
6.	गुलाब कंवर ओसवाल कन्या प्रा. वि., अजमेर	70	50
7.	मिशन प्रा. वि., केकड़ी	80	60
8.	आर्यपुत्री उ. मा. वि., अजमेर	70	60

1	2	3	4
नागौर			
1.	जे. श्री. मा. वि., लाडनूं	70	60
2.	परमानन्द उ. प्रा. वि., डीडवाना	80	70
3.	के. बी. प्रा. वि., लाडनूं	70	50
4.	राष्ट्रीय प्रा. वि., लाडनूं	60	50
5.	हिन्दुस्तानी प्रा. वि., डीडवाना	70	60
कोटा			
1.	अकलंक विद्यालय, कोटा	60	50
2.	गुरु नानक प्रा. वि., कोटा	60	50
3.	बाल भारती मन्दिर प्रार्थ, शिशु शाला, कोटा	70	60
4	महिला उद्योगशाला, कोटा	70	50
उदयपुर			
1.	पोस्ट बेसिक स्कूल वि. पी., झाडोल	90	80
2.	मिहान प्रा. वि., खेरवाड़ा	80	50
3.	मीरा कन्या उ. प्रा. वि., उदयपुर	70	60
4.	रा. म. प. उ. प्रा. वि., उदयपुर	90	70
5.	,, ,, बाल निकेतन, उदयपुर	80	70
6.	,, ,, महिला उद्योगशाला, उदयपुर	90	50
चित्तौड़गढ			
1.	ग्राम सेवाश्रम, चित्तौड़गढ़	70	50
2.	प्रताप प्रा. वि., चित्तौड़	60	50
जयपुर			
1.	गौड विप्र मा. वि., जयपुर	70	50
2.	चित्रगुप्त उ. प्रा. वि., जयपुर	60	50
3.	भगत आशानन्द पब्लिक स्कूल, जयपुर	70	60
4.	जय सिन्धी उ प्रा. वि., जयपुर	60	50
5.	बाल शिक्षा मन्दिर महावीर पार्क, जयपुर	70	60
6	गौड़ विप्र प्रा. वि., जयपुर	70	50
7.	खण्डेलवाल प्रा. वि. जयपुर	70	50
8.	सनातन धर्म हिन्दी विद्यापीठ, जयपुर	60	50

परिशिष्ट 5

अता. प्र. सं. 142 की सूची

1 अगस्त, 1975 से राजकीय अनुदान कम किये जाने वाली संस्थाओं की सूची

क.सं.	संस्था का नाम	अनुदान का वर्तमान प्रतिशत	1 अगस्त, 75 से दिए जाने वाले अनुदान का प्रतिशत
1	2	3	4
बीकानेर			
1.	जैन प्रा. वि., बीकानेर	70	60
2.	वाणिका विद्यालय, बीकानेर	60	50
3.	राष्ट्रीय उन्नति विद्यालय नं. 2 बीकानेर	60	50
4.	सादुंल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर	90	80
5.	एस. के. एस. आई. जैन कन्या पाठशाला, बीकानेर	70	60
6.	महिला जागृति परिषद्, बीकानेर	70	60
चूरू			
1.	जैन श्वेताम्बर तेरापंथी, मा. वि., चूरू	60	50
2.	माडर्न उ. प्रा. वि., सरदारशहर	70	60
3.	राजेन्द्र विद्यालय, सरदारशहर	60	50
4.	आल इन्डिया संगीत, चूरू	60	50
गंगानगर			
1.	आदर्श शिक्षा सदन, गंगानगर	60	50
जोधपुर			
1.	मदरसा इस्लामिया प्रा. वि., जोधपुर	60	50
2.	उम्मेद प्रा. वि., जोधपुर	70	60
3.	दयानन्द कन्या प्रा. वि., जोधपुर	70	60
4.	उम्मेद कन्या उ. प्रा. वि., सोजतीगेट	70	60
5.	सेन्ट एन्ड्स प्रा. वि., जोधपुर	60	50
6.	बाल मन्दिर, सरदारपुरा, जोधपुर	80	70
7.	सार्वजनिक बेसिक प्रा. वि., जोधपुर	90	80